C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 23, Wednesday, March 24, 2021/Chaitra 3, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 401 to 410 and 417	10-84
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 411 to 416 and 418 to 420	85-109
Unstarred Question Nos. 4601 to 4830	110-628

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 629-635

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 635-636

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

4th Report 637

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

8th and 9th Reports 637

COMMITTEE ON ESTIMATES

(i) 10th Report 637

(ii) Statements 638

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 227th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 225th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region

Dr. Jitendra Singh 639

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2021 640

MATTERS UNDER RULE 377 642-650

(i) Regarding declaration of Dimbhe-Manikdoh Water Tunnel as a National Project
Dr. Sujay Vikhe Patil 642

(ii) Need to widen National Highway between Raibareli and Prayagraj in Uttar Pradesh
Shrimati Keshari Devi Patel 643

(iii) Regarding issues pertaining to development in Tribal areas of Dungarpur district in Rajasthan
Shri Kanakmal Katara 643

(iv) Regarding increasing railway connectivity in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat
Shrimati Gitaben V. Rathva 644

(v) Need to clean the Godavari river
Dr. Bharati Pravin Pawar 644

(vi) Regarding stoppage of Ahmedabad-Kewaria Jan Shatabdi express at Nadiad Railway Station
Shri Devusinh Chauhan 645

(vii) Need to take necessary measures to include Kharwar-Bhogta community in the list of Scheduled Tribes
Shrimati Annpurna Devi 645

(viii) Regarding increasing incidents of cow smuggling in Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand
Shri Sudarshan Bhagat 646

(ix) Regarding updating Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985
Dr. Heena Vijaykumar Gavit 647

(x) Need to run a direct train between Palanpur and Dwarka in Gujarat
Shri Parbatbhai Savabhai Patel 647

(xi) Regarding construction of Rajpipla - Kevadia railway line in Gujarat
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 648

(xii) Need to take necessary measures for welfare of Magra-Merwara region in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shri Bhagirath Choudhary 648

(xiii) Need to increase the amount for construction of house in rural areas under PM Awas Yojana
Shri Bidyut Baran Mahato 649

(xiv) Regarding incidents of Vandalism of Hindu Temples in Andhra Pradesh
Shri Raghu Rama Krishna Raju 649

(xv) Need to provide funds for Jigaon Dam Project
Shri Prataprao Jadhav 650

(xvi) Regarding smooth passage of vehicles through Toll Plazas

Shri Mahabali Singh 650

NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONS BILL, 2021 651-710

Motion to consider 651

Dr. Harsh Vardhan 651-655

Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar 656-657

Dr. Subhash Ramrao Bhamre 658-665

Shri Bhartruhari Mahtab 666-668

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 669-671

Dr. Alok Kumar Suman 672-673

Dr. Shrikant Eknath Shinde 674-676

Shri Ritesh Pandey 677-678

Shri B. B. Patil 679-680

Shri Mohammed Faizal P.P. 681-683

Dr. Pritam Gopinathrao Munde 684-686

Shrimati Anupriya Patel 687-688

Dr. Manoj Rajoria 689-692

Shri Hasnain Masoodi 693-694

Shrimati Navneet Ravi Rana 695-696

Shri Hanuman Beniwal 697-698

Shri E.T. Mohammed Basheer 699-700

Dr. Harsh Vardhan 701-708

Clauses 2 to 70 and 1 710

Motion to pass 710

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) AMENDMENT BILL, 2021 711-788

Motion to consider 711

Shrimati Smriti Zubin Irani 711-714

Shrimati Preneet Kaur 715-718

Shrimati Aparajita Sarangi 719-725

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 726-728

Shri Arvind Sawant 729-731

Shri Chandeshwar Prasad 732-733

Shrimati Supriya Sadanand Sule 734-736

Shri Malook Nagar 737-738

Shri Manne Srinivas Reddy 739-740

Shri Hasnain Masoodi 741-743

Shri Jasbir Singh Gill 744-745

Dr. Virendra Kumar 746-751

Shri Anubhav Mohanty 752-754

Shri E.T. Mohammed Basheer	755-756
Shri Hanuman Beniwal	757-759
Prof. Rita Bahuguna Joshi	760-762
Shrimati Navneet Ravi Rana	763-764
Shrimati Annpurna Devi	765-766
Shrimati Sangeeta Azad	767
Dr. Sanghamitra Maurya	768-769
Shri Sangam Lal Gupta	770-771
Dr. Bharati Pravin Pawar	772
Shrimati Jaskaur Meena	773-774
Kunwar Danish Ali	775
Dr. Satya Pal Singh	776-778
Shrimati Smriti Zubin Irani	779-787
Clauses 2 to 29 and 1	787-788
Motion to pass	788

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	846
Member-wise Index to Unstarred Questions	847-852

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	853
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	854

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA

Wednesday, March 24, 2021/Chaitra 3, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*]

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please be seated. I will consider your concerns at 12 o'clock.

… (*Interruptions*)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, कल जो बिहार में हुआ है, वह बहुत निंदनीय है। पूरी दुनिया देख रही है कि बिहार की असेंबली में क्या हुआ है, वहां के एमएलएज़ के साथ क्या हुआ है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Now, the Question Hour. Please be seated. I will consider it at 12 o'clock.

… (*Interruptions*)

<u>11.0 ½ hrs</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. CHAIRPERSON: Question No. 401 – Shri Ramesh Chandra Majhi.

(Q. 401)

श्री रमेश चन्द्र माझी : चेयरमैन साहब, भारत में जितना आयरन ओर प्रोड्यूस हो रहा है और उड़ीसा में क्रोमाइट, बॉक्साइट, लाइम स्टोन तथा मैंगनीज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बोला है कि there is no provision in the MMDR Act, which mandates the Central Government to revise the rates of royalty for major minerals immediately after completion of three years of last revision of rates. वर्ष 2014 में लास्ट टाइम रिवाइज हुआ था। अभी सात साल हो गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट कब तक रेट ऑफ रॉयल्टी डिसाइड करेगी? चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, रिवाइज नहीं होने के कारण हम हमारा रेगुलर लॉस कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट रेट ऑफ रॉयल्टी को कब तक डिसाइड करेगी?

श्री प्रहलाद जोशी : जैसा कि उत्तर में कहा गया कि the Central Government shall not enhance the rates of royalty more than once during any period of three years. However, there is no provision in the MMDR Act, which mandates the Central Government to revise the rates of royalty for major minerals immediately after completion of three years of last revision of rates. ऐसा नहीं है कि यह तीन वर्ष में करना ही है। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे जो माइन्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, they are the highest revenue generating resources in the entire world. हम उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं इसलिए वह दोबारा हो रहा है। It is becoming costlier in the world. हम 42

से 45 परसेंट उस पर टैक्स लगा रहे हैं। हमने एक स्टडी ग्रुप की भी रचना की थी। That study group was appointed. In fact, that study group has proposed the reduction in the royalty in the auctioned mines and maintain the same in the non-auctioned mines. We have decided to constitute a Committee to formulate index-based mechanism for the valuation of mineral resources. इसलिए मेरा राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्शन में लाइए। Already, after 2014, DMF and NMET is added by that. In recent times, Odisha is the best example.

You have also done very well. You are from Odisha; your Government has done well. In terms of auction and also in the overall Mineral Sector, they have done well, and they are receiving a very good amount of revenue out of that.

श्री रमेश चन्द्र माझी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रेजेंट रेट ऑफ रॉयल्टी को इंक्रीज करने के लिए एक स्टडी ग्रुप वर्ष 2018 में कॉन्सटीट्यूट किया गया था। मेरा प्रश्न यह है कि इस स्टडी ग्रुप ने सरकार को फायनल रिकमन्डेशन कब सबमिट किया था?

श्री प्रहलाद जोशी: मैं एग्जैक्ट डेट देख कर बताता हूं। I will send the data to the hon. Member. We constituted the Study Group on 09.02.2018, and it had submitted its final recommendation in July, 2019.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Manjulata Madal – Not present.

Shri Hasnain Masoodi.

श्री हसनैन मसूदी: नॉर्दन भारत के जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन डिपॉजिट हैं। हमें आज तक यह मालूम नहीं हो रहा है कि जो मिनिरल फंड्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, वहां पर करीब 10 बड़े सीमेंट के प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। क्या वह डिपॉजिट हो रहा है? उस लाइमस्टोन माइनिंग से जो भी लोकल एरिया अफेक्टेड है या फिर एन्वॉयरमेंट पर एक भी पैसा नहीं लगाया जा रहा है। कितने पैसे आए हैं, उसका एंड यूज़ क्या रहा है? प्रधान मंत्री जी की जो योजना माइनिंग के संबंध में है, उसके लिए क्या पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रहलाद जोशी: मेरे पास स्टेटवाइज़ लिस्ट अभी नहीं है। डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां पर जमा होता है। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, वहां पर 32 करोड़ रुपये कलेक्ट हुए हैं और एक्सपेंडिचर 23.6 प्रतिशत है। हमने रीसेंटली बिल पास किया है। हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक देश में Rs. 45,000 crore have been collected, and out of that, Rs. 20,000 crore have been spent. It means, only 45 per cent is spent as far as DMF is concerned. इसलिए हम माइनिंग अफेक्टेड एरिया में ज्यादा खर्च करने के लिए डायरेक्शंस इश्यू कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस कमेटी में कंपल्सरी इंवॉल्व करने के लिए रूल भी बना रहे हैं। यह कई स्टेट्स में है और कई स्टेट्स में नहीं है। हम एकाध महीने में इसके लिए रूल बनाएंगे और स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर को भेजेंगे। आप उस कमेटी में रहेंगे, आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी और आपकी सलाह भी ली जाएगी।

श्री जुगल किशोर शर्मा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में कालाकोट नामक एक स्थान है। वहां पर कोयले की बहुत सारी खदानें हैं। वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें काम का पूरा भत्ता नहीं मिलता है। उन्हें यह कहा जाता है कि इसमें काम इतना नहीं हो रहा है, जितना आपका भत्ता बन जाता है। हम चाहते हैं कि कोयले की खदानों में कार्य

शुरू किया जाए, ताकि उसका सदुपयोग भी हो। कोयले को निकाले जाने का लाभ जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश को भी मिले और साथ में काम करने वाले मजदूरों को पूरी दिहाड़ी भी मिल सके।

श्री प्रहलाद जोशी: यह क्वेश्चन रॉयल्टी और डीएमएफ का है। माइन लेबर, जम्मू-कश्मीर स्टेट के सब्जेक्ट में आता है।

डॉ. मोहम्मद जावेद : आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। इसे स्टेट कर दें, तो और भी अच्छा होगा।

SHRI PRALHAD JOSHI: The UT Administration has to see that. But at the same time, overall, the safety of labour and the issue of their wages are being looked after by the Labour Ministry. मैं माननीय जुगल जी से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है, तो आप हमें लिख दीजिए। मैंने यह क्वेश्चन भी नोट किया है, हमारे अधिकारी बैठे हैं, हम इसकी इंक्वॉयरी जरूर करवा देंगे।

HON. CHAIRPERSON: Question No. 402, 407 and 417 are clubbed together.

Dr. G. Ranjith Reddy

(Q. 402, 407 and 417)

DR. G. RANJITH REDDY : Sir, MMTS was the first joint venture project done by the Railways. Though the MMTS is basically a very important, crucial and affordable transport system for lakhs of poor and middle-class people, when it was proposed, it was proposed to connect from end-to-end of the Hyderabad city. But only one part, Phase-I, was done and the second phase was not developed. My request to the hon. Minister is this. Since Vikarabad falls under my constituency and the MMTS was proposed to connect the three cities, namely, Hyderabad, Secunderabad and Cyberabad which is a hi-tech city, if this can be extended up to Vikarabad on the same existing line, it will be of great help because the economic stimulus will be there and housing infrastructure can be developed in Vikarabad. There is no need to lay a new line. This is my question.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Chairman, Sir, this project was first taken up in 2004, when Mr. Vajpayee's Government was there. It is actually a State Government's initiative. The Central Government or the Railways has only joined as a one-third partner and two-third is owned by the State Government. The first phase did not involve any track work. Just a few small elements of works were completed in 55

kilometres. In 2012, some track works were taken up but unfortunately, the State has not provided adequate funds to even complete the Phase-II till today, and the Railways has landed up with a huge deficit. The State was to give Rs.544 crore for the amount already spent. They have only given Rs.129 crore. So, first, we have to recover that amount of Rs.415 crore from the State to complete what is already approved. Then, if the State desires, they will have to add the Viratnagar extension. It is really a project initiated and managed by the State.

DR. G. RANJITH REDDY: I can understand that. But my request is, if the Railway Ministry, can provide the extra line, it will be of great help. I was told that a huge land bank is there near all the stations of MMTS. If we can at least consider that to monetise and develop the Phase-II, we will be happy.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, there are many projects which are stuck for want of funds from the State Government, and adding any more investment at this stage will only burden the requirement of the Railways and, ultimately, further on the State Government. As I said, this is not a Railway-initiated project. So, anything to be done in MMTS will be decided by the State, and I would urge the hon. MPs to help Railways recover this money so that we can proceed further with the rest of the projects.

HON. CHAIRPERSON : Questions 407 and 417 are similar. So, we will club them together.

Shri Manoj Kotak Ji.

श्री मनोज कोटक : सभापति महोदय, पीपीई मॉडल पर ट्रेनों की आवाजाही जो है, मैंने स्वयं तेजस ट्रेन में प्रवास किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि जिस तरह की सुविधाएं देश के लिए आवश्यक हैं, वे इन रूट्स पर मिल रही हैं। माननीय मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में 12 क्लस्टर का उल्लेख किया है। वहां पर मैंने पैसेंजर के साथ बातचीत की है, पूरे देश में इस तरह का नेटवर्क बिछाया जाए, उन्होंने इस तरह की मांग की है। सरकार का इस पर क्या विचार है, कृपया ये बताने की कृपा करें।

श्री पीयूष गोयल: माननीय सासंद जी, आपका धन्यवाद, जिन्होंने एप्रिशियेट किया है कि रेलवे किस तरह से बदलाव कर रही है। प्राइवेट-पब्लिक-पार्टनरशिप में रेलवे नए तरीके से जनता की सेवा करने की कोशिश कर रही है। हमने अपने जवाब में शुरू में कवर किया है, उसमें 150 रूट्स की पूरी डिटेल्स दी है। इसमें लगभग पूरा देश कवर हो जाता है।

करते हैं, ट्रेन्स में किस प्रकार से स्पीड आती है। उसके बाद जहां-जहां भी डिमाण्ड आती है, हमारा मन खुला है, हम अन्य रूट्स पर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।

श्री मनोज कोटक : धन्यवाद, मंत्री महोदय।

महोदय, हेजार्ड्स केमिकल्स और उनका आवागमन भी देश के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। किसान रेल आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई है, वह भी एक बहुत अच्छी पहल है। क्या इसी तरह से पीपीपी मॉडल में गुड्स ट्रेन्स की भी इनवाल्वमेंट होगी? मंत्री जी इसके बारे में बताएं।

श्री पीयूष गोयल: माननीय सभापति जी, अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स शुरू होने जा रहे हैं, कुछ हिस्सा शुरू हो गया है और कुछ हिस्सा अगले कुछ ही दिनों में और एड हो जाएगा। अगले वर्ष, जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा डीएफसी – ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जिन पर काम चल रहा है, उनको पूरा कर लेंगे। एक सुझाव कई जगहों से आया है कि डीएफसी में हम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करें। इससे हमारी कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को संतुलन में रखने में लाभ होगा। रेलवे के ऊपर और टैक्सपेयर्स एक्सचेकर पर बोझ कम होगा। जो पैसा हम बचाएंगे, उनको हम बाकी चल रहे प्रोजेक्ट्स को और तेज गति से कम्पलीट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि कॉनकॉर 17-18 प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आलरेडी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में फ्रेट ट्रेन्स चला रही है।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. : Sir, it is stated in the answer that several meetings have taken place with both the employees' federations against privatization of 151 trains. We would like to know whether they are convinced with the meetings and what the developments of these meetings are.

SHRI PIYUSH GOYAL: We have had discussions at many levels. The officers have also discussed it and, at my level also, I have had detailed discussions with the unions. I must acknowledge that in Railways we have one of the finest set of unions, which are extremely practical and pragmatic. Of course, while they want to ensure workmen's rights, through you, Sir, I would like to assure the hon. House that the Government is equally committed to ensuring and protecting the rights of the railway workmen, particularly who have continued the Railways for the last 168

years in such a good fashion and more particularly their yeoman contribution during the COVID-19 period.

As I said in my earlier discussion on Demands for Grants, they really deserve the highest accolades for their service. We are in dialogue with them on this issue. They do understand that funds constraint will be there in the railways in order to modernize. We have had sympathetic consideration on both sides to find the way forward which is more suitable to ensure and protect both the existing workmen and the possibility of generating new employment. The union is also conscious that ultimately the people will get jobs when these 150 plus trains will run. Without touching the job of any existing employee of the Indian Railways, thousands and thousands of people will get jobs by the time all these trains run.

I can assure the House that the intention is to create more job opportunities for the youth of this country, to give better services to the people of India, and to all the travellers in our trains, while also ensuring safety for which we have provided that the drivers in the loco pilot trains will be from the Indian Railways and maintenance will also be done by the Indian Railways. We are balancing everybody's interest. Final discussions are happening as we speak. I am sure that we will come to a very nice agreed understanding and proceed further in the matter.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P.: Thank you for an explanatory answer. My second question is pertaining to the selecting agency of the employees in the proposed 151 trains, which are going to be started on Public Private Partnership (PPP) mode. I want to know whether Indian Railways itself would be the selecting agency or some private agency will do it.

SHRI PIYUSH GOYAL: As far as the employees who will be running the trains or maintaining the trains, the work of which is going to be done by the Railways, are concerned, they will obviously be the employees of our Railways. As far as other services are concerned, maybe house-keeping, on-board house-keeping, maybe catering, maybe all the other courtesies that are extended to passengers, I do not think that the Government should interfere in that. We should encourage the private participants in PPP to get the best of talent, best of people, and train them and engage them, and make sure that they work efficiently so that passengers get good service.

I would believe that it is in the best interest of the success of introducing modern and very efficient train services that those services are left to the private partner and let them hire those employees. Ultimately it is the youth of India who will get jobs, it is the young boys and girls from India who will get work opportunities, which is the interest of all the hon. Members of this House.

HON. CHAIRPERSON : We have already taken Demands for Grants of Railways and a lengthy discussion had taken place. So, I am not giving any more Supplementaries on Railways.

I will just proceed to the next Question.

SHRI PIYUSH GOYAL: My apologies, Sir, the maintenance will be by the private operator. The crew –driver and guard – will be provided by the Indian Railways. So, loco-pilot, driver and guard will be provided by the Railways. Maintenance has been kept with private operator and I have explained why.

These are all modern trains which are not already being used by the Railways. So, if we take that responsibility on ourselves, then we cannot be sure what is required, what is not required and whether we have the skill-sets. The idea is to bring really world-class trains. So, we decided that the maintenance is also their responsibility. I would just like to correct that perspective.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Question no. 403.

Shri Sanjay Seth.

(Q. 403)

श्री संजय सेठ : सभापति महोदय, देश भर में खनन वाले क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर सुधारने, उनकी पीढ़ियां अच्छा जीवन जी सकें, उनके परिवार खुशहाली से रहें, इस उद्देश्य से आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने डीएमएफ का गठन किया। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने वाले माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को हृदय से धन्यवाद।

महोदय, अभी पांच दिन पूर्व खनिज (संशोधन) विधेयक के माध्यम से आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने डीएमएफ की व्याख्या को बड़ा विस्तार दिया है। मैं इसके प्रति भी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस विधेयक के माध्यम से न सिर्फ डीएमएफ की व्याख्या का विस्तार किया गया, बल्कि इसमें सांसदों की अहम भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। मैं इसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, खनन वाले क्षेत्रों में डीएमएफ के पास इतनी राशि होती है, जितनी राशि कई विभागों में नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में हम खनन करते हैं, वहां बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान होता है। डीएमएफ के माध्यम से उन क्षेत्रों के पर्यावरण के संरक्षण की सरकार की क्या योजना है?

श्री प्रहलाद जोशी : संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से भूमिका रखी है और वह बहुत एक्टिव मैम्बर भी हैं। जहां खनन होता है, वह क्षेत्र उनकी कॉन्स्टीट्ऐंसी एरिया रांची में आता है। वह बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि डीएमएफ से जो बदलाव लाना है और जहां तक डीएमएफ का सवाल है तो देश में टोटल 45 हजार करोड़ रुपये का डीएमएफ कलेक्शन हुआ है। I have already

mentioned that fund utilisation is 45 per cent only, that is, around Rs. 20,000 crore. झारखण्ड में अभी तक 6,533 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। फण्ड यूटिलाइजेशन 2,983 करोड़ रुपये का है। यह लगभग 40-45 परसेंट है। माइनिंग से जहां कुछ बुरे परिणाम निकलते हैं, उधर इसको खर्च करते हैं और यह वहां के लोगों के वेलफेयर केयर के लिए है। हम इसमें लगातार सुधार करने के लिए राज्यों के साथ कंसल्टेशन के साथ कोशिश कर रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने एनवायरनमेंट का इफैक्ट कम करने के लिए, एनवायरनमेंट के बारे में प्रश्न पूछा है। Regarding the environment-related projects, an amount of Rs. 694 crore has been extended out of DMF.

As far as Jharkhand is concerned, the amount spent is Rs. 263 crore. अल्टीमेटली, हम गाइडलाइन दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, फंड इकट्ठा करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। But ultimately, State Governments and District Magistrates have to spend this amount. They have got all the liberty. We are issuing some directions and guidance from time to time for speedy utilization and proper implementation. But for that purpose only, as I have already said, we are trying to include Members of Parliament even from Rajya Sabha in nodal Districts. This is the thing we are trying to do. It will be made mandatory. You will be participating in that. You will come to know the entire fact. You can also pressurize in the meeting to take up the proper work.

श्री संजय सेठ : सभापति महोदय, इसी खनन वाले क्षेत्र के खिलाड़ी में मैकलुस्कीगंज एक गांव है, जिसको मिनी लंदन के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में वहां स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। वह खनन प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विकास की योजना उतनी नहीं बन पाई है।

मेरा मंत्री जी से आग्रह है और मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि क्या वहां पर्यटन की संभावनाओं को देखकर, वहां पर्यटन को बढ़ावा देकर, इस डीएमएफ फंड से, मैकलुस्कीगंज को मिनी लंदन के रूप में जाना जाता था, क्या उसे वैसा ही पर्यटन का क्षेत्र बना सकते हैं?

श्री प्रहलाद जोशी : एक्चुअली क्वैश्चन डायरैक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनकी जो कंसर्न है और जो इनकी भावना है, मैं उसे एप्रिशिएट करता हूं। फिर भी डीएमएफ फंड से उधर ब्यूटिफिकेशन और पर्यटन के लिए, जो कुछ भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो वे जरूर ले सकते हैं। जब आप एक-दो महीने में कमेटी के मैम्बर बन जाएंगे, तो आपको उस कमेटी में कम्प्लसरी बुलाना पड़ेगा, तब आप इसके लिए इन्सिस्ट करिए। आप उसे मिनी लंदन बनाने के लिए इन्सिस्ट करा दीजिए और हम भी आपकी भावना को गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को अपनी तरफ से बताएंगे कि आपके पास जबरदस्त पैसा है, इसलिए कृपया आप इसका उपयोग करके उस मिनी लंदन को लंदन बना दीजिए।...(व्यवधान)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY : Thank you, Sir.

Sir, funds from DMF are spent by the District Governing Council headed by the District Collector as the Chairman within the ambit of guidelines. In the recently introduced MMDR (Amendment) Bill, 2021, the Central Government proposed to take complete control of DMFs from the State Governments. As of now, DMFs are very useful and very handy for District Collectors to do various development works locally. Already, the Central Government has suspended MPLAD Funds given to

Members of Parliament which is showing negative impact on local development. If the Central Government takes control of DMFs also, then there will not be any funds under the discretion of District Collector to do local development works proposed by public representatives. Can I seek clarification on this point from the hon. Minister for Mines?

Sir, I will also put my second question at once. …(*Interruptions*) The IBM sub-regional office was there in Nellore, Andhra Pradesh till 2018. Then, it was merged with Hyderabad office. At present, there is no IBM regional office or sub-divisional office in Andhra Pradesh. It is a severe injustice to Andhra Pradesh.

May I please know from the hon. Minister for Mines by when the IBM regional office will be opened in Andhra Pradesh?

श्री प्रहलाद जोशी : सभापति महोदय, हमने प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में डीएमएफ को इनकॉरपोरेट किया है। अभी हम ने रीसेन्टली अमेंडमेंट किया है कि उसमें हम कोई पावर नहीं ले रहे हैं। जो मिसइन्फॉरमेंशन कैम्पेन चल रहा है, वह बिल्कुल गलत है। We are trying to include you as MP. Now, it is not mandatory. We are going to make it mandatory. That is one thing. You will be called. There is no proposal to take the control of DMF because ultimately it has to be spent in the District itself and committees are being constituted under the chairmanship of District Magistrate.

स्टैंडिंग कमेटी सभी पार्टी की होती है। यूनैनिमस रिपोर्ट है कि जहां माइनिंग एफेक्ट हुआ है, वहां खर्चा नहीं हो रहा है। मैं एक मिनट में कहना चाहता हूं कि मैं भी एक राज्य में गया था, जहां माइनिंग होती है।

जहां एक्चुअली माइनिंग हो रही थी, उसके दो किलोमीटर के अंदर पीने का पानी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर में एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया गया है। I do not mind somebody constructing a good garden. लेकिन सवाल यह है कि उधर पीने के लिए पानी नहीं है। यह सारी बातें स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में दाखिल की गई हैं। इसलिए हम जनरल डायरेक्शन दे रहे हैं और एमपीज़ को इंवॉल्व कर रहे हैं। IBM regional offices are working on the regional basis. ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये कब, कहां चाहिए, इसकी जरूरत है, तो हम जरूर देते हैं। अभी जरूरत नहीं है, ऐसा मेरे डिपार्टमेंट का मानना है। It is ultimately a decision taken on the basis of convenience of administration. So, regional offices are located on the basis of convenience of administration.

HON. CHAIRPERSON: Question no. 404.

Dr. Sanjay Jaiswal.

(Q. 404)

डॉ. संजय जायसवाल : सभापति महोदय, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन माननीय प्रधान मंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उन्होंने इसकी घोषणा लाल किले से की थी। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि यूपीए सरकार के समय हम लोगों ने स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में सुना था, लेकिन उसी समय ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी एक घोटाला हुआ था। कहीं भी डेढ़ मीटर नीचे ऑप्टिकल फाइबर को नहीं बिछाया गया है। उसका नतीजा यह है कि जहां-जहां ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए हैं, कभी भी लाइन कट जाती है, कभी कनेक्शन मिलता नहीं है। विगत 10 वर्षों में जितने भी ऑप्टिकल फाइबर शहरों की कनेक्टिविटी के लिए लगे थे, एक छोटा सा इंसिडेंस होने से भी वह कट जाता है। हम लोगों ने यह खुद देखा था कि गड्ढे खोदकर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाता था, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स मशीन से टनलिंग करके ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि देश के 70,000 करोड़ रुपये इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए लग रहे हैं, तो जो उन्होंने ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स बनाने की बात की है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर्स को मेजर कर सकें, तो यह केवल ऑप्टिकल फाइबर लगने के लिए होगा या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि ऑप्टिकल फाइबर वाकई काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, वह डैशबोर्ड है, लेकिन मैं इस सदन को कुछ जानकारी देना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के तीन मूलत: कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की स्ट्रैटजी है। पहली है, भारत के सभी **6** लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर भारतनेट के माध्यम से ले जाना, जिसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को पिछले साल लाल किले से की थी।

माननीय संजय जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं उन्हें करैक्ट कर दूं कि ब्रॉडबैंड मिशन वर्ष 2019 में ही आ गया था। What is Broadband Mission? Broadband Mission is providing broadband connectivity in urban as well as in rural areas. That is a work to be done by the private sector, TSP and the Government. Therefore, we are providing Rs. 70,000 crore from the USOF. That will be done in North-East, and in gap areas and we keep on giving funds.

माननीय संजय जी ने जो दिक्कतें बताई हैं, अगर थोड़ा स्पेसिफिक उदाहरण देंगे, तो मैं जांच करवाऊंगा। जहां ऐसी गड़बड़ी हुई है, वहां पर मैंने कार्रवाई भी कराई है। भारतनेट के होने का जो फायदा हुआ है, मैं उसके लिए दो उदाहरण देना चाहता हूं। डेटा कंजप्शन जो जुलाई 2019 में सिर्फ 60 टेराबाइट था। वह आज 1785 टेराबाइट प्रति माह हो गया है। उसकी उपलब्धता बढ़ी है, क्योंकि लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं।

हम लोगों ने एफटीटीएच कनेक्शन गांव में 4,86,040 कनेक्शंस स्कूल, आंगनबाड़ी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एनिमल हस्बैंड्री, राशन शॉप सबको दिये हैं। जिसमें प्राइवेट में 1,22,039 कनेक्शंस दिए हैं। All this shows increasing trend of data conjumptiom because of Bharatnet. हम लोग कोलैबोरेटिव और कॉपरेटिव काम कर रहे हैं।

उन्होंने जिस डैशबोर्ड की बात की है, वह उपलब्ध है। अगर उसके इंप्रूवमेंट के लिए वे सुझाव देंगे, तो हम जरूर इंप्रूव करेंगे। लेकिन मैं माननीय सांसद संजय जी और बाकी सदस्यों से भी आग्रह करूँगा, अभी हम बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं, बाकी जगहों पर भी ले जाएंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में माननीय सांसद भी जुड़े हैं, उनके सहयोग से हम उसे और इफेक्टिव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय सभापति जी, स्पेसिफिक मामला मैं अपने यहाँ का ही बता देता हूँ। जब मैं अपने घर जाता हूँ, तो मेरे घर पर ही यानी बेतिया शहर में ब्रॉडबैंड कटा हुआ मिलता है।

मेरा इश्यू यह है कि सेन्ट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग से आप यह काम करवा रहे हैं, स्टेट लेड मॉडल से करवा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर लेड मॉडल से करवा रहे हैं, इसको पार्टली पीपीपी मोड से करवा रहे हैं, इन सब चीजों का क्या मैकेनिज्म होगा ताकि ऑप्टिकल फाइबर पर हम जो अपने देश का इतना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी बर्बादी न हो?

इस वर्ष आज़ादी के 75वे वर्ष के अवसर पर 'अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। अभी हमें मंत्री जी के द्वारा यह एश्योरेंस मिला है कि वर्ष 2022 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। चम्पारण महात्मा गांधी जी की धरती रही है और चम्पारण से ही भारत की आज़ादी का आन्दोलन शुरू हुआ था। आज़ादी के इस 75वे वर्ष के अवसर पर मनाए जा रहे इस 'अमृत महोत्सव' में क्या माननीय मंत्री जी चम्पारण के सभी गांवों को 15 अगस्त, 2021 से पहले ब्रॉडबैंड से जोड़ना पसंद करेंगे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में एक बात बहुत ही विनम्रता से बताना चाहूँगा कि जो फाईबर कटता है, उसके लिए मेरे विभाग की जो कमियाँ हैं, हम उनको जरूर एड्रेस करेंगे। लेकिन होता यह है कि कहीं सड़क बनती है, तो फाईबर काट दिया जाता है, अगर कहीं पर इरीगेशन से संबंधित कोई फैसिलिटी का काम होता है, तो फाईबर काट दिया जाता है। पूरे देश में यह

एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं सीएम से बात करता हूँ। हमारे पदाधिकारी चीफ सेक्रेट्री से बात करते हैं। इसलिए राइट ऑफ वे पर सारे प्रदेशों ने स्वीकृति दी है कि राइट ऑफ वे को हम लोग भी रिकॉगनाइज करेंगे। यह चीज नहीं होनी चाहिए। He is very right. लेकिन जमीन पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आती है, अगर नैशनल हाइवे को थोड़ा-सा भी चौड़ा किया जाता है, उन्होंने खोद दिया, तो कट गया। इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। यह हाउस को बताना जरूरी है। जहाँ तक उन्होंने वर्ष 2022 की बात की, तो 2022 is our objective on a large concept of completing this very extraordinary project.

चम्पारण उनका क्षेत्र है, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने देश को एक बड़ी क्रांति दी थी। उन्होंने एक बात कही है, स्वाभाविक रूप से मैं इस बात की चिन्ता करूँगा। जब हमें हर गांव तक जाना है, जिसे हमें मई तक पूरा करना है, तो उसमें चम्पारण भी होगा, उनका क्षेत्र भी होगा और जहाँ से गांधी जी ने अलख जगाई थी, हम उसकी चिन्ता भी करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Rekha Verma – not present.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I think that last week we had a similar discussion on optic fibre. India is experiencing the largest digital divide today because of education during the pandemic. A Government report says that only about 25 per cent children had managed to have access to good quality education in these very challenging and extraordinary times. So, are you committed to this `2022-commitment' especially more so because our children needed this? I would like to extend the point that Sanjay Jaiswal Ji said. I agree with him and I appreciate your challenges because it is not always your Department's fault as

road construction is done by somebody else. But can we accelerate good quality broadband at least in Parliament and in MPs' homes because a lot of times we all have to work from our homes and access sometimes is exceptionally slow? So, if we cannot do it in our own Parliament and in the Capital, when will we reach every child who actually deserves good quality education?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: As far as digital divide is concerned as raised by the hon. senior Member, I would like to ask what was the biggest challenge during COVID-19 to keep the country united and going? If I say in lighter vein, there was no road movement, no flight, and no national highway movement. The country was kept going by the IT mobile infrastructure. We will have to acknowledge that. All of this I was handling as a Minister and Piyush Ji managed the railway movement to enable our labourers to move. So, we need to acknowledge this. We have liberalized work from home concept. Today, work from home has become work from anywhere.

As far as the education of children is concerned, I wish to tell the hon Member in the right earnest that most of the school education went digital. There have been gap areas. I will not deny that. But substantially, the school continued because of digital education being encouraged. There is scope for improvement which I will never deny.

In case of judiciary, 70 lakh cases were heard digitally virtually by the Supreme Court, High Courts and districts courts.

Therefore, at least during the challenging time of COVID, the great work done by our communication system -- in the Government and the private both -- needs to be appreciated and acknowledged. But, yes, I agree with you that there is always scope for improvement.

As regards the Government's commitment, I would like to tell the hon. Member and this House, through you, Sir, that it is the commitment of the Prime Minister that the communication infrastructure of the country must get improved. Kindly give me a minute to outline what we are doing in it. I had replied to Shri Sanjay ji's Question about the BharatNet project now in all the villages. Second is fair competition in the private sector. They are also expanding their footprint including in 4G.

Today, I am happy to tell you that nearly 70 crore smartphones are there and a substantial number of them are also in the rural parts of India. Today, we have got a vast expansion of our broadband and also mobile internet service. We all know about it. But, yes, at the same time, with BharatNet, Broadband Mission, satellite communication, we are reaching to the Andaman and Nicobar through submarine. Now, we are going to Lakshadweep and to all the villages. So, all are working side by side.

I would again urge the hon. Members of Parliament, as they keep on going to their areas, that if there is any specific problem that needs improvement, then surely we will be open to address those concerns. But one thing that I would repeat to the hon. Members of Parliament is that when you visit your area, please ensure that there is some coordination between the civic agencies and my Department. Otherwise, the ‘cutting’ part will keep on rising.

SHRIMATI HEMAMALINI : Thank you so much, Sir. First of all, I would like to congratulate Shri Ravi Shankar Prasad ji for doing excellent work as the Minister of Communications and successfully leading PM, Shri Narendra Modi ji’s Mission of Digital India. I wish that all the 2.5 lakh Gram Panchayats of the country soon get connected through broadband as already a larger part of it is connected.

As we all know, Mathura is a highly populated city and thousands of domestic and international tourists visit the city every day. Bad mobile signal and call drops is common and upsetting for the people in the city.

My question to the hon. Minister is this. Is there any proposal to set up additional Base Transceiver Station (BTS) sites for 2G and 3G in Mathura city for seamless mobile coverage? I have also written a letter to you with this proposal of setting up 10 more BTS sites in the city.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I thank hon. Member, Hema Malini ji, for the kind words about me. I have already given instruction to my Department and

through them to all the TSPs -- both private and BSNL -- that all the leading tourist sites, both religious and non-religious, must be properly addressed as far as enhancing connectivity is concerned, be it Kedarnath, be it Badrinath, Mathura, Kashi, Ajmer Sharif or any other place. I have already directed in a very proactive manner.

As regards BTS and tower, I would just like to convey to this House that in December, 2015 we had 4,15,724 mobile towers and in March, 2021 it is 6,40,613, which is a rise of almost 54 per cent. As regards BTS, in March, 2014, before we came to power, it was 6,49,834 and by March, 2021, it is 22,30,010. It is a rise of 243 per cent.

As regards the specific case of Mathura, it is an ongoing process. I take note of her concerns. I have also written to her. Vrindavan and Mathura are important seats. She is not only a distinguished representative of that Constituency, but Mathura and Vrindavan are the abode of Lord Krishna and all of us are *bhaktas* of Lord Krishna. Therefore, it is our concern also, Hema ji, to ensure that the area is properly included in infrastructure. I take note of your concerns. I will immediately ask the Department to look into it.

HON. CHAIRPERSON: Question no. 405,

Shri Feroze Varun Gandhi**.**

(Q. 405)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Sir, may I know whether the Government has conducted any study on usage of syngas for firing fertilizer plants which will help to reduce the import of LNG, especially in coal chain?

SHRI PRALHAD JOSHI: As already mentioned in the reply, Talcher Fertilizers is one of the experiments and as far as the overall coal gasification and coal liquefaction are concerned, the Government has constituted a Committee under the Niti Aayog. The Ministry is about to have stakeholders' consultation in coal gasification and coal liquefaction technology in order to launch Coal Gasification Mission, which is called the Clean Cold Technology. Hon. Prime Minister has given a target that by 2030 100 MT of coal have to be converted into gas so that it will comparatively lead to less environmental hazard.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: Sir, I just wanted to ask about the impact coal gasification in local methanol production and the consequent reduction in oil imports that will result from it.

SHRI PRALHAD JOSHI: The DME is also produced from coal gasification and methanol, which would definitely impact on the imports of our crude oil. On the experiment - the overall coal gasification and manufacturing of methanol through coal - the study is going on. As far as gasification technology is concerned, there are only a few private companies; we are continuously trying to interact and implement the coal gasification projects. There are two such projects. One is Talcher Fertilizers and another is Dankuni Coal Complex, which have been taken on by the Coal India Limited. Further, this is under the guidance of the chairmanship of a Niti Aayog Committee. All these aspects, including coal gasification and methanol, are involved in it.

श्री गणेश सिंह : सभापति जी, हालांकि कोयला गैसीकरण से संबंधित प्रश्न चल रहा है, लेकिन मंत्री जी खनन मंत्री भी हैं, इसलिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में जहां-जहां कोयला और अन्य मिनरल्स हैं, जैसे हमारे लाइम स्टोन है। जहां भी उत्खनन होता है, वहां बहुत ज्यादा उत्खनन किया जाता है और मिट्टी के बड़े टीले लगा दिए जाते हैं। इस वजह से वॉटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है और पर्यावरण भी प्रभावित होता है। माइनिंग की पालिसी के आधार पर जिन किसानों की जगह पर उत्खनन किया जाता है, क्या उन जगहों को फिलिंग करके वापस किसानों को लौटाकर खेती के लिए दिए जाने का प्रावधान है?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, after mining, whether it is in coal or in other mining sectors, acclamation and refilling is a condition; mine closing is also a part of it. जब हम माइनिंग लाइसेंस देते हैं, तो माइन क्लोजिंग का भी उसमें प्रावधान रखते हैं। But we are using

it for plantation and other things. As of now, the proposal to give it back to the original owners is not in front of us.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Coal is supplied to urea project at Talcher through Talcher Fertilizers Limited; a joint venture has been started by CIL, GAIL and Rashtriya Chemicals & Fertilizers. The expected time of commissioning is 2024-25. The Minister has also mentioned about Dankuni Coal Complex. I would like to understand from the Government, through you, Sir, whether any private party, private consortium has also approached the Government to take lease of coal field for coal gasification? If so, what progress has been made in this regard?

SHRI PRALHAD JOSHI: I will try to collect more information on it but, as of now, only these two projects are going on. We have provided in commercial coal auction 20 per cent rebate in revenue share for all the future coal commercial block auctions even if they use just 10 per cent of the coal for the coal gasification. So far, any private party particularly for gasification has not approached.

HON. CHAIRPERSON : Q. No. 406.

Shri Su. Thirunavukkarasar – Not present.

(Q. 406)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): A statement is laid on the table of the House.

HON. CHAIRPERSON: Q. 408.

Shrimati Ranjeeta Koli – Not Present.

(Q. 408)

श्री मलूक नागर : सर, मुझे राजस्थान में राजनैतिक रूप से काम करने का और घूमने का पूरा मौका मिला है। महाभारत के समय में पांडव हस्तिनापुर में रहते थे। दौसा, लोकसभा क्षेत्र और कोटपुतली से आगे भीमगोडा में रहने वाले लोग वहां जाना चाहते हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई स्कीम है, जिससे राजस्थान से सीधे हस्तिनापुर को जोड़ा जा सके? इसके अलावा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी जल्दी ठीक हो जाएं।

श्री पीयूष गोयल: पूरे सदन की यह इच्छा है कि माननीय अध्यक्षजी जल्दी ठीक हो जाएं। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी ठीक होकर आ जाएं। जहां तक हस्तिनापुर का सवाल है, शायद अब तो वह हस्तिनापुर की लड़ाई कुछ राज्यों में भी लड़ी जा रही है। राजस्थान का समय नहीं आया है परंतु मैं इतना अवश्य रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा कि राजस्थान में हमारी कई योजनाएं भी चल रही हैं और कई योजनाएं अटक भी गई हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं, जिसमें राज्य सरकार ने पहले मंजूरी दी कि वह कॉस्ट शेयर करेगी या हमें लैंड मुफ्त में देगी, लेकिन अब सरकार मुकर गई है। इसके बारे में मैंने राज्य के माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है ताकि वह इस पर कार्यवाही करें और चिंतन करें, साथ ही जो कमिटमेंट वह दे चुके हैं उसे पूरी तरह से फुलफिल करें।

मैं आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहूंगा कि राजस्थान में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके संबंध में मैंने पत्र में भी लिखा है। मोदी जी की सरकार आने से पहले वर्ष 2009-2014 में 682 करोड़

रुपये प्रतिवर्ष औसत निवेश गुजरात और उससे गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स में होता था, लेकिन इस वर्ष के बजट में उसको बढ़ाकर 4 हजार 986 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि करीब-करीब सात गुना है। यह दर्शाता है कि हमारी राजस्थान के प्रति कितनी संवेदना है और हमारी कितनी इच्छा है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स पूरे हों। हमारी सरकार का यह मानना है कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते रहने की जगह जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पर फोकस किया जाए और उनको जल्दी पूरा करें ताकि उनकी सेवा जनता को मिल सके।

श्रीमती रंजीता कोली : धन्यवाद सर, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि पूरे देश में कुल कितनी रेल सेवाएं चल रही हैं और राजस्थान में क्या उनका कोई नई रेल सेवा जोड़ने का विचार है?

श्री पीयूष गोयल: राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा देश के लगभग बीचों-बीच स्थित राज्य है। बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, उनके डिटेल्स मैं टाइम टेबल के साथ भिजवा भी दूंगा लेकिन प्रमुख रूप से राजस्थान से जो पैसेंजर्स ओरिजिनेट होते हैं, वे दो मेन रेलवेज में हैं। पहला, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इन दो जोन्स में अगर देखा जाए तो 30 करोड़ के पैसेंजर्स राजस्थान से होकर गुजरते हैं। यह एक अंदाजा है। एग्जैक्ट फिगर्स तो स्टेशन-वाइज अलग-अलग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि रेलवे को कभी भी राज्यों में न बांटें।

यह जोन वाइज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के हिसाब से बँटा हुआ है। हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि रेलवे भी राज्यों की आपसी तकलीफों में आ जाए। रेलवे को राज्यों से अलग रखा जाए। रेलवे को राज्यों की राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए और पूरे देश की एक रेलवे है।

HON. CHAIRPERSON : Q. No. 409.

Shri Santosh Pandey

(Q. 409)

श्री संतोष पान्डेय : महोदय, माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने ही हमारे छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, कवर्धा में आकर बहुत ही शानदार उद्घोषणा और शुभारम्भ इस कटघोरा से डोंगरगढ़ नई बड़ी आमान विद्युतीकृत लाइन परियोजना का किया। यह परियोजना 294 किलोमीटर की है। यह परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही बहुप्रतीक्षित है। इसमें अभी कोई रफ्तार नहीं दिखती है। कहीं किसी भी प्रकार काम नहीं हो रहा है। भूमि अधिग्रहण तो शुरू कर दिया गया था। सभी देयताओं, दावों आदि का निपटान कर दिया गया था। इस परियोजना में कहीं कोई रफ्तार नहीं है।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा कार्य आबंटित करने की घोषणा भी नहीं की गई है।

इसी विषय से संबंधित मेरा एक प्रश्न और है कि जो 4,160 करोड़ रुपये की लागत वाली दल्लीराजहरा-रोवघाट, जो 95 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना है, वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमि सौंपने में विलंब के कारण और क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण इसका लंबित होना बताया गया है। ये दोनों बहुत ही आवश्यक परियोजनाएं हैं। जब तक आप इन पर चर्चा नहीं करेंगे और जब आप इनमें सभी प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे तभी यह कार्य संभव हो सकता है।

मेरा डोंगरगढ़ से संबंधित एक विषय और है। छत्तीसगढ़ में विगत **5** साल से छोटी रेल लाइन है और छोटी लाइन की ट्रेन खड़ी है। यदि आप डोंगरगढ़ के लिए उसे दे देते हैं तो यह मनोरंजन के लिए और पर्यटन के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, मैंने इस प्रश्न के बारे में बड़े विस्तार से जवाब में लिखा है। यह प्रोजेक्ट वास्तव में रेलवे का कम था व इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का एक जॉइंट वेंचर हमारे साथ है। सीआरसीएल, जिसने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। जब उसमें मंजूरी दी गई तो रेलवे को 350 करोड़ रुपये लगाने थे, बाकी पैसे अलग-अलग संस्थाओं को लगाने हैं। दुर्भाग्य से राज्य में सरकार बदल गई। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट में कम दिलचस्पी ले रही है। मेरा सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि अपनी-अपनी राज्य सरकार को कहें कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है, अगर वे उसे फुलफिल करें तो हम तेज गति से प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। मैंने पहले भी इस सदन में कहा है, हमारे ध्यान में आया है कि कुछ राज्य बहुत तेज गति से सहयोग करते हैं, जमीन अधिग्रहण करते हैं, जहाँ उनका शेयर है, वे पैसा देते हैं और एनवायरनमेंटल क्लियरेंस देते हैं, फॉरेस्ट वाइल्डलाइफ क्लियरेंस देते हैं। स्वाभाविक रूप से उन प्रोजेक्ट्स को हम और तेज गति देंगे। हम उन्हें जल्द से जल्द खत्म करेंगे, उन्हें जनता और उद्योग की सेवा में लाएंगे। जो राज्य इसमें एक लचीला सा व्यवहार दिखाएंगे या कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, उन राज्यों में आपको उन राज्यों की जनता के बीच जाकर बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार चिंता नहीं कर रही है। अगर आप यह जनता को अवगत कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी राज्य सरकारों के ऊपर यह दबाव आएगा कि राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग दें। हमने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स देश भर में देखे हैं। मैंने अपने जवाब में भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में एक प्रोजेक्ट वर्ष 1974 से चल रहा है। आज देखिए 45 साल से ज्यादा हो गए हैं। वर्ष 1974-75 में प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आज तक हम उसे आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण केरल का बताया था। वहाँ 9 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो रहा है। सभी

प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन राज्य सरकार नहीं देती है। मैं उम्मीद करूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार उसी रास्ते पर न जाए, जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार या केरल सरकार चल रही है। ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि आगे चलकर उनको भी वही तकलीफें आएंगी, जो आज पश्चिम बंगाल में आ रही हैं।

HON. CHAIRPERSON : Q. No. 410.

Shri Sumedhanand Saraswati.

12.00 hrs

(Q. 410)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था और माननीय मंत्री जी डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने विस्तार से उत्तर दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरा एक निवेदन यह है कि बहुत सारे कर्मचारी और विभाग इस बात का उल्लेख करते हैं कि कर्मचारियों की कमी है। लोगों के बहुत सारे इस प्रकार के काम होते हैं। जो महत्वपूर्ण फाइलें अटकी रहती हैं और जब कार्यालय में लोग जाते हैं तो एक बहाना मिलता है कि कर्मचारी/स्टाफ का अभाव है।

HON. CHAIRPERSON : Please ask your question.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: मेरा एक निवेदन है कि क्या स्टाफ को बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादातर काम होते हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित करेगी? क्या ऐसा कोई कानून बनाने का प्रावधान है कि जिसके लिए कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए? उसकी जवाबदेही तय हो कि इतने समय में आपको फाइल कम्पलीट करके भेजनी ही पड़ेगी। यह मेरा निवेदन है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य के प्रश्न का बड़े विस्तार से उत्तर दे दिया गया है लेकिन इन्होंने जो स्पेसिफिक पूछा है, उसमें मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि प्रदेश के कामकाज में निर्देश जारी करने की केंद्र की कितनी गुंजाइश रहती है। हमारी अलग-अलग लिस्ट होती है- स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कनकरंट लिस्ट। डीओपीटी के माध्यम से और

एआरपीजी के माध्यम से जहां तक हो सकता है कि गाइडलाइंस और कुछ-कुछ दिशा-निर्देश, आदेश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिशा-निर्देश देने का क्रम रहता है। Now as far as expediting it is concerned, जैसे उन्होंने कहा, just taking two minutes, I would like you to recall that as soon as this Government came to power on the 26th of May, 2014, one of the earliest declarations by the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi was that we are committed to 'maximum governance - minimum Government' and we have reasonably lived the talk or walked the talk. If you recall, within three months of this Government coming in, somewhere in September-October 2014, we did away with a legacy which was actually carrying on from the days of the British empire. The process of requirement of getting the documents attested by a gazetted officer or by a legal authority was done away with and we introduced the process of self-attestation.

Similarly, about 1500 rules, which had become obsolete with the passage of time, have been done away with in the last 5-6 years. This was, in fact, an endeavour to expedite and to bring in ease of governance and I am sure you would appreciate that the ease of governance is also directly related to the ease of living. Similarly, we took another revolutionary step, नियुक्तियों में जो इंटरव्यू हुआ करते थे, those were done away with. It not only provided a level-playing field for the job aspirants, but it also led to the expediting the entire process. अन्यथा क्या होता था कि इंटरव्यू के लिए एक-एक सप्ताह लग जाता था। Many of the States reported to us that they had also done a huge saving on the State exchequer. Digital e-offices are now

functional in virtually all the ministries of the Central Government and we are actually encouraging the States and Union Territories also. The Citizen Charter is in place, and I am glad to point out that even during the COVID times, there was not a single day when working got interrupted. In the Ministry of Personnel, 'work from home' was so successful that one of the functionaries told me that this has led to 'maximum output-minimum attendance.' Having said that, I may also like to add here that the website of the Ministry is so vibrant that many of the decisions which are taken by the ACC which is the highest body in the Government are actually available on the website even before the order or the intimation goes to the concerned officer. Many of the officers are now accessing the website. So, what I am trying to say is that as far as the Department of Administrative Reforms and Public Grievances is concerned, we have introduced DigiLocker. Now most of the documents are available in the DigiLocker. डिजिटल लॉकर, जिसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी उसी में उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त जो 60 और 80 वर्ष के वयोवृद्ध पेंशनर्स हैं, in order to facilitate them, पहले क्या होता था कि.... ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be brief with your answer. We have already crossed the time.

...(*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Chairperson, Sir, whenever you ask, I will stop. Otherwise, I will carry on. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude it briefly.

…(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं आपकी बात की तस्दीक करते हुए यह कह रहा हूं, I think, I will answer instead of Madam answering. ऑनरेबल मैम्बर, आप मुझ से जवाब लीजिए बजाय उनसे जवाब लेने के।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, please conclude.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि वह प्रक्रिया भी जा रही है। In many of the States, already land records have been digitalised. But I agree with you; we are moving ahead in that direction. But the pace of movement has been pretty fast in the last five-six years.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I would like to compliment the hon. Chairperson. …(*Interruptions*) More than 13 questions have been taken up today. …(*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप पहली बार चेयर पर बैठे और आपने 13 क्वैश्चन ले लिए। भर्तृहरि महताब जी जैसे सीनियर मैम्बर आपको इसके लिए बधाई दे रहे हैं। इससे सभी माननीय सदस्य अपने को असोसिएट कर रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: A compliment from a very senior Member is always encouraging. I am grateful to him. Thank you.

12.05 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. CHAIRPERSON : Papers to be Laid on the Table. Item Nos.2 to 9, hon. Minister Shri Arjun Ram Meghwal *ji*.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री रविशंकर प्रसाद की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4180/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री पीयूष गोयल की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4181/17/21]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4182/17/21]

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4183/17/21]

(तीन) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4184/17/21]

(चार) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4185/17/21]

(पांच) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4186/17/21]

(छह) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4187/17/21]

(सात) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4188/17/21]

(आठ) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4189/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4190/17/21]

(3) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4191/17/21]

(4) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छावनी बोर्ड लेखा नियम, 2020 जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 2(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4192/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं डॉ**.** जितेन्द्र सिंह की ओर से**,** निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) (एक) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4193/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2020 जो 27 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4194/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मंत्रियों द्वारा चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण सं. 35 तीसरा सत्र, 2004

[Placed in Library, See No. LT 4194**A**/17/21]

पंद्रहवीं लोक सभा

2. विवरण सं. 40 दूसरा सत्र, 2009

[Placed in Library, See No. LT 4195/17/21]

3. विवरण सं. 34 चौथा सत्र, 2010

[Placed in Library, See No. LT 4196/17/21]

4. विवरण सं. 35 आठवां सत्र, 2011

[Placed in Library, See No. LT 4197/17/21]

5. विवरण सं. 32 नौवां सत्र, 2011

[Placed in Library, See No. LT 4198/17/21]

6. विवरण सं. 31 दसवां सत्र, 2012

[Placed in Library, See No. LT 4199/17/21]

7. विवरण सं. 27 बारहवां सत्र, 2012

[Placed in Library, See No. LT 4200/17/21]

8. विवरण सं. 28 तेरहवां सत्र, 2013

[Placed in Library, See No. LT 4201/17/21]

9. विवरण सं. 23 चौदहवां सत्र, 2013

[Placed in Library, See No. LT 4202/17/21]

10. विवरण सं. 24 पंद्रहवां सत्र, 2013-14

[Placed in Library, See No. LT 4203/17/21]

सोलहवीं लोक सभा

11. विवरण सं. 23 दूसरा सत्र, 2014

[Placed in Library, See No. LT 4204/17/21]

12.	विवरण सं. 23	तीसरा सत्र, 2014
		[Placed in Library, See No. LT 4205/17/21]
13.	विवरण सं. 22	चौथा सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 4206/17/21]
14.	विवरण सं. 19	पांचवां सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 4207/17/21]
15.	विवरण सं. 19	छठा सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 4208/17/21]
16.	विवरण सं. 17	सातवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4209/17/21]
17.	विवरण सं. 17	आठवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4210/17/21]
18.	विवरण सं. 16	नौवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4211/17/21]
19.	विवरण सं. 14	दसवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4212/17/21]

20. विवरण सं. 14 ग्यारहवां सत्र, 2017

[Placed in Library, See No. LT 4213/17/21]

21. विवरण सं. 12 बारहवां सत्र, 2017

[Placed in Library, See No. LT 4214/17/21]

22. विवरण सं. 11 तेरहवां सत्र, 2017-18

[Placed in Library, See No. LT 4215/17/21]

23. विवरण सं. 10 चौदहवां सत्र, 2018

[Placed in Library, See No. LT 4216/17/21]

24. विवरण सं. 9 पंद्रहवां सत्र, 2018

[Placed in Library, See No. LT 4217/17/21]

25. विवरण सं. 7 सोलहवां सत्र, 2018-19

[Placed in Library, See No. LT 4218/17/21]

26. विवरण सं. 6 सत्रहवां सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 4219/17/21]

सत्रहवीं लोक सभा

27. विवरण सं. 5 पहला सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 4220/17/21]

28. विवरण सं. 4 दूसरा सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 4221/17/21]

29. विवरण सं. 3 तीसरा सत्र, 2020

[Placed in Library, See No. LT 4222/17/21]

30. विवरण सं. 2 चौथा सत्र, 2020

[Placed in Library, See No. LT 4223/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- जम्मू-कश्मीर सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 2) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए- राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 4224/17/21]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य आर्थिक और राजस्व क्षेत्रकों पर जम्मू-कश्मीर सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 1)।

[Placed in Library, See No. LT 4225/17/21]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 16) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर) - मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के मूल्यांकन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 4226/17/21]

(चार) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 और मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 1) (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर), राजस्व विभाग।

[Placed in Library, See No. LT 4227/17/21]

(पांच) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 17) (राजस्व विभाग-सीमाशुल्क) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 4228/17/21]

(छह) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल)(2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 2)-अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4229/17/21]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2018-2019 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त लेखा (खंड-एक)।

[Placed in Library, See No. LT 4230/17/21]

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त लेखा (खंड-दो)।

[Placed in Library, See No. LT 4231/17/21]

(तीन) वर्ष 2018-2019 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के विनियोग लेखा।

[Placed in Library, See No. LT 4232/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री सोम प्रकाश की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक -सभा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)एक प्रति पटल पर रखता हूं :-

(1) सेंट्रीफ्यूगली कास्ट (स्पन) आयरन पाइप्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 जो 12 जनवरी,2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 116(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4233/17/21]

(2) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 12 मार्च,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 1045(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4234/17/21]

(3) घरेलू प्रेशर कूकर (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 2019(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4235/17/21]

(4) ट्रांसपेरेंट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 2016(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4236/17/21]

(5) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 2018(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4237/17/21]

(6) खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 11 दिसम्बर,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 4514(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4238/17/21]

(7) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 18 सितम्बर,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 3190(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4239/17/21]

(8) खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 15 सितम्बर,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 3146(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4240/17/21]

(9) फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 2017(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4241/17/21]

(10) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 25 फरवरी,2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 902(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4242/17/21]

(11) एयरकंडीशनर और इससे संबंधित कलपुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेशर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 22 दिसम्बर,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 4671(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4243/17/21]

(12) प्लग्स और सॉकेट-आउटलेट्स तथा सक्रिय उर्जा के लिए अल्टेरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टैटिक प्रीपेमेंट मीटर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 18 मई,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 1517(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4244/17/21]

(13) एयरकंडीशनर और इससे संबंधित कलपुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेशर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 18 मई,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 1518(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4245/17/21]

(14) बटरफ्लाई वाल्व्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 17 जून,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 1920(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4246/17/21]

(15) बाईसिकल्स-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 9 जुलाई,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 2290(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4247/17/21]

(16) तन्य आयरन शोट्स और ग्रिट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 14 अगस्त,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 2767(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4248/17/21]

(17) प्रेस टूल-पंचेज़ (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 4 नवम्बर,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 3994(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4249/17/21]

(18) प्रशीतन उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 10 दिसम्बर,2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 4489(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 4250/17/21]

12.06 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:

1. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.2) Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
2. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
3. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that

this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

4. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

5. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Puducherry Appropriation Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

6. "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Puducherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 2021, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to

state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.07 hrs

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

4th Report

HON. CHAIRPERSON: Shri Ravneet Singh – Not present.

KUMARI PRATIMA BHOUMIK (TRIPURA WEST): I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.07 ½ hrs

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

8th and 9th Reports

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to present the following two Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public undertakings on:-

(1) Eighth Report of the Committee on Public Undertakings (17th Lok Sabha) on 'National Thermal Power Corporation (NTPC)'.

(2) Ninth Report of the Committee on Public Undertakings (17th Lok Sabha) on 'Para no. 3.2 of Report No. 13 of 2019 (Compliance Audit) regarding 'Loss due to imprudent underwriting and lack of proper risk assessment' related to New India Assurance Company Limited (NIACL)'.

12.08 hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES

(i) 10th Report

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Sir, I beg to present the Tenth Report (Hindi and English versions) of Committee on Estimates (2020-21) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the 12th Report (16th Lok Sabha) on the subject ‘Rationalisation of Demands for Grants’ pertaining to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).

(ii) Statements

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT : Sir, I beg to lay Four Statements (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the following Reports:-

(1) Fourth Report (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-Fourth Report (15th Lok Sabha) on the subject 'National Social Assistance Programme’ pertaining to the 4 Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

(2) Seventh Report (16th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-Seventh Report (15th Lok Sabha) on the subject 'Performance of Project Arrow' pertaining to the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts).

(3) Thirteenth Report (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-Fifth Report (15th Lok Sabha) on the subject 'Development of Tourism' pertaining to the Ministries of Tourism and Culture.

(4) Twenty Fourth Report (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifteenth Report (16th lok sabha) on the subject 'Ganga Rejuvenation' pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation [now Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)].

12.09 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 227th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 225th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I rise to lay on the Table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 227th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in 225th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4179/17/21.

12.10 hrs

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2021*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.

Sir, as everyone is aware, Civil Aviation is a critical driver of economic growth. The Civil Aviation Sector in India has seen exponential growth. It will be realised and recalled,…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : It is just an introduction of the Bill.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Can I briefly give the crux of it?

HON. CHAIRPERSON: Please do it when the consideration of the Bill is taken up.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: In 2006, two major airports were privatized. Those two airports, Delhi and Mumbai …(*Interruptions*) Sir, I will conclude in one minute.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 24.03.2021

HON. CHAIRPERSON: You can speak at the consideration stage.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: AERA, a regulator, was established in 2008. The AERA regulations stipulate that a major airport is defined as one with a throughput of 1.5 million. This was amended in 2019. All that we are doing now is to introduce the words, 'any other group of'.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. "

The motion was adopted.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I introduce the Bill.

---

*__SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA):__ Thank you, Hon. Chairman Sir, Baisakhi is the prominent festival of Punjab. It spreads happiness all around the State. Sir, 15 lakh families of farmers are looking towards the Central Government in Delhi. A 40 year old law 'The APMC Act' is being changed. We have been asked to change this law. There is close relationship between 'Middlemen' or 'Arhtiyas' and the farmers. It is not possible to change this law. Baisakhi festival is round the corner.

I have to make two points. We cannot bring the plot or survey number of lakhs of land plots. The computer has failed to digitize it. From next week, procurement will start. So, it is not possible. Secondly, do we have no rights in this country? Bhagat Singh attained martyrdom for the sake of the freedom of this country. He also threw a bomb in the Assembly. He was capable of both these things.

So, kindly wake up. Please do not punish the farmers of Punjab. Step-motherly treatment is being meted out to the farmers of Punjab. The NRIs have a lot of land. Land is tilled on contract basis. J form is there is the name of the tiller.

---

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

The owner will get a rent. That means you will snatch away Rs.30/- of the farmers out of Rs.100/-.

If the farmers of Punjab have not agreed to your three Agriculture Bills and are agitating, that does not mean you should seek revenge in procurement of food grains. You are ruining our Baisakhi festival. Please do not destroy Punjab and Punjabis … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, ‘Zero Hour’ may be taken up at 6.00 p.m. Those Members who want to present their case, can do so at 6.00 p.m.

12.14 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today, may personally hand over approved texts of the matter at the Table within 20 minutes.

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding declaration of Dimbhe-Manikdoh Water Tunnel as a National Project

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Dimbhe canal under the Kukari Irrigation is used for addressing the irrigation needs of the farmers in Ahmednagar and is designed to discharge water at 1240 cubic feet per second. Due to leakage and recurring repairs it cannot discharge more than 550 cubic feet per second which has led to loss of water. To address this issue, the construction of 15km Dimbhe-Manikdoh water tunnel with an estimated cost of 300 crore was proposed which would save nearly 2TMC water and bring additional area under irrigation. The project has been approved by MKVDC and Central Water Commission. I request the Government to kindly declare this tunnel as a National Project and grant central assistance to the tune of 60 percent of the project cost to ensure timely construction which will solve the water problems of farmers and common people living in drought prone talukas of Karjat, Parner, Shrigonda which fall under my Parliamentary constituency of Ahmednagar.

(ii) Need to widen National Highway between Raibareli and Prayagraj in Uttar Pradesh

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): प्रयागराज से लखनऊ को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण रायबरेली से लखनऊ तक सम्पन्न हो चुका है किन्तु रायबरेली से प्रयागराज का चौड़ीकरण (4 लेन) अभी तक सम्पन्न नही हो पाया है। देश की आजादी से पूर्व प्रयागराज, उ0प्र0 की राजधानी रहा है तथा वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय समेत प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यालयों का मुख्यालय प्रयागराज में ही स्थित है । इस नाते आम जनमानस का बड़े पैमाने पर आवागमन प्रयागराज से लखनऊ का रहता है। चौड़ीकरण (4 लेन) के अभाव में आवागमन में अत्यंत असुविधा रहती है। कृपया उक्त राजमार्ग के अवशेष बचे मार्ग रायबरेली से प्रयागराज का चौड़ीकरण (4 लेन) की स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

(iii) Regarding issues pertaining to development in Tribal areas of Dungarpur district in Rajasthan

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मैं अपने निर्वाचित क्षेत्र डूॅगरपुर-बांसवाड़ा (राजस्थान) के डूँगरपुर जिला मुख्यालय पर एकमात्र बड़े पैमाने का संगठित उद्योग मेसर्स राजस्थान सिरेन्स लिमिटेड है जिसकी स्थापना सन् 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में औद्योगिक नीति के भाग के रूप में की गई थी।

इस मिल से 2000 से अधिक श्रमिक अनुसुचित जाति, जनजाति, ओबीसी श्रेणी के जो जिले के विभिन्न हिस्से में रहते हैं।

इस परिप्रक्ष्य में निम्नलिखित गौरतलब वस्तु स्थिति पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:-

1. राजस्थान में विगत तीन वर्षो से बिजली की लागत में 3/रू प्रति युनिट की वृद्धि की गई है।
2. क्रास सब्सिडी सरचार्ज अधिविक्त अधिकार में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण टैक्स के माध्यम से बिजली के आयात पर बाधाएं हैं।
3. कम्पनी को बिजली के नियमित आपूर्ति नहीं होने।
4. वाणिज्य बैंकिग सुविधाओं की गैर उपलब्ध नहीं होने।
5. जिले में सार्वजनिक परिवहन खराब होने से श्रमिको की अनूपस्थिति।

6. पानी की आपूर्ति नहीं होने एवं कॉमन ई.टी.पी. प्लोट उपलब्ध नहीं है जिससे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

डूँगरपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है। मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान सरकार को निर्देश जारी करें कि डूँगरपुर जिला के आदिवासी क्षेत्र में उद्योगों को बचाने के लिए मौजूदा नये उद्योगो के लिए भारतीय ऊर्जा विनिमय के माध्यम से आयातित बिजली पर क्रांस सब्सिडी पर सरचार्ज अतिरिक्त अधिभार और बिजली शुल्क में छूट देकर बिजली की लागत में राहत प्रदान करें।

(iv) Regarding increasing railway connectivity in Chhota Udaipur Parliamentary Constituency, Gujarat

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर गुजरात में निम्नलिखित रेल लाइन ऐसी हैं जो पूर्व में चल रहीं थी परंतु किसी कारणवश यह कुछ समय से बंद पड़ी हैं| यदि निम्नलिखित कार्य को पूरा कर दिया जाए तो क्षेत्र की जनता को आवागमन की परेशानियों से निजात मिल सकेगी।

(1) बड़ोदरा, डभोई, छछापुरा, तनखला रेल लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में रूपांतरण करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जोड़ने का काम किया जाए तथा पुरानी लाइन चालू किया जाए।

(2) अंकलेश्वर से राजपिपला तक जो रेल मार्ग हैं उसे बढ़ाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जोड़ने का काम किया जाए |

(3) बड़ोदरा, हालोल, शिवराजपुर, पानी माइंस, जेतपुर तक रेलवे से जोड़ने का काम किया जाए| इसमें जमीन संपादन का कोई प्रश्न ही नहीं हैं।

(4) बड़ोदरा जम्बुसर रेल लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में रूपांतरण करने का काम किया जाए।

(v) Need to clean the Godavari river

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): गोदावरी नदी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति हमारे नाशिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होती है और इस नदी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। लेकिन जल प्रदूषण की वजह से गोदावरी की हालत गंभीर है । आज नदी जलकुंभी से घिरी है। कंपनियों द्वारा केमिकलयुक्त पानी छोड़ा जाता है और लोगो द्वारा नदी में कचरा डाला जाता है जिससे इसका पानी पीने योग्य भी नही रहता और त्वचा संबंधी रोग आदि बीमारी होने का भी डर रहता है। कुछ जगह पर पानी मे दुर्गंध भी महसूस होती है। साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के निफाड तहसील में नांदूर मध्यमेश्वर के पक्षी अभ्यारण्य मे बडी मात्रा मे विभिन्न् प्रजाति के पक्षी आते है किन्तु वहां पर भी जल प्रदूषण के कारण पक्षियों को हानि होने की संभावना है। मेरा अनुरोध है कि गंगा नदी की तरह हमारी इस गोदावरी नदी को स्वच्छ करने के लिये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही काम शुरू किया जाए।

(vi) Regarding stoppage of Ahmedabad-Kewaria Jan Shatabdi express at Nadiad Railway Station

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 17 जनवरी 2021 अहमदाबाद-केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है। सरदार पटेल जी की जन्मभूमि-नाडियाद है लेकिन स्टेच्यु ऑफ यूनिटी केवड़िया जाने वाली इस ट्रेन का ठहराव नडियाद रेलवे स्टेशन पर नहीं दिया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन और मॉंग करता हूँ कि नाडियाद रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद-केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव प्रदान करे।

(vii) Regarding need to take necessary measures to include Kharwar-Bhogta community in the list of Scheduled Tribes

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): झारखण्ड राज्य के सात जिलों सहित पश्चिम बंगाल तथा ओड़िसा राज्य में खरवार जाति लगभग 70 वर्षों से अपनी मूल पहचान से वंचित हैं। भोगता समाज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मूल पहचान खोने के कारण भोगता समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। खरवार समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन विधेयक (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन) विधेयक 2020 भी प्रस्तावित था जो कि अभी लंबित है। भारत के महारजिस्ट्रार और अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात् कई अन्य राज्य सहित झारखण्ड राज्य के भोगता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अंतरित करने से सम्बंधित है। अतः भारत सरकार से मांग है कि संविधान संशोधन विधेयक (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन) विधेयक 2020 को सदन से पारित कराये जाने के लिए सकारात्मक कदम उठाया जाए।

(viii) Regarding increasing incidents of cow smuggling in Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला, लोहारदगा व रांची जिले में बढ़ रही गौ तस्करी जैसे अपराधों की लगातार बढ़ रही घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से जुड़ा होने के कारण यह क्षेत्र गौ तस्करी एवं प्रतिबंधित मांस की बिक्री करने जैसे अपराध करने वालों का केंद्र बनता जा रहा है। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण गौ तस्करी करने वालों के हौसले बुलंदी पर है। क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस की बिक्री किये जाने की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है अत: यह मामला क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करते हुए झारखण्ड राज्य सरकार को सख्त दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें। क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में बरती जा रही लापरवाही को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति पर किसी प्रकार से भी काबू पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अनेकों बार राज्य सरकार को जनता द्वारा शिकायतें की जाती रही हैं, किन्तु अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा सका है। लगातार किसी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, क्षेत्र की शांति व्यवस्था एवं आपसी सौहार्द बनाये रखना एक बड़ी चुनौती है।

उपरोक्त मुददे के सन्दर्भ में मेरे संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलो गुमला,लोहरदगा व रांची जिला अंतर्गत मॉण्डर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही बेतहाशा गौ तस्करी को रोकने, प्रतिबंधित मांस की बिक्री के अवैध व्यापार की घटनाओं व पशुओं के विरुद्ध किये जा रहे गैर कानूनी कार्यों को रोकने हेतु, केंद्र सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को नवीन दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें, इसमें झारखण्ड राज्य

सरकार द्वारा जनभावना को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

(ix) Regarding updating Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): The President of India had issued the Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985 under Fifth schedule of the constitution which provides for specification of "Scheduled Areas" in relation to a State after consultation with the State Government concerned. Parliament in 1996 enacted the PESA Act to extend the panchayati raj system to the Fifth Schedule areas.However the 1985 order has not been updated for the last 36 years and as a result of this several newly formed villages and Gram Panchayats have not been included under scheduled areas and therefore they are not governed by PESA Act which result in denial of several benefits to the substantial tribal population residing in these areas. I request the Government to kindly pass necessary orders to update the 1985 order at the earliest by considering the proposal sent by Government of Maharashtra for including eligible Village and Gram Panchayats as Scheduled Areas.

(x) **Need to run a direct train between Palanpur and Dwarka in Gujarat**

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र पालनपुर से द्वारिका तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। जूनागढ़ ,द्वारिका, वीरपुर, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण वहाँ मेरे संसदीय क्षेत्र से हजारों लाखों लोग हमेंशा आवागमन करते है, यह पर्यटन स्थल के रूप में अति प्रसिद्ध है जिसके कारण वहाँ देश विदेश से सैलानी घूमने आते है। वहाँ तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल होने के साथ साथ मोरबी, राजकोट , कच्छ में सम्ख्याली जैसे बड़े प्रसिद्ध औधोगिक क्षेत्र भी है जहाँ भारत के कोने-कोने से लोग रोजगार हेतु जाते है।, इस तरह से यह रेलवे मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद हमारे संसदीय क्षेत्र से पालनपुर से द्वारिका तक कोई सीधी ट्रेन नहीं हैं और इससे जनता को आवागमन में बहुत परेशानी होती है । पालनपुर से वाया डीसा, भाभर, राधनपुर, वाराही, सांतलपुर, समख्याली, मोरबी, राजकोट, वीरपुर, जूनागढ़, द्वारिका तक जनहित में सीधी ट्रेन चलाना अतिआवश्यक है। इससे रेलवे विभाग को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और जनता को आवागमन में अतिसुविधा मिलेगी। अतः मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द पालनपुर से द्वारिका तक सीधी रेल गाड़ी का संचालन किया जाये।

(xi) Regarding construction of Rajpipla - Kevadia railway line in Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): वेस्टर्न रेलवे द्वारा कुछ वर्ष पहले अंकलेश्वर-राजपीपला रेल लाइन को 800 करोड़ रूपये की लागत से ब्राडगेज में परिवर्तित किया गया था। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थापित होने के बाद देश-विदेश के पर्यटको का वहां पर आवागमन होता है। मुंबई तथा साउथ गुजरात के लोग भी यहाँ पर पर्यटन के लिए आते रहते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने वाले पर्यटकों की सुविधा को देखते यदि अंकलेश्वर-राजपीपला ब्राडगेज रेल लाइन को यदि मुंबई से वापी, सूरत, नवसारी, वलसाड आदि स्टेशनों की रेल लाइन से जोड़ते हुए राजपीपला से सिर्फ 15 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ दिया जाए तो मुंबई तथा साउथ गुजरात के लोगों के अलावा देश-विदेश के पर्यटकों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि राजपीपला से केवड़िया तक 15 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(xii) Need to take necessary measures for welfare of Magra-Merwara region in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): राजस्थान का हृदयस्थल अरावली अजमेर के पास नरवर से कामलीघाट के पास दिवेर के बीच 125 किलोमीटर लम्बे व 20 किलो मीटर चौड़े छोटे-छोटे पहाडी क्षेत्र को मगरा नाम से जाना जाता हैं जो वर्तमान में दो लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द व अजमेर मे फैला हुआ है इस परिक्षेत्र में मुख्य रूप से रावत-मेहरात जाति का बाहुल्य हैं। बाकी अन्य जातियां भी यहां निवासरत हैं। गत वर्षों में दमदार राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इस मगरा क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया हैं। इस परिक्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता एवं मांगे निम्नानुसार हैं

(1) वर्ष 1998 तक अजमेर स्थित सेना-भर्ती मुख्यालय को पुनः अजमेर लायें।

(2) कश्मीरी स्काउट की भर्ती की तर्ज पर अविभाजित मगरा वासियों के लिए विशेष भर्तियों की कम्पनियां खुलनी चाहिए।

(3) मगरा-विकास-बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देकर केन्द्र सरकार के अधीन लाना चाहिए।

(4) मगरा क्षेत्र में सैनिकों-पूर्व सेनिकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये- सैनिक-स्कूल खोले जाने चाहिए।

(5) पूर्व में एनटीसी (नेशनल-टेक्सटाइल-कॉर्पोरेशन-ऑफ-इण्डिया) की 3 कपड़ा मिलें चलती थी। उन्हें पुनः शुरू कराने के प्रयास करने चाहिए ताकि समुचित रोजगार की उपलब्धता हो सके।

अतः सरकार अविलम्ब अजमेर संसदीय क्षेत्र के मगरा-मेरवाड़ा क्षेत्र का समुचित-विकास कराने हेतु सक्षम विभागीय कार्यवाही कराकर राहत प्रदान करायें।

(xiii) Need to increase the amount for construction of house in rural areas under PM Awas Yojana

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): हमारे प्रदेश में PM आवास योजना के तहत शहरी इलाके में 2,40,000 रूपये मिल रहे हैं जबकि ग्रामीण इलाके में 1,49,000 रूपये ही मिलते हैं जोकि बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता शहरी क्षेत्र की जनता की अपेक्षा काफी पिछड़े हुई रहती है। साधन संसाधन एवं मूलभूत सुविधाओं का आभाव रहता है जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। बहुत जगह देखा गया है कि पैसे के आभाव में ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना के पैसे मिलने पर भी अपने घर को पूरा नहीं कर पाते है जबकि PM आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवास बन जाने से सबसे ज्यादा ख़ुशी ग्रामीण क्षेत्र की जनता को होती है जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस योजना के लागू होने से गाँव में एक अच्छा सन्देश जाता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र की राशि को बढाया जाये।

(xiv) Regarding incidents of Vandalism of Hindu Temples in Andhra Pradesh

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): During the past one year incidents of vandalism of Hindu Temples and Idols of deities is rampant in Andhra Pradesh. Nearly 140 statues and temples have been destroyed in such incidents. Recently, on 29th of December, 2020, the desecration of 400 year old Lord Rama idol of Ramatheertham Temple in Vizianagaram triggered tension and public outrage across the state. The government and opposition accused each other for these incidents. A Christian Pastor, had been arrested as he had openly confessed to his personal involvement and is allegedly receiving funds for propagation of Christianity and destroying Hindu Temples. It is against Hindu Religion and hurting the feelings and sentiments of the Hindus. In view of above, I urge the government to investigate the matter thoroughly and take stringent action against the perpetrators of these attacks on Temples to obviate repeat of such incidents in future.

(xv) Need to provide funds for Jigaon Dam Project

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बुलढाणा की तालुका नांदुरा में स्थित जिगांव बांध परियोजना की ओर दिलाना चाहूंगा, जो पिछले 22 वर्षों से पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही है। बलिराजा जलसैनिवणी योजना से सम्बद्ध इस परियोजना की मूल लागत 394.83 करोड़ रूपये थी, जो अब 13 हजार 744 करोड़ रूपये हो गई है। अब तक इस परियोजना पर 3,600 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं।

इस परियोजना में 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए 7764.39 करोड़ रूपये की राशि की मान्यता मिली थी। इसमें 1205.48 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने थे। लेकिन अब तक केवल 318.56 करोड़ रूपये ही मिल पाए हैं तथा 2021-21 और वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

केन्द्रीय आवंटन के अभाव में इस योजना का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो खारपैन बेल्ट में बुलढाणा जिले की छह तालुका और अकोला जिले की दो तालुकों में कुल 287 गाँवों की एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त परियोजना के लिए अपने हिस्से की केन्द्रीय राशि का अविलम्ब आवंटन करने का कष्ट करें।

(xvi) Regarding smooth passage of vehicles through Toll Plazas

श्री महाबली सिंह (काराकाट): देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर टोल प्लाजा टेक्स वसूली के लिए बनाया गया है। देश के कई राज्यों में टोल प्लाजा पर वाहनों की दस-दस किलोमीटर लम्बी लाइन लगी रहती है। विशेषकर बिहार के कर्मनाशा, दुर्गावती, रोहतास, शेरघाटी आदि टोल प्लाजा पर जाम के कारण आपातकालीन सेवाए बाधित हो जाती है। इसके कारण कई लोगो को समय से अस्पताल न पहुचने के कारण मरीज की मौत भी हो जाती है और कठिनाइयो का काफी समय तक सामना करना पड़ता है।

अत: मै सरकार से मांग करता हूँ कि सभी टोल प्लाजा पर आपातकालीन एव वी. आई. पी. सेवाओ हेतु व्यवस्था करायी जाय ताकि आपातकालीन सेवाए समय से पहुँच सके।

12.15 hrs

NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONS BILL, 2021

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move*:

> "That the Bill to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by allied and healthcare professionals, assessment of institutions, maintenance of a Central Register and State Register and creation of a system to improve access, research and development and adoption of latest scientific advancement and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Hon. Chairperson, Sir, before the hon. Members of the House give their worthy comments about the Bill, I would like to briefly introduce the subject to the hon. Members in another ten minutes or so.

---

* Moved with the recommendation of the President.

Hon. Members, I would say that most of you must have had paid a visit to a hospital at some point of time in your life and I wish not, but you might have had to. I am sure about it. Please recall those days and remember the people who took care of you and who brought you out of your illness. You may remember the name of the doctor. You may remember the name of the hospital. But do you also remember the name of the persons who took your blood samples, gave you physiotherapy, took your x-ray, advised you on what you should eat, checked your eye sight, assisted your doctor or surgeon, looked into microscopes, and bid you a farewell with a smile. Who are these people? Yes, I am talking of varied professionals of lab technicians, physiotherapists, radiographers, dieticians, record keepers, optometrists, x-ray technicians, and many such professionals, who are as much, if not more, a critical part of the healthcare system as the doctor himself is.

After bringing in the historic Bill, that is, the National Medical Commission Bill, 2019 to reform and streamline the sector of medical education -- on which you were all very active contributors --, we now have another bigger opportunity to transform the much bigger sector of allied and healthcare professions; a group comprising of more than 56 different professions that have been unrecognised or unregulated till date. It gives me great pleasure to present a historical, milestone Bill that is being taken up in this august House today after 74 years of independence.

Friends, the Bill that I am presenting today has the potential to create a paradigm shift in healthcare delivery of the future by recognising the specialised skills and contributions of more than 56 types of healthcare workers, that is, the allied and healthcare professionals. A major paradigm shift is being effected in healthcare service delivery embracing a multi-disciplinary care model.

We all are witness to the developments along COVID-19 in this country in the last one year. COVID-19 has highlighted the invaluable contributions and sacrifices of these professionals in the frontline, risking their lives every day selflessly fighting the pandemic. The invaluable role of respiratory therapists, laboratory technologists, psychologists, and physician associates among several others during these past fifteen months cannot be overstated. During COVID, crores of blood tests and RTPCR tests were possible only due to the skills of phlebotomists and the lab technologists. The phlebotomist is the one who takes our blood samples.

The need for development and maintenance of standards of services and education of such professionals through a national regulatory body has thus been long overdue. These group of professionals are loosely referred to as paramedics. However, the fact is that paramedic is only one type of allied healthcare professional who is trained to handle emergencies in an ambulance setting.

The group of allied and healthcare professionals is much larger and we are bringing in a law to reform and regulate this entire sector in order to give them their due through increased employment opportunities both in India and abroad but more importantly, dignity in recognising their true worth. Further, the potential of these professionals can be utilized to reduce the cost of care and to make quality healthcare services accessible to all.

Colleagues, India is not only being looked up to as the vaccine manufacturing and pharmacy of the world but also for our competent and compassionate health workers, doctors, nurses and allied and healthcare professionals.

By 2030, the World Health Organisation has predicted a shortage of 1.8 crore healthcare workers in the world of which almost half will likely be in the allied and healthcare professional space. Our 80 lakh plus strong healthcare workers today include a large number of allied and healthcare professionals who have the ability not only to contribute in a much bigger way at home but also as part of the global health workforce.

Before I come to salient features of the Bill, I wish to recall the long journey of this reform. During the decade of Independence, several statutory bodies were established for what was understood then to be important professionals in healthcare – doctors, dentists, nurses, pharmacists and decades later

rehabilitation related professionals. Several committees starting from Bhore Committee in 1948, followed by Mudaliar Committee in 1961, Chada Committee in 1963, Shrivastav Committee in 1975, Medical Education and Review Committee led by Mehta in 1983, Mukherjee Committee in 1995, Planning Commission taskforce on planning for human resources health in 2007, among others have stressed on the importance of quality human resources for health.

The Bajaj Committee specifically indicated the need for organised allied and healthcare professionals with the right skills and training to truly make a dent in the health system and provide the citizens with their constitutional right to accessible, affordable and quality healthcare services. The first of such efforts to establish a regulatory body in India started over two decades ago when a Bill for Physiotherapists and Occupational Therapists was drafted in the early 1990s. After a series of consultations, reviews and amendments, in 2007, the Paramedical and Physiotherapy Central Council's Bill was introduced in the Lok Sabha and was referred to the Parliamentary Standing Committee for examination. The 2007 bill proposed standalone councils for three professional groups, physiotherapy, laboratory technology, radiology and imaging technology. In their 31st Report, on the said Bill, the Standing Committee indicated the need for an overarching council structure encompassing more such professionals which remain unregulated. Since the Paramedical and Physiotherapy Central Council Bill, 2007 lapsed with the dissolution of 14th Lok Sabha in the year 2009, another

proposal for the constitution of Paramedical Council was included in the National Commission for Human Resources for Health Bill, 2011, introduced in Rajya Sabha in December, 2011. However, there was opposition to this Bill from the existing regulatory bodies.

Therefore, we moved away from a unitary structure for all health professionals, both regulated and unregulated, and the present Bill is, thus confined to regulating cadres not already covered by other regulatory bodies. I would also like to recall that former Health Minister of India, Shri Ghulam Nabi Azad ji released a landmark report from para-medics to allied health, landscaping and the journey forward in 2012 in this regard. We have strived to accelerate this reform by developing the framework and structure around the recommendations provided by the experts during that phase. The Bill was modified to incorporate all the allied and healthcare professions in 2015. This, after revisions, was approved by the Government in November 2018 and the Allied and Healthcare professions Bill was introduced in the Rajya Sabha on 31st December, 2018. The same was referred to the Departmentally-related Standing Committee on Health and Family Welfare on 4th January, 2019. Based on the recommendations made by the Departmentally-related Standing Committee in its 117th Report, dated 31st January, 2020 on the lines of the National Medical Commission, necessary changes were carried out and a fresh Bill titled, `The National Commission for Allied Healthcare Professions Bill, 2020' was introduced in the Rajya Sabha on 15th September,

2020 by withdrawing the pending Bill of 2018 and has been passed by the Rajya Sabha.

Sir, I will now come to the key features of the Bill. This Bill, once enacted, aims to establish a Central Statutory Body as National Commission for Allied and Healthcare Professions. The Commission will frame policies and standards, regulate professional conduct and prescribe qualifications for all these professions. The Commission will be supported by ten broad Professional Councils, each comprising one or more professions. The institutional structure proposed in the Bill enables assessment and rating of all the allied and healthcare institutions to ensure uniform standards and quality assurance. This also provides for registration of all the allied and healthcare professionals facilitating their career growth and improving their employment potential, both within and outside India. All the professions have been coded as per the International Labour Organisation's International standards for classification of occupation which also allow them for global recognition and mobility.

A National Allied and Healthcare Advisory Council to advise the National Commission with representation from all the States have also been proposed to enable adequate representation from all States and Union Territories. Further, each State will be having a separate State Council with four autonomous Boards pertaining to under-graduate education, post-graduation education, assessment and rating and ethics and registration. Since, allied and healthcare professions

include a wide variety of different professions numbering more than 56, a common regulatory body has been prepared for all these professions. We have carefully considered the invaluable inputs of the Parliamentary Standing Committee Members and incorporated almost all of those in this Bill.

The year 2021 has been designated as the International Year of Health and Care Workers by the World Health Organisation. I feel happy and delighted that in this very year we are considering a landmark legislation that will reform and open up huge opportunities for allied and healthcare professionals. As a doctor myself, I am personally elated that the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill will enable a team-based approach to care where the patient's well-being is the fulcrum around which several professionals operate.

Through task shifting, specific tasks will now be moved to specialized allied and healthcare professionals for better reorganization of health work force and improved health care.

I, therefore, request all of you, call upon all of you, to support this Bill in solidarity and conclude its journey of more than 25 years now fulfilling the longstanding promise since Independence and ensuring the greatest good and healthy future of this nation. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

> "That the Bill to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by allied and healthcare professionals, assessment of institutions, maintenance of a Central Register and State Register and creation of a system to improve access, research and development and adoption of latest scientific advancement and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति जी, आज मैं नेशनल कमीशन फॉर एलाइड और हैल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, हैल्थ के क्षेत्र में डॉक्टर्स और उपकरणों के अतिरिक्त कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह है एलाइड और हैल्थकेयर वर्कर्स। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं लोगों ने की है, इसलिए इनको इनका हक मिलना चाहिए, जो इस बिल के माध्यम से हो जाएगा। यह बिल काफी समय से पेंडिंग पड़ा था और स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए था। इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्टैंडिंग कमेटी की लगभग 90 प्रतिशत सलाह मान ली गई है। इस बिल के विरोध में बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस बिल पर कुछ सुझाव जरूर देना चाहता हूं।

नेशनल हैल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत मिशन पब्लिक हैल्थ केयर पर कुल 1.28 प्रतिशत खर्च होता था, जो बहुत कम है। यह इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों से भी कम है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि 59 प्रतिशत रेडियोग्राफर्स की कमी है और सबसे ज्यादा कमी ग्रामीण इलाकों में है। सरकार को ग्रामीण इलाकों में कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए।

हैल्थ केयर सर्विस के नाम पर प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा चार्ज लिया जाता है, जिसके कारण बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। प्राइवेट अस्पतालों में बीमारी के अनुसार खर्च की सीमा बांधने का प्रयास करना चाहिए।

इस बिल में बिना पंजीकरण के अगर कोई सर्विस देता है तो पेनाल्टी का प्रावधान केवल 50,000 रुपये रखा गया है, यह बहुत कम है। इस पेनाल्टी को और कठोर करना चाहिए ताकि कोई किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सके।

इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा सेवा एलाइड और हैल्थकेयर वर्कर्स ने की है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं कि कोरोना काल में सेवा देते हुए कितने एलाइड और हैल्थकेयर वर्कर्स ने अपने प्राण त्याग दिए।

इकोनामिक सर्वे 2021 के अनुसार एलोकेशन में 189 देशों की रैंकिंग में भारत 179वें स्थान पर है। हमें अपना बजट हैल्थ के क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। भारत में डॉक्टरों और मरीजों का रेश्यो 1343 है, यानी 1343 मरीजों पर एक डॉक्टर। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमें इससे ऊपर सोचना चाहिए।

इस बिल में एक और सुधार किया जा सकता है, कमीशन मैम्बर का कार्यकाल दो वर्ष के बजाय तीन या चार वर्ष होना चाहिए। इसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन में जिक्र किया था, लेकिन इसे नहीं माना गया।

इस बिल में अलग प्रोफेशन के लिए अलग काउंसिल का प्रावधान होना चाहिए, हालांकि यह काम नेशनल कमीशन पर छोड़ दिया गया है, इसका आगे चलकर राजनीतिकरण हो सकता है। इस बिल में नहीं बताया गया है कि एलाइड और हैल्थवर्कर्स की कमी की समस्या कैसे सुलझाई जाएगी। वर्ष 2018-19 की रूरल हैल्थ केयर की रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी हैल्थ केयर, सीएससी केंद्रों में 39.9

प्रतिशत लैब टेक्नीशियन्स की कमी है। केंद्र सरकार ने ऐसे वर्कर्स को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इन वर्कर्स और इनके परिवारों के बारे में सोचना चाहिए।

मेरी कांस्टीटूएंसी से एक-दो विषय जुड़े हैं। To arrange HLA type blood test in Chandrapur Medical College for Thalassemia patients and also arrange leukocyte filter set for 65 registered patients in Chandrapur GMC.

मेरे कांस्टिट्यूएंसी से जुड़े एक दो विषय हैं। Human Leukocyte antigen (HLA) typing method is used to match patients and donors for bone marrow or cold blood transplants. I would request the Minister to arrange Nucleic Acid Test (NAT) in Chandrapur Medical College Hospital. This is a technique used to detect a particular nucleic acid sequence. It is used to detect and identify a particular species or subspecies of organisms to obtain a virus or bacteria that acts as a pathogen in blood, tissue, urine, etc. With the help of Nucleic Acid Test, we can get medical reports within 24 hours. This is very useful and essential for HIV, HB or Hepatitis B and Hepatitis C tests. Now-a-days, ELISA routine test is available which is a long process test. अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे National Commission for Allied and Health Professions Bill, 2021 जैसे महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो सेक्टर है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उनको न्याय देने की भूमिका में आज यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जब इस देश की बागडोर संभाली, तब देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हूं और एक ऑन्को सर्जन हूं। मेरे पास 25 साल की सर्जिकल प्रैक्टिस है। मैंने देखा है कि यदि गरीब परिवार में कैंसर और कार्डियोथोरेसिक या अन्य बड़ी बीमारियां होती हैं, तो परिवार का बजट तकलीफ़ में आ जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री जी ने 'आयुष्मान भारत' और 'प्रधान मंत्री जन औषधि' जैसी योजना बनाई। इस स्कीम के तहत हर परिवार को पांच लाख का कवरेज दिया गया है, जिससे एक बड़ी सुविधा उस परिवार को प्राप्त हो जाती है। दस करोड़ परिवार, यानी कम से कम 50 करोड़ लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सरकार गरीबों के हेल्थ के प्रति समर्पित है। उसी सिलसिले में आज यह बिल आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि Indian public health expenditure has increased from 0.9 per cent of GDP in 2015-16 to 1.1 per cent of GDP in 2020-21. The Health Policy, 2017 aims to increase public health expenditure to 2.5 per cent of GDP by 2025. There is a substantial increase in investment in health infrastructure. मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। The Budget outlay for

health and wellbeing is kept at Rs. 2,23,846 crore in the Budget Estimate for 2021-22 as against Rs. 94,000 crore which is the Budget Estimate for this year. This is an increase of 137 per cent. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा मेडिकल एजुकेशन में काफी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उसी कड़ी में आज Allied and Health Professions Bill आया है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014-15 में, there were 215 private medical colleges and 189 government medical colleges in the country. आप देखेंगे कि इन पांच सालों में यानी 2019-20 तक 554 मेडिकल कॉलेजेज़ हो गए हैं। There has been 47 per cent rise in the number of Government medical colleges; and 33 per cent increase in the total number of medical colleges.

Similarly, in 2014, there were 55,348 undergraduate admissions, and they are today at 80,302 in the academic year 2019-20. The number of post-graduates' seats has also increased to 18,704, which is a 65 per cent jump during the corresponding period.

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि in order to meet the requirement, the Government is promoting the opening up of new medical colleges and increasing the number of seats in the existing medical colleges.

It is estimated that by 2024, India would achieve the ratio of one doctor per 1,000 population. In 2014, this ratio was 1: 1600. Now, with the Government's efforts, by 2024, it will be one doctor per 1,000 population.

सभापति महोदय, about the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, as you all know, building a strong cadre of Allied and Healthcare Professions go a long way in strengthening the healthcare delivery system of the country. The formal attempt to examine the contribution of Allied and Healthcare Professions was undertaken with commissioning of a study and its subsequent Report "From Paramedics to Allied Health Services" was published in 2012. The Report defined. the Allied Health Professions' role as 'individuals who are involved with delivery of health or healthcare related services, with qualification and competence in therapeutics, diagnostics, curative, preventive, and/or rehabilitative interventions. They could work in interdisciplinary health teams in varied healthcare settings that include doctors, nurses and public health professionals to promote, protect, treat and manage a person's physical, mental, social, emotional, environmental health and holistic well-being.

Mr. Chairman Sir, I would tell you that in this regard, many other professionals belonging to more than 50 allied and healthcare professions continue to remain unregulated in the health system. These broadly include professional categories such as Physiotherapy, Occupational Therapy, Ophthalmic Science, Nutrition Science, Medical Laboratory and Life Sciences, Medical Radiology, Imaging and Therapeutic Technology, Medical Technologists, Physician Associates, Trauma, Burn Care and Surgical anaesthesia related Technology, Community Care and Behavioural Health Science and Health

Information Management and Health Informatics There has been a persistent demand for a regulatory framework for such professions for several decades.

With the advent of technology in medical profession, the role of these Allied and Healthcare Professionals is increasing day by day.

इस हाउस में जो नॉन मेडिको मेंबर्स हैं, वे जानते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है, तो वह डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाता है। डॉक्टर प्रिसक्रिप्शन देता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल डायटीशियन का होता है, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल में diet control is very important. डाइट कंट्रोल के अंतर्गत दिन में कितना खाना है, कितनी कैलोरी लेनी है, a lot depends on this.

अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो एक अच्छा आदमी, एक एक्टिव आदमी बेड पर पड़ा रहता है। उसकी एक तरफ की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। लेकिन उसकी रिकवरी में physiotherapy plays a very important role. Correct and dedicated physiotherapy is required. ऐसे लोगों के ये कुछ उदाहरण हैं।

Sir, the United Nations' Commission on Health Employment and Economic Growth with a focus on building resilient health system stresses upon strengthening the health workers and urges to ensure effective health employment.

As estimated by the World Health Organisation, by the year 2030, the global economy is projected to create around 40 million new health sector jobs, mostly in the middle and high-income countries. Despite the anticipated growth in jobs,

there shall be projected shortage of 18 million health workers to achieve the sustainable development goals in low and lower middle-income countries.

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में बड़ी पोटेंशियल है। इस बिल के माध्यम से we will be able to provide a workforce, a health workforce, not only for our country but also for the whole world. That is why, I welcome this Bill.

The Allied and Healthcare Professions Bill is an important legislation which is going to change the face of the allied and healthcare professions with regard to its education and practice. Proper regulation, as envisaged in the Bill, will go a long way in the development, regulation and standardisation of the professions.

Reports prepared by the Public Health Foundation of India state that allied and healthcare professions constitute now-a-days a vital part of health system delivery both, nationally and internationally. Allied and healthcare professionals are untapped treasures, critical to fixing the gaping holes in India's health workforce, particularly the severe shortage of physicians and specialists. At a time, when there is an acute need for critical reforms in public health, the aim must be to improve access to health by focussing on preventive, promotive, curative and rehabilitative need of the population. The allied and healthcare professionals could be leveraged as highly skilled, trained and competent health human resources in the system.

Historically recognised as paramedical staff or para professionals or health technicians have now been accorded better appreciation and presently termed as allied and healthcare professionals. That has been a key area for health sector reforms in India, especially, due to shortage of doctors and nurses in semi-urban and rural areas in the country.

With the advancement in technology, the time demands trained individuals who can provide reliable results in conjunction with patient safety. However, there is a huge dearth of trained technicians in the system.

This Bill is to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by allied and healthcare professions, assessment of institutions, maintenance of Central Register and State Register and creation of system to improve access, research and development and adoption of latest scientific advances. This Bill is a pathbreaking initiative that has the potential to change the future of healthcare service delivery both for people of the country and also for allied and healthcare professionals. While doctors, nurses dentists and pharmacists in India are regulated through their respective regulatory bodies, the allied and healthcare professions are still unstructured, unregulated. In global landscape, many countries have notified a statutory structure to regulate education and practice of such allied and healthcare professions. The potential of these professionals can be utilised to reduce the cost of care and to make quality of healthcare services accessible to all. In the wake of COVID-19 pandemic also,

आपने पूरे साल में देखा होगा, जिसे हम पैरामेडिकल फोर्स स्टाफ कहते हैं, उनका रोल बहुत बड़ा रहा है। ये हॉस्पिटल्स में आठ-आठ घंटे कोविड पेशेंट के साथ डटे रहे, उनका ट्रीटमेंट करते रहे। इन्होंने न खुद की परवाह की और न ही परिवार की परवाह की। ऐसे अनेकों डॉक्टर्स, नर्सेज के साथ-साथ प्रोफेशनल पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। इसलिए यह बिल बहुत इंपोर्टेंट है।

Hon. Chairperson Sir, now, I come to the Bill. Continuing with the reforms in the medical education sector, a Bill to provide for a national regulatory body for all the allied and healthcare professions is introduced. This is the second key regulatory reform after this Parliament passed the National Medical Commission Act in August, 2019. I congratulate the hon. Health Minister for that.

The Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 was introduced in Rajya Sabha on the 31st December, 2018 and the same was referred to the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee for Health and Family Welfare for its examination. I would not go into the details of that. Based on the recommendations made by the Standing Committee in its 117th Report, on the lines of the National Medical Commission, necessary changes have been carried out and a fresh Bill, titled 'The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020' was introduced.

The proposed Bill addresses the long-standing vacuum of lack of a regulatory body for various professions included in the allied and healthcare sector. There are almost 50 types of such professions.

The institutional structure proposed in the Bill enables assessment and rating of all the allied and healthcare institutions to ensure uniform standards and quality assurance.

The professionals will be represented through ten broad Professional Councils, each comprising of one or more professions at the national level. They are divided into two categories, one is 'allied health professionals', and the other is 'healthcare professionals'. Broadly, the allied health professionals are those who undergo minimum 2,000 hours and two to four years of training. The healthcare professionals are those who attend minimum 3,600 hours and three to six years of education and training.

In order to further preserve their identity and degree of complexity of the services delivered by them, all the professions have been coded as per the International Standard for Classification of Occupation (ISCO-08), which is a classification structure of the International Labour Organisation, so as to also allow them global recognition and mobility.

The Bill also provides for registration of all the allied and healthcare professionals, facilitating their career growth and improving their employment potential, both within and outside India.

Since allied healthcare professions include a wide variety of different professions, numbering more than 50, a common regulatory body has been made for all these professions. The Central Commission would be entrusted with developing the policy, standards and guidelines based on the recommendations from individual professional councils under its ambit, in consultation with other national regulatory bodies, while the State Councils would be expected to ensure implementation and enforcement of such regulations.

A National Allied and Healthcare Advisory Council, to advise the National Commission with representation from all the States, has also been proposed to enable adequate representation from all the States. Further, each State will be having a separate State Council with four Autonomous Boards pertaining to Undergraduate Education, Postgraduate Education, Assessment and Rating, and Ethics and Registration.

As there are no statutory bodies in the States, which holistically cover the entire gamut of allied and healthcare professionals, existing professional councils at State level pertaining to the recognised categories would be subsumed, and their mandate would be expanded to cover all the professions.

Further, as India implements the vision of universal healthcare for all, a major paradigm shift will be needed in healthcare service delivery which embraces a multi-disciplinary care model that engages and empowers all allied and healthcare professionals. The Bill also provides for task-shifting, that is, moving specific tasks to specialised allied and healthcare professionals for better reorganisation of health workforce and improved healthcare.

Thus, the National Commission and State Councils formed on enactment of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020 will provide an opportunity to regulate and leverage the qualified allied and healthcare workforce, and ensure high-quality, multi-disciplinary care in line with the vision of Universal Health Coverage, moving towards a more care-accessible and team-based model.

The hon. Minister has already talked about the key features of this Bill. I will also talk about a few of them.

The Bill defines 'allied health professional’ as an associate, technician, or technologist trained to support the diagnosis and treatment of any illness, disease, injury, or impairment. As I said, such professional should have obtained a diploma or degree under this Bill. The duration of the degree /diploma should be at least 2,000 hours over a period of 2-4 years.

Likewise, the healthcare professional is defined. A 'healthcare professional' includes a scientist, therapist, or any other professional who studies, advises, researches, supervises, or provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic, or promotional health services. Such a professional should have obtained a degree under this Bill. The duration of the degree should be at least 3,600 hours, over a period of 3-6 years.

Regarding allied and healthcare professions, this Bill specifies certain categories of allied and healthcare professions as recognised categories. These are mentioned in the Schedule to the Bill and they include life science professionals, trauma and burn care professionals, surgical and anaesthesia related technology professionals, physiotherapists, and nutrition science professionals. The Central Government may amend this Schedule after consultation with the National Commission for Allied and Healthcare Professions.

Coming to the National Commission for Allied and Healthcare Professions, the Bill sets up the National Commission for Allied and Healthcare Professions. The Commission will consist of: (i). the Chairperson, (ii) Vice-Chairperson, (iii) five members at the level of Joint Secretary representing various Departments/ Ministries of the Central Government, (iv) one representative from the Directorate General of Health Services, (v) three Deputy Directors or Medical Superintendents appointed on a rotational basis from amongst the medical institutions including the

AIIMS, Delhi and AIIPMR, Mumbai, and (vi) 12 part-time members representing State Councils, among others.

When I come to the functions of the Commission, the Commission will perform the following functions-: (i) framing policies and standards for regulating education and practice, (ii) creating and maintaining an online Central Register of all registered professionals, (iii) providing basic standards of education, courses, curriculum, staff qualifications, examination, training, maximum fee payable for various categories, and (iv) providing for a uniform entrance and exit examination, among others, which is in line with National Medical Council.

Talking about the Professional Councils, the Commission will constitute a Professional Council for every recognised category of allied and healthcare professions. The Professional Council will consist of a President and 4-24 members, representing each profession in the recognised category. The Commission may delegate any of its functions to this Council.

Regarding State Councils, within six months from the passage of the Bill, the State Governments will constitute the State Allied and Healthcare Councils. The State Councils will consist of: (i) the Chairperson with at least 25 years of experience in the field of allied and healthcare science), (ii) one member representing medical science in the State Government, (iii) two members representing State Medical Colleges, (iv) two members representing charitable institutions, and (v) two members from each of the recognised categories of allied

and healthcare professions, nominated by the State Government, among others. The State Councils will: (i) enforce professional conduct and code of ethics to be observed by allied healthcare professionals, (ii) maintain respective State Registers, (iii) inspect allied and healthcare institutions, and (iv) ensure uniform entry and exit examinations.

Thus, this Bill is a landmark Bill to give justice to the allied and healthcare professionals. I support this Bill. Thank you very much.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. I stand here to deliberate on a very important Bill which has been very rightly mentioned, both by the hon. Minister as well as the hon. Member who has just spoken before me, as a landmark Bill. Both of them come from medical profession and they have adequate knowledge and expertise to deliberate on this subject. But I come from the other side of the table. The other side means, I have been to medical professionals, to doctors as a patient. So, I prefer to put forth my point of view what is required from a patient.

<u>13.00 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

I would say that for the last many years, since allopathic treatment has commenced in human civilization, one thing has always been propounded that it is doctor-centric. हम उड़िया में 'डॉक्टरखाना' कहते हैं, जहां डॉक्टर्स बैठते हैं, वहां तक पेंशेंट्स को जाना है। वहां डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है। Through this Bill, the total medical system is now becoming patient-centric. So, I would say, as the hon. Minister in is introductory remarks mentioned, there is a paradigm shift. It is this paradigm shift that instead of becoming doctor-centric, an attempt is being made through this Bill to make it patient-specific.

This Bill classifies 15 major professional categories including 53 professions in allied and healthcare streams. There is a need of a statutory mechanism for

enumeration, standardization, and regularization of these professions as has been expressed by a number of experts. With the changing socio-economic milieu and epidemiological shift in disease pattern, the model of healthcare worldwide is moving towards patient-centric multidisciplinary care from the doctor-centric health system. Therefore, it is necessary that everybody who deals with patients has some recognition and set standards of education and competitiveness. In the current state of healthcare system, there are many allied and healthcare practitioners, who are anonymous, unchecked, and under-used.

Here, I may be allowed to say that during the 16th Lok Sabha, when I had introduced a Private Member's Bill for taking care of those who suffer from dementia and Alzheimer's, the care is not actually taken by the doctors so much but by the caring nurses, male or female nurses, or those who attend to them. My concern was that these nurses or attendants need a little bit of training. At that time, Mr. Nadda was the Health Minister. In his reply to the Private Member's Bill, he had stated that the Government would take adequate measures. Again, I reiterate it today before the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan that that part is still missing. Even today when some medical professionals are being trained in different medical colleges, this part is very limited in their curriculum. In the nursing sector also, that part is very limited. In this regard, there was an assurance given by the Government, and in case of an assurance, whichever Government it may

be or whichever term it may be in, as you are very much aware, the Assurance Committee always goes into the assurance of the Government.

I would say, just reiterate here, that the Minister can take cognizance of it. This is an old-age disease and till now nobody knows why it affects the brain and why Alzheimer occurs or why this forgetfulness occurs in people. You never know at what age it will actually attack a person. That is the most pitiable condition. There, not only the family members – most of the families have become nuclear now – you also need adequate trained personnel who will look after them. I had cited a number of instances also. Here, I would say that over the years, many other practitioners have been established whose ability can be used to strengthen and expand access to quality-based services in the rural areas and the regions which are difficult to reach. Many countries around the world, including Australia and the USA, have a formal licencing or administrative authority approved to regulate and access these practitioners' credentials and competence. Although such practitioners have existed for many decades in India's healthcare system, there is a lack of rigorous framework and lack of AHPs' education and training standards.

Sir, I have some concerns to flag for the consideration of Government. One, Allied and Healthcare Council of India granting only 12 slots to the State Council members is disproportionate given the number of States in the country. Second, regarding the functions of the Allied and Healthcare Council, the Bill warrants that

every institution teaching professionals associated with healthcare will need to be accredited. This particularly creates a challenge when it comes to private institutes as they are averse to regulations. Moreover, the process of granting this accreditation on such a large scale opens up avenues of manipulation and corruption. This needs to be checked.

Three, the functions of the State Council include ensuring high quality delivery in cities and towns of tier-II and tier-III where even doctors are in short supply, not to talk about high quality allied healthcare professionals, which is of little value. This Bill would require a budgetary overhaul by the States to establish enough high-quality medical institutes and create lucrative jobs which make these graduates want to work there. It is only then that there will be an increase in the overall quality of healthcare. Here, access should be the primary concern.

My fourth point is about the establishment of new institutions. While this Bill - when this Bill becomes an Act after being passed here - lays down strict regulations in the rules and regulations that will be formulated, I would only suggest that it should not deal with the scenario wherein the skilled supply is less than the demand as mandated by the Bill and the Council. The higher quality and higher qualification stipulation will have little to benefit if the skill needs to be improved.

Lastly, I would only mention that physiotherapists, as has been already discussed, have been demanding an independent physiotherapy council, which the Bill does not create any specific provision for. The Bill bars psychiatrists from clinical practice. At one level, this exclusion appears justified as they are already included in the Rehabilitation Council of India Act, 1992. Nevertheless, RCI is under the Government of India under the Ministry of Social Justice and Empowerment. India's Allied and Healthcare Council provided for in this Bill would be under the Ministry of Health and Family Welfare. It makes no sense for one sub-field of psychology, that is, clinical psychology to be regulated by one Ministry and other sub-fields to be regulated by another Ministry when both are the part of the same discipline.

With these few words, I would like to mention that our Party supports this Bill. But these are the concerns that we have mentioned here and I would hope with the able leadership of the present Health Minister, we will have a robust system which will recognise the allied support mechanism of our healthcare.

Thank you very much.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to talk on the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021.

First of all, I express my deep gratitude towards the healthcare professionals of the country. When the pandemic had surrounded us from all sides, the healthcare workers emerged out as ‘Corona Warriors’ and have put in tremendous efforts to save our lives. I would like to specially mention that they have managed to deliver with limited resources and infrastructure. I congratulate all of them, through you, Sir, on behalf of this House.

I am happy to mention that our State of Andhra Pradesh has managed to handle the situation well through a well thought out plan. Our village volunteer network system has been acclaimed throughout the country with States like Kerala adopting it and now, even Britain has started implementing it. The village volunteers educated the people about the transmission of the virus; identified thousands of people who had returned from abroad; mapped the Corona hotspots in the State; distributed the ration kits; and now are ready to contribute to the vaccination drive also.

13.12 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

Though the healthcare professionals have won the Corona war for us, now is the time to introspect and prepare for the future. There were many shortcomings in our healthcare system, which should now be analysed and rectified so that the country is ready for any future medical emergency.

In this light, the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021 is a step in the right direction. The Bill is a path breaking initiative that has the potential to change the future of healthcare service delivery for the people of this country. In the global landscape many countries have notified a statutory structure to regulate the education and practice of such allied and healthcare providers. The potential of these professionals can be utilized to reduce the cost of care and to make quality healthcare services accessible to all.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to mention a few salient features of this Bill, as already mentioned by our hon. Health Minister, Shri Harsh Vardhan Garu. This Bill covers 56 professional profiles which are logically organised under ten professional categories. It has been ensured that the Bill clearly specifies the description of each category to demarcate practice boundaries. Broadly, allied health professionals are those who undergo minimum 2,000 hours and 2-4 years of training, and healthcare professionals are those who attain minimum of 3,600 hours or 3-6 years of education and training.

The Bill also provides for registration of all the allied and healthcare professionals, facilitating their career growth, and improving their employment potential both within and outside India. This is also a unique opportunity to cater to the global demand of healthcare workforce. As per the WHO Global Workforce Report, a shortage of 1.8 crore healthcare workers is projected by the year 2030, of which almost half will likely be in the allied and healthcare professional space.

Hon. Chairperson, Sir, through you, I want to draw the attention of this House that the Allied and Healthcare Professions Bill, 2018 was introduced in Rajya Sabha on 31st December, 2018 and the same was referred to the Departmentally Related Standing Committee of the Ministry of Health and Family Welfare for its examination and report. The Committee after detailed examination recommended certain amendments to the said Bill. Therefore, it has been decided to withdraw the pending Bill and to introduce a new Bill, namely, the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021, incorporating the recommendations made by the Committee.

To mention a few, the recommendations of that Committee included constitution of a National Commission for Allied Healthcare Professions for regulation and maintenance of standards of education and services, assessment of institutions, and maintenance of Central Register and State Register of such professionals. The constitution of such Professional Councils for every recognised professional category is very necessary. The need of the hour is also to frame the right policies and standards for the governance of allied and healthcare related education and professional services. I congratulate the Government for this provision.

With the constitution of a National Allied and Healthcare Advisory Council to advise the Commission on the issues relating to allied and healthcare professionals, and the constitution of State Councils for ensuring coordinated and

integrated development of education and maintenance of standards of delivery of services, I am sure that these National and State Councils would be extremely useful in ensuring the highest standards of practice and better coordination.

The setting up of the Allied and Healthcare Council of India and the corresponding State Allied and Healthcare Councils will enable setting better standards and will facilitate the medical profession with basic standards of education, courses, staff qualifications, and examinations. So, professionalism can be introduced among the healthcare workers.

The impact of the Bill would he a high-quality multi-disciplinary healthcare system on the lines of Ayushman Bharat Mission and moving away from a doctor-led model to a team-based model. With accessible and affordable care, the skilled and efficient health professionals can reduce the cost of treatment also. At present, there exists many allied and health professionals who remain unregulated, unidentified, and underutilised.

Though this Bill targets the health professionals, still it is going to benefit the whole country. The basic objective is very clear. It aims to strengthen the healthcare system of the country.

Before I conclude, I would like to make a mention about the experience of our State, Andhra Pradesh. Under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, the State has chalked out a plan

with an outlay of Rs. 16,200 crore. By reviewing the *Nadu Nedu* Scheme which envisages revamping of Government hospitals and setting up of additional medical colleges, the State is now planning to have a village health clinic in every village in Andhra Pradesh so that during crisis like COVID-19, medical aid can be provided without any delay. So, it has been decided to set up 10,000 village health clinics. For that purpose, an outlay of Rs. 2,026 crore has been earmarked. These sub-centres will be in addition to the existing 1,086 centres. We are also establishing seven super speciality hospitals in tribal areas and six medical colleges with attached institutions at an estimated Budget of Rs. 6,100 crore. Besides these, 15 more new medical and nursing colleges along with multi-speciality institutions have been proposed.

Our Party, the YSRCP, firmly believes that it is our duty to make provisions for affordable treatment. Right to health is a fundamental right guaranteed under article 21 of the Constitution of India. Therefore, we support this Bill. Thank you.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे दि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल, 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा कि भारतीय सिनेरियो में मुख्यत: डाक्टर्स, नर्स और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को ही हैल्थ वर्क फोर्स के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन **50** से अधिक ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों की कैटेगरी है जो कि हैल्थ सिस्टम में अंडर यूटीलाइज्ड एवं अनरेगुलेटेड हैं। ये मुख्यत: फिजियोथैरेपी, ओपथैलमिक साइंस, न्यूट्रीशन साइंस, लैबोरेट्री एंड लाइफ साइंस, ट्रॉमा, बर्न केयर, सर्जिकल एनिथीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी और हैल्थ इनफोर्मेटिक्स इत्यादि शामिल हैं। कई दशक से लगातार मांग थी कि इन सबको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन लाया जाए। यह बिल इसी दिशा में एक पहल है, जिससे हम पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजिस्ट एवं थैरेपिस्ट्स को अब एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स के रूप में रिकॉगनाइज्ड कर रहे हैं।

पिछले साल दिसम्बर, 2020 तक पूरे देश में 1289337 डॉक्टर्स मेडिकल क्वालीफिकेशन्स के साथ अलग-अलग राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। आक्सीलरी नर्स मिडवाइव्स पूरे देश में 934583 रजिस्टर्ड हैं। वहीं रजिस्टर्ड नर्सेस और रजिस्टर्ड मिडवाइव्स करीब 2272208 हैं। जबकि लेडी हैल्थ विजिटर्स 56842 हैं। वर्तमान में देश में इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के आधार पर एलाइड एंड हैल्थकेयर प्रोफेशनल्स की मैपिंग करने के बाद पहचान की जा रही है।

महोदय, यह बिल पहले राज्य सभा में लाया गया, फिर सुधार के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया एवं कमेटी के सुझावों को शामिल करने के बाद इस सदन में लाया गया है। इसके साथ ही United Nations Commission On Health Employment के अनुरूप ही healthy workers और health में रोजगार को इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया है। WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक global economy के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ नई नौकरियों के सृजन की परियोजना है, जिसमें अधिकतर middle और high-income वाले देश हैं, जबकि जबकि 1

करोड़ 80 लाख health workers की कमी low और lower middle income के देशों में है। आज देश में health sector में advancement को देखते हुए यह आवश्यक था कि नए vision के साथ healthcare delivery को पेशेंट सेंट्रिक और muliy-disciplinary बनाया जाए। वर्तमान विधेयक इन्हीं उदेश्यों की पूर्ति करता है।

आज पूरे देश में सैकड़ों medical colleges हैं। 157 medical colleges में से मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में भी फेज -3 के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज की अनुशंसा की गई थी। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि गोपालगंज जिले में medical college के कामों को यथाशीघ्र शुरू किया जाए ताकि इस योजना का लाभ सबको सही समय से मिलना शुरू हो जाए।

महोदय, 20 september 2020 के डाटा के अनुसार, शहरी इलाकों के Primary Health Centres (PHC) में ANM की संख्या 16,820 है, जबकि 2,891 पद खाली हैं। डॉक्टर्स की संख्या 4,457 है, जबकि 954 खाली हैं। Pharmacists की संख्या 3,549 है, जिसमें 849 खाली हैं। Laboratory technician की संख्या 1,933 है, जिसमें 731 खाली हैं। Nursing staff 5,938 हैं, जिसमें 1,464 खाली हैं। इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों के Primary Health Centres में ANM, health assistant, female and male तथा डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत जरूरी है। आज देश के district hospitals में लगभग 85,194 para medical staff है, जिनकी संख्या बढ़ाना आवश्यक है। इस बिल के पास होने से Allied Healthcare Professional और Medical Healthcare Professionals की services को due care and respect मिलेगा।

महोदय, हमारे यशश्वी मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हाल ही में telemedicine healthcare facility और digital healthcare platforms के अन्तर्गत E – Sanjeevanj, Ashwini Portal शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य better healthcare facility देना है। दीदी की रसोई

(Didi Ki Rasoi) के अन्तर्गत पेशेंट के खाने के साथ -साथ उसके Attendant को भी खाना दिया जा रहा है। वर्तमान में 11,500 पेशेंट्स की हर महीने PHC में देख-रेख हो रही है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय Part - 2 के तहत बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सारे district hospitals में all medical facilities मिलेंगी। *The Economic Survey 2020 -2021* के अनुसार, वर्ष 2020 -2021 (BE) के लिए स्वास्थ्य बजट आवंटन GDP के प्रतिशत के हिसाब से 1.8 प्रतिशत है। इससे सबको लाभ होगा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुधार भी होगा। अगर हम Sustainable Development Goals 2019 का Index देखें तो भारत ने 100 में से 61 का score हासिल किया है, जिसे वर्ष 2030 तक 100 हासिल करना है। इस विधेयक के पास होने से good health and well being का टारगेट हम विश्व में जल्दी हासिल कर सकते हैं और 50 से ज्यादा Allied and Healthcare Professions को regulate एवं develop किया जा सकता है।

अत: इन्ही शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, आपने मुझे अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल-2021 पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूं-

"टूटने लगें हौसले तो यह याद रखना,

बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते।

ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी,

क्योंकि जुगनू कभी अपनी रौशनी के मोहताज नहीं होते। "

मैं ये पंक्तियाँ उन सभी एलाइड एंड हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए समर्पित करता हूँ। उनके लिए आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस बिल के माध्यम से उन सभी एलाइड एंड हेल्थकेयर वर्कर्स, जो कि इतने सालों तक एक साइलेंट वर्क फोर्स की तरह कार्य कर रहे थे, उन सभी के लिए यह बिल आज माननीय मंत्री जी यहाँ पर लाए हैं। आज तक यह सेक्टर अनरेग्युलेटिड था, आज वह रेग्युलेशन के अंडर में आएगा। इसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मंत्री जी खुद पेशे से डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि पिछले 5 दशकों से वे इस क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में क्या-क्या बारीकी है, डॉक्टर होने के कारण वे यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनन्दन व्यक्त करता हूँ।

इस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली लोक सभा में मैं हेल्थ कमेटी का सदस्य भी था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाये गए हैं। चाहे वह नेशनल मेडिकल कमीशन हो या नेशनल कमीशन फॉर

इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी हो या आयुष्मान भारत योजना हो और आज यह बिल आया है। यह बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात कही गयी है, जिसमें करीब 17 हजार रूरल और 11 हजार अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे और हर जिले में इन्हें स्थापित किया जाएगा। 3,382 ब्लॉक्स में इंटीग्रेटिड पब्लिक हेल्थ लैब्स शुरू होंगी। इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर डब्ल्यूएचओ साउथ-ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायो-सेफ्टी लेवल, थ्री लेबोरेटरीज एंड 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वाइरोलॉजी की भी घोषणा हुई है, जिसमें एलाइड एंड हेल्थकेयर वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा।

आज इस बिल में सरकार ने स्थायी समिति की 110 में से 102 सिफारिशों का समावेश किया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही प्रशंसनीय काम है। वर्तमान में डॉक्टर्स, नर्सेज, डेन्टिस्ट और फार्मासिस्ट को रेग्युलेट करने के लिए उनकी रिस्पेक्टिव रेग्युलेटरी बॉडीज है, लेकिन एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड और अनरेग्युलेटिड थे। आज के बाद एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स भी रेग्युलेशन के अंतर्गत आएंगे।

मुझे लगता है कि अलग-अलग क्लॉजेज पर लोगों ने बात की है। क्लॉज 4 में जो कमीशन का टेन्योर है, उसे दो साल रखा गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टेन्योर को बढ़ाया जाए। दो वर्ष का समय बहुत कम होता है और अन्य विधेयक जैसे नेशनल कमीशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, होम्योपैथी हो, नेशनल मेडिकल कमीशन हो, उसका चार साल का टेन्योर है।

इस बिल में एक अच्छा प्रावधान यह भी है कि स्टेट काउंसिल्स का भी गठन होगा, जिनका कार्य अच्छी तरह से, सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट होगा। यह बिल आज से पारित

होगा। उसी के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का भी प्रावधान होगा। क्लॉज 12 में नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर एडवाइजरी काउंसिल विद रीप्रजेंटेशन फ्रॉम ऑल स्टेट्स की स्थापना की भी बात कही गई है, जिससे सभी राज्यों को इससे प्रतिनिधित्व मिलेगा। बिल में एक अच्छा प्रावधान है कि यूनिफाम एंट्री एग्जाम, एग्जिट एग्जाम और उसी के साथ में नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो आज तक हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से तराशकर आगे के लिए, आज से जो बिल पारित होगा, उसके बाद जो कोर्सेंज शुरू होंगे, उसके लिए एक बड़ा योगदान इस टेस्ट के माध्यम से भी होगा।

After the implementation of this Bill, there will be a paradigm shift moving specific tasks to specialised allied and healthcare professionals for better recognition of health workforce and improved healthcare. इस विधेयक के प्रावधानों को बहुत ही सोच-विचार करने के बाद लाया गया है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसके अतिरिक्त मेरे कुछ सुझाव हैं, जो मैं हमेशा देता आया हूँ। बजट मे स्वास्थ्य पर जो हमारा खर्च सिर्फ 1.28 परसेंट है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार, उसको बढ़ाया जाए।

India's rank at Global Healthcare Access and Quality Index is 145 out of 195 countries, as per the report of 2016. *The Economic Survey of India 2020-21* noted that India ranks at 179 out of 189 countries in budgetary allocation. मुझे लगता है कि हेल्थकेयर के बजट में सरकार को इम्प्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है, ज्यादा बजट एलोकेट करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो हेल्थ स्पेंडिंग की बात है, उसमें हम लो इनकम देशों से भी पीछे है। Allopathic doctor-population ratio in India is 1:1,404 per current population estimate of 1.35 billion. डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स के अनुसार यह 1:1,000 होना चाहिए। वर्तमान में 52 per cent of these doctors are practising in just five States –

Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and UP. जो रीजनल इम्बैलेंस है, इसके कारण हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से बिल के माध्यम से यह भी निवेदन करूँगा कि कैसे एलाइड और हेल्थेकेयर प्रोफेशंस को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है? उस पर भी विचार हो। As per the report of the Public Health Foundation of India, there is a shortfall of 64 lakh nurses in these professional courses. As per the data of rural health statistics of 2018-19, there is a shortfall of 39.9 per cent, approximately 40 per cent of lab technicians at PHCs and CHCs. There is a shortage of 59 per cent radiographers in all the CHCs. हमारा देश इस अवसर पर पूरी तरह से प्रयोग कर सकता है और युवा-पीढ़ी की जॉब डिमांड को पूरा करने के लिए हम अगले एक दशक में हेल्थ प्रोफेशनल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि allied health professional jobs are women friendly. As per the WHO report, of the total health workers, nurses, midwives, 38 per cent are women. Of the 38 per cent, 25 per cent is male and female is 75 per cent. आयुष्मान भारत हमारे प्रधान मंत्री जी की फलैगशिप स्कीम है, जिसका आबंटन पिछले वर्ष की तरह ही 6400 करोड़ रुपये रखा गया है, लेकिन रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर में सिर्फ 3100 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं, जो कि 50 प्रतिशत से भी कम है। यह अंडर स्पेंडिंग की वजह क्या है? सरकार का लक्ष्य यह था कि वर्ष 2022 तक डेढ़ लाख हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स की स्थापना होगी, जिसमें से सिर्फ एक लाख को ही अप्रूवल्स मिली है, लेकिन ऑपरेशनल सिर्फ 50 हजार हो पाए हैं। बाकी जो एक लाख है, वे वर्ष 2022 तक कैसे हो पाएंगे? इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डालें। मैं अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से इस विधेयक का

समर्थन करता हूं। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत विस्तार से इस बिल की उपलब्धियों के बारे में बताया है। मुझे बेहद खुशी है कि पूर्व में हमारी जो खामियां रही हैं, खास तौर से एलाइड वर्कर्स और पैरामेडिक्स को लेकर, उसके साथ-साथ तमाम अन्य ऐसी छोटी बीमारियां हैं, जिनके लिए हमें स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स चाहिए होती है। उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं।

The Bill sets up the National Commission for Allied and Healthcare Professions. The Commission will consist of - the Chairperson, Vice-Chairperson, five members at the level of Joint Secretary representing various Departments/Ministries of the Central Government, one representative from the Directorate General of Health Services, and various other Health Services. इसका मैं स्वागत करता हूं। हाल में ही पिछले कुछ दिनों में जो कोविड की महामारी आई है, उसके चलते हुए और उससे पहले भी पैरामेडिक्स और हेल्थ सर्विसेज़ में जो निचले स्तर के वर्कर्स की जरूरत रहती हैं, उसमें भारी वृद्धि होने का काम हुआ है।

मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर और पूर्वांचल में पैरा मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। इसको नियंत्रित करने के लिए आप यह बिल लेकर आए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसी के साथ-साथ आपने कमीशन को एस्टेब्लिश किया है और अनिवार्य किया है कि स्टेट्स छः महीने में अपना एक कमीशन स्थापित कर लें। इससे यह माना जा रहा है कि इन कॉलेजों में जो भी अप्लाई करता है और इनमें जो कोर्स चलते हैं, उनको अच्छी तरह से नियंत्रित करने का काम किया

जाएगा। इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसमें एक लेवल पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। लोग कालेज में आ जाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। उन्हें डिग्रियां मिल जाती हैं और हमारी वर्क फोर्स में ऐसे लोग आ जाते हैं, जिन्हें उस कला में कोई निपुणता हासिल नहीं होती है। इसे रोकने के लिए बताया जाए कि हम जो बिल लेकर आए हैं, उससे हेल्थ सर्विसेज में रोकने में कैसे सहायता मिलेगी। एक गरीब व्यक्ति इसमें पांच, छह साल लगाकर अपनी स्किल को अपग्रेड करता है, उसे नौकरी प्राप्त करने के लिए भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि सरकारी अस्पतालों में जहां पे कमीशन और अन्य भत्ते मिलते हैं और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलता है, उन सभी नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। ये सभी दो, चार, छह साल के कोर्सेज हैं और पैसा खर्च करने के बाद यदि एक वार्ड ब्यॉय या नर्स की नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई जाता है, तो नौ हजार रुपये की संविदा पर उसे रखा जाता है। यह हमारे लिए कितनी बड़ी विडम्बना है। आखिर इतना समय देने के बाद भी एक सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पाती है। मिनिमम वेज के हिसाब से जो उनका रजिस्टर मेनटेन हो रहा है, उसे फॉलोअप करना चाहिए कि एक सम्मानजनक आर्थिक व्यवस्था इनके लिए हो रही है या नहीं।

महोदय, मुझे यह भी कहना है कि इस बिल में आप बहुत सारे प्रावधान ला रहे हैं और हो सकता है कि जो विसंगतियां हमें दिखाई देती हैं, उनका समाधान निकले। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि जो यह नेशनल रजिस्टर आएगा, इसमें भी जितने भी लोग रजिस्टर होंगे, उन लोगों को किस तरह से आगे और डेवलप कर सकते हैं, उन्हें आगे कैसे वर्कफोर्स में पहुंचा सकते हैं, इसके लिए काउंसिल को अच्छी तरह से काम करने की जरूरत है। मुझे कुछ क्लेरीफिकेशन्स भी चाहिए कि अभी तक हमने देखा था कि आपने मेडिकल कमीशन्स को खत्म किया है। पीछे कुछ बिल आए थे, जिनके द्वारा आपने कमीशन्स खत्म करके काउंसिल्स की स्थापना की है, जैसे डेंटल काउंसिल, होम्योपेथी काउंसिल, लेकिन इस बार प्रोफेशनल काउंसिल्स को रखते हुए आप एक कमीशन की स्थापना करने

का काम कर रहे हैं। दोनों को रखकर चलाने की आपकी क्या सोच है, इस पर यदि आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा। इसमें इंटर्नशिप की बात भी आती है जैसे पांच, छह साल के कोर्सेज के बारे में बताया है लेकिन इंटर्नशिप पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। क्या आगे चलकर जो बॉडीज बनी हुई हैं, ये स्थापित करेंगी कि जो प्रेक्टीकल नॉलेज इन पैरामेडिक्स या एलाइड वर्कर्स के काउंसिल की स्थापना हो रही है, इनके कोर्स में प्रेक्टीकल नॉलेज के एक्सपीरिएंस की बात होगी, वह कैसे लोगों को मिलेगा। इस पर भी मंत्री जी प्रकाश डालें। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आप एक बिल लेकर आए हैं जो एलाइड मेडिकल फोर्स को संगठित करके सुचारु रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करेगा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे एक बहुत ही व्यापक तरीके से इस प्रोफेशन में लोग जुड़ेंगे और देश में हजार पेशेंट पर जो आधा बेड उपलब्ध है, इसका भी समाधान होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से साइकोलोजिस्ट्स की भी बात की थी। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर कोविड के समय जो पर्दाफाश हुआ है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह भी बोलना चाहता हूं कि दुनिया में कुल सुइसाइड रेट में 36 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन हिन्दुस्तान का है। मेंटल हेल्थ भी इस रेट पर कहीं न कहीं प्रभाव डालती है। एलाइड वर्कर्स को स्ट्रीमलाइन करने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स काम करें, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill.

At first, I express my deep gratitude towards the healthcare professionals of the country. When the pandemic had surrounded us from all sides, the healthcare workers emerged as the 'Corona Warriors' and had put in tremendous effort to save our lives. They have managed to deliver with limited resources and infrastructure.

Though the healthcare professionals have won the Corona war for us, now is the time to introspect and prepare for the future. There were many shortcomings in our healthcare system which should now be analysed and rectified so that the country is ready for any future medical emergency. Sir, the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020 is a step in the right direction.

India has suffered from the problem of inappropriately trained doctors and poor quality of medical education since a very long time. Decades back, the Mudaliar Committee Report pointed out that doctors had neither the skills nor the knowledge to handle primary care and infectious diseases that were a high priority concern at the time. In recent times, the excessive reliance on a battery of diagnostic tests is reflective of commercial considerations and weak knowledge. So, this Bill with the objective of regulating and standardising the education and

practice of allied and healthcare professionals is an important legislation which needs to be discussed elaborately.

Sir, this Bill by setting up of Allied and Healthcare Council of India and corresponding State Allied and Healthcare Councils will enable setting of better standards and facilitate the medical profession. With basic standards of education, courses, staff qualifications, and examinations, professionalism can be introduced amongst the healthcare workers.

The result of the Bill would be a high quality, multi-disciplinary healthcare system on the lines of Ayushman Bharat Mission, moving away from a 'doctor-led model' to a 'team-based model' with accessible and affordable care. The skilled and efficient health professionals can reduce the cost of treatment also.

At present, there exist many allied and health professionals who remain unregulated and unidentified or else are underutilized. Though this Bill is targeted at the health professionals, it is going to benefit the whole country. The basic objective is very clear. It is to strengthen the healthcare system of the country.

I, on behalf of my State, would also like to request the Union Government to sanction medical colleges in Telangana as out of 157 colleges that were sanctioned by the Government, not even one was given to Telangana.

Sir, I would also like to state that Hyderabad is known as the 'Vaccine Capital of the World' as more than six billion doses of vaccines are manufactured

here every year, contributing to one-third of the global output. However, the vaccine manufacturers are forced to send the vaccines to the Central Drug Laboratory in Kasauli in Himachal Pradesh for testing and certification. Owing to logistical reasons and the time involved in that, the vaccine industry in Hyderabad is constrained from being more effective and competitive. I, therefore, request the hon. Minister to establish a Vaccine Testing and Certification Laboratory in Hyderabad.

Sir, I firmly believe that it is our duty to make provisions for affordable treatment. Right to health is a fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution.

With these few words, I support the Bill. Thank you.

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for allowing me to speak. I rise to support this Bill on behalf of my party NCP. First of all, I congratulate the hon. Health Minister for bringing such a wonderful piece of legislation which is the need of the country and the need of the hour.

We all know about the service rendered by the allied and healthcare workers during the pandemic period, especially in remote areas like Lakshadweep from where I come. The tremendous work that they have done has kept my small tiny corals free from COVID-19 for more than one year. There were tireless efforts from our allied and healthcare workers, especially in Kochi, Mangalore and Calicut from where the passage to Lakshadweep is made. They kept a vigil, they screened everybody, they made a mandatory quarantine of seven days, they ensured by test that only those tested negative are sent to Lakshadweep. For one year, when the whole world was worried about the COVID-19 pandemic, Lakshadweep was free from it. After relaxing the SOP, certain cases have been reported but those are under control and our health workers are very vigilant on this front.

Coming to the Bill, the Standing Committee had made a recommendation. As far as Student-teacher ratio and patient-therapist ratio is concerned, we do not have a dynamic database on the part of the Central Government. The first effort

should be to have a dynamic database to find out the student-teacher ratio and patient-therapist ratio. Secondly, the Bill envisages regulating the courses over and above 2000 hours wherein there is a need for health workers to aid and assist the patient in rural, tribal and urban slums where there is a huge gap in the demand and supply of skilled healthcare providers. In this context, the Standing Committee had recommended the need to have a regulatory authority for courses of below 2000 hours also, because to cater to the services in the remotest areas, such courses also need to be regulated by the Health Ministry.

The Committee also observed that many medical institutes also run allied and health profession courses. There needs to be coordination between them and the other allied institutes which are already in place. The other miscellaneous point which I would like to highlight is the unemployment among the forensic science students. The shortage amounts to nearly 1,14,000 forensic experts. It is due to clubbing of syllabus which is not pertinent to that particular course. If the Ministry can come out with a particular syllabus, these vacancies can be filled up much earlier.

The other area which needs to be concentrated upon is the psychology part. During this pandemic period, there was a lot of mental pressure, tension, and anxiety among the people. Psychology is an area where we need to have special emphasis as far as present condition is concerned. Another part is that we have lost two sitting MPs and this sends a message to people that the hon. MPs are

also committing suicide. I am not making any political speech here, but this is a sentimental part of it. The message should not go to the people that the MPs are also committing suicide. We need to have a thorough look into the psychological part of it also.

The other point is that the States' share is mentioned in it. It is the State's share which is contributed towards opening of medical college. In my constituency, we do not have any medical college. I have been talking about giving us MBBS seats. We were getting 10 seats earlier; now it has been reduced to four. Doctors from outside are also not coming to Lakshadweep to serve. The Andamans have got a medical college; Daman has got a medical college; but Lakshadweep is deprived of a medical college. At least in such places, we need a little more share.

You need to consider a little more to be given to Lakshadweep. Out of this scenario, another area which needs to be concentrated upon is this. You know about the paramedical staff under NHM. The pay disparity between the regular and the contract paramedical staff is huge. A paramedical staff nurse, to start with, is getting Rs.12,000 per month; whereas a regular staff nurse is taking away Rs.40,000 plus to her home, though they are doing a similar kind of job. They put in service for 12 hours. They also have their families to look after. This is not different in the case of even regular GDMOs and contract GDMOs. In case of contract GDMO allopathy, GDMO homeopathy and GDMO Ayurveda, there is a huge difference in the pay. So, I would urge upon the Government to bring in pay

parity among these health workers. It is because we need to support them. We need to motivate them because they are also dealing with human beings. They are also into the service as a regular doctor or a paramedical staff in this scenario.

The hon. Minister is sitting here. The Ayushman Bharat scheme has been launched by the Government with lot many wishes and envisages covering the entire population. In Lakshadweep, we had a comprehensive insurance coverage earlier. We depend on Kerala and Mangaluru for most of our medical support. We do not have that much hospitals. Under the universal health insurance, we were having our empanelled hospitals in Kerala and Mangaluru and the coverage was also good. Now, we are changing it to the Ayushman Bharat scheme where, in fact, we are losing in certain aspects. For example, in Kerala, there are not enough empanelled hospitals. Coverage for the diseases is also less compared to the comprehensive coverage. So, there is a need for a little more support from the Central Government to bridge the gap with the comprehensive insurance coverage.

With this, I am in support of this Bill. I congratulate the hon. Minister for bringing in such a legislation. Thank you so much, Sir.

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति महोदय, आपने मुझे नेशनल कमीशन फॉर दी एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बिल, 2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे लोक सभा के ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला सर की स्पीडी रिकवरी की कामना करते हुए अपनी बात आगे रखती हूं। I will try my level best not to repeat the points that have been already raised by my colleagues. मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे देश के प्रधान मंत्री, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर, सारे डॉक्टर्स, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ इस वॉर में अपना योगदान दिया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यह लड़ाई जिनके बगैर बिल्कुल भी अधूरी रह जाती, इन एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का जो महत्व है, वह हमें कोरोना के टाइम में समझ में आया है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मेरे सहयोगी जो यहां पर हैं, जो खुद अपनी एमबीबीएस की या उसके बाद की भी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वे भी जानते होंगे कि मेडीसिन पढ़ते समय एलाइड ब्रांचेज़ को देखने का एक अलग ही नजरिया रहता था। I would not say that they are looked down upon, but they are not taken into consideration. मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, तो मेरी ब्रांच भी मेडीसिन की एलाइड ब्रांच है। हम लोग आज तक इनको बहुत महत्व नहीं दे रहे थे, पर इस बिल के माध्यम से आज इन लोगों की समस्याओं को महत्व देकर उनकी समस्या सुलझाने की तरफ एक बहुत बड़ी पहल की गई है। कोरोना के दौरान हमें समझ में आया कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या महत्व है, न्यूट्रिशनिस्ट का क्या महत्व है, रेस्पेरेटरी थेरेपिस्ट हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकते हैं, जो लोग कोरोना से निकलकर बाहर आए हैं, उनको भी इनका महत्व इस दौरान समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा, वैक्सीन बनाने के लिए जो वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आगे आए हैं, उनके माध्यम से आज हम इन एलाइड प्रोफेशनल्स का महत्व समझ रहे हैं।

सर, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं। मुंबई जैसे शहर में जब रहते हैं और प्राइवेट लैब में फोन करके किसी को हम घर पर स्वैब लेने के लिए बुला रहे हैं, तो फोन पर हमें बताया

जाता है कि आज हमारा टेक्नीशियन बिजी है और उसके अलावा कोई और टेक्नीशियन यह काम कर नहीं पाएगा।

देश में ज्यादा लैब्स हों, ज्यादा सेंटर्स हो, इसकी मांग सरकार के सामने आ रही थी। इन लैब्स और सेंटर्स में काम करने के लिए प्रोफेशनल्स तैयार करने का चैलेंज सरकार को झेलना पड़ा। इस चैलेंज को ओवर कम करके हम इस स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उबर पाए हैं। हम लोग हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर मीटिंग में बात करते हैं और अपने मुद्दे रखते हैं। जब रेपिड एंटिजन टेस्ट कराना था, उसके लिए क्या स्टैन्डर्ड होने चाहिए, कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए और कितने सैम्पल के बाद मशीन रन होनी चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर्स होने के नाते सुझाव दे रहे हैं, लेकिन जो फील्ड में काम कर रहे थे, क्या वे उसमें ट्रेंड थे, क्या वह इसके लिए तैयार थे? ये सब तैयारी आज इस बिल के माध्यम से पूरा कर पा रहे हैं।

डिपार्टमेंट रिलेटड पार्लियामेंटरी स्टैन्डिंग कमेटी ने जो कुल 110 सिफारिशें दी थी जिसमें से 102 एक्सेपट किए गए और छह मोडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट किए गए हैं। जो दो सिफारिशे एक्सेप्ट नहीं हुई हैं, उनमें से एक सुझाव यह रहा कि जिनकी स्टडी ऑवर दो हजार घंटे से कम है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर के अंतर्गत सम्मिलित करना है, यह स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आज मैं आश्वस्त हूं कि संबंधित मंत्रालय इस पर सकारात्मक विचार करेगा।

इस बिल की जरूरत इन सब चीजों के लिए थी, क्योंकि एक रेग्युलेटरी बॉडी की कमी थी और आज वह इस बिल के माध्मय से पूरा हो रहा है, जिससे इन सभी के काम में एक सुदृढ़ता आएगी, 56 व्यवसायों सहित 10 प्रमुख पेशेवर श्रेणियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इससे आने वाले समय में यह हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने का काम करेगी। इसमें सर्विस और स्टडीज के

स्टैन्र्डडाइजेशन के साथ-साथ प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है, इन प्रोफेशनल्स को न सिर्फ रजिस्ट्रेशन दिलाता है बल्कि एक डिग्निफाइड आइडेन्टिटी भी दिलाता है।

इसके साथ ही सभी व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी मानक के वर्गीकरण आईएससीओ- 08 के अनुसार कोडिंग भी किया जा रहा है। जो लोग देश में पढ़ाई कर रहे हैं या जो इस देश में काम करते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नॉलेज का उपयोग करके अपनी आजीविका हासिल करने का मौका प्राप्त होगा। ये लोग देश-विदेश में अपनी सेवाएं दे पाएंगे।

माननीय विदेश मंत्री जय शंकर जी ने कहा कि जहां दुनिया एक देश को वायरस देने वाले देश की तरह देख रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को हेल्थ सुविधाएं देने और वैक्सीन निर्मित करने वाले देश के रूप में देखती है। हमारे डॉक्टर्स दुनिया में पहले से भी दुनिया में अच्छे काम करते रहे हैं। आज आईएलओ और आईएससीओ की कोडिंग के बाद एलाइड हेल्थ प्राफेशनल्स दुनिया में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। यह अच्छा लगता है कि ये लोग दुनिया में देश का नाम रौशन करें, किन्तु ऐसा न हो कि वहां इतना अट्रैक्टिव पैकेज मिल जाता है कि लोग अपने देश में काम करने की बजाए बाहर जाकर काम करना पसंद करते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से विनती करना चाहती हूं कि आने वाले समय में उनको अट्रैक्टिव पैकेज पर काम दें। इस मुद्दे का मैं निजी तौर पर समर्थन करती हूं क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं और रिलेटिवेली पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे क्षेत्र के लोग ऐसी पढ़ाई करके विदेश जाकर अपनी आजीविका हासिल कर सके और अपने परिवार का नाम कर सकें। किसानों के बच्चे इसमें आगे आ सकते हैं, गन्ने के खेत में काम करने वाले के बच्चे भी आगे आ सकते हैं। मैं हमेशा अकाल से जूझते रहने वाले क्षेत्र से हूं इसलिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके माध्यम से बहुत लोगों को जॉब की भी गारंटी मिल

सकती है। बहुत सारे कॉलेजेज, मेडिकल या पैरा-मेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ पास करने का लक्ष्य नहीं है, उनकी प्रैक्टिस को मान्यता दिलाना आज समय की जरूरत है। वैसे मैं एलोपैथी की डॉक्टर हूं, डॉक्टरों के लिए बात करना मेरा उत्तरदायित्व है। आज मुझे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में बात करने का अवसर मिला और मैं इसे अपना गौरव समझती हूं।

14.00 hrs

मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, मुझे लगता है कि इस बिल की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल हैल्थ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम प्रेजेंट समय में कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी देश की सारी व्यवस्थाएं किसी भी पैनडेमिक का सामना करने के लिए तैयार होंगी। हम पैनडेमिक का सामना करने की बात करते हैं, तो सिर्फ डॉक्टर्स महत्वपूर्ण नहीं हैं, डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले पैरा-मेडिकल और एलाइड प्रोफेशनल्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि स्वच्छताकर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान बढ़ाने वाले हमारे प्रधान मंत्री जी हैं। फ्रंटलाइन वारियर्स का पहले वैक्सीन पर हक बने, ये वही प्रधान मंत्री जी हैं जिन्होंने इनको प्राथमिकता दी इसलिए न ही टीका पहले खुद लगवाया और न सांसदों को लगवाया। यह उनका बड़प्पन और दूर की सोच दिखाता है। ऐसे नेतृत्व में ही हम एलाइड प्रोफेशनल्स को न्याय मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। उनके लिए अच्छे दिनों के आने की उम्मीद करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : प्रीतम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि कोई वायरस फैलाता है और भारतवर्ष वैक्सीन प्रदान करता है।

…(व्यवधान)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you.

On behalf of my Party, Apna Dal, I rise to speak in support of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021, which is a historic Bill and worth welcoming and is, in fact, the second key reform which has been brought by the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare, after the constitution of the National Medical Commission.

Hon. Chairperson, Sir, if you look at the healthcare scenario today, in India, there are a large number of allied and healthcare professionals who have been going unidentified, unregulated, and also, under-utilised for years. The reason behind the same is that we have only focussed on strengthening the capabilities of few limited categories, like our doctors, our nurses, or our frontline health workers, whereas, there is a huge potential in these allied healthcare professionals. We have seen their tremendous significance during the COVID pandemic times also. They very much constitute an important element of our healthcare system. I heard Dr. Shinde from the Shiv Sena Party. He mentioned them as a silent force which has been contributing to the nation's healthcare for over the years. So, it is important to understand that the more we skill them and the more we equip them, train them, and give them better standardised education and also regulate them, the more we will be able to move towards creating an access towards quality healthcare.

Globally, most of the countries have a regulatory framework and they are also providing good education and training to these allied and healthcare professionals who undertake undergraduate programmes and obtain degrees, but in India, unfortunately, there is an absence of a robust regulatory framework and also, there is no standardised education curriculum as well as training for these allied and healthcare professionals.

So, which is why, today, by means of this Bill, this Government is trying to create a National Commission for the Allied and Healthcare Professions. There are as many as 56 different categories of these professionals, like physiotherapists, occupational therapists, dieticians, nutritionists, radiology and imaging professionals, psychologists, community health workers, and there are so many that I am not taking names of, who will be collectively covered under this National Commission which is being constituted.

This National Commission would broadly frame the guidelines and the policies on the basis of the recommendations which have been obtained from the professional councils under its ambit and it will be the duty of the State Councils -- which will also be constituted after the enactment of this Bill -- to ensure the enforcement of the regulations and the broad standards and policies which have been framed by the National Commission and the National Council. Hon. Chairperson, Sir, you have also mentioned that this Bill will, therefore, make a shift from the doctor-led model to a more care-accessible and team-based model which

is very much in line with the vision of the Universal Health Coverage as laid down by the National Health Policy rolled out in 2017 and also by the Ayushman Bharat.

We must also understand that this Bill creates an opportunity to address the global demand which is projected to be about 50 million by the year 2030, as stated in the WHO Global Workforce, 2030 Report and for this purpose of global recognition, the coding of all such allied and healthcare professionals will also be done as per the International Labour Organisation Standards for Classification of Occupation which is a very important step, and across the country, there are 8-9 lakhs of such professionals who would be covered along with several other graduating professionals who would be joining the workforce annually and they will all be registered. A register is going to be maintained and in case of any offences, penalties would be imposed. So, only those who are registered would be allowed to practice. It is very important. However, I have two small concerns which I would like to raise here.

My first concern is this. Looking at the history of the healthcare regulation in India, I have my doubts that there is a scope for manipulation, in case of this Commission as well. How would this Bill ensure that the new Councils which are being proposed by way of this Bill will not go down the same path? So, I would like the hon. Minister to ensure that this Bill should not just be a good piece of legislation. It should not be just good on paper but should be good in effect as well.

Another thing that I want to point out Sir is how this Bill will ensure that big players, the powerful healthcare providers will not eliminate the small players in the garb of ensuring quality services? So, these are my two concerns which I would request the hon. Minister to shed light upon while he is replying to the debate.

With this, I once again congratulate the hon. Minister for bringing this landmark legislation which will go down in the history of healthcare revolutions in India. It will transform the healthcare scenario and make a paradigm shift and thank you so much Chairman Sir for allowing me to speak on this Bill.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपनी बात कोरोना काल के दौरान उन स्वास्थ्य कर्मियों, उन एलाइड हेल्थ सर्विसेज के सभी प्रोफेशनल्स और उनके सहयोगियों, चाहे वे टेक्निशियन हों, नर्सिंग कर्मी हों या स्वास्थ्यकर्मी हों, जिन्होंने कोरोना वारियर्स के रूप में अस्पतालों में सफाई करते-करते भारत के आमजन की सेवा में अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे National Commission for Allied and Health Professions Bill, 2021 जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका तहेदिल से आभारी हूं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

महोदय, लगभग एक साल पहले 24 मार्च, आज ही का दिन था, जब भारत सरकार ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक सख्त निर्णय लेकर लॉकडाउन का फैसला किया गया। मुझे लगता है कि आज विश्व की जैसी परिस्थिति है, उसमें भारत ने जितनी तेजी से इस आपातकालीन परिस्थिति का सामना किया है, उसके लिए हम सबको तथा पूरे सदन को प्रधान मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और उसके साथ उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहिए। देश को इतनी विपरीत परिस्थितियों से निकालकर, आज जिस तरीके से भारत को संभाला है, उसके लिए हम इनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

महोदय, जब वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी थी, पूरे देश की जनता ने उनको मेनडेट दिया था और यह कल्पना की थी कि अब हमारा कोई खैर खबर आएगा। वही हुआ। एक गरीब घर से एक गरीब माँ का बच्चा जब देश के प्रधान मंत्री जी की कुर्सी तक पहुंचा तो सर्वप्रथम उन्होंने गरीबों की देखभाल के बारे में सोचा। उन्हें उन माताओं की पीड़ा समझ में आई, जो अस्पतालों तक नहीं जा पाती थीं और रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती थी। उन बच्चों की पीड़ा समझ में आई, जो पीडीऑट्रिशियन के अभाव में अपनी जान दे देते थे, उनकी मौत हो जाती थी। जब गांव में जाते थे, एक्सिडेंट हो जाता था, तो दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। वहां कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता था।

माननीय सभापति महोदय जी, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वर्ष 2014 से लेकर अब तक आपको ऐसा हर कदम देखने को मिलेगा, जिससे यह साबित होता है कि वह देश के अंतिम व्यक्ति, देश के प्रत्येक व्यक्ति और विशेष रूप से गरीब और कमजोर व्यक्ति की सेवा के लिए अपना जीवन और अपनी सरकार को समर्पित कर चुके हैं। मैं वर्ष 2014 की बात करता हूं। आप याद कीजिए कि देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेज़ थे। लेकिन यह माननीय प्रधान मंत्री का ही विज़न है, उनके साथ हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा जी और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर

हर्ष वर्धन जी, इन दोनों ने जोरदार काम किया है और उनके उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के सपनों को पूरा करते हुए देश के प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि वर्ष 2014-15 में जिन जगहों पर कॉलेज होते नहीं थे, आज मुझे लगता है कि इस देश में 550 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेज़ खुल चुके हैं। हर राज्य के हर जिले के अंदर और भी नए मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया में हैं। मैं यह आशा करता हूं कि अगले दो-तीन वर्षों में ऐसा कोई भी जिला नहीं बचेगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा।

यहां पर सभी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। जब डॉक्टर्स की बात आती थी और आपके पास लोग आते थे कि हमारे गांव में, हमारे पीएचसी में, हमारे सीएचसी में, मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर लगवा दीजिए। जब आप राज्य सरकार के पास जाते होंगे और उनसे पूछते होंगे कि हमारे यहां डॉक्टर्स चाहिए, स्टॉफ चाहिए, तब मंत्री जी अपने हाथ खड़े कर देते होंगे कि मैं क्या करूं? हमने बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं। उन्होंने उस चीज का समाधान किया है और देश के प्रत्येक नागरिक को आम सेवा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो एमबीबीएस की सीट्स आज की तारीख में 40,000 से बढ़ाकर लगभग 85,000 सीट्स की जा चुकी हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज इतनी भारी मात्रा में एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी की गई है।

इसी प्रकार से हम पीजी सीट्स की बात करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा पीजी सीट्स हो चुकी हैं। डॉक्टर्स बनकर अपने-अपने कस्बों, जिलों में जाकर जनसेवा का कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी कई लोग ऐसे होंगे, जो जनसेवा का काम करेंगे। आपको याद होगा कि पूरे देश भर के लोग दिल्ली एम्स में खुद को दिखाने के लिए आते थे। पूरे देश में दिल्ली एम्स को एक प्रतिष्ठित संस्था माना जाता था। हमें माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व पर गर्व करना चाहिए कि देश में वर्ष 2014 से पहले, यानी 70 सालों के अंदर सिर्फ 7 एम्स बने

थे। लेकिन वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 के बीच के इतने कम समय के अंदर 15 से भी ज्यादा नए एम्स की स्थापना हो चुकी है और वे चालू हो चुके हैं। इसके साथ ही हम और भी नए एम्स बनाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय जी, इतना ही नहीं, माननीय प्रधान मंत्री जी का स्पष्ट सपना है कि इस देश के प्रत्येक मानव के जीवन को सम्मानपूर्वक जीने और स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। उन गरीबों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए, आपने सुना होगा कि यदि किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था, तो उसके बीबी-बच्चों और मां-बाप के गहने बिक जाते थे, उसकी जमीन बिक जाती थी। अगर वह एक बार अस्पताल में पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि उस अस्पताल से वह कर्ज में डूबकर आता था। वह अपने परिजन को खो देता था, सो खो देता था, लेकिन वह अपनी जमीन-जायदाद और अपना मान-सम्मान भी खो देता था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस गरीब की पीड़ा को समझते हुए आयुष्मान भारत का संकल्प लिया है। उस आयुष्मान भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने पांच रूपये तक के बीमे की घोषणा की है। आज देश के करोडों-करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मैं उन करोड़ों लोगों की तरफ से भी माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, कोविड 19 का यह संकटकाल है। जैसा कि अभी मेरे एक साथी ने कहा है और हमारे विदेश मंत्री जी ने भी कहा था कि कोरोना को बनाने वाला एक बदनाम देश था, जहां से इस कोरोना की उत्पत्ति हुई है और एक देश ऐसा है, जो इस बीमारी से सबको मुक्त कराने के लिए वैक्सीन बनाने में व्यस्त था। उसने न सिर्फ खुद के नागरिकों के लिए वैक्सीन बनाई है, बल्कि 150 से भी ज्यादा देशों को कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई करके यह साबित कर दिया कि भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में विश्वास करता है। भारत सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की उन्नति में भरोसा करता है, सभी को अपना परिवार मानता है। आज देश के चार करोड़

से भी ज्यादा नागरिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लग चुका है। इतना ही नहीं, बजट में 132 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 2.34 लाख करोड़ रुपये का बजट इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है।

माननीय सभापति महोदय जी, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल, 2021 के अन्तर्गत मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उन 10 कैटेगरीज को, उन 56 प्रोफेशन्स को आज तक मेडिकल साइंस में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था। वे लोग स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देते थे। चाहे टेक्नीशियन हों, चाहे ओ.टी. में काम करने वाले हों या कोई और हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, ऐसे 56 प्रकार के प्रोफेशन्स हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। वे जब अपना काम करते थे तो उनको न तो अपने प्रोफेशन की पहचान मिलती थी न उनको योग्यता के अनुसार वेतन मिलता था, न उनको देश के अन्दर सेवा करने का अवसर मिलता था और न ही विदेशों में सेवा करने का अवसर मिलता था। आज पूरे देश के स्वास्थ्य के ढाँचे को मजबूत करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसके अंतर्गत ही नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स बिल, 2021 लाया जा रहा है।

इस बिल के अन्दर चार कंपोनेंट बताए गए हैं। इसमें एलाइड हेल्थ प्रोफेशन्स की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और उसकी डिग्री के लिए भी स्पष्ट निर्धारण किया गया है कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशन्स के लिए दो हजार घंटे की ट्रेनिंग होगी और प्रैक्टिकल ट्रैनिंग भी होगी। कम से कम दो से चार साल का कोर्स होगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी 3600 घंटे की ट्रेनिंग होगी और कम से कम तीन से छ: साल का कोर्स होगा।

सभापति महोदय जी, ऐसा ही नहीं, बहुत ही साइंटिफिक-वे में इसका निर्माण किया गया है, जिसमें चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे। पांच मैम्बर्स जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे, जो कि भारत सरकार के होंगे।

माननीय सभापति : मनोज जी, मंत्री जी के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए।

डॉ. मनोज राजोरिया : सर, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। इसमें भारत सरकार के बाकी मंत्रालयों को भी अपना योगदान देने के लिए जोड़ा गया है।

माननीय सभापति : मनोज जी, बड़ी चीज यह है कि विथ रिकॉग्निशन रिस्पांसिबिलिटी भी दी जा रही है। उनको रिकॉग्निशन मिल रही है, उसके साथ रिस्पांसिबिलिटी भी दी जा रही है।

डॉ. मनोज राजोरिया : माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको रिकॉग्नाइज्ड किया। एलाइड हेल्थ सर्विसेज के 56 प्रोफेशन्स को रिकॉग्नाइज्ड किया गया, सम्मान दिया गया। इनके भविष्य निर्माण का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारे सामने बैठे हुए कांग्रेसी लोग हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकारों को पूछा नहीं जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को इसमें पूर्ण सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया गया है। पूरे स्टेट्स की काउंसिल बनाई गई है। चाहे नए मैडिकल कॉलेज खोलने का काम हो, चाहे सीट बढ़ाने का काम हो या इंस्पेक्शन करने का काम हो, उनका काम भी यही इस बिल के माध्यम से नेशनल रजिस्टर और स्टेट रजिस्टर बनेगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बिल के माध्यम से इन सब प्रोफेशन्स को सम्मान देने का काम और आगे बढ़ाने का काम किया है।

माननीय सभापति : अभी चार-पांच ऑनरेबल मैम्बर्स बोलने के लिए रह गए हैं। इस चेयर से पहले भी बताया गया था कि Intelligent Members speak only for three minutes.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, this welcome piece of legislation covers a field that was, till date, left uncovered. As rightly observed by you, Sir, it gives respect, recognition and responsibility to key actors of health care system that were left out but last year, COVID-19 brought out the deficiencies of our health care system. The pandemic caught us napping and all of a sudden, we realised that not only were we lacking in work force but also that importance of some key actors of health care system that had gone unrecognised as unsung heroes.

I will not go into the details of the Bill. The hon. Minister deserves our congratulations for bringing such a comprehensive and elaborate Bill but my concern is this. Where is the work force that you proposed to regulate? Is that in place? What we know from ground is that most of the people in rural India depend upon public health care system. Most of the hospitals, at primary and secondary levels, are functioning without these allied and health care professionals who are proposed to be recognised in this Bill.

In Jammu and Kashmir, the first area of concern is, we spend 1.28 per cent of our GDP on health care. एक ऐसा विशाल मुल्क, जिसको अपनी जीडीपी का एक अच्छा हिस्सा हेल्थ केयर पर खर्च करना चाहिए था, उसमें सिर्फ ऐसे एक लेजिस्लेटिव प्रयास से काम नहीं चलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को तकरीबन हरेक जिले में ऐसा एक इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहिए जो इन एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन्ल के लिए हो। वहां से जो लोग निकलकर आएंगे, उनको रिक्रूट करने की व्यवस्था कहां पर है? जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है, नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी कहीं पर इन प्रोफेशनल्स, जिनके नाम

शिड्यूल में गिनाए गए हैं, चाहे वे रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट्स हों या डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट्स हों, वहां नामो-निशान नहीं हैं। सिर्फ एक रेगुलेशन बनाने से, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि आप अपनी कांस्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन्स को नहीं पहचान पाएंगे। जम्मू-कश्मीर एक कांफ्लिक्ट जोन रहा है, 30 साल से हम एक आर्म्ड कांफ्लिक्ट से जूझ रहे हैं। उससे हमारे जम्मू-कश्मीर में मेंटल हेल्थ इश्युज हुए हैं। मेंटल हेल्थ इश्युज को एक्नॉलेज करने के लिए और उन पर रिस्पांस करने के लिए उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे मेंटल हेल्थ केयर को और मजबूत बनाया जा सके। आज इस बिल में तीन कॉलेजेज की बात की गई है। एम्स की बात की गई है। कहां पर एम्स है? चार साल पहले सिर्फ एलान किया गया है। आज अवंतिपोरा का एम्स कहीं पर भी नहीं है। They are not able to take even baby steps in that direction. वह जम्मू में कहां पर अवेलेबल है? केवल एक घोषणा की गई है।

सर, यह कानून बहुत ही अच्छा है और इस अनकवर्ड सेक्टर को रेगुलेट करता है, लेकिन इसका तब तक कोई लाभ नहीं होगा, तब तक वह फोर्स इन प्लेस हो, जिसे आप रेगुलेट करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के तकरीबन हरेक जिले में सरकार की तरफ से एक कॉलेज खोला जाए, क्योंकि राइट टू गुड हेल्थ केयर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। इसलिए यह सरकार की कांस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद, मसूदी जी। कहा गया है कि 'Better' is the greatest enemy of 'good'. अगर कुछ बन रहा है, 'बेटर' करने के चक्कर में यह 'गुड' भी नहीं हो तो यह स्वीकार्य नहीं है।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि पूरे वर्ष जिस तरीके से कोविड की महामारी में आपने लैब से

लेकर, टेक्नीशियन से लेकर सब चीजों में पर्सनली सभी एमपीज के साथ कनेक्टेड रहकर, अगर कोई फोन आया तो उन्हें रिकॉल करके, उनसे प्राब्लम समझकर हरेक डिस्ट्रिक्ट में लैब्स की इम्पलीमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए। वह नॉर्म्स में आ रहा है या नहीं, कोविड में किस तरीके से लोगों की जान बचानी है, उस तरीके से आपने मदद की। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। This is my personal experience with you. जब शुरुआत में किसी को अनुभव नहीं था कि क्या होगा, कोविड में क्या करना चाहिए और कैसे करेंगे, तब आपने सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। In this regard, many other professionals belonging to more than 50 allied and healthcare professions continue to remain unregulated in the health system. जो कई सालों से डिमाण्ड कर रहे थे, हर जगह जाकर अपनी बात कह रहे थे, कांफ्रेंसेज कर रहे थे कि हमें भी रेगुलेट किया जाए, उससे आने वाले भविष्य में हमें भी कहीं न कहीं उसका महत्व मिलेगा। उसके लिए आप आज यहां यह बिल लेकर आए हैं। These broadly include professional categories such as Physiotherapy, Occupational Therapy, Ophthalmic Sciences, Nutrition Sciences, Medical Laboratory and Life Sciences, Medical Radiology, Imaging and Therapeutic Technology, Medical Technologists and Physician Associates, Trauma, Burn Care and Surgical/Anaesthesia related Technology, Community Care and Behavioural Health Sciences and Health Information Management and Health Informatics. There has been a persistent demand for a regulatory framework for such professions for several decades. The para-medical professionals as well as other technologists and therapists have finally been accorded their due recognition and are presently being termed as ‘Allied and Healthcare Professionals’. Based on the

International Labour Organisation's International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), a detailed mapping has been undertaken to identify such professions.

आपने इनकी इतने अच्छे तरीके से मदद करने की कोशिश की है। यह बहुत सालों से पेंडिंग था। सर, आप खुद एक डॉक्टर है तो यह प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारे महाराष्ट्र में 4,00,0 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसीज वेकेंट है। एक पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आज भी हेल्थ सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं। आने वाले समय में हम मेडिकल को किस तरीके से और बढ़ावा दे सकें, जिससे जिन लोगों को इसकी जरूरत है, उन लोगों तक इसकी फैसिलिटी पहुंच पाए।

सर, आज मेडिकल स्टूडेंट्स देश से बाहर चाइना, रशिया जाकर अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए उतना लेवल और उतना अमाउंट होगा तो सभी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ पाएंगे। बच्चे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वह पढ़ नहीं सकते हैं। …(व्यवधान) किसी ने कहा है कि इसे और बैटर करना चाहिए और हमारे सर ने कहा कि they are regulated. उनके ऊपर जवाबदेही भी निश्चित कर रहे हैं कि आपकी यह जवाबदेही बनती है। अभी किसी कुलीग ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ घोषणा की है कि for the Government medical colleges in every District.

मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूं। उनकी इतनी अच्छी भावना है कि वह चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों के लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जब मैं अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की बात को लेकर गई थी तो उन्होंने उसके लिए कहा था कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में भी होगा और संभावित देश के हर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज

बनाने का प्रधान मंत्री जी का सपना है। मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर जी को दिल से धन्यवाद करती हूं और हमारे प्रधान मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : हनुमान बेनीवाल जी, आप अपनी बात एक मिनट में कह सकते हैं, लेकिन हम आपको और दो मिनट दे रहे हैं तो इस तरह से आपको तीन मिनट दे रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सर, आप बैठे हैं तो ऐसा लगा कि आज दो-तीन मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सदन में आज राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृति आयोग विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से पक्ष-विपक्ष के सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है। यह एक अच्छा विधेयक है। यह विधेयक इस क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने के उद्देश्य से लाया गया है, ऐसा मंत्री महोदय ने बताया है। चिकित्सकों, नर्सों, दंत चिकित्सकों और फार्मासिस्टों पर निगरानी के लिए संबंधित नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवरों के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा राज्य सभा में मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों और नर्सों के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। निश्चित रूप से यह विधेयक, उन्हें श्रद्धांजलि होगा। निश्चित तौर पर कोरोना की संकट की घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्थाओं सहित अन्य तमाम उन विभागों के कार्मिक व अधिकारी, जिन्होने जन सेवा के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, उन्हें मैं अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

कोरोना का कहर देश में वापस बरपने लग गया है। सरकार को इसके बचाव के लिए प्रयासों में और तेजी लानी होगी। इस विधेयक पर प्रकाश डालें तो इसमें 56 व्यवसायों को कवर किया जाएगा, जिन्हें 10 प्रोफेशनल श्रेणियों के तहत युक्तिसंगत तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उस देश के सेहतमंद नागरिकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के विकास की कुंजी उस देश के स्वस्थ नागरिक हैं। सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारे देश का नाम आने लगा, परन्तु जब बात स्वास्थ्य सेवाओं की आती है तो हमारी स्थिति काफी दयनीय साबित होती है। यह बिल अच्छा है, मगर मैं कुछ बिंदुओं पर मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि देश के राज्यों में इसको लागू करने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहेंगे और राज्यों में इसका क्या मॉडल रहेगा?

सरकार ने कहा है कि इस विधेयक में फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डायटीशियन, चिकित्सा प्रयोगशाला, जीवन वैज्ञानिक पेशेवर, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग प्रोफेशनल्स, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक स्वास्थ्य पेशेवर, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन पेशेवर शामिल हैं। मंत्री जी, इस बिल को लाकर आप अच्छा कदम उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा यह बिल है, इसलिए मैं आपका कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। एक तरफ हम कानून बनाकर, देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांवों- ढाणियों मे बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार देश मे एक हजार की जनसंख्या पर एक डॉक्टर की उपलब्धता का जो मानक है, उससे हम आज भी दूर है। आप इस पर विचार करें।

महोदय, आज हम इस विधेयक के माध्मम से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख पेशेवरों के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। मगर मैं आपसे यह मांग करूंगा की राज्यों में नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल सहित चिकित्सा से जुड़े वे तमाम आयोग व संस्थाएं, जो ऐसे पेशेवरों का रजिस्ट्रेशन करती हैं, ऐसी संस्थाओ में भारत सरकार ने जो मानक तय कर रखे हैं, उसी योग्यता का व्यक्ति वहां का रजिस्ट्रार, अध्यक्ष नियुक्त हो। आप इसकी राजस्थान सहित राज्यवार समीक्षा करें।

मेरा एक सुझाव है कि आपने इस विधेयक में बताया है कि इस कानून का जो उल्लंघन करेगा, उसे 50 हजार रुपये से दंडित किया जाएगा। आप इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान लाइए, ताकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ न हो। हम 'आयुष्मान भारत योजना', हेल्थ बीमा सहित कई मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात करते हैं। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता की है। मैं मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि प्राइवेट अस्पतालों में जिस प्रकार मनमाफिक रूप से राशि ली जाती है, उस पर नियंत्रण के लिए कठोर प्रावधान बनाने की जरूरत है

क्योंकि भारत में आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अभी भी काफी विषमताएं हैं। निजी अस्पतालों की वजह से संपन्न लोगों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाती है, किन्तु गरीब एवं निर्धन लोगों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कड़ी में राज्यों में स्वीकृत नए मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र ने राशि दे दी है। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में केन्द्र की राशि चली गई, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उसे चालू नहीं किया है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किया जाए। आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, वहां नर्सिंग कॉलेज भी होना जरूरी है। हालांकि यह राज्य का विषय है, फिर भी आप ऐसा एक प्रावधान बनाएं। नर्सिंग कॉलेज होने से मेडिकल कॉलेज का संचालन बेहतर रूप से हो सकेगा।

आखिरी में मेरा सुझाव है कि जिला स्तर के सार्वजनिक अस्पतालों को सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित करना जरूरी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने नजदीकी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के लिए सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसके लिए प्रथम दृष्टि से जिला अस्पतालों में न्यूरो रोग व हृदय रोग आदि सुपर स्पेशिएलिटी श्रेणी के चिकित्सकों के पद सृजित करने एवं वहां ऐसे चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए, इसके लिए आप राज्यों को निर्देश जारी करें। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में सीजीएचएस डिसपेंसरी स्वीकृत की जाए।

अंत में, मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि एम्स का बहुत बड़ा नाम है और आप जगह-जगह एम्स खोल भी रहे हैं। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास का एम्स है, लेकिन आप जो जोधपुर में एम्स लेकर आए हैं, वहां आपने उस एम्स में दो-तीन हजार लोगों की जातीय आधार पर ऐसी नियुक्तियां कर दी हैं। आपने जोधपुर के एम्स को बकरा मंडी बना दिया है। वहां कैसे काम चलेगा?

मंत्री जी, आप जोधपुर की एम्स की जांच कराइए। मैं फिर लिख कर यह दे रहा हूं। मैं यह मामला पांच बार उठा चुका हूं। आप चाहते हैं कि मैं जोधपुर एम्स के लिए एक लाख आदमी लेकर सड़क पर बैठूं, आप ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें। जोधपुर एम्स में जो भ्रष्टाचार हुआ है…(व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, this Bill is most welcome. Various committees and commissions have been stipulated in this Bill - the National Commission for Allied and Healthcare Professions, Professional Council and the State councils. The functions of this Commission are very important. A prior permission from the State Council will be required for the establishment of an institution. This Commission should give that prior permission. A permission is also required to establish a new institution. They are also having the powers to sanction new courses. They can also increase the admission capacity and admit new batch of students in the existing institutions. If such permission is not sought, then, even the cancellation of the admission of that student will take place. This much of powers are being vested in them. Of course, powers are good for the regulatory bodies provided they are used in a proper manner. Unfortunately, Sir, some steps taken by other regulatory bodies create some apprehension. There is no transparency in sanctioning the institutions. Bulk cancellations are also taking place. No criterion is adopted in the cancellation. Take for instance the school sanctioning. All these things are taking place on the basis of political considerations.

What are we missing, Sir? WHO once called to return to Alma-Ata Declaration. The Alma-Ata Declaration of 1978 emerged as a major milestone of the twentieth century in the field of public health. The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the highest possible level of health is the most important world-wide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector. Of course, Sir, that still seems to be a guideline for the entire health sector. I feel, we have to discuss many things but due to paucity of time, I do not want to take much of the time. The discrimination is a big problem in the health sector. There is regional, tribal and caste kind of discrimination. A lot of inequalities are prevailing in this sector. We are talking about universal healthcare system but until and unless we strengthen our primary health centres, we will not be able to attain that goal.

Sir, I would like to say one thing. The introduction of NEET, that is, National Eligibility Cum Entrance Test, was a revolutionary decision taken by the Government. I even accorded that. There was a lot of exploitation and commercialization taking place in the admission of medical students. So, introduction of NEET was a very strong and a revolutionary step to address those issues. I once again congratulate you for that. I would request you to continue with it. There should not be any kind of exploitation or commercialization in the Health

Sector. These kinds of good things need to be welcomed. With these few words, I conclude.

Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON : There are some more hon. Members to speak on the Bill but it is actually difficult to accommodate any more Members because the hon. Minister has to attend a very important meeting at 3 o'clock. इसलिए मैं मंत्री जी को बुलाता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): मैं सबसे पहले हृदय की गहराईयों से सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने आज की इस डिबेट में भाग लिया और अपने बहुमूल्य वक्तव्य इस सदन के माध्यम से देशवासियों के सामने रखे हैं, श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर जी, डॉ. सुभाष रामराव भामरे जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती जी, डॉ. आलोक कुमार सुमन जी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी, श्री रितेश पाण्डेय जी, श्री बी. बी. पाटील जी, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. जी, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, डॉ. मनोज राजोरिया जी, श्री हसनैन मसूदी जी, श्रीमती नवनित रवि राणा जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

आप सबने मोटे तौर पर एक स्पीकर को छोड़कर सभी ने हृदय की गहराईयों से इस बिल और देश के अलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स का अभिनंदन किया है। आपने उन सबके लिए अपने हृदय की गहराइयों से भावना व्यक्त की है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत संतोष का अवसर है। मैंने जब इस बिल का इतिहास समझने की कोशिश की तो, ध्यान में आया कि भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ और

वर्ष 1948 से कमेटी के माध्यम से हेल्थ केयर डिलिवरी सिस्टम की ये अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स बैकबोन हैं। इनके संदर्भ में, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में, इन्हें रेगुलेट करने के बारे में, इनके प्रति उस जमाने से चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बहुत सारी कमेटियों का भी उल्लेख किया था, जिन्होंने समय-समय पर अपने वक्तव्य दिए थे। इतने लंबे समय तक, एक डॉक्टर के नाते और मेडिकल कॉलेज में घुसने से लेकर आज तक यह मेरा पांचवा दशक है। मेडिकल प्रोफेशन के साथ हर स्तर पर जुड़े रहने का मौका मिला है। मुझे एक कंसल्टेंट टीएनटी सर्जन के रूप में क्लीनिक से लेकर, ऑपरेशन थियेटर तक, अस्पताल तक, मिनिस्टर के रूप में सरकारी अस्पताल में और गांव में दूर-दराज के इलाकों में सब जगह पर, विशेष रूप से अभी पिछले एक वर्ष में बहुत नजदीक से इन अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखने और समझने का मौका मिला है। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि बाकी सब चीजें तो हैं ही, लेकिन इन्हें डिग्निटी देने का जो प्रश्न है, वह शायद इस बिल के माध्यम से इनकी डिग्निटी जो ऑलरेडी इंहेरेंट थी, उसे परशेप्सन में भी रिस्टोर करने और जगजाहिर करने की और उनकी लांग ड्यू रिस्पेक्ट जो शायद जाने-अनजाने में डिनाइड थी, उसे दोबारा से पुनर्स्थापित करने का इस बिल का प्रयास था।

हम सबने भी देखा है और आप सबने भी यह कहा कि पूरे कोविड के दौरान इन लोगों का हर स्तर पर किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन जब भी कोविड वॉरियर्स की बात होती थी, तो सब लोगों के मुँह से डॉक्टर्स, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सैनिटेशन स्टाफ्स या सिक्युरिटी स्टाफ्स आदि जैसे शब्द ही निकलते थे। स्वयं आप लोगों ने कहा कि किस प्रकार से, चाहे टेस्टिंग, रेस्पिरेटरी एसेसमेंट, सी.टी. स्कैन कराने आदि का विषय हो, हर चीज में हमने देखा कि हमारे एलाइड और हेल्थ केयर वर्कर्स ने किस प्रकार से इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इस नाते, मैंने कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही संतोष का विषय है और उससे भी ज्यादा संतोष का विषय यह है कि इसके

ऊपर आप सभी की जो भावनाएं हैं, उनको आपने बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यक्त किया है। शायद आज लाखों की तादाद में देश के हेल्थ केयर क्षेत्र के एलाइड वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनके लिए आज यह बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा।

जिस दिन यह बिल राज्य सभा में पास हुआ था, उस दिन बहुत-से लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करके, मुझे और हमारी सरकार के लोगों को इसके बारे में सूचित किया। मैं गहराई से यह अनुभव कर सकता हूँ कि वास्तव में अपने आप में, जैसा कि आप सबने भी कहा है, यह एक लैंडमार्क बिल है। जैसा कि मैंने कहा और आप सबने भी एंडोर्स किया, इसके कारण बहुत बड़ा चेंज हेल्थ केयर डिलिवरी सिस्टम के अन्दर आने वाला है।…(व्यवधान) पैराडाइम शिफ्ट आपने भी कहा और मैंने भी कहा। मेरा यह कहना है, चूंकि लगभग सभी लोगों ने पॉजिटिव बातें कही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप सबने जो कुछ कहा, उसको अगर मैं थोड़ा-सा एक्नॉलेज कर दूँ, आपने कुछ-कुछ सजेशंस और कंसर्न्स भी व्यक्त किए हैं, सदन में सबसे पहले यह बात श्री सुरेश जी से शुरू हुई थी, इसलिए सबसे पहले I would like to thank you for supporting the Bill and recognising the value of the allied and healthcare workers, especially, in COVID crisis. You have said very rightly that there are lakhs of such workers, and this Bill, you said, will ensure registration of all these professionals. You had mentioned about the doctor-population ratio. Just for the information of everyone, there are around 10.65 lakh allopathic doctors and more than five lakh AYUSH doctors in the country, which gives us a combined doctor to population ratio of around 1:854. I think this is for everybody's information and knowledge. We have this wrong conception in our minds that our doctor-population ratio is not as per what the WHO expects. I think when we combine the total strength of qualified doctors in this country, it comes to

1:854. Then, we acknowledged lack of such professionals in adequate numbers, and, precisely to overcome this, we have brought the Bill which will improve employment opportunities for them by creating uniform standards.

You have mentioned about the penalty also, saying that it is probably not adequate. We strongly feel that the penalty prescribed seems to be adequate since the purpose is to streamline and reform the sector and bring in appropriate regulation.

Then, Subhash Bhamre Ji has also given a very detailed description about the Bill. I think he has, in fact, helped me by explaining the various components of the Bill in great detail.

So, I am grateful that you have appreciated the fact that the focus of Modi Ji's Government on health sector has been tremendous. You have also highlighted the historic reforms made in medical education in the last six years whereby you have stressed and reminded all of us that the number of PG seats have increased by 79 per cent, UG seats have increased by 48 per cent and the number of medical colleges have increased by 45 per cent. The most important reform, as you said, was however the abolition of the Medical Council of India and replacing it by a transparent, reformed, accountable and capable regulatory body, that is, the National Medical Commission. On those lines only, we are now creating this

regulatory structure for more than 50 allied and healthcare professionals. You have also named some of them.

Dr. Bhamre, as a doctor, you have brilliantly outlined the real worth of allied professionals such as dieticians, physiotherapists, etc. You have rightly indicated that this Bill will be critical for making the healthcare delivery system multidisciplinary in true sense with patient at the centre of care. This is in tune with the best health practices globally as well as those acknowledged by experts and expert bodies. Then, the standardization will also improve the distribution of such professionals across the country, especially in rural and peripheral areas, as was the concern raised by other hon. Members also.

Shri Bhartruhari Mahtab, who is right now chairing the Lok Sabha, has very rightly recognized that the Bill affects a paradigm shift for healthcare becoming patient-centric. I think that is a very, very important recognition of the Bill coming from a person like you. Those who work with doctors will get the due recognition in the new system. Actual care of the patient, as mentioned by you, is rightly being taken not only by a doctor but by the entire team comprising nursing, allied and healthcare professionals. You have underlined this aspect very rightly.

I am very happy to acknowledge and appreciate your consistent concern, about which you have once again drawn the attention of this House, for trained personnel for Dementia and Alzheimer's disease. You have also brought a Private

Member's Bill on this issue. I would like to bring it to your attention that the Bill recognizes many such allied healthcare professionals like neuroscience technologists, psychologists, social workers and palliative care people and all. This is about the concern that you raised.

Then, you have also raised concern about the representation of the States. Besides the representation of 12 members from the State Councils, there is a provision for National Advisory Council in the Bill, where there will be a representation from each State. Then, you have raised your voice about accreditation of institutions. I have to say that although it will be a huge task, we have never shied away from hard work to bring reforms in the interest of health. The State Council will carry out accreditation as per the standards which will be laid down.

You have also drawn the attention of the House towards employment opportunities that are likely to be generated. There are a number of institutions of repute, as suggested, like All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in New Delhi, Sree Chitra Tirunal in Kerala, the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences (NIMHANS), etc. which are there. Opportunities are immense at all levels of care whether it is primary, secondary or tertiary, in the whole set of things.

You have also mentioned about the demand versus supply and also about the skill upgradation issues. We are aware that supply will not be less than the demand. Professionals are there but through this Bill their standards and skills will be enhanced and they will certainly increase the employment opportunities for them.

Sir, you have also mentioned about a separate council for physiotherapy. If you see the Schedule of the Bill, a separate category of physiotherapy professionals is there. However, the Parliamentary Standing Committee concurred that it may be appropriate to have a common regulatory body for more than 50 allied healthcare professionals. It will neither be feasible nor desirable to have a separate regulatory body for each such profession.

Then, dear Dr. Satyavathi, we thank you for the excellent work undertaken during COVID-19 through the village volunteer network. You have correctly stated that this is the right time to prepare for the future and strengthen the healthcare system. I thank you once again for your support for this important regulatory reform to help us ensure affordable, accessible and quality healthcare services to all of India's citizens.

Then, there was a concern raised about the tenure of the Commission. Some of the Members had raised this issue. In this regard, I would like to clarify that as per clause 4(1) of the Bill, the tenure of the Chairperson and the Vice-

Chairperson shall be two years. However, they shall be eligible for renomination for a minimum period of two terms, that is, they can remain there for six years in three terms of two-year each, if renominated. This is a new system that we are creating. So, straightaway starting with a 4-year tenure may be a little longer period. This issue was deliberated quite in detail. That is why, this mechanism has been kept.

There was also one more suggestion about the creation of permanent bodies for various professions. I would like to clarify here that this has already been provided for in the Bill. Clause 10 of the Bill provides for such professional councils. This provision is in tune with the recommendation of the Parliamentary Standing Committee. In the earlier Bill introduced in 2018, there were no such councils. However, in the Bill now before this House, it has been provided that there will be ten professional councils, representing each profession within that category. These councils will bring in the voice of actual professionals in the Commission. Each professional council will have a President and members ranging between 4 and 24. The President and one member of each professional council will also be a member of the National Commission. That is how we take care of this issue.

Dr. Alok Kumar Sumanji from Bihar, we thank you for your important comments regarding this Bill. As you have rightly stated, it is indeed expected that there shall be a large global shortfall in the health workforce by 2030. It is also well

acknowledged that in order to fulfil the promise of Sustainable Development Goals, the role at all levels of health workers is equally important. Through the establishment of this National Commission for Allied and Healthcare Professions, it is our earnest endeavour to address all of the above points and complete the unfulfilled block of the puzzle in the health system, that is, the recognition of allied and healthcare professionals.

Then, Ritesh Pandeyji – I think he is not here – had mentioned his apprehension about the State Councils and possible corruption.

HON. CHAIRPERSON: I may suggest that you can reply to the points raised by the Members who are present.

DR. HARSH VARDHAN: Okay, Sir.

Ritesh Pandeyji is not here, but he had raised some concerns. Dr. Faizal is also not here.

Shrimati Anupriya Patelji herself is a former Health Minister. You have captured the essence of the Bill, its key features and the advantages that would accrue from this Bill, very nicely.

Please have no doubt about the sanctity and integrity of the proposed Commission. Our Government has made a paradigm shift from elected regulator to selected regulator, where regulators who are of unquestionable integrity and

who are of high status are to be selected by a high-level Search-cum-Selection Committee. That is one thing. The Bill also has provisions for holding Commission accountable, and for abuse of position, the Chairperson can even be removed from office. This is regarding your first concern that you had mentioned.

Regarding your another concern about the big players taking over and big categories may not overpower the others, I would like to highlight that the Bill provides for equal treatment to all the professional categories. These categories are formed by clubbing similar professions together; as you know, 56 professions have been put in ten categories. Section 10 of the Bill provides that the President of each professional council is to be rotated biennially amongst all the professions. It is also provided that before decision pertaining to any profession is taken, that profession's representative will be heard by the National Commission. That is how we tried to address the issue.

Now, I come to the concerns of Dr. Pritam Munde. Thank you, Dr. Pritam for acknowledging the role of technicians and the technologists, who have been unrecognized and mainly sidelined until now. This is precisely the injustice that this Government wanted to bridge and has totally succeeded through this Bill. You have rightly stated that job creation is an important need of the moment, not simply graduating students from colleges without providing them with the right skills and the right opportunities. In following the footsteps of the Prime Minister, this Bill is our endeavour to honour the selfless service and dedication of our health workers.

In this case, there is a large group of allied and healthcare professionals, whose time for limelight has finally arrived.

I think, Dr. Shrikant Shinde is not here. Shri Masoodi is also not here. He had mentioned about AIIMS. He said that there is no AIIMS in Jammu. We have already appointed even the Director of that AIIMS. Everything is in process. It is not that there is nothing around there.

Thank you, Hanuman Beniwal Ji. You have always supported and you always keep raising your concerns about rural areas specific to Jodhpur, AIIMS, and all. You have requested that there should be more penal provisions rather than Rs. 50,000 and all. We feel that right now we have provided adequate penal provisions. As I had said earlier, our issue is not to only punish but to use it like a reform and simultaneously take help of the punishment clause also. Further, an elaborate institutional structure has been provided that will ensure smooth implementation of the provisions of the Bill.

Shri Basheer, thank you for supporting the Bill and also highlighting the reforms in the medical education. We are really grateful to you. Our colleague, Navneet Rana Ji is a very vocal and dynamic Member of this House. Thank you for your enthusiastic support for this reform. You are well aware of the 24x7 round the clock efforts of the health departments across the country in the last one year, in particular of technicians, technologists, and therapists, alongside the doctors

and nurses, in the fight against COVID-19. I think, you yourself suffered from COVID-19. You have seen their contribution and have first-hand experience of that. This Bill is our contribution towards strengthening the health system by ensuring standards of care in a structured and regulated manner for all health professionals if they are involved in patient care.

15.00 hrs

The gap in the system that has left out a major group of health workers without recognition is finally being addressed. As hon. Prime Minister envisions the dream of healthcare for all through the establishment of a robust health infrastructure for medical education, nursing, dental, pharmacists, and now allied and healthcare education as well, I am certain that this will provide the governance and organisational backbone to really take care of the vision of our hon. Prime Minister.

So, these are broadly the comments that I thought I will make about the inputs that we got from our hon. Members. It is a great satisfying day for me. I have no words in my vocabulary to actually express my gratitude to all of you. More than me, I think, millions of healthcare workers and allied professionals in this country must be feeling the same way as all the Members feel now.

Finally, I would like to thank Prime Minister, Shri Narendra Modi ji because we work under his guidance and we try to implement his vision. We have seen

over the last six or seven years that he has huge passion for health sector. He has been supporting the health sector right from the beginning. He has given inspiration to bring about the latest and the best possible reforms in all sectors of health, including medical education, etc. In the recent Budget also, you have seen many initiatives have been taken. I am sure many more things will come in the next five years under Aatmanirbhar Bharat, Swasth Bharat Programmes, etc. So, there is a very robust plan for ensuring that we are future-ready also to face any unfortunate pandemic situation like this that may ultimately arrive at any time in future.

So, once again thanks to all of you. I think we are all waiting for that historic moment in India's history which started in 1948. I would like to say that when you will pass this Bill in this House, that will be history for India, especially for the healthcare professionals. Thank you.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर**,** इसी के कंसर्न में मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ मेघवाल साहब बैठे हैं। कल मुझे इस बिल पर अमेंडमेंट देनी थी**,** मुझे बोला गया कि सुबह **10** बजे से पहले दे दीजिए। मैंने इस पर बिल पर अपनी अमेंडमेंट सुबह **10** बजे से पहले दे दी। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि आपको यह अमेंडमेंट कल **3:30** बजे से पहले देनी चाहिए थी।

सर**,** बिल रात को आएगा तो **3:30** बजे मैं अमेंडमेंट कैसे दे दूँगा। मुझे कब पता चलेगा कि कौन सा बिल आ रहा है**?** सर**,** कृपया इस संबंध में थोड़ी सी व्यवस्था कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, बिल तो सर्कुलेट हो गया था।

माननीय सभापति: ये व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, बिल तो पहले ही सर्कुलेट हो गया था। बिल तो दो-तीन दिनों से लगा हुआ है।

सर, आप बिल पास कराइए।

HON. CHAIRPERSON: I will give the ruling. As the hon. Minister of State for Parliamentary Affairs has very rightly stated, notice of an amendment to a Motion shall be given one day before the day on which the Motion is to be considered unless the Speaker allows the amendment to be moved without such a notice.

जब बिल इंट्रोड्यूज होता है और यह बिल तो राज्य सभा में पारित होकर यहाँ आया है, इस हिसाब से आपको पहले से ही नोटिस दे देने की आवश्यकता थी। यह व्यवस्था है। इसलिए आप हाउस में किसी की बातों पर मत जाइए। आप रूल्स पर जाइए। रूल यह है कि अगर बिल आज लिस्टेड नहीं है, कभी बाद में होगा तो उस हिसाब से आप पहले से ही अपना नोटिस दे दीजिए, जो आपको अमेंडमेंट देनी है। फिर भी मैं यह भी निवेदन करूँगा कि अगर कुछ शंकाएं हैं, तो आप मंत्री जी से भी बात कर लीजिएगा।

The question is:

"That the Bill to provide for regulation and maintenance of standards of education and services by allied and healthcare professionals, assessment of institutions, maintenance of a Central Register and

State Register and creation of a system to improve access, research and development and adoption of latest scientific advancement and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That Clauses 2 to 70, stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 70 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the Bill be passed.

DR. HARSH VARDHAN: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted

______

HON. CHAIRPERSON: Item No. 19 – Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021.

15.07 hrs

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) AMENDMENT BILL, 2021

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 be taken into consideration."

महोदय, एक मानवीय संकल्प के साथ मैं आपके माध्यम से सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जेजे एक्ट के इस अमेंडमेंट की परिचर्चा में आज सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2015 में यही संसद गवाह रही है कि जब बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से संसद ने जेजे एक्ट के अमेंडमेंट में कुछ रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया। चाहे वह ऑर्फन्ड, अबैन्डन्ड और सरेंडर्ड बच्चों की परिभाषा हो, चाहे वह अडॉप्शन को लेकर कुछ नए निर्णय हों, चाहे वह हीनियस ऑफेंसेज़ की कैटेगरी या पैटी और सीरियस ऑफेंसेज़ की कैटेगरी को सम्मिलित करने का प्रयास हो या फिर संसद की ओर से पारित लेजिस्लेटिव लक्ष्य के आधार पर देश भर में यह मेनडेट किया जाए कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन्स हैं, अब वे कानून के तहत अपने आपको रजिस्टर कराएं।

15.08 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहती हूं कि संसद के उस प्रयास को फलीभूत करने के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देश के सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर बाल संरक्षण की दृष्टि से न सिर्फ एक्ट और रूल्स को मोडिफाई किया, बल्कि साथ ही बार-बार संसद में इस विषय पर चर्चा होना कि should passage of legislation suffice? Should we also not endure and ensure that implementation of law is equally successful? उसी संकल्प के साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मंत्रालय द्वारा दिए गए क्वेश्चनेयर के माध्यम से देश भर के 7 हजार से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का मुआयना किया, ऑडिट किया। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि देश में लगभग 90 प्रतिशत चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एनजीओज़ द्वारा चलाए जाते हैं। इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में वे बच्चे रखे जाते हैं, जो कानून का संरक्षण मांगते हैं। वे बच्चे भी आश्रय पाते हैं और हमारी यह अपेक्षा होती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स विद लॉ वाले बच्चे हैं, उनको भी रेस्टीट्यूशन, रीहैबिलिटेशन की दृष्टि से भी एक वातावरण प्राप्त हो।

चाहे वह बच्चा ऑर्फन हो, चाहे वह बच्चा चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू किया गया हो, ऐसे सभी बच्चों के संरक्षण के संकल्प के साथ भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की तरफ बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से देखती हैं। उस ऑडिट में कुछ गम्भीर चीजें पायी गयीं। 29 प्रतिशत ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर ही नहीं थे। कानून का अनुपालन उन्हें स्वीकार ही नहीं था। यह जानते हुए कि संसद ने ऐसा कानून पारित किया है। भारत की सरकार और प्रदेश की सरकारें इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब भी वर्ष 2015 के पैसेज के बाद भी संस्थाओं ने अपने आपको रजिस्टर नहीं किया। इस ऑडिट में पाया गया कि देश भर में ऐसे कई राज्य हैं, जहां 20 परसेंट से कम मात्रा में लड़कियों के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। इन सात

हजार संस्थाओं में, 26 परसेंट संस्थाओं में तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ही नहीं था। एक चौथाई में बच्चों के नहाने के लिए एरिया, बाथिंग एरिया ही नहीं था। 3/5th had no toilets for these children; 1/10th had no provision for drinking water; we had 15 per cent Child Care Homes, which had absolutely no provision for a separate bed for a child; and 1/10th did not even want to adhere to a diet plan for a child who had been rescued and who needed help. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संदर्भ में राष्ट्र भर में बहुत चर्चा रही है। एक चौथाई ने तो यह कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कभी भी हमारा इंसपैक्शन ही नहीं किया।

महोदय, कई बार जिले में बच्चों के शोषण की गम्भीर रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क होकर एक्शन लेता है। आज जो अमेंडमेंट मैं भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत कर रही हूं, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत हमारा ध्येय यह है: “We do not wait for a child to become a victim.” हम सतर्क हों ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से हम अपने बच्चों का संरक्षण कर सकें, चाहे वह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, चाहे वह चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, कहीं न कहीं एक सुपरविजन की जरूरत है। इसीलिए बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण को केन्द्र बिंदु बनाते हुए जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस अमेंडमेंट के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास है।

महोदय, जब बच्चा सिस्टम में कहीं छूट जाता है तो उसकी हालत क्या होती है? मैं मात्र दो केस आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी और फिर सभी सांसदों से आग्रह करूंगी कि वे अपने सुझाव, वक्तव्य अथवा अपनी चिंताओं को व्यक्त करें। एक केस एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्वराज भवन, प्रयागराज के पास आया। चार साल की बच्ची का बलात्कार होता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कर्तव्य था कि न सिर्फ बच्ची को रीहेब्लिटेट किया जाए, बल्कि अगर बच्ची अडॉप्शन के लिए फ्री है तो उसको प्रस्तुत किया जाए। उस बच्ची को वहीं छोड़ा जाता है। वह 12 साल की होती है तब प्रशासन में किसी के ध्यान में आता है कि एक भवन में चार की उम्र में लायी गयी

वह बच्ची 12 साल की उम्र तक अपने प्रति इंसाफ होने का इंतजार कर रही थी। यह विषय भी तब उठता है जब कोई नागरिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को इससे अवगत कराता है कि यहां पर इस भवन में एक बच्ची है, इसको मदद की दरकार है।

कई लोग कहते हैं कि कम्प्लेंट बॉक्स तो है ही, जाकर कम्प्लेंट बॉक्स में क्यों नहीं बता दिया जाता कि इस संस्थान में क्या गतिविधि चल रही है। एक बॉयज़ चिल्ड्रेन होम भागलपुर में था। इसे चलाने वाला संस्थान था – रूपम प्रगति समाज समिति। उस पूरे होम में एक ही स्टाफ मेम्बर ऐसा था, जिसे पता था कि उस होम में किस प्रकार से बच्चों का शोषण होता है। मैनेजमेंट कमेटी खुलासा नहीं चाहती थी। आप उस होम में बच्चों का दर्द समझिए। वे उस भावना के साथ कि कोई कम्प्लेंट बॉक्स से हमारे इन पत्रों को पढ़ेगा, हर दिन कोई बच्चा जाकर उस कम्प्लेंट बॉक्स में अपने दर्द को, अपने आक्रोश को या अपनी इच्छा को कि 'Rescue us', इसे वह उस बॉक्स में डालता है, लेकिन उस बॉक्स के ताले की चाबी मैनेजमेंट अपने पास रखता है। अगर कोई स्टाफ मेम्बर कुछ बोलता है तो उस मेम्बर को हटा दिया जाता है। वहां पर भी जब जिला प्रशासन के पास यह समाचार आया और जब वह बॉक्स तोड़ा गया, खोला गया तो वह खचाखच भरा था, with cries for help for children who wanted to be rescued from a rescue home. इसलिए आज यह अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं।

महोदय, भारत सरकार के बारे में जब रिफॉर्म्स की चर्चा होती है, तब इस सदन में फाइनैंशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग कई बार चर्चाएं सुनते हैं। Children do not vote; for them, they feel that sometimes they do not count. पर, आज का जो रिफॉर्म है, वह एक मानवीय संकल्प है, न सिर्फ इस सरकार का, बल्कि इस सदन का भी। Politics can possibly divide us, enrage us, make us debate and deliberate but for us, what is sacrosanct is the protection of our children.

महोदय, इसमें अमेंडमेंट्स की दृष्टि से, एडॉप्शंस के संदर्भ में भी, जिला मजिस्ट्रेट के पास हम पूर्ण रूप से पॉवर्स दे रहे हैं। वर्ष 2015 में एडॉप्शन की दृष्टि से एक निर्णय लिया गया कि कोर्ट्स को तवज्जो दी जाए। लेकिन, यह भी कहना सही होगा कि आज की तारीख में, मार्च, 2021 में देश में 900 ऐसे केसेज हैं, जो वर्षों से लम्बित हैं क्योंकि उन्हें समय पर एडॉप्शन प्रोसेसेज कम्प्लीट करने में, our courts are so burdened that they are not getting the help that they constitutionally deserve to adopt these children who need protection and care.

महोदय, इस अमेंडमेंट में हम एक 'लाइन ऑफ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिब्लिटी' ड्रॉ कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाज़ी ज्युडिशियल बॉडी है, लेकिन उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सिटिंग्स कितनी बार होगी? अगर आप उसकी सिटिंग्स में न आए तो क्या आपकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई रिपोर्टाज नहीं बनती है? अगर आप उस कमेटी के मेम्बरान बनते हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर कोई विशेष प्रावधान है? Our intentions are to define those qualifications for the child welfare committee so that it becomes a distinct privilege to serve our children through those committees.

महोदय, कानून में यह भी उपलब्ध है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इंस्पेक्शन करना है, डी.एम. के सामने इंस्पेक्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन कई किस्सों में, कई स्टेट्स से यह ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं डी.एम. के कामकाज में रिपोर्टाज की दृष्टि से वे बिन्दु कई बार छूट जाते हैं। अब डी.एम. की प्रायॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट में देश के बच्चे भी आएंगे। देश के हमारे 70 सालों के इतिहास में पहली बार, we are prioritising our children in administration, hon. Chairperson. That is why I seek the support and blessings of this august House.

Today, I am grateful. I know that in the Parliamentary proceedings and, for that matter, in the Bills that needed to pass in this august House, there are many such issues that took priority. I am grateful to the hon. Prime Minister for giving us the impetus to work in detail on these issues. My gratitude to the hon. Parliamentary Affairs Minister who prioritised children as much as he did the Finance Bill. He has my gratitude and of my fellow colleagues, and I look forward to the interventions. I will keep my remarks limited so that I can respond to whatever questions that come my way after the interaction.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:-

> "That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 be taken into consideration."

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): I stand to share a few thoughts on these amendments proposed by the Government in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021, on behalf of my Party.

Let me begin by seeking to place the present amendments in a proper perspective. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act enacted in 2015 replaced the earlier Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2000. This legislation replaced the old the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 1986. So, we have had a series of legislations in the past three decades on this very important subject. I do thank the hon. Minister for bringing this up. As the hon. Minister said, we are all thankful that our children are being considered on a priority with the other important issues that have been taken up in this Session.

The 2015 legislation brought by the NDA Government had the following aims and objectives. I quote: “An Act to consolidate and amend the law relating to children alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social re-integration, by adopting a child friendly approach in adjudication and disposal of matters for the best interest of children and for their

rehabilitation through processes provided, and institutions and bodies established, hereunder and for matters connected therewith or incidental thereto."

The present Bill introduced by the hon. Minister, Shrimati Smriti Irani ji seems to make certain amendments in the existing legislation of 2015. While we all support such a Bill, let me say that we must all as representatives of the people in this august House consider carefully the proposals before taking any decision. What is at stake is how the society in criminal justice system deals with juveniles in conflict with law and what institutional mechanisms we are proposing. Our guiding principle must be to ensure that these delinquents should be handled sensitively, reformed, and prevented from lapsing into the world of crime later as young adults.

I would like to draw the attention of the House to some very key amendments and the import of the proposed changes. First and foremost, the proposed amendments put the entire onus of the child's welfare on the District Magistrates ignoring the fact that the DMs have already been overburdened. They are overburdened authorities with the charge of the entire district on their shoulders. As Members of Parliament, we all know the life of a District Magistrate with his or her multifarious responsibilities. Under the proposed amendment, DMs will be the overarching authority for exercising all functions related to the adoption including the issuance of adoption orders without the requirement of court sanctions. Here, the hon. Minister has put forward her observations which seem very relevant.

They will also be responsible for the functioning and regular monitoring of all child welfare agencies such as the Child Welfare Committees, the Juvenile Justice Boards, the District Child Protection Units, and the Special Juvenile Protection Units. Centralising all powers and responsibilities with respect to a child's rehabilitation and re-integration into society in one authority may lead to serious delays and can have wider repercussions for the child's welfare. I urge the hon. Minister to consider this aspect carefully.

While it needs little saying that District Magistrates are the fulcrum of the district administration across India, we should be equally cognisant whether loading an already over-burdened system will produce the desired results. This amendment has been introduced with the intent to further empower DMs to act more decisively in the case of juvenile justice and child protection. However, what it really does in effect is it gives them disproportionate powers and, even more so, puts responsibilities on the extremely sensitive issues on the DMs. However, if we collectively feel that these responsibilities need to be devolved upon DMs, then the Ministry should also consider providing them suitable assistance to ensure that this important issue of juvenile justice does not get side-tracked in the rigmarole of day-to-day work.

Secondly, grievance redressal and conflict resolution powers have also been taken away from the judiciary and given to the executive. This is against the principle of separation of powers and takes away the role of the judges who are

specialised authorities when dealing with matters of the law. We need to ask ourselves whether the proposed amendments will truly bring in the desired changes.

Thirdly, the categorisation and distinction of 'serious crimes' under proposed amendment from the category of heinous crimes under the current law was necessary. Under the prevailing law, juveniles aged 16 to 18 years could be brought out of the protection of the juvenile justice system and tried as adults if they have committed a heinous offence. The latest amendment essentially limits the ambit and circumstances under which this could take place, thereby protecting the rights of juveniles, and only bringing those juveniles into the adult criminal justice system who have committed crimes and offences where punishment for the offence exceeds seven years.

The new category of ‘serious offences’ is also in compliance with the Supreme Court judgment in Shilpa Mittal vs State of NCT of Delhi and Another (2020) wherein it was held by the two-judge bench that treating children as adults is an exception to the rule and when two views are possible then the view in favour of the children must be taken. This amendment is, therefore, a step in the right direction since it brings back focus on rehabilitation of juvenile delinquents instead of retribution.

The Minister mentioned that the criteria for Child Welfare Committees under Section 9 of the Bill seeks to introduce the new criteria. I think it is very welcome that the Minister specified what the guidelines should be for selecting the Committee and they should be held responsible. I think that this is a very welcome step. Thank you very much. There was one thing in this, hon. Minister, that I would like to say through the Chairperson, that when you spoke in February, 2021, you mentioned that there is no provision under law to check whether a person has been charged with girl child abuse. I think we must address this critical loophole in the legal framework.

The other thing was the Budget cuts and the superficial changes that have been made. I know that in 2020-21, you had an allocation of above Rs. 1500 crore which was then downsized to Rs. 800 crore and I think this year it has come up to around Rs. 900 crore. As you yourself said, the Committee reports have shown that there has been gross negligence in a lot of homes where there are no special toilets; where there is no place; where they cannot have a change; where there is no separation for the sexes; where there are no beds, and there a lot of other things. To make sure that all this is properly dealt with, I think the Budget allocation should have been a little bit more.

Hon. Chairman Sir, now that I have highlighted some of the key changes and their implications, I would like to place only one point for consideration of this House. Social legislations such as the one for which we are sitting here today to

discuss and debate, need to be considered very carefully. They are meant not only to provide a legal framework on any particular subject but also the intent to mitigate certain social evils and improve social conditions with the aim of bringing about social reform. As they say, the taste of the pudding lies in eating. Therefore, we must carefully consider both the intended and the unintended consequences of any legislation we seek to enact and also whether the existing legislations achieve their desired outcomes better than the proposed amendments.

With these words, I thank you for giving me time and I hope that the Minister will take the few suggestions and implement them and I do compliment her for bringing this very special Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill to this House. I hope that we can serve and look after our children better. Thank you.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. It is indeed a privilege for me. As I stand in this august House to speak in favour of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill 2021, I am reminded of the wonderful words of Nelson Mandela. He had said, "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." समाज अपने बच्चों के प्रति किस तरह का व्यवहार करता है, इससे उस समाज की आत्मा की प्रकृति झलकती है। The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 came into existence with effect from 15th of January 2016 by repealing the Juvenile Justice Act 2000 with comprehensive provisions for two categories of children. The first category was children in conflict with law and the second category was children in need of care and protection. We are aware of the fact that the Juvenile Justice Act has been formulated in pursuance of the Constitution of India which mandates equal rights for children and calls upon all the State Governments to take appropriate measures for ensuring care, protection, safety, and security of children. If we go by the Bill that has been placed before all of us today, we would find that this particular Bill focuses on three major heads which have been clearly told to us by the hon. Minister of Women and Child Development. First, definition of serious offences; second, adoption; and third, functioning of child welfare committees.

I offer my heart-felt compliments to the hon. Prime Minister Modi, the Minister of Women and Child Development, her Department and her team for

responding sensitively to the needs on the ground which had emerged during the course of implementation of the JJ Act, 2015. मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं उनकी सकारात्मक सोच के लिए आंतरिकता के साथ धन्यवाद देना चाहती हूं। जमीनी जरूरतों का अनुसंधान करना और फिर एक-एक शब्द को पढ़कर सही प्रस्ताव सदन में लाना काबिले तारीफ है।

The question is this. The particular Act repeals the JJ Act, 2000. What was the need after six years to bring this here? In fact, I was listening very carefully to the hon. Minister. She was quite candid when she mentioned the reasons. At the cost of being repetitive, I would be informing the house regarding the course of events. This is a highly meticulous work of the Ministry. They deserve all compliments for whatever hard work that the Minister and her entire team has put in. As per Section 109 of the JJ Act, the National Commission for Protection of Child Rights is mandated to monitor the implementation of the Act.

There was a case in the Supreme Court in 2007 in the matter regarding exploitation of children in the orphanages of Tamil Nadu. Unfortunately, this particular case dragged for 10 years and on 5th of May, 2017 the final orders of the Supreme Court came. As per the directions of the Supreme Court, the NCPCR had to conduct social audits in all these 7900-odd child care institutions in the country. I am extremely happy to inform the House, which I think is a repetition of what hon. Minister said, around 7163 child care institutions underwent this social audit business. Unfortunately, I would like to inform the house, not one child care

institution was found to be hundred per cent compliant with the JJ Act, 2015 provisions. All these child care institutions are supposed to have written child care policies. Hardly any of the child care institution had this kind of a written child care policy. Social audit is a great tool. Social audit is a great eye-opener. This is one reason, actually the Government, under the leadership of Prime Minister Modi, thought of correcting the things which were not correct on the ground, in the interest of the children of our country.

Let me come to the second point. In 2016, the Ministry of Women and Child Development, Government of India set up a Committee to look exhaustively into the way these child care institutions were working. In 2017, the Committee submitted its report. Unfortunately, it was a damaging report; very disturbing revelations again came.

I would reiterate the fact that the Ministry of Women and Child Development, under the leadership of the Prime Minister, was extremely meticulous for the right reason. We are talking about our children. There are so many cases in front of us. In fact, I would like to mention here the case of Jalpaiguri child care institution in West Bengal. It was a centre of child trafficking for years together. The State Commission for Protection of Child Rights would not listen. There was a case in the Supreme Court for that matter. The NCPCR would be writing to the State Commission for Protection of Child Rights in West Bengal. They did not pay a heed.

Ultimately, the Ministry had to intervene. The Supreme Court also passed very strict orders. Things were set right after the intervention of the Ministry. This is what is happening in many of the Child Care Institutions.

The third point in this line is the rationale or the justification behind this Bill. The States and the UTs have sent a report to the Ministry. I am sure the Ministry must have asked for the Reports. I have the date of the Report with me and I have gone through the Report in detail. It was sent on 18th of September, 2018. We are talking of Supreme Court case from 2007 to 2017, and the Committee Report in 2017. The Committee had been set up by the Ministry in 2016. Again, we are talking of a report from all the States and Union Territories that were received by the Ministry on 18th of September, 2018. Amazing things came to light. In fact, the revelations were so disturbing that the Women and child Development Ministry had to shut down 539 Child Care Institutions. It is because they were flouting the laws. They were not conforming to the provisions of the JJ Act, 2015. All kinds of things that did not have to happen, did happen in those Child Care institutions and that is why the Ministry sprang into action.

I now come to the third portion of my deliberation. I would request all the esteemed colleagues of mine to very carefully listen to whatever I have to say. I am extremely delighted to hear, Madam Preneet Kaur. While she is sitting on the right, she supported the intervention of the Government. This is how the

Members should react. विकास कोई दल न देखे, बल्कि दल, मत, निर्विशेष हमें विकास के बारे में बातचीत करनी है और देश का विकास करना है।

As far as the proposed changes are concerned, the first one is definition of serious offences. There are three kinds of offences that the JJ Act talks of; petty offences, serious offences, and heinous crime, as we all are aware of. We should all agree to the fact that our children should be corrected, reformed, and should not be punished. Punishment does not correct the system. We want the children to be safe, sound, corrected, and reformed, and that is why there was the need to change the definition of serious offences. Serious offences are those offences for which the punishment, as prescribed by the IPC or any law in force, is maximum imprisonment between three and seven years.

Secondly, the serious offences, as of now, are cognizable in nature. It means that a child can be arrested without a warrant. There was a need to change this definition. The definition of serious offences, as proposed today, has been to include crimes for which the punishment is maximum imprisonment for more than seven years; however, minimum imprisonment has not been specified. It says maximum imprisonment beyond seven years but minimum imprisonment is between three and seven years. This has been included in the definition. This is also the definition of serious offences. It is very important. All the serious offences have become non-cognizable. A child cannot be arrested now without a warrant. This is the proposal today before the House.

As I have mentioned, and the hon. Minister has just said, I reiterate that we need to increase, rather to widen the ambit of serious offences. We need to bring down or rather narrow the ambit of heinous crimes. Our children need not be treated as adults. When they go to the heinous crime category, they will be treated as adults. We should bring them to the other side. We need to widen the ambit of Juvenile Justice System so that our children stay within that. This is the reason why this has been done and this is one of the best measures that the Ministry would have taken.

The second thing is this. I draw the attention of the House to clauses 58 and 59 regarding adoption. I will not take much of the time of the House. I am trying to be as concise and as focussed as possible, but I will definitely like to have time to elaborately tell you about what is good about this proposal.

The Act lays down the procedure for adoption by parents, both in India and abroad. Now, currently, there is a Specialised Adoption Agency which actually prepares a report. It is called a home study report of the prospective parents. Then, on behalf of the parents, it goes to the civil court and seeks the adoption order from the civil court. Now, here, a tremendous delay was taking place. We know how things are on the ground. We are all people's representatives from different parts of the country. We know how things are. This situation on the ground was studied by the Government and by the Ministry. Now the proposal is that the adoption order will be certified and issued by the District Magistrate and

this District Magistrate will include the Additional District Magistrate. I have lots of regards for Madam Preneet Kaur. In such kind words, she supported the intervention of this Government. However, I would say she has some apprehensions regarding the DM not being able to give time to this aspect of work because he or she is burdened. I fully appreciate that. I would say with all humility that I was serving in a couple of districts in Odisha in my Cadre. But at the same time, let me tell you with all humility that the DM is the only person who is the chief coordinating centre in a district. When these things are done, lots of coordination is required among various agencies and among various stakeholders. Implementing a particular scheme or a project requires a leader. In a district, only a Collector can be a leader. A Collector or a DM is the one who can actually collaborate and coordinate with everybody. That is why, it is very important to give importance or rather the responsibility to the District Magistrate, which includes the Additional District Magistrate as per the Bill, which has been submitted before us.

Now, the third and very important thing is with regard to functioning of the Child Welfare Committee. Hon. Chairperson, Sir, I draw your attention to section 27, clause 8, section 40, section 2, clause 26 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021. What is the situation right now? The District Magistrate is supposed to review the working of CWC on quarterly basis. There is a District Child Protection Unit (DCPU), which will be the focal point to ensure the implementation of the Act. This is what it is as of now. But this is all

nebulous. This never happens. Some kind of force, emphasis, and clarity are required. We need candidness and clarity when we have to deal with such sensitive issues as the care and protection of children. Now, it has been proposed in the Bill that the CWCs shall submit a report on quarterly basis to the District Magistrate. It will also submit a report on quarterly basis to the State Government concerned and the District Collector about the deceased, restored, and run-away children. This is path-breaking. This was not there earlier and this has been brought in. It is extremely important that the District Child Protection Unit (DCPU) would be headed by the Collector. It would work under the direct supervision of the District Collector. So, I think, much of the nuisance will go away. I will reiterate what I have said earlier and I can say with all conviction at my command that the District Collector is the chief force in the district. He or she is the coordinating point and he or she can be the focal point. This is a very good decision on the part of the Government.

Now, I come to the last proposed change. My learned and esteemed colleagues here in the Lok Sabha must have gone through a book titled ‘Good to Great’ by Jim Collins. This is one of the best management books. I think, many of us have read it. In this book, one of the management techniques which Jim Collins talks of is to put the right people on the bus. Unless and until we have the right people on the bus, we will not be able to achieve the goal.

So, it is very important to have the right people as Members of the Child Welfare Committee. A Child Welfare Committee has a Chairperson and four Members. Now, Sir, there are certain things which cannot be compromised. Come what may, we cannot compromise with the quality of the people that we induct in here. So, Sir, educational qualification is fine. Seven years experience is also fine. But here, we are saying that there should be educational qualification plus seven years experience in the field of dealing with children's issues and one more thing which has been added is specially-abled children or rather we call them differently-abled children. The member should be having or rather one of the criteria is he or she should be having some kind of qualification pertaining to the handling of differently-abled children. This has been added. This is extremely important.

Now, Sir, what attracted me to this disqualification criteria which has been added is this. Anybody who has drafted this must be complemented.

Sir, the Bill considers the following qualities as disqualifying criteria. This was never there. We always said this is the qualification criteria. Take this person or take that person. But here, we are also talking of disqualifying criteria. There is absolutely no compromise because children are involved.

Sir, what are the disqualifying criteria? One, if there is past record of human rights violation or child rights violation, the person will be thrown out.

Two, conviction in an offence involving moral turpitude which has not been overturned by a subsequent judgement, history of being removed or dismissed from any service of the Government – whether it is Central Government or State Government, involvement in child abuse or child labour; last, a person who is currently a part of the management of a child care institution in a district. So, these are the disqualifying criteria which have been added to the Bill.

Now, we are very proud of the fact that we have a plethora of laws, schemes, rules, and regulations. But I think the important thing is whether we are able to implement them to the satisfaction of all and we are able to achieve the expected outcome. Now, if we are able to bring in all these amendments, if we are able to implement this particular Juvenile Justice Act with amendments today which has been brought in very carefully, with all sincerity, with due diligence, and with a good heart and good mind, I think we would be able to achieve the expected outcome.

Sir, I would like to conclude with three lines. Please allow me. Good, better, best, never let it rest, till your good is better and your better best. Prime Minister Modi and his team have been trying very hard to move from good to better and better to best. Now, this is an opportunity we need to move from better to best. From 2015 to 2021, we are trying to move to the best and I request each one of my esteemed colleagues present here to wholeheartedly support the Bill which

has been brought today. It is just because it is in the interest of our children. Thank you so much Sir.

***SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA):** Thank you Chairman Sir. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021 is here for amendments. This bill was first enacted in 2000, amended in 2015 and now again we are making necessary amendments in 2021. I would like to congratulate Hon. Minister Smt. Smriti Irani for this. She is one of my favorite Ministers as well, as she takes bold and timely decisions. Let it be POCSO act or acts relating to women and child welfare or Anganwadi issues. We do receive intimations of various programmes.

On behalf of women and child welfare, we are asked to participate in programmes related to women or children at ground level. We do receive many letters in this regard. We should welcome amendments to this law. When we think about care and protection of our children, it is necessary to bring required amendments. Discussing issues of children is like discussing our own issues. Regular criminals are different from juveniles. When it comes to juveniles, it's heart wrenching reality. They are small kids, who are indulging in crimes. What are the reasons? One reason many would cite is 'urbanisation'.

But urbanization is not a new phenomenon. It is age old concept. Now-a-days electronic media, availability of drugs even to young children are influencing

---

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

them. As a result these children are not acting like adults but like demons, and they are indulging in various heinous crimes. Not just as mothers or women but as human beings it is painful to acknowledge this unpleasant reality. It is very painful to see young children as rape victims. This is not a matter concerned to a home, school or a mother; this is a matter of serious concern for whole country. It is sad state of affairs. We have laws, we have Juvenile Homes, we took so many actions and we made many arrangements, but still attitude of children could not be corrected. There are many reasons - like disintegration of families, absence of joint families, large number of divorce cases, more number of orphans and lack of healthy environment for children. There are so many bad influences like movies. Good movies are not being watched. Good lessons are not attractive. But bad influences many. We need to take more steps to protect our children. There are many good provisions under this law. It has been stated that around 40,000 cases have been registered. There are 701 Juvenile Homes throughout the country, and we have 13 Juvenile Homes in Andhra Pradesh. When it comes to our State Andhra Pradesh, our young and dynamic Chief Minister takes special interest in programmes related to women and children.

Recently there was an unfortunate incident, to which our Chief Minister responded swiftly and as a brother and responsible person brought DISHA act which was sent to Central Government for approval. It is pending with Central Government for approval. Once we get approval, that law will be enacted. When

it comes to children, they should get good education. To ensure good education to children, our CM is providing Rs. 15,000 per annum to mothers of children upto class 12. Also, to ensure mental health of children, classes are being conducted. For better health of children, eye checkups, dental checkups are being held and free spectacles are being provided wherever necessary. By taking up such programmes we can improve care and protection of children to some extent.

When it comes to Juvenile Homes, other Hon. Members have also mentioned that children are being ill treated in these Juvenile Homes and it is not confined to any particular region, this is the situation throughout the country. Especially, in orphanage homes, children are humiliated. Those who manage these homes look down upon children. Therefore, I request Hon. Minister in this regard and I will suggest few points. I am also a member of committee on women and child welfare. I request Hon. Minister even if my points cannot come in form of law, they may be implemented by the Government. When a woman becomes pregnant, she informs Anganwadi center first to ensure health of both woman and child. I request Hon. Minister to provide psychologists, at either Anganwadi centers, clusters or at Mandal level. They should be provided with good counseling by psychologists. Only then, we can ensure physical and mental health of a child. Also, in schools especially in orphanages and hostels, there should be counseling every month for the children. If we provide proper counseling and teach good lessons, we can get good results. We should first

implement these suggestions in Government hostels. If required, adequate number of psychologists may be appointed. In every district, District Magistrate should ensure at least one class in moral values and psychology every month in every hostel. Now we have digital resources, we can make use of them, by showing good moral stories. They are young, they have energy, they have clean mind. We should create an environment for their betterment. I request Hon. Minister to create conducive environment for children

16.00 hrs

Also, we should not mix Juveniles with ordinary children, it may create some problems. Instead they should be kept in separate barracks. Even when these Juveniles are tried, they should be tried separately. Because though they are Juveniles, they are expected to reform after punishment and join main stream. They are our future citizens. Though they are Juveniles, they should be groomed well and treated well, so that their inner capabilities and potential can be tapped. As per Justice Verma’s recommendations, these should be reformative and not retributive.

We should reform Juveniles. We should focus on two steps. One is how to stop children from indulging in Criminal Acts. Second is, how to take them out of criminal past and groom as good citizens. I am hopeful that the Minister will take necessary measures in this direction.

Around 40 years back, Telugu movie by the name ‘Sudigundaalu’ (Maelstrom). In that movie, child psychology was portrayed very effectively. How they behave at home? How they behave outside? has been depicted. What is desperation? What is revenge? All these shades were shown in that movie.

Once again, I request Hon. Minister to consider my suggestions. We all should protect our future generations and groom them well.

Thank you, sir.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय चेयरमैन सर, आज बच्चों के लिए नया बिल हमारी बहन जी यहां चर्चा के लिए लेकर आई हैं। यह जुवेनाइल जस्टिस के बारे में है। जो कुछ नए सुधार लाए हैं, मैं उनके भाषण में सुन रहा था। बच्चों के लिए वोटिंग नहीं है, लेकिन इस सरकार ने उनको एक अलग ढंग से देखा है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, सिखाना है, सुरक्षित करना है, इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करके सरकार यह कानून लाई है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

मैं खासकर दो-तीन चीजें बताना चाहता हूं। इसमें जितने भी सुधार लाए गए हैं, अगर उन सुधारों में, मैं बच्चों को देखता हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आता है, हम जुवेनाइल कोर्ट की बात करते हैं, यह बात बाद में आएगी। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, इस मूल में जाने की आवश्यकता है। एक बच्चा चोरी करता है। वह चोरी क्यों करता है? हम गरीब बस्ती से आए हैं और हमने वहां देखा है कि जो चीज उसके घर में नहीं है, वह दूसरे के घर में है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। वह रोज देखते थे कि इस शोकेस में कुछ अच्छे परिधान के मॉडल रखे हुए हैं। मैं इन कपड़ों को पहन सकता हूं, वह उनको रोजाना देखते थे। जब एक दिन यह लगा कि मैं इनको खरीद नहीं सकता हूं तो उन्होंने सोचा कि मैं पत्थर उठाता हूं और कांच पर मार देता हूं।

आजादी प्यार से नहीं मिलती है, छिन कर लेनी पड़ती है। वह सोचता है कि मुझे यह चोरी से मिल सकता है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। इस बिल के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी, उनकी ग्रोथ, वे किस परिवार से आते हैं, वे किस एरिया से आते हैं, वे किस सोच से आते हैं, वे किस परिस्थिति में आते हैं, जुड़ी हुई हैं। आप निर्भया का केस देख लीजिए। आज कल बहुत गंदा वातावरण हो गया है। वंदनीय हिन्दू हृदय बाला साहेब ठाकरे जी के पिता जी प्रबोधनकार ठाकरे जी कहते थे कि जो पढ़ेंगे, वे बचेंगे। मराठी में यह कहा जाता है - वाचेल तो बाचेल, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हमारा सारा समय मोबाइल पर जाता है या उसके प्रोविजन्स पर जाता है, व्हाट्स एप पर जाता है।

बच्चे कहां से बिगड़ते हैं? मीडिया, आप न्यूज देखिए। मैंने एक-दो बार चैनल को फोन किया कि आप एक चीज को बार-बार नहीं बताइए। यह ठीक है कि आप बोल दीजिए कि ऐसी दुर्घटना हुई है। उसे बार-बार देखने से बहुत इम्पैक्ट होता है। हम देखते हैं कि बड़े भी झूठ बोल देते हैं, पढ़े-लिखे लोग झूठ बोलते हैं। वह आप भी अनुभव करते हैं। क्या पढ़े-लिखे लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, जितने क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, क्या वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे भी पढ़े-लिखे हैं। हमें मूल पर जाना है। I want to go to the root of it. Why is the child adopting such methods? Why is he living through these means? Why is he doing all this? वे चोरी क्यों करते हैं, मारा-मारी क्यों करते हैं, वे कोई चीज छिन कर क्यों लेते हैं, वे चाकू क्यों चलाते हैं? आज मैंने यहां आने से पहले देखा कि एक लड़की ने मां को मारा, उसने मां की हत्या कर दी। उसका किसी के साथ प्यार था, तो मां की हत्या कर दी। ये संस्कार कहां से आए हैं? उनके संस्कार गिर रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ष 1995 में हमारी गठबंधन की सरकार आई थी, तो मनोहर जोशी जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने स्कूल के पहले क्लास को संस्कार के लिए रखा था। यह धर्म की बात नहीं है। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है।

हम ने अन्न सुरक्षा कर दी है, राइट टू एजुकेशन कर दिया है, उसे मैनडेटरी नहीं किया है। जब हम रास्ते में जाते हैं और सिंगनल पर गाड़ी रूकती है, तो बच्चे वहां आकर भीख मांगते हैं। यह देख कर हमें दर्द होता है। जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए, उस उम्र में वे दरवाजे पर आकर भीख मांगते हैं या कभी अच्छा हुआ तो वे किताब या फूल बेचते हैं। जब उन्हें खेलना, कूदना और सीखना चाहिए, उस समय वे ये सारी चीजें करते हैं, तो प्रोटेक्शन कहां है? उनको पहले इस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। अगर आप उनको वहां प्रोटेक्शन दे देंगे, तो वे आगे चल कर नहीं बिगड़ेंगे। अमी बिगड़लो, तुमी बिगड़ा न, हम बिगड़ गए, तुम भी बिगड़ जाओ, मतलब है कि हम अच्छे हो गए, तुम भी अच्छे हो जाओ। हमें बिगड़ना नहीं है। हम ने अच्छी राह पकड़ ली है, आप भी अच्छी राह पकड़ लो। आज ऐसा नहीं होता है। हमें आज इस बात का बुरा लगता है कि हमें उस पर ध्यान नहीं है। हम ने अन्न सुरक्षा कानून बनाया है।

मैं स्मृति जी से अपेक्षा करता हूं, मुझे मालूम है कि आप अच्छी मराठी जानती हैं, आप बहुत-सारी भाषाएं जानती हैं। संस्कार के लिए क्या हो रहा है, हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं, हमारा नजरिया बिगड़ गया है, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं।...(व्यवधान) अच्छों को बुरा साबित करना, दुनिया की पुरानी आदत है। वह चलता रहता है।...(व्यवधान) ये बोल रहे हैं कि अच्छी राह पर आ गए।...(व्यवधान)

सर, मंत्री जी कानूनन बहुत अच्छी चीजें लाई है। Even categorisation of the petty, serious, heinous और इसके बाद चौथी कैटेगरी लाई हैं, सात साल से भी ज्यादा सजा देने वाला कानून। स्मृति जी, आप सिंधुताई सतपाल को जानती हैं, आप महाराष्ट्र से हैं। आप यह नाम जानती हैं। मुझे लगता है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया होगा। आपने इसमें क्लॉज डाल दिया है, आपने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, यह अच्छा काम किया है। उस कमेटी में क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, साइकोलॉजी आनी चाहिए, यह आना चाहिए, मैं सब कुछ मानता हूं। सिंधुताई सतपाल चौथी कक्षा तक पढ़ी होंगी, लेकिन आप उनकी ज़बान सुनेंगे तो एक क्षण में पिघल जाएंगे। जो बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके लिए हमें मां चाहिए, मां का प्यार चाहिए, अनकंडिशनल प्यार चाहिए। आप उनमें यह नहीं देखिए कि वे मर्डर करके आए हैं।

वह प्यार का भूखा है। क्या यह साइकेट्रिस्ट देंगी, डॉक्टर देंगे या पढ़े हुए लोग देंगे? पढ़ा हुआ बच्चा क्रिमिनल क्यों हुआ, एक्टिविस्ट क्यों हुआ, आतंकवादी क्यों हुआ? वह पढ़ा-लिखा है, क्या उसे अच्छे-बुरे की समझ नहीं है? स्मृति जी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस क्लॉज़ को ध्यान में रखना। There are women, who are running the organisation. There are not only women, there are men also. आप बताइए, क्या उस ऑर्फेनेज़ के बच्चों में से कोई बच्चा बदमाश हुआ? वह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसे मां का प्यार मिला, उसे बहन का प्यार मिला, वह गरीब था, रास्ते पर था। वह ऑर्फन था, ऑर्फन था या नहीं, यह पता नहीं है। यह ऑर्फन क्या होता है? उसके मां-बाप तो होंगे ही, किसी ने उसे छोड़ दिया। A child who is abandoned is an orphan. उसे

डिफाइन करेंगे, मां-बाप के साथ था या परिवार ने छोड़ दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस क्लॉज़ में जो एजुकेशन का क्लॉज़ है। The clause is not important. What is important is work.

It says:

"(4) No person shall be appointed as a member of the Committee unless he has a degree in child psychology"

इस डिग्री का क्या करना है? मां के पास साइकोलॉजी की कोई डिग्री नहीं थी, मेरी मां 7वीं तक पढ़ी थी और बच्चों को पढ़ा दिया। प्यार, करुणा, दिशा और संस्कार की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल का स्वागत करते समय आपने यह अच्छा किया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैनडेट कर दिया और राज्य सरकार को भी मैनडेट कर दिया है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। केन्द्र देखेगा, यह नहीं चलेगा।

Then, periodicity has to be maintained there. Every fortnight, they must visit that place and see what exactly is happening and how they will have a direct communication with the children? क्या बच्चे की कोई कंप्लेन कर सकेगा, उसकी हिम्मत है? मुम्बई के डोंगरी में एक जेल है, वहां पर बाल सुधार गृह है। वहां पर श्री वीर सावरकर जी, टेरेक जी को जेल में रखा था। मैं वहां गया, तो वहां लड़के और लड़कियों दोनों को देखा। मुझे बहुत बुरा लगा। वहां पर बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। किसी ने 12वीं कक्षा में मर्डर किया, कोई घर छोड़कर आ गया है। उनमें पोटेंशियल है, उनके पोटेंशियल को खोजना पड़ेगा। उन्हें किस चीज की जरूरत है, किस काम में उनकी रूचि है, यह देखना पड़ेगा। मैं दीवाली के फेस्टिवल में गया और उन्हें मिठाइयां बांटी, मैंने देखा कि एक बच्चा बहुत ही अच्छी रंगोली बना रहा था, कुछ बच्चे कंडील बना रहे थे। मुझे लगा कि यह

तो एक अच्छा आर्टिस्ट है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए। वहां से कुछ बच्चे ग्रेजुएट भी हुए हैं। आपने यह जो कदम उठाया है, वह अच्छा है। इसे मानवता का दृष्टिकोण देना चाहिए, सिर्फ अकेडमिक नहीं होना चाहिए। आप अकेडमी के बाहर जाकर देखेंगे, तो जिस दिन बच्चा रास्ते पर भीख नहीं मांगेगा और चोरी नहीं करेगा, मैं उस दिन समझूंगा कि सही मायने में बच्चे सुरक्षित हैं।

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): माननीय सभापति जी, मैं आज किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने एक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कई सालों तक बाल अधिकार एवं उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं बिहार राज्य बाल एवं श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद पर भी रह चुका हूं। वहां के बाल श्रमिकों की स्थिति या ऐसे सभी बच्चे जो प्लेटफॉर्म और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, हमने इन सभी की स्थिति का आकलन किया है।

यह जो बिल लाया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। इस बिल के लिए मेरे कुछ सुझाव भी हैं। आज भी जो बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में या भीख मांगते हुए, जहां भी दिखाई देते हैं, उन्हें रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। मैं जब बिहार राज्य बाल एवं श्रमिक आयोग का अध्यक्ष था, उस समय भी भारत सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर एक प्रस्ताव दिया था।

जब वैसे बच्चों का जिलों में संग्रह किया जाता है, कहीं से पकड़कर लाया जाता है, उनको जमा किया जाता है, फिर उनको उनके घर वापस भेज दिया जाता है। इसके कारण उन बच्चों का जो समुचित विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है और वे बच्चे पुन: उन्हीं कामों से जुड़ जाते हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया था कि कम से कम हर कमिश्नरी में एक ऐसा संस्थान खोला जाए, जिसमें उन बच्चों के रहने की व्यवस्था हो, उनको तकनीक पर आधारित शिक्षा दी जाए और उनके माता-पिता को, सबसे बड़ी समस्या उनके पैरेंट्स के साथ है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, वे ही अपने बच्चों को दोबारा

काम करने के लिए भेजते हैं। उनको जागरुक किया जाए। इसके लिए बहुत-सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि जो संस्थाएं काम करती हैं, वे जिलों के हेडक्वार्टर्स या अनुमंडलों के हेडक्वार्टर्स तक सीमित रह जाती हैं। उनको वहाँ जाना चाहिए, जहाँ से चाइल्ड लेबर्स निकलते हैं, जहाँ से श्रमिक बच्चे निकलते हैं। उनके पैरेंट्स से सम्पर्क करके उनको जागरुक करने की आवश्यकता है। उनसे कहना चाहिए कि जब आपके बच्चे कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, वे किस तरह से प्रताड़ित होते हैं, किस तरह से उनका दोहन होता है, जब इन बातों की जानकारी उनके पैरेंट्स को मिलेगी, तो निश्चित रूप से वे अपने बच्चों को रोकेंगे। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वे उनसे भी जुड़ेंगे और उनका लाभ लेकर अपना शैक्षणिक या आर्थिक जीवन आगे बढ़ा सकेंगे।

हमने पहले भी आग्रह किया था और आज फिर मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

यह बिल बहुत ही कारगर है। बहुत-से कानून हैं। पहले के कानून में जिस अपराध के लिए तीन साल से सात वर्ष तक जेल की सजा है, वह संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। परन्तु अब इस विधेयक में संशोधन किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराध गैर-संज्ञेय होंगे। अभी तक इस कानून में यह प्रावधान था कि देख-रेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के हित के लिए राज्य के हर जिले में एक या एक से अधिक बाल कल्याण समितियाँ बनाई जाएंगी। इसमें सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए कुछ मानदंड भी बनाए गए हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मानदंड बनाना बहुत ही जरूरी है।

यह विधेयक बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त मानदंडों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बाल कल्याण कमेटी का सदस्य बनने का पात्र नहीं

होगा। उसके लिए इसमें कई कंडिशंस दिए गए हैं, उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इस विधेयक में बच्चों के मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाया गया है।

महोदय, कई सदस्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं। हम भी यह कहना चाहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के पास जिले का इतना काम रहता है कि सिर्फ उस पर निर्भर हो जाने से काम नहीं होगा क्योंकि यह बहुत ही कठिन समस्या है, यह बच्चों का बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसमें और कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे कि त्वरित गति से इसका निष्पादन हो सके।

महोदय, इसके माध्यम से बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत दी जा रही है, यह अच्छी बात है। इसके तहत जिलाधिकारी को कानून के तहत निर्वाह का अनुपालन सुनिश्चित करने और कठिनाई में पड़े बच्चों के लिए सुसंगत प्रयास करने का अधिकार सम्पन्न किया गया है। यह भी सराहनीय कार्य है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह बिल बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। लेकिन इसके लिए सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है। अगर हम लोग संवेदनशील नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी या अन्य साथियों का यह कदम पूरा नहीं होगा।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अंत में, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस क्षेत्र में बहुत-से सराहनीय कार्य शुरू कर दिये हैं। मेरे पास उसकी लिस्ट है, जिसे मैं सब्मिट कर दूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी को जागृत होकर, सजग होकर, इस पर अमल करने की जरूरत है।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I stand here to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021. I take this opportunity to congratulate Shrimati Smriti Zubin Irani, the Minister of Women and Child Development and the Minister of Textiles, Government of India, for coming up with this very encouraging and reassuring Bill in the larger interest of the children of this nation.

As she talked about rescue homes and shelters, I think, what she said is absolutely true, and I appreciate her being so transparent and honest about the situation in India. I think, more accountability and closer working with States is going to be very critical for you. I would like to bring to your knowledge that we have a Citizens Alliance Group which talks about malnutrition. हर पार्टी के सांसद उसमें हैं। अभी उनमें से दो-तीन सांसद हाउस में नहीं हैं। सचिन पायलट जी उस ओरिजनल ग्रुप में थे। बीजेपी के शाहनवाज़ हुसैन जी थे, पांडा जी, जो बीजेपी के असम इंचार्ज हैं। हम सब सांसद उसमें थे। उस ग्रुप में हर पार्टी से एक मेंबर था और हम सबने एक सिटिज़न एलायंस ग्रुप बनाया था। हम हर राज्य में जाते थे, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे।

हम कुपोषण पर अच्छी चर्चा करते थे। हम मुख्य मंत्री, चीफ सेक्रेट्री, वहां के जो मंत्री थे, उनसे मिलकर हम यह चर्चा करते थे कि इस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या कर सकती हैं। ऐसी हमारी कोशिश रही है। हम यह करते आ रहे हैं, लेकिन आगे-पीछे चलता रहता है, सबको एक साथ टाइम नहीं मिलता है। हमारी इस दिशा में कोशिश रहती है। हम 10-12 वर्षों से यह काम करते जा रहे हैं। So, I would like to ask the hon. Minister whether she would like

us, in an informal way, to form a group to assist her in seeing how much more we can do as Members of Parliament in our own States, in our Constituencies. We come from an ideologically different State. My State has a different Government today. But I commit to you that Shrimati Yashomati Thakur, who is the Minister in Maharashtra Government is totally assuring and committing, on behalf of Maharashtra Government, to make sure that this is implemented flawlessly. Please tell us what more we can do to help you strengthen this law to save every child of ours.

Another very important issue is about adoption and fostering. I would like to bring to the notice of the hon. Minister a story. महाराष्ट्र में दो गायनोक्लॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनका एक छोटा सा क्लिनिक है। वहां एक यंग महिला आई थी, जिसका वहां बच्चा हो गया। वह महिला एक दिन बाद वहां से भाग गई। उन डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि उस बच्चे का क्या करें। उनकी दो बेटियां थीं, जिन्होंने कहा कि क्यों न हम इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। They did not know what the laws were. उन्होंने सोचा कि किसी का बच्चा है, जिसे वे छोड़कर चले गए हैं। उनके बच्चों को लगा कि वह बच्चा प्यारा है, इसलिए वे मां-बाप, जो एजुकेटिड डॉक्टर्स हैं, वे उस बच्चे को घर लेकर चले गए। एक हफ्ते बाद वहां पुलिस और एनजीओज़ पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर्स से कहा कि आप फॉस्टरिंग कर रहे हैं, एडॉप्शन कर रहे हैं, जो कि एक गुनाह है। इसलिए, आपको जेल जाना पड़ेगा या आप इस बच्चे को किसी संस्था को दे दीजिए। उन्होंने उस बच्चे को वापस कर दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए काफी चक्कर मारे। वे छ: महीने तक लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी दो बच्चियां हैं, जिस कारण वे उस बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर पाए।

चेयरमैन सर, आप सोचिए कि वह अच्छा और एजुकेटिड घर था। इस बच्चे को अच्छा घर मिल जाता और अरविंद सावंत जी, जिन अच्छे संस्कारों के बारे में कह रहे थे, वे संस्कार भी उस बच्चे को इस घर में मिलते। मैं निवेदन करूंगी कि इस विषय पर स्मृति जी कुछ बोलें। What can be the long-term solution, on a very serious note, about fostering? The same case has happened in Mumbai. As a matter of fact, Smriti*ji* has worked in Mumbai extensively. There is a Director whom we had a lot of issues with, in Bollywood. He was very kind enough to foster a child who had lost his hand. He tried to foster the Child but they had to step in and take the child away because fostering rules are very different. So, until the child got adopted, he could not keep the child. He had to return the child to an infrastructure which was not half as good as that. I understand that there is a lot of misuse and abuse of children but at the same time, what more can we do in the right context of making sure that the people who are in good homes, in qualified homes, adopt children?

Preneet*ji* and some other hon. Members talked about the situation of DMs. I think, there were two contrasting views. I would like to add to this that when Smriti*ji* brought this to our notice, we had a discussion in Maharashtra. We even spoke to our Collectors and District Magistrates and asked them whether they were open to working. They were absolutely open. I do not think they are feeling that this is going to be highly taxing for any Administration. The cause is so good that I am sure, our District Administration would be very proud.

I do appreciate your point, Preneet Ji. I do not mean to demean it but I understand they are over-worked but this cause is so noble that I am very sure that the Administration would be more than happy to help. I think, if this comes under the District Administration, we, as Members of Parliament in our DISHA Committees, can review this, assist them and help them. I think the Child Welfare Committees need strengthening. So, I would request the hon. Minister that she could write, like in the Citizens Alliance, to all the Women and Child Welfare Ministers. This has nothing to do with which side we are sitting on in Parliament. I think if we are all supporting this Bill -- I am sure she has done it in the past –to reiterate this point and this new change, she could write to all the Women and Child Welfare Ministers or Chief Ministers and put it completely high on the agenda. It is like polio. हमारे देश में पोलियो हुआ करता था। It is because somebody in Delhi was working. I remember Harsh Vardhan Ji was an integral part of eradication of polio in India. So, if everybody puts their minds and decides, इस देश का हर बच्चा पोलियो से मुक्त होगा।

We have managed and achieved such success stories. So, why not make adoption and child care as a top priority of the nation? If Smriti Irani Ji writes, I am sure all the *Mantralayas* will definitely assist her. I reiterate that if we, as Members of Parliament, if there is anything more we can do to assist you, we will do it. I would not get into the details because I think it is a very, very well-drafted Bill. This

is one of the few Bills, I think, from this Government, which is well-drafted and well-thought of. So, I would compliment her for doing such a good job.

Lastly, there is one small point. There is an NGO called ‘Pratham’ in Maharashtra. With the help of the Home Ministry of the Government of Maharashtra– at that time the Home Minister was Shri R.R. Patil -- they had done wonderful works. So, we could take that as a good success story to improve our shelters with their help. So, I would like to share it with you that Pratham has done an exceptionally good programme.

I think the begging issue that Arvind Sawant Ji raised, is very painful. We still see our children beg when we have right to education for them. It is really a shame and it reflects the reality. I take ownership that we have obviously failed our children somewhere that our children have to beg today. So, I think if some programmes like this can be added to the *Mantralaya,* we would like to work closer with the Women and Child Welfare Ministry.

I compliment her again from the bottom of my heart, and reassure that in whatever good projects like this, Maharashtra will excel, support you, assist you and work 100 per cent with you, if not 500 per cent. Thank you.

श्री मलूक नागर (बिजनौर) : सभापति जी, आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है और असलियत में देश के भविष्य को कैसे सुधारा जाए, इसकी शुरूआत इस बिल से हो रही है।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

श्री मलूक नागर : सभापति जी, मुझसे पहले सुप्रिया जी ने अपनी बात सदन में रखी, जबकि पहले मेरा नम्बर था। उनका कहीं एपॉइंटमेंट था, इसलिए उन्हें मुझसे पहले बोलने का मौका मिला और मुझे इंतजार करना पड़ा।…(व्यवधान) मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। मेरी बहन सुप्रिया जी ने बताया कि जब बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए जाते हैं, तो बच्चा उन्हें देख लेता है कि ये मेरे माँ-बाप बनेंगे और माँ-बाप देख लेते हैं कि ये हमारा बच्चा बनेगा। छह महीने तक वह प्रोसीजर चलता है और पता चलता है कि उन्हें बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें बच्चे को छोड़ना पड़ जाता है। मेरा कहना है कि मैं दस मिनट का इंतजार नहीं कर सका और छह महीना बच्चा और माता-पिता आपस में मिलने का इंतजार करते हैं और बाद में उनका केस रिजेक्ट हो जाए, तो आप सोच कर देखिए कि उन दोनों की क्या हालत होती होगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा तरीका खोजा जाए, जिससे दो-तीन दिन में फैसला हो जाए कि यह एडॉप्शन पूरी तरह से लीगल है और वे बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं या इसे पेंडिंग रखा जाए।

सर, मैं श्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में लॉ एंड जस्टिस कमेटी (पर्सनेल, पब्लिक ग्रीव्यांसेज) का सदस्य हूं। यह एक शक्तिशाली कमेटी है। हमने इस सब्जेक्ट पर काफी रिसर्च की है। मुझे यह जानकर झटका लगा कि इस देश में वन नेशन, वन टैक्स यानी जीएसटी है, वन नेशन, वन टाइम वोटिंग सिस्टम है, लेकिन अडॉप्शन के लिए तीन कानून हैं। सारी चीजों के लिए देश एक है, लेकिन इसके लिए तीन कानून हैं। यह हिंदुओं के लिए अगल और मुस्लिमों के लिए अलग है। सबसे ज्यादा झटका लगने वाली बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, उनके वंशजों के

लिए कानून ही नहीं है। पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर परमिशन आएगी, उसके बाद एडॉप्शन के प्रोसीजर की शुरुआत होगी। इसके लिए आज की तारीख में कोई सेट कानून नहीं है। सरकार इसको जरूर गंभीरता से ले और इस प्रक्रिया को सरल कराए।

दूसरा, अभी हमारे शिवसेना पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप उम्र को घटाएं, यह बहुत अच्छी बात है और सरकार जो संशोधन कर रही है, उसकी जरूरत है और हम सब लोगों को आगे बढ़कर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका समर्थन भी करना चाहिए। फिर भी सोचने वाली एक बात यह है कि जो बाल गृह में रहते हैं, जिनको प्यार देने की और सही मार्गदर्शन देने की बात की जा रही थी, अगर उनमें से किसी के साथ बचपन में कोई ट्रॉमेटिकल घटना हुई है, जिसकी वजह से वह डिस्ऑर्डर का शिकार हुआ है, तो उस समय उसको प्यार के अलावा किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, ताकि सही तरह से उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। इससे जमानत के बाद ऐसे बच्चे कोई दूसरा अपराध नहीं करेंगे, जो उनके लिए नुकसानदायक हो, प्रदेश के लिए नुकसानदायक हो, देश के लिए नुकसानदायक हो या फिर आने वाले समय में सबके लिए नुकसानदायक हो। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

महोदय, बच्चों को प्यार कैसे दें, इसकी काफी डिटेल में परिभाषा दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल कोरोना-रूपी बीमारी के बाद हममें से 90 परसेंट लोगों को यह पता ही नहीं चला कि हमें कोरोना हुआ या नहीं हुआ। कोरोना होने से शरीर और इस बीमारी के बीच में लड़ाई होती है, तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिस प्रकार से कार को तेज गति से चलाने पर उसका मोबिल ऑयल न बदले जाने पर गाढ़ा हो जाता है। इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ने के बाद जब खून गाढ़ा हो जाता है, उससे ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है, साथ ही बच्चों और बड़ों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा घर, जहां प्यार मिलना चाहिए, वहां प्यार की बजाए कई बार डांट मिलती है, कई बार छोटी-मोटी टचिंग भी हो जाती है। आज कानून में जो अमेंडमेंट हो रहा है, वह बहुत दिन से पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग

कमेटी और सरकार द्वारा लोगों की दिक्कतों को देखते हुए काफी रिसर्च के बाद किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना भी चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अत: इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश की 90 प्रतिशत जनता का स्वभाव, जो चिड़चिड़ा हो गया है, जिससे बच्चे अकारण नाराज हो रहे हैं, बड़े बिना मतलब के लड़ रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, जिससे वे भी खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें और बच्चे ट्रॉमेटिकल प्रॉब्लम्स व डिस्ऑर्डर से बचने के साथ ही अपराध करने से भी बचें। धन्यवाद।

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021.

The overall aim of this Bill must be to take steps and measures for the overall welfare and for strengthening the protection of juveniles as there are certain loopholes which need to be plugged at least now so that they may not be misused.

In the proposed Bill, there must be provisions related to ensuring Fundamental Rights of children in conflict with law and children in need of care and protection.

In our daily life, we may come across many instances where juveniles are found working in contravention of labour laws, begging and living on the streets. They do not have parents and no one is willing to take care of them. We may also

find children whose parents have abandoned or surrendered them. So, they are found vulnerable and inducted into drug abuse, human trafficking or some other abuse. We need to protect such juveniles from all angles.

There is a need to review serious offences committed by the juveniles through the Juvenile Justice Boards and these Boards should have more powers to deal with such cases.

It is also stated that the District Magistrates may be given more powers primarily to decide all the juvenile cases before they go to any court, and designated courts may be set up to solve the cases speedily.

There is a need to set up more Child Welfare Committees in the States as well as in the districts so as to save time and solve the cases in a time-bound manner. They may also be empowered with more special powers.

All the decisions regarding a child may be taken on the primary consideration that they would be in the best interest of the child only and it would help the child to develop his full potential. We must concentrate on this point only and measures may be taken to ensure that the child is safe from all angles and is not subjected to any harm, abuse or maltreatment at any level or at any stage.

The Government must ensure that there should be no discrimination against a child at any point of time on any ground, including sex, caste, ethnicity, place of birth or disability. Every child should be ensured equality of access, opportunity

and treatment by maintaining, wherever there is a need, his right to privacy and confidentiality throughout the judicial process.

It is also requested that steps may be taken for providing reformative services, including the provision of education, skill development, counselling, behaviour modification therapy and psychiatric support during the period of their stay in the special homes.

The special homes, which are running at present, are in a very poor condition and need to be improved for better functioning to get the desired results.

It is also a fact that the institutional setup required under the Juvenile Justice Act has not been built completely so far. The district level institutions generally lack infrastructure and staff to adequately execute their objectives. This is really hampering the work of the rehabilitative and reformative programmes for ensuring juvenile justice to children.

Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Sir, rights of children are close to our hearts in Jammu and Kashmir. The Constitution of Jammu and Kashmir was the first such document in the entire South-Asia, maybe in the entire Asia, to recognise the right to happy childhood.

हमारे आइन ने राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड को रेकग्नाइज्ड किया, जब उसका कोई अनुभव नहीं था। मेरा यह मानना है कि हमारे जम्मू-कश्मीर का जो आइन है, जो कान्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से बना है, वह अभी मौजूद है। इस हाउस की यह पावर नहीं है, यह इख्तियार नहीं है कि वह उसको ऐब्रोगेट करे, इन केस, वह ऐकडेमिक वाला दूसरा सवाल है।

I am sorry that I may have some kinds of reservation about the Bill under consideration. जो पहले प्रयास हुआ और मैंने कहा था कि hon. Minister deserves all the laurels, शायद वह मैं आज रिपीट न कर पाऊँ।

सर, हमारे मुल्क में 45 करोड़ के करीब बच्चे हैं। One-third of the population is juvenile. इन 45 करोड़ में दो कैटेगरीज़ हैं। One is, children in need of care and protection. उनकी बड़ी तादाद है। Second is, children in conflict with law. जहां तक children in need of care and protection की बात है, हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की-एक्टर है, उनका जो हित है, उनके जो राइट्स हैं, उनको देखती है। जहां तक चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट्स विद लॉ है, वह ऐसे हैं, जिनके खिलाफ अपराध का इल्जाम होता है। जेजे बोर्ड उसका ख्याल करता है। अब बात यह है कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बना हुआ है, जिसके हैड एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे। मेरी पहली बात यह है कि जो रिजर्वेशन है, जो मुजवज़ा बिल लाया गया है, you are concentrating all the powers in District Magistrate. I do not dispute that. सारंगी जी ने पहले कहा कि नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इक्वली कम्पीटेंट है। I have no reservation against it. I have nothing to say on that. उनके हाथ पहले ही भरे हुए हैं। Their hands are full. मैं बिल्कुल सहमत हूं, जैसा मैडम ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी अध्यक्ष है और भी कई काम ऐसे हैं, जो उसको सुपरवाइज करने पड़ते हैं। जो 45 करोड़ के करीब बच्चे हैं और जिनमें पांच परसेंट या दस परसेंट अगर ऐसे हों, जो in need

of care and protection है, तो उसका मतलब है कि सीधे-सीधे साढ़े चार करोड़ बच्चे। इनको एक जिले, सतह पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले करना, जिसके और भी कई काम हैं, आपने खुद देखा होगा, आपके पास अनुभव है, तर्जुबा है, सारे हाउस ने देखा होगा, यह नहीं कि वह कम्पीटेंट नहीं है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। उनके पास सौ काम हैं। मंत्री आ गया तो मंत्री के पीछे-पीछे चलना है। अब वीसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कभी-कभी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। So, I think this is a step in the backward direction. वह यह नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात यह कहना कि एडॉप्शन का पाथ एडवर्सियल नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। आप यह देखिए कि कानून ने कल्पना की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज है, वह गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत उस कोर्ट के सरबराह हैं। वही अंडर लॉ गार्जियन है। अगर किसी बच्चे का कोई गार्जियन अपॉइंट न किया गया हो तो कानून के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज ही गार्जियन माना जाता है। एक बेनिफिट है कि जो जज है, वह अवेलेबल है all the time in court hours in the court. जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में है, वह नहीं कहा जा रहा है। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को केन्द्रित किया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सब पावर्स दे दी हैं, वह बिल्कुल ही उनके हित में नहीं होगा, जो हमारे चिल्ड्रन्स हैं in need of care and protection. कानून जो कल्पना करता है, कानून जो प्रोविजन बनाता है कि उनको कोई रिलीफ होना चाहिए, वह नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि मंत्री जी को यह पता है कि इस मुल्क में कितने बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में हैं, जिनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ऑर्फनेज भी कहते हैं, चिल्ड्रन होम्स भी कहते हैं। कितने बच्चे होंगे, जो सारे मुल्क में हैं और कितने की इनके पास सूचना है? कितने हैं जो रजिस्डर्ड हो गए? कानून की यह मंशा थी कि रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि हम उन पर नजर रखें, निगरानी रखें कि बच्चों के साथ वह वही इंसाफ करें।

जनाब, एक ग्राउंड सिचुएशन पर मेरा एक तजुर्बा रहा है। I do not claim to be an expert but I have been associated with this as Chairperson of the State Juvenile Justice

Panel in Jammu & Kashmir after I laid down robes. You just see what is the condition of children who are in institutional care. कितनी बुरी हालत है और माननीय मंत्री जी बताएंगी कि अभी तक कितने परसेंटेज में रजिस्ट्रेशन हुई है और उनकी क्या संख्या है? दूसरी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कहां वक्त मिलेगा कि वह जाकर देखें? एक जिले में 100 या 200 चाइल्ड केयर इंडस्टीट्यूशंस होते हैं।...(व्यवधान) अगर मुझे अपनी बात नहीं करने देंगे तो इंसाफ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की। Child Welfare Committee is the key actor under the Act as regards the children in need of care and protection. आप मुझे बताइये कि आपने उनके लिए बड़ी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और होनी भी चाहिए। That is good. लेकिन हम देते क्या है उनको? What kind of emoluments do they get? Their honorarium is less than a daily wager, less than an orderly. With this qualification who will prefer to come and work as member of the CWS? ठीक है, अपनी जगह पर होना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं?

I have this experience. If a child is in difficulty and if we have to get him from the village, no transport is available to get that child from the village. शेल्टर होम की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप इसको अगर केंद्रित कर रहे हैं और जो लक्ष्य बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के हाथ में अडॉप्शन देकर, मैं आपको कॉश्न करना चाहता हूं कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बल्कि यह मामले को और ज्यादा लम्बा कर देगा। The other thing is, we do not see any shift from institutional care to non-institutional care. I mean, now, the world-over alternate care is the theme, not the institutional care. इंस्टीट्युशनल केयर में वे अपनी रूट से, अपनी बिरादरी से और अपने बैकग्राउण्ड से कट जाते हैं। So, your shift should be and your

focus should be from institutional care to non-institutional care. जो माने हुए हैं, तो उस बारे में क्या किया जा रहा है?

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

श्री हसनैन मसूदी : आपने सुपरविज़न की बात कही है। आप कैसे सुपरवाइज़ करेंगे**?** I will again acknowledge that it is not a comment on their capabilities. I am saying this just to show how busy they are. उनके हाथ में डिस्ट्रिक्ट प्लान और पब्लिक सेफ्टी भी है।

HON. CHAIRPERSON: Sorry to interrupt. We have 15 more Members to speak. Kindly conclude.

श्री हसनैन मसूदी : मेरा सजैशन होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को स्ट्रैंथन कीजिए और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्टशन ऑफिसर लगाइए जो कैडर ऑफिसर हो। वह अपना सारा समय उन बच्चों को डिवोट करेगा, जिनको केयर की जरूरत है। You just strengthen the DCPUs. आपके पास डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल पुलिस यूनिट भी है।

HON. CHAIRPERSON: Kindly sum up your points and conclude.

श्री हसनैन मसूदी : आपकी जो नेक-नियति है, मैं उस पर कोई विवाद नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह स्टैप, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, यह कुछ हज़म नहीं होगा और इससे मैं डिफर करता हूं।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): थैंक्यू चेयरमैन सर, आपने मुझे जेजे बिल पर बोलने का मौका दिया। हमारी मंत्री श्रीमती इरानी जी बहुत पैशन के साथ बोल रही थीं और जो बच्चों का दर्द है, वह इनके चेहरे से झलक रहा था। मैं समझता हूं कि मेरे से पहले जितने भी सांसद बोले हैं, वे किसी भी पार्टी से हों, उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर पर जो यूनैनिमिटी दिखाई, मैं इसके लिए मंत्री जी और पूरे हाउस को बधाई देना चाहता हूं।

सर, मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि 26 परसेंट जगहों पर वेलफेयर ऑफिसर्स नहीं हैं, 25 परसेंट जगहों पर वॉशरूम्स नहीं हैं, 10 परसेंट जगहों पर ड्रिंकिंग वॉटर उपलब्ध नहीं है, 10 परसेंट के यहां डाइट प्लान नहीं है। मैं तो मंत्री जी से इसके लिए गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें किसी की भी, चाहे वह गवर्नमेंट के ऑफिशियल या किसी स्टेट ऑफिशियल की गलती है, यह माफी योग्य नहीं है। कैसे आप अपने बच्चों को बिना पानी के रख सकते हैं? कैसे आप बच्चों को हाइजैनिक कंडिशन में नहीं रखते हैं? इन पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य हैं और हम जो पैदा करते हैं, हम जो बोते हैं, वही फल हमें आगे जाकर मिलता है। State and District Child Welfare Committees have to be pro-active. इनको चुस्त-दुरुस्त करना पड़ेगा। इतना ही नहीं हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। कुछ केसेज़ में बच्चे ऑर्फ़न हो जाते हैं, उनके माता-पिता नहीं रहते हैं, कुछ माता-पिता अपने बच्चे को अच्छी तरह फीड भी नहीं कर सकते, उनका पालन-पोषण ठीक से नहीं कर सकते और कुछ जगह पर बच्चे माता-पिता के न होने से अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। वे रिश्तेदार भी कुछ देर के लिए रखते हैं। किसी के पास उसके पैरेंट्स की पेंशन आती होगी, कहीं कुछ प्रॉपर्टी की इंकम आती होगी, मगर उन बच्चों से काम करवाया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, उनका पालन-पोषण अच्छा नहीं किया जाता है।

We should make it mandatory कि चाहे हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हों या डी.एम., जो भी नामजद हों, वे इन बच्चों को उनके रेलेटिव्स के घर पर जाकर रेगुलर्ली मॉनीटर करें, मिलें, देखें कि उनकी जो परवरिश है, क्या वह सही ढंग से हो रही है।

चाइल्ड केयर हाउसेज में जो बच्चे रहते हैं या वहां के जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं, उनके बैकग्राउण्ड चेक्स पुलिस से मैनडेटैरिली करवाए जाएं और रेगुलर बेसिस पर करवाए जाएं। इन लोगों की मेन्टल हेल्थ ऑडिट भी करवानी जरूरी है क्योंकि बच्चों का पालन बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जैसे आपने हर गांव में आंगनबाड़ी हेल्पर्स या वर्कर्स लगाए हैं। एक स्टडी के मुताबिक बच्चे का विकास तीन से छ: साल के बीच मैक्सिमम होता है। हमारे आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, वे इसी एज-ग्रुप के बच्चों का ख्याल रखते हैं। उनको सहूलियतें दीजिए। उन्हें रेगुलर कीजिए। उन्हें ऑनरेरियम की जगह वेतन दीजिए। मगर, इतना जरूर ख्याल रखें कि अगर हम ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर्स को चाइल्ड केयर होम्स में भी प्वायंट कर देंगे तो वे सरकार के आँख और कान बन जाएंगे, सरकार को बढ़िया रिपोर्टिंग देंगे और बच्चों का ख्याल रखेंगे।

बहुत बड़े इंस्टांसेज हुए हैं जहां गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ ने चाइल्ड बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया है। कई बार फैक्ट्रीज से, कई बार घरों से, कई बार ईंट भट्टों से उन्हें रेस्क्यू किया गया है। उन बच्चों को भी इन चाइल्ड केयर होम्स में लाकर रखना चाहिए।

हमारे पी.एम. साहब 'स्किल इंडिया' के बहुत स्ट्रॉन्ग वोटरी हैं। Kindly tie up with Skill Development Ministry. ये जो बच्चे इन चाइल्ड वेलफेयर होम्स में रहते हैं, इनको शुरू से ही स्किल की ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए, एजुकेशन इम्पार्ट की जाए। जब वे बड़े हों तो उनको किसी के रहम पर न रहना पड़े। वे किसी भी एक काम में महारत हासिल कर लें और अपनी जिन्दगी इज्जत से गुजारें।

सर, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि अगर हमारी फैमिली कहीं गई हो और हम कहीं किसी के घर पर रह जाएं तो शाम तक हमारा बुरा हाल हो जाता है। ये बच्चे, जो अकेले रहते हैं, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं रहते हैं तो इन्हें काउन्सलिंग की जरूरत है, इन्हें साइकैटरिस्ट हेल्प की जरूरत है, इन्हें डॉक्टर्स की जरूरत है। यह मैनडेटरी करें कि काउन्सलर्स, डॉक्टर्स और साइकैटरिस्ट्स उन्हें देखें।

सर, बस मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। यहां पर सभी मेम्बर्स ने कहा कि डी.एम. ओवरवर्क्ड हैं। मैं आपको दो डी.एम्स. का उदाहरण देता हूं। अमृतसर का डी.एम. है। अगर कोई वी.आई.पी. एयरपोर्ट से आ रहा है, कोई बॉर्डर से जा रहा है, कोई गोल्डेन टेम्पल जा रहा है। दूसरा डी.एम. तरनतारण का है। उस डी.एम. के पास कोई काम नहीं, कोई और देखता है। इससे बेहतर कि एक तो अपने एम.पीज़. को किसी न किसी रूप से इन कमेटीज के साथ इंवॉल्व कीजिए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति इरानी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने जब अपनी बात प्रारम्भ की थी तो बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ उन बच्चों की मनोदशा को प्रकट किया था।

सभापति महोदय, मैं दिल्ली के एक दृष्टांत से अपनी बात प्रारंभ करूँगा। दिल्ली की एक बालगृह में जब मैं गया तो वहाँ देखा कि एक बच्चा बुखार से बहुत तप रहा था और बाकी सारे बच्चे कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने उसके पास जाकर पूछा तो पता चला कि उसको तीन दिन से बुखार आ रहा था। वहाँ पर मुझे एक सुखद अनुभूति देखने को मिली कि उस बच्चे के पास उसी बालगृह के चार और बच्चे बैठे हुए थे। सामान्य रूप से देखने में यह आता है कि घर में जब कोई बच्चा अस्वस्थ होता है तो उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता माँ की होती है। अगर माँ बच्चे के पास बैठी रहती है तो बच्चे को किसी बात का भय नहीं होता है। उसको यह लगता है कि माँ मेरे पास है और मैं ठीक हो जाऊँगा। हमारे समाज में जो ऐसे बच्चे हैं, उनके प्रति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के मन में पीड़ा थी। हमारी महिला बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति इरानी जी ने उनकी पीड़ा को अनुभव किया। उसी के आधार पर इस संशोधन विधेयक को यहाँ पर लाया गया है।

16.56 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

समाज में होने वाले परिवर्तन और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को पहले से भाँप कर सरकार नीति निर्धारण का कार्य करती है। किसी कानून में होने वाले बदलाव के संबंध में, उसमें शीघ्र परिवर्तन करना एक कुशल नेतृत्व का प्रतीक होता है। उसी को भाँप कर सरकार इस विधेयक के माध्यम से बच्चों के हित की दिशा में कदम उठाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार

बच्चों के हितों को सुरक्षित करना चाहती है। बाल संगठन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह किशोर न्याय संशोधन विधेयक लाया गया है। यह वास्तव में बहुत सराहनीय है। वर्ष 2016 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, वह न सिर्फ संविधान में दिए गए बाल संरक्षण और किशोर न्याय के मूल सिद्धांतों तथा प्रावधानों के अनुरूप था, बल्कि यह कानून यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के भी अनुकूल था। जब किसी देश में कानून बनाने की प्रक्रिया स्थिर हो जाती है तो वह देश भी स्थिर हो जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि रूके हुए पानी में बदबू आने लगती है और बहता हुआ पानी पवित्र तथा निर्मल होता है। इसी कारण हमारी सरकार इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार लाई है, जिससे इस कानून को और अधिक प्रभावी और समय के अनुरूप बनाया जा सके।

भारत विश्व की सर्वाधिक बच्चों की संख्या वाला देश है। भारतीय संविधान भी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है- जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, बाल श्रम तथा शोषण से मुक्ति का अधिकार, स्वस्थ तरीके से विकसित होने का अधिकार, सुविधाओं का अधिकार। राष्ट्रीय बाल नीति भी बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाभाविक और अलग-अलग माध्यम से संपूर्ण विकास व संरक्षण को महत्वपूर्ण मानती है। भारत का प्रत्येक बच्चा अपने-आप में अनेक संभावना लिए हुआ अनूठा व्यक्तित्व है और वह राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक माहौल में प्रेम, खुशी और समझ के माहौल का अधिकार है। जिनको यह सौभाग्य प्राप्त होता है, वह अपने घरों में अपने माँ-बाप के साथ खुशी से रहते हैं। जब उनका परिवार होता है तो उस परिवार में दादा-दादी होते हैं, परिवार में ताई भी होती है, परिवार में बुआ भी होती है, परिवार में चाचा भी होते हैं और बड़े भाई भी होते हैं। इस प्रकार से समूल परिवार में वह बच्चा रहता है। इससे उसको धीरे-धीरे एक तरफ संस्कार मिलते हैं और दूसरी तरफ परिवार में एक साथ रहने से आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है।

सभापति महोदय, इस दिशा में किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा-56 है, उसकी उप-धारा 1 यह प्रावधान करती है कि अनाथ, छोड़े गए या छोड़ दिए गए बच्चों के परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दत्तक लॉ का उपाय किया जाएगा और इस बिल में उसका प्रावधान किया गया है। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भी माना है कि यदि बचपन में किसी बच्चे में कोई कमी होती है तो व्यक्ति आगे चलकर कुंठित हो जाता है। ये सब अधिकार सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं हैं, जिनके पास परिवार है, माता-पिता है, संरक्षण के लिए देखभाल करने वाले है, बल्कि उन बच्चों के लिए हैं, जिनके पास ऐसी स्थिति नहीं है। उनको यह अधिकार दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, इसलिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

भारत यूएनओ की बाल अधिकार कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। उसके प्रावधानों को हम सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में सबसे महत्वपूर्ण दो प्रकार के बच्चों की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। दूसरे प्रकार के ऐसे बच्चे हैं, जो कानून के उल्लंघन के दोषी हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनाने का दायित्व है, जिसमें बच्चों के सभी हितों का संरक्षण हो सके। इसके लिए चाहे वह चाइल्ड हेल्पलाइन हो, चाहे संस्थागत या गैर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता हो अथवा अन्य सेवा प्रदान करने वाले माध्यमों को बनाना हो, यह सब राज्य की जिम्मेवारी होती है कि वह इसे चलाए।

17.00 hrs

सरकार ने समय-समय पर इस कानून में बदलाव किए हैं। वर्ष 2018 में कुछ बदलाव किए गए थे, जो समय की मांग के अनुरूप थे। यह संशोधन विधेयक आज लाया गया है, जिसमें इस अधिनियम को और अधिक शक्तिशाली एवं मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन विधेयक में जो

दत्तककरण की प्रकिया है, उसको बहुत आसान किया गया है और बहुत अधिक प्रभावी बनाया गया है। वर्तमान में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 63 में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में कोर्ट को ही अधिकार था। कोर्ट में इतनी ज्यादा पेंडेंसी रहती है कि सालों निकल जाते हैं, अगर किसी बच्चे को गोद लेने के लिए किसी दम्पत्ति ने आवेदन किया और वह बच्चा 6 महीने या 8 महीने का है, लेकिन जब कोर्ट में वह प्रक्रिया चलती है तो वह बच्चा 3 साल या 4 साल का हो जाता है। वह फिर अपने मां-बाप के पास जिनके संरक्षण में जा रहा है, वह उनसे उतनी अच्छी तरह से मिक्स अप नहीं हो पाता है। इसके लिए आवश्यक था कि प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इसी दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। कहीं-कहीं इतनी ज्यादा पेंडेंसी है, उसको देखते हुए लगता है कि हम कहीं अनजाने में अनाथ बच्चों के प्रति अन्याय तो नहीं कर रहे थे, जिससे न तो उनको नया परिवार मिल सकता था और न ही जीने का कोई सहारा ही मिल पाता था।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है और व्यावहारिक संशोधन करते हुए अब सारी की सारी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट और उसके साथ ही साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को देने का इसमें प्रावधान किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। हम सब जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इतना ज्यादा काम होता है कि ये काम पिछड़ जाते हैं। बच्चे इंतजार में रहते हैं कि कोई मां-बाप आयेंगे और हम उनके साथ जायेंगे। वे जब दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वह बच्चा गोद लिया गया था और वहां पर अपने घर जाने के बाद जब वह बीच-बीच में मिलने के लिए वहां आता है तो जो अनाथगृह में बच्चे रहते हैं, तो उनके मन में भी यही रहता है कि हम भी किसी परिवार के द्वारा गोद लिए जाएंगे, हमको भी ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, हम भी ऐसे ही गाड़ी में घूमकर आएंगे।

संशोधन विधेयक में जो अधिकार दिए गए हैं, इसमें डीएम और एडीएम के बीच में यह काम बंट जाने से अब काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा और दत्तक प्रक्रिया अब बहुत कारगर हो जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट यह देखते हैं कि जो दम्पत्ति बच्चा गोद लेने के लिए आ रहा है, उसका परिवार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? वह इस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। इन सारे बिंदुओं पर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का काम किया जाएगा। यह जो व्यवस्था की गई है, यह काफी सराहनीय है।

महोदय, इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि एडॉप्शन संबंधी जितने भी कार्य हैं, वे सब अब फास्ट मोड में होने लगेंगे। हमारे देश के अनाथ बच्चों को एक नया जीवन, नया परिवार और नया घर प्राप्त हो सकेगा। अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें, तो कुल 3,531 बच्चों को गोद लिया गया, जिसमें 2,061 लड़कियां थीं और 1,470 लड़के थे। यह समाज की बदलती मानसिकता है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान जैसे कार्यक्रमों की सफलता को बताता है। आज भारत में लगभग 8,677 बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं। इनकी तुलना में जो दम्पत्ति गोद लेना चाहते हैं, वह संख्या बहुत ज्यादा है। जटिल कानूनी प्रक्रिया के चलते यह पेंडेंसी बनी हुई थी। इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए दत्तक और गोद लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो संतानहीन दम्पत्ति होते हैं, जब वे इस तरह के किसी बालगृह या अनाथाश्रम में जाते हैं, तो हर दम्पत्ति की यह कोशिश होती है कि वे बच्चे को ही गोद लें, बेटी को गोद न लें, लेकिन अब उसमें परिवर्तन आ रहा है। वे छोटे बच्चे को ही गोद लेना चाहते हैं, बड़े बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते हैं। समाज की इस मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उन बच्चों के मन में भी यह आता है कि हमें भी मां की ममता का आँचल मिलना चाहिए, पिता की उंगली पकड़कर हम भी घूमने के लिए जाएं। लंबी प्रक्रिया के चलते जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वे बेचारे अनाथाश्रम में रहकर ही अपना समय निकालते हैं। इस संशोधन विधयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तीन प्रकार के अपराध का संज्ञान ले सकता था, पहला - छोटे अपराध, दूसरा - घोर

अपराध और तीसरा - जघन्य अपराध। जुवेनाइल जस्टिस अपराध एक्ट चौथी श्रेणी के अपराध को शामिल नहीं करता। जहां अपराध के लिए अधिकतम दंड सात साल से अधिक के कारावास का प्रावधान तो है, पर न्यूनतम दंड नहीं बताया गया और उसे अधिनियम के अधीन जघन्य अपराध समझा गया। इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार ने संबंधित क्लॉज में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिससे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इस विसंगति को दूर किया जा सके। इस विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1 में 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जिनको जघन्य अपराध में जोड़ा गया है, 16 साल से कम आयु का बच्चा भी यदि शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कोर्ट में उस केस को रेफर कर सकता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में दिख रहा है कि बाल अपराधों की संख्या काफी बढ़ रही है।

दस साल का बच्चा मर्डर करने लगा है, दस साल का बच्चा रेप करने लगा है, यह समाज में बदलाव देखने में आ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण टीवी कल्चर है। व्हाट्सैप, फेसबुक, बच्चों द्वारा पबजी खेलना, ब्लू व्हेल खेलना आदि। ये खेल हिंसात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं। हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह के खेलों को सख्ती से बंद करने के लिए कदम उठाया, बच्चे इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व न हो पाएं और स्वाभाविक रूप से बच्चों की ग्रोथ हो सके।

बाल कल्याण समिति को शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान से जोड़ा गया है और बाल कल्याण समिति में मनोवैज्ञानिक, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। दिव्यांग बालकों के लिए काम करने के लिए जिनका इस क्षेत्र में विशेष अनुभव है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाल कल्याण समिति में रखा जाएगा तो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकेंगी।

माननीय सभापति जी, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें कोट करना बहुत जरूरी है। मैं कोरोना काल में कानपुर के एक बालिका गृह का उल्लेख करना चाहता हूं। कोरोना काल में 27 बेटियां कोरोना से संक्रमित हो गईं, इस समाचार को मीडिया ने खूब उछाला। लेकिन उसी बाल गृह में दो बेटियां यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्रमश: 71 और 73 अंक लेकर पास हुईं। यह इस बात को बताता है कि विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव में भी जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, उन बेटियों ने अच्छा रिजल्ट लाकर बताया कि प्रतिभा कहीं भी अपना स्थान बना सकती है। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा, मुंबई के संरक्षण गृह में रहने वाली बच्चियां आज इंजीनियरिंग कर रही हैं, एमबीए कर रही है और डिप्लोमा करके बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियों में काम करने के लिए जा रही हैं। एक बालगृह का उदाहरण यहीं का है, वह बहुत अच्छी पेन्टिंग बनाता था, वह बड़ा होकर बाहर चला गया, लेकिन वह बच्चा अभी भी बालगृह में आता है। वह वहां के छोटे बच्चों को पेन्टिंग करना सिखाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति बालगृह से निकला था, वह अभी भी आता है और बच्चों के बीच में आकर बैठता है, वह उनको नाटक सिखाता है, वह नाट्य मंडलियों में काम करने के लिए चला गया, लेकिन बालगृह से अपना रिश्ता नहीं छोड़ा।

सभापति जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं टीकमगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं। टीकमगढ़ में एक आंटी जी शिवकली रुसिया जी हैं। वह संतानहीन हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मजबूती का आधार बनाया। वह छोटे अनाथ बच्चों को धर्मार्थ शिशु गृह में रखती हैं और एडॉप्शन की प्रक्रिया से संतुष्ट होने के बाद ही बच्चों को भेजा जाता है।

सागर में एक संजीवनी बाल आश्रम है, सत्यभामा आचार्य जी उस आश्रम का संचालन करती थी, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। वह बच्चों के भोजन और शिक्षण की व्यवस्था अच्छी तरह

से करती थीं और बेटियों की शादी इस तरह से करती थीं कि वह उनकी सगी बेटी हो। जब लोगों ने देखा तो शहर के बहुत बड़ी संख्या में समाजसेवी उस व्यवस्था से जुड़ गए। आज संजीवनी बाल गृह में बेटियों की शादी बहुत अच्छी तरह से होने लगी है।

मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन का कार्यक्रम अपने घर पर कभी नहीं किया। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उसी संजीवनी बाल आश्रम में जाकर अनाथ आश्रम के बीच बैठकर जन्मदिन मनाया। आज मेरी बेटी डॉक्टर निवेदिता रत्नाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र बदल गया और मैं टीकमगढ़ आ गया। मेरी बेटी को संजीवनी बाल आश्रम के लिए घर से खाना और मीठा बनाकर ले जाती है और उन बच्चों के बीच बैठकर अपनी बेटी का जन्म दिन मनाती है।

केवल अनाथ आश्रम निराश्रित बच्चों की समस्या का समाधान नहीं है। हमें उन आश्रमों के साथ जागरूक नागरिकों को जोड़ना पड़ेगा, समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब समाज अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए आगे आएगा तो बाल गृह की व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी और वहां से शिक्षित और संस्कारित बच्चे निकलेंगे ताकि वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकेंगे।

एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कोलकाता में एक बालिका गृह में गया था। मैंने देखा कि उस बालिका गृह में एक बच्ची बहुत अलग तरह की है, वह बहुत अच्छी बच्ची थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मैंने उस बच्ची से पूछा तो बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है, उसके पिता सर्विस में थे। उसकी माँ जम्मू से अपने बच्चों को लेकर कोलकाता आई थी, वह महिला जिस होटल में ठहरी थी, उसके पैसे सारे खत्म हो गए तो होटल मालिक ने माँ को जेल भिजवा दिया, बच्ची को बालिका गृह में भेज दिया और बेटे को बाल गृह में भेज दिया। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हमने वहां के संबंधित अधिकारियों से बात की, कोर्ट में उस महिला की जमानत होने की प्रक्रिया में हम लोग क्यों पीछे रह गए, फिर उसकी जमानत हुई और उसे छोड़ा गया, इस तरह की घटनाएं अंदर तक

झकझोर देती है। एक चीज और देखने में आई कि दूसरे राज्य के बच्चों को मछली खाने के लिए प्रेरित किया जाता था।

अगर जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश या राजस्थान का कोई बच्चा भटककर वहां पहुंच जाता है तो उस तरह का खानपान नहीं ले पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बालगृहों में जो बच्चे दूरस्थ राज्यों के हैं, उनकी सही पहचान करके उनको अपने-अपने राज्य में भेजा जाए। उसी बालगृह में दस बच्चे बांग्लादेश के भी थे। अगर बाहर से बच्चे हमारे देश में आ गए हैं तो उनको वापस भेजने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

अंत में, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही अच्छा बिल लाया गया है। यह बिल स्वागत योग्य है। मैं इसका समर्थन करता हूं। …(व्यवधान)

सभापति जी, मुझे आखिरी वाक्य कह लेने दीजिए। हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? वह सोचते हैं कि मैं बड़ी ही सावधानी से अपना कदम उठाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पीछे बच्चा आ रहा है और वह बच्चा कहता है कि मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता हूं। ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, बर्फ के बीच, मैं उस बच्चे के भविष्य को बनाना चाहता हूं, जो बच्चा मेरे पीछे आ रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, अभी 12 वक्ता शेष हैं, शून्य प्रहर भी लेना है और यह बिल भी पास करना है। आप समय का थोड़ा ध्यान रखें और तीन-चार मिनट में बात पूरी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

…(व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी से अकेला वक्ता हूं। यह बहुत जरूरी विषय है और यह मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे अधिक समय बोलने की अनुमति दें, तीन मिनट में नहीं हो पाएगा।

मैं आपका और सदन का आभारी हूं कि आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया। मैं सब वक्ताओं की बात सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा कि माननीय मंत्री जी, जो एक महिला हैं, जो बच्चों के बारे में इतने अच्छे से जानती हैं, समझती हैं और उनके बारे में सोचती हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल पेश किया है। I am really obliged, and I congratulate the hon. Minister.

Sir, the amendment intends to empower District Magistrates and Additional District Magistrates to authorise orders of adoption, proposes that appeals on the orders of adoption may be referred to the Divisional Commissioner, and to strengthen Child Welfare Committees by incorporating provisions relating to educational qualifications for the members and for stipulating eligibility conditions for section of the Committee.

Sir, as per the Cabinet decision, in every district the District Magistrate and the Additional District Magistrate will get the power to monitor functions of agencies responsible for the implementation of the Act. The District Child Protection Unit will also function under the District Magistrate.

Sir, the Bill makes the District Magistrate the grievance redressal authority for the Child Welfare Committees and anyone connected with the child may file a petition before the official who shall consider and pass appropriate orders. इससे पहले कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाता था, इसलिए तब बहुत लंबा वक्त लग जाता था। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर आ जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी समाधान होगा, कोई ऑर्डर निकले चाहे वह एडॉप्शन को लेकर हो या कोई भी इश्यू हो।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि हर केस के एक्सपीडिशियस डिस्पोजल पर ध्यान दिया जाए। It should also reflect on their CCRs. तभी जाकर इस पर और ध्यान देकर इस पर काम करेंगे। मेरी समझ है कि आप इस पर गौर करें ताकि आपका जो नीट और क्लीन उद्देश्य है, वह क्लियर हो जाए।

On the Child Welfare Committee, the Bill mentions that no person shall be appointed as a member unless they have been actively involved in health, education, or welfare activities pertaining to children for at least seven years, or is a practising professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human development. इसमें थोड़ी सी डिटेल्ड क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए। जैसे हम इसमें लिख रहे हैं, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या ह्यूमेन डेवलपमेंट। इसमें डिटेल्ड क्लेरिटी चाहिए क्योंकि आज की तारीख में कोई भी अपने नाम के नीचे सोशल वर्कर लिख देता है।

कोई भी हो, वह कोई भी काम कर रहा हो, अचानक से किसी को सोशल मीडिया माइलेज लेने का मन करता है, तो केवल सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट लिख देना सही नहीं होगा या पूरा नहीं

होगा। We should not have any legal case filed against any person, him or her, who will be involved in this Committee. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो भी आएंगे, किसी के खिलाफ कोई भी केस नहीं होना चाहिए। यदि किसी के ऊपर केस हो, तो वह चलेगा, लेकिन, यदि कोर्ट ने उनको एक्यूज्ड प्रूव कर दिया है, तो वह नहीं होना चाहिए।

There are a few things where this Bill fails to target some key issues in the principal legislation. अगर, आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं, तो you can please reply. The primary area of examination in the Act is that of the children in conflict with law. The lowering of age from 18 years to 16 years for juveniles committing heinous crimes has been heavily criticized, both by child rights activists as well as by the Parliamentary Standing Committee in its 64th report on the Juvenile Justice Act 2015. This clause has been introduced to act as a deterrent against child offenders. However, the impact and the scientific backing of the move is quite ambiguous.

Earlier, all children below the age of 18 years were treated equally. Now, the Act also permits a juvenile between 16 and 18 years to be tried as an adult for serious offences if caught by investigative agencies after turning 21-year-old. This is a significant departure from the principles of due process as laid out in the infamous case which I do not want to name here. But there have been evidences before this which prove this and which stand correct for these kinds of things. Justice J.S. Verma Committee’s report also found itself against the move of reducing the age for juveniles from 18 years to 16 years in case of heinous crimes.

The report cited the Convention of Rights of Child which mandates that life sentence should not be given to those below 18 years of age. The age of 16 to 18 years is a critical one where many sensitive and hormonal changes take place and children require greater protection. Therefore, there is no need to subject juveniles to adult judicial system as it also goes against Articles 14 and 15. Maybe I have failed in understanding, but this is what I have understood from the Bill and I am raising my issues. The hon. Minister can correct me in her reply. The reduction of age should have been overturned in the current Bill.

I would come to the issue of the capacity to commit crime. Another blatant violation of the principle of natural justice is found in section 15 of the Act. This section prescribes the Juvenile Justice Board to conduct an assessment into the capacity of the juvenile to commit a crime. It is essential to understand that the language of this section presumes the child to be guilty from the beginning regardless of whether he or she actually committed the crime or not. This appears to be a case of sentencing before guilt and is against the test of procedural fairness. This provision stands unchanged in the current Bill. बच्चे जब तक प्रूव नहीं हो जाते हैं कि वे गिल्टी हैं, तभी से हम उनके दिमाग में यह डालने की कोशिश करते हैं, हो सकता है, वह गलत हो, तो उनके माइंड में लाइफ लांग स्टिग्मा रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब माननीय डॉ.वीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आजकल के दौर में ज्वाइंट फैमिली का कितना महत्व है। आप इस बिल में, जो अमेंडमेंट लेकर आई हैं, उसकी मैं बहुत सराहना करना चाहूंगा। आपने कहा कि केवल राइट टू चाइल्ड वेलफेयर या जे.जे.बोर्ड को न दिया जाए, and you have also

asked for a doctor or a psychiatrist to be involved in that. This is a very welcome step and I really appreciate that.

मैं ज्वाइंट फैमिली के बारे में बता रहा था। Parental alienation is psychological manipulation of children by acts of tutoring and brainwashing a child to reject their other parent and immediate family members like grandparents, cousins, uncles, aunts, and anyone else in a family.

It is causing psychological harm. It is the worst form of emotional, social and psychological abuse. Parental alienation is a child protection issue under Section 75 of the JJ Act. Family courts need to act *suo motu*. Shared parenting must be honoured and it should be made mandatory. It is because having and getting love from both father and mother is every child's right. We should not deprive them of this right.

मैडम, मैं आपको एक छोटी-सी घटना के बारे में बताना चाहूंगा, आपकी नज़र के सामने लाना चाहूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपसे और आपके मंत्रालय से हो सके, तो इस पर गौर फरमाया जाए। मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक केस आया है। मुझे बताया गया है कि एक बच्चा था, वह इस माह की 22 तारीख को चार साल का हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से वह बच्चा अब जीवित नहीं है। पता नहीं, उसको क्या हुआ, कैसे हुआ? यह बिहार के औरंगाबाद जिले का केस है। There is some difference between his parents. But that is a separate issue. Let the courts decide. The child has lost his life. उस बच्चे को किसने मारा है या जो कुछ भी हुआ है, उसकी अभी तक सही तरह से छानबीन नहीं हुई है। कोई इन्वेस्टीगेशन भी नहीं हो पाई है। उस

बच्चे का नाम धैर्य है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पर फोकस किया जाए। वह व्यक्ति कोई भी हो, भले ही वह उसके पिता पक्ष का हो या उसके माता पक्ष का हो या कोई और भी हो, इसके लिए जो कोई भी दोषी है, उसको दंड मिलना चाहिए। It is a sincere request to you through the hon. Chairperson. मैं बस इतना ही कहूंगा। I once again appreciate this Bill. Thank you so much, Sir. Vande Mataram.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for allowing me to make my observations on this very important Bill, that is the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021.

Sir, there are positive and negative sides in this Bill. Coming to the positive side first, in the parent Act also, there was criteria for appointment of members to Child Welfare Committee. In this amendment Bill, you have added additional criteria for the appointment of CWC members. That is very good. Let us have a very good Committee, a Committee of qualified hands, dedicated persons, dignified persons, and things like that. We must have such competent persons in a Committee like this.

Coming to my second point, in the parent Act, there was no provision for appeal on the order made by the Child Welfare Committee finding that a person is not a child in need for care and protection. This Bill removes this provision. This paves way for ensuring justice. That also is a positive kind of approach the Government has taken.

Similarly, I now come to the negative points. Till now, district courts were empowered to give adoption. Now, this Act takes away the power from the district courts in the matter of adoption and entrusts it with the District Magistrate. I strongly object to it. That is not fair. Some of my friends were saying that a District Magistrate is overloaded and he cannot take this power. That is not my

reason. A judicial decision has its own significance. But if we take away the judicial power and handover that to the District Magistrate, I respectfully differ with your views on this.

Similarly, in this Bill, clauses 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24 are taking away the powers of the district courts and empowering the District Magistrate regarding similar issues. Those clauses may be deleted.

That is the negative point of the Bill, which I wanted to stress. Why I am saying it as the negative point is, because I believe that judiciary is the best independent functioning authority rather than the executive.

In sub-clause 6 of Clause 2, the words used are, “who does not have parents”. I wish it to read as, “who does not have parents or other relations”. So, this may be added.

I would like to say one more thing. We work meticulously while making legislation. We analyse and discuss the issue threadbare and then make a legislation. Even though we make very good landmark legislation like the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, what is the ground reality? We are proud enough to say that we have made such legislation but when it comes to the implementation part, I would like to say that it is done in a dead slow manner. While travelling on Indian roads you could see children of school going age carrying heavy weights and things like that. People misuse them for works like car

washing. All kind of exploitation is taking place. When we are making a law like this, I would like to remind the hon. Minister and the Government, that we are not making a law just for the sake of law. It has to be implemented also. The Government should keep this in mind. I hope the Government will realise it. With these words, I conclude.

Thank you, Sir.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपको सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सदन में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, **2021** पर बोलने का अवसर दिया। मेरे पूर्व भी पक्ष और विपक्ष के कई विद्वान सांसदों ने अपनी बात इस बिल पर रखी है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने देश के बच्चों के प्रति बहुत बड़ी चिंता जताई है। जैसा की इस विधेयक के बारे मे बताया गया है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में बच्चों की बेहतर तरीके से रक्षा करना है। किशोर न्याय अधिनियम भारत के संविधान के अनुसरण मे बनाया गया है, जो बालको के लिए समान अधिकारों का अधिदेश करता है और राष्ट्र को अन्य बातों के साथ बालको के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करने के निर्देश भी देता है। यह बात आपने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में भी कही है।

सभापति महोदय, आपने विधेयक मे बताया है कि यह बिल जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को और अधिक सशक्त करेगा, साथ ही जिला स्तर पर बाल संरक्षण की प्रकिया सुचारू हो जाएगी, जिसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि जिला स्तर पर जो बाल कल्याण समिति होती है, वह एक न्यायपीठ की तरह काम करती है और ऐसे में किसी बालक या बालिका को दस्तयाब करना होता है तो क्या बाल कल्याण समिति पुलिस को निर्देश दे सकती है या नहीं दे सकती है, क्योंकि पहले दे सकती थी। अभी मार्च माह में मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में कार्यरत एक महिला पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने यह कहा था कि बाल कल्याण समिति पुलिस को निर्देश नही दे सकती है। एक तरह से यह बाल कल्याण समिति की अवमानना है। ऐसे मामलों में आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ऐसे में पुलिस और इस संस्था मे टकराव आता है। कहीं न कहीं हम जिस उद्देश्य से कानून लाते हैं, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कानून के रक्षक इस प्रकार की समितियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करेंगे तो यह संस्थाएं मजबूत कैसे होंगी। इस विधेयक के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया को जिला स्तर पर ही पूरा करने का

उद्देश्य बताया है**,** जो अच्छा कदम है**,** क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम की धारा **56** की उपधारा **(1)** यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधो के अनुसार अनाथ**,** परित्यक्त आदि बालको के लिए कुटुम्ब के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दत्तक ग्रहण का उपाय अंगीकृत किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा **63** यह उपबंध करती है कि दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण आदेश ही अंतिम माना जाता है**,** परन्तु न्यायालय मे ऐसे मामलो को निपटाने में लंबा समय लग जाता है। इसलिए आप जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर ही इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से लाए हैं।

यह अच्छी बात है। यह अधिनियम किशारों पर व्यस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज बड़े गंभीर अपराध करके लोग केवल इसलिए छूट जाते हैं कि उनकी आयु 17 साल 11 महीने और 29 दिन होती है। अगर कोई अपराधी 18 साल से कम आयु का हो तो उसे तीन साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती है। राजस्थान के अंदर और देश के अंदर कई ऐसे अपराध हुए। ऐसे कई बड़े गिरोह हैं, जो सोची-समझी चाल के तहत क्राइम कराने के लिए बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। आपने जो जघन्य अपराधों के मामले में सजा के लिए 16 साल तक की आयु को शामिल किया है, वह स्वागत योग्य कदम है और बड़े अर्से से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आज जब देश के अंदर छोटी बालिकाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ीं तो निश्चित रूप से देश की सरकार ने इसकी चिन्ता की और यह बहुत ही आवश्यक था कि आपने इस आयु को घटाकर 16 वर्ष किया। बाल अपराध की दर दिन-प्रतिदिन बढ़ने और ऐसे अपराधों की प्रकृति भी जटिल होने की वजह से, आज के बिल का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश में बाल अपराधों, बच्चों के साथ घटित होने वाले अमानवीय कृत्यों और यौन शोषण के बढ़ते मामलों पर भी सदन में चिंतन करने का अवसर मिला। वर्ष 2019 तक एनसीआरबी ने शोषण, यौन शोषण और बच्चों के खिलाफ अपराधों के जो आंकड़े जारी किए थे, वे चिन्ताजनक हैं। वर्ष 2017 में इस श्रेणी के 1 लाख 29 हजार 32 मामले

दर्ज हुए। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 1 लाख 41 हजार 764 हो गया और वर्ष 2019 की सूची में यह आंकड़ा बढ़कर 1 लाख 48 हजार 185 हो गया। इसी प्रकार मेरे राजस्थान में वर्ष 2017 में 5,180 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 7,385 हो गए।...(व्यवधान) सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति जी, मंत्री महोदया ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, आपने जिस बात की चिंता व्यक्त की, मैं उसी पर आपका पुन: ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार से या अन्य माध्यमों से बच्चों के संरक्षण के लिए बजट तो जुटा लेती हैं, मगर उसको सही रूप में खर्च नहीं करती हैं। कहीं पर खाना सही नहीं है तो कहीं पर अन्य प्रकार की अव्यवस्था पाई जाती है। इसको लेकर आप क्या करेंगे? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कभी-कभी तीन मिनट में भी अपनी बात पूरी करनी चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, फिर सारी बातें नहीं आ पाएंगी।

इन अव्यवस्थाओं को लेकर आप क्या करेंगे, इस बारे में जरूर बताएं? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की तरफ दिलाना चाहूंगा कि देश में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते मामले और गुमशुदगी का मामला दर्ज होने के बाद उन्हें ढूंढने में जो ढिलाई बरती जाती है, वह चिन्ताजनक है। बाल तस्करी के बढ़ते मामले भी चिन्ताजनक है। मेरा सुझाव है कि बाल भिक्षावृत्ति को रोकने पर भी सदन को गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरे ख्याल से सभी विषय आ गए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, कई स्थानों पर संगठित गिरोह गरीब, असहाय बच्चों व तस्करी करके लाए गए बच्चों से भीख मंगवाते हैं। ऐसी जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास होने के बावजूद कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, ऐसी जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास होने के बावजूद कोई कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए बच्चों के संरक्षण के लिए हमें इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं न्यायपालिका के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मगर जनवरी, 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय के जो शब्द सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, उनकी तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोर्ट ने कहा कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब स्किन टू स्किन सम्पर्क हुआ हो। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं में केवल जबरन छूना ही यौन हमला नहीं माना जाएगा। ऐसे जज को हटाया जरूर गया है, लेकिन हाई कोर्ट के ऐसे जज को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है। सभापति महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप बैठिए।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस संशोधन विधेयक के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी।

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि आलोचना नहीं हुई, सुझाव आए और प्रशंसा आई। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं कि उनके परिश्रम ने वास्तव में इस पूरे सदन को एक करके, बच्चों के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित किया है।

महोदय, हमारा राष्ट्र सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना को देखें, उसके अनुसार 45 करोड़ लोग या नागरिक 18 साल की आयु से नीचे हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम यूनिसेफ के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट है कि तीन करोड़ से ज्यादा बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो अपराध के कारण कहीं न कहीं सुविधाओं से वंचित हैं, अपने घरों से अलग हैं या वे परित्याग कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, अनाथ हो गए हैं और विभिन्न कारणों से वे अनाथ होकर विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं।

यह जो हमारी इंस्टीट्यूशनेलाइज्ड व्यवस्था है, जो संस्थागत व्यवस्था है, जिसको हम अलग-अलग स्तरों पर बाल संरक्षण गृह के नाम से बुलाते हैं, उसमें अभी तक केवल और कुल साढ़े चार लाख बच्चे ही हैं। ज्यादातर गैर इंस्टीट्यूशनेलाइज्ड में हैं या सड़कों पर हैं या फिर इधर-उधर भटक रहे हैं। इस देश के छह करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम में पाए गए हैं। यह बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के समाधान के लिए हमारी सरकार बहुत ही कटिबद्ध है और मेहनत भी बहुत की की जा रही है। अगर हम जेजे एक्ट की बात करें तो आप जेजे एक्ट को देखिए, उसमें वर्ष 1985 से वर्ष 1993, वर्ष 1993 से वर्ष 2000, वर्ष 2006, वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017, वर्ष 2018 और अब वर्ष 2021, लगातार इसमें

संशोधन किए जा रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि संशोधन से क्या होगा? यहां कानून बनते हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं होते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि अगर कोई भी व्यवस्था कानूनी नहीं होगी तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? मैं बधाई देना चाहती हूं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बच्चों को बराबर का नागरिक अधिकार दिया है। मैं अपनी सरकारों को बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, उनके साथ स्वयं को संबद्ध किया। संयुक्त राष्ट्र की विश्व की ऐसी कोई संस्था नहीं है, जिससे हम संबद्ध नहीं हुए हैं। इनमें United Nations Convention on the Rights of a Child, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, The Hague Convention है। हमने इनके अलावा, Ratification of the UNCRC in 1992 पर भी हस्ताक्षर किए। हमने सिर्फ हस्ताक्षर ही नहीं किए, बल्कि काम भी किया है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। पहले बच्चे की जान बचाइए, उसकी जान बचाने के बाद, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका सर्वांगीण विकास, उसका पोषण हर पक्ष का ध्यान रखा जाए। इसीलिए उन्होंने कितनी सारी योजनाएं लागू कीं। उनमें चाहे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' हो, चाहे 'फिट इण्डिया' हो, चाहे 'खेलो इंडिया' हो, चाहे कौशल विकास की व्यवस्था हो, चाहे हमारी नई शिक्षा नीति हो, उनमें हर एक बच्चे का ध्यान रखकर, उसको फोकल पॉइंट बनाकर योजनाएं बनाई जा रही हैं।

इसी प्रकार से 'सबका साथ, सबका विकास' में इन तीन करोड़ बच्चों को कैसे छोड़ देते। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने इस प्रकार का बिल चर्चा के लिए पेश करवाया है। अभी अपराजिता जी ने कहा था कि एक विद्वान ने कहा था कि put the right person in the bus. इस देश के लोगों ने इस देश की स्टीयरिंग एक अत्यंत योग्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दी है। मैं

नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने अपना कंडक्टर सही चुना है। हमारी स्मृति ईरानी जी वास्तव में बाल कल्याण की बस को बहुत तेजी से ले जा रही हैं। जो हमारे विचार हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनको प्राप्त करेंगे।

महोदय, सभी ने इस बिल के सारे पहलुओं पर बिंदुवार चर्चा की है। यह सत्य है कि जो जेजे एक्ट है, वह दो तरह की चीजों से संबंधित है और उनको एड्रेस करता है। पहला है कि जो कानून का उल्लंघन करके और कहीं न कहीं जेजे एक्ट के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह में आए हैं या अदालतों में जिन पर केसेज़ चल रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह के क्राइम्स किए हों, चाहे छोटा क्राइम हो, चाहे जघन्य अपराध हो, चाहे वह गम्भीर अपराध हो, इन सब अपराधों को श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता थी। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और उसने यह सुझाव दिया कि इसमें क्या-क्या अपराध आते हैं। इसमें अपराध हैं कि षड्यंत्र में शामिल थे, अपराध में उकसाया या राष्ट्र के विरुद्ध किसी कार्य में भाग लिया अथवा होमीसाइड, हत्या हुई, हत्या करने की उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन गलती से हत्या हुई, ये सारे जो इश्यूज हैं, इस तरह के अपराधों को श्रेणीबद्ध किया गया है। इनको श्रेणियों में बांटकर इन अपराधों पर इनको क्या सजा मिलेगी, क्या दंड मिलेगा उसका कैटिगराइजेशन नहीं हुआ था, जो अब किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हम लोगों में क्लेरिटी है कि इन बच्चों का कैसे और क्या होगा? …(व्यवधान) चेयरमैन सर, बोलने के लिए तीन मिनट तो बहुत कम होते हैं। लोग तो 30-30 मिनट बोलते हैं।

माननीय सभापति : छः मिनट हो चुके हैं। आप बोलिए, आपको सावधान किया गया है। आप जल्दी कन्क्लूड कीजिए।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी : कन्क्लूड नहीं बिल्ड कर लीजिए। जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री थी तो मैंने देखा कि जो कोर्ट में केसेज़ हैं, वे बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं। उनमें चाहे जेजे कोर्ट के केसेज़ हों, चाहे

अदालतों के केसेज़ हों। जो केसेज दो महीने में निपट जाने चाहिए थे, वे दो साल, चार साल और पांच-पांच साल से लंबित हैं। हमने मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद से संपर्क किया। उन्होंने एक बैठक बुलाई और यह तय हुआ कि जजेज का सेन्सिटाइजेशन किया जाएगा। आप यकीन मानिए कि उन्होंने एक बड़ी कांफ्रेंस बुला कर सभी को सेन्सिटाइज्ड किया कि आप यह जल्दी करें। इसलिए जो लाया गया है, वह आवश्यक था।

एडॉप्शन जे. जे. एक्ट का महत्वपूर्ण अंग है। आप खुद देखिए कि भारत में बांझपन की क्या स्थिति है। ऐसे कपल्स लगभग साढ़े तीन करोड़ हैं, जो बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन वे बच्चों को गोद नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उनके बांझपन पर लोग हसेंगे। जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उनको आसानी से बच्चे नहीं मिलते हैं। आप देखिए कि एक वक्त में कभी भी 20 हजार से ज्यादा लोग लाइन में नहीं हैं, उनको भी वह नहीं मिल पाता है। मैं कहती हूं कि इसको सरल बनाया जाए। 'कारा' आया बहुत अच्छा आया, अब सारा गया, बहुत अच्छा आया, क्योंकि हमारे यहां एडॉप्शन इंस्टीटूशनाइज होना चाहिए और यह बिना संस्थागत नहीं होना चाहिए, यह कानून के दायरे में होना चाहिए। इस कानून को बहुत बड़ा बना दिया गया है। पहले आप ऑनलाइन पंजीकरण कीजिए, उसके बाद आपकी इनक्वायरी होगी, उसके बाद लीगली फ्री माना जाएगा, फिर एडॉप्शन आएगा, मेल-जोल होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। दो साल से लेकर सात साल तक, ज्यादातर समय एडॉप्शन में बीत जाता था, लेकिन अब जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे एडॉप्शन पर निर्णय ले सकें, तो निश्चित रूप से एडॉप्शन जल्दी होगा। यह चिंता है कि उनको घर का वातावरण, परिवार का वातावरण कैसे मिले, वह वातावरण बच्चों को मिलेगा।

मैं संप्रेषण घरों के बारे में कहना चाहती हूं। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहती हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिसे मैं शेयर करना चाहती हूं। संप्रेषण घरों में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक, जो जे.जे. एक्ट के तहत अपराध से संबंधित बच्चे आते हैं, दूसरी तरह के वे बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, खो गए

हैं या एबनडन चिल्ड्रेन हैं। इनके लिए एक ही जगह व्यवस्थाएं हो जाती हैं। एक तरह से जेल की स्थिति बना कर एक फ्लोर, दो फ्लोर पर उनको बंद कर दिया जाता है। वे बाहर नहीं निकल सकते हैं, वे खेल नहीं सकते हैं। उनके लिए वहां व्यवस्था होती है, लेकिन जहां 40 बच्चे होने चाहिए, वहां डेढ़-दो सौ बच्चे बंद होते हैं। वहां बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या यह किया जा सकता है कि जैसे जेल रिफॉर्म्स में खुले जेल बनाए जाते हैं, क्या संप्रेषण घरों में ऐसे बच्चों को खुले वातावरण में रहने की व्यवस्था दे सकते हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि इस एक्ट में अच्छे संशोधन हुए हैं। स्मृति ईरानी जी निश्चित रूप से इसको जमीन पर लाएंगी। कानून बनता है और अब कानून के क्रियान्वयन के लिए जो विधि बनाई गई है, यह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, सदन में the Juvenile Justice (Care and protection of children) Amendment Bill, 2021 पर चर्चा हो रही है। अभी मंत्री महोदया, स्मृति ईरानी जी लॉबी से क्रॉस कर रही थीं तो एक महिला को यह बता रही थीं कि इन्होंने जो अमेंडमेंट बिल, 2015 में इंट्रोड्यूस किया था, उसके ऊपर इतने सालों से काम करते-करते, we have not missed a single point in this Bill कि जिससे लोगों को हार्म पहुंचे, और बल्कि इससे लोगों को अब सुविधा मिलेगी। मैं इनको दिल से धन्यवाद करती हूं। ज्यूवेनाइल अमेंडमेंट बिल, 2015 में लाया गया था। बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है, वह अगर हीनियस क्राइम करता है, उस पर एडल्ट क्राइम का एक्ट ट्रीट किया जाए, यह एक बहुत अच्छा डिसिजन हमारी मंत्री महोदया द्वारा लिया गया है। अगर कोई बच्चा या व्यक्ति 17 साल, 11 महीने, 29 दिन का होता है, तो उसे हीनियस क्राइम करने के बाद भी, एक दिन के एक्सक्यूज के कारण उसे वही सजा मिलती है, जो माइनर को मिलती है और वह तीन सालों में रिहा हो जाता है। आप बिल में यह प्रावधान लायी हैं, उससे 16 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों ने जो क्राइम किया है, उनको सजा मिलेगी। आज कल आप देखेंगे तो पाएंगे कि 16 साल के किड्स, छात्र बड़े लोगों के साथ डिबेट कर रहे हैं, कि you are wrong and I am right. जब सोलह साल का बच्चा इस पर डिसकशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है, तो उसे इस चीज का अनुभव है कि वह जो क्राइम कर रहे है, वह किस होश में कर रहा है और किस तरीके से कर रहे है।

उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, जैसे किसी एडल्ट को ट्रीट किया जाता है और क्राइम की सजा दी जाती है। हमारे पास ऐसा ही एक उदाहरण है, निर्भया केस में जब दिल्ली में गैंपरेप होता है, उसमें शामिल एक व्यक्ति 18 साल से सिर्फ कुछ दिन कम होता है, उसे सिर्फ 3 साल की सजा होती है और वह छूटकर अपने घर चला जाता है। बाकी लोगों को सजा होती है, वह 18 वर्ष की आयु से सिर्फ कुछ दिन छोटा होता है। इसलिए इस बिल में जो नया प्रावधान लाया गया है, उससे पता चलेगा

कि आज बच्चों की समझदारी की क्या स्थिति है। हम 25 साल पहले नहीं खड़े हैं। पहले 20 और 25 साल के लोग जितने मैच्योर्ड होते थे, आजकल के बच्चे 16-17 साल में मैच्योर्ड हो जाते हैं। हम टेक्निकली, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि we know every single thing कि देश में क्या हो रहा है और हम कितने मैच्योर हैं? हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि you are wrong और हम इस चीज में सही हैं, क्योंकि हम सोशल नेटवर्किंग में आपसे आगे हैं।

इसी के दौरान कई चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 15, 21, 21A, 23, 24, 39E, 39F के तहत भारत के संविधान में किशोरियों के अधिकारों को अधिकृत और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी रक्षा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। मुझे लगता है कि श्री लक्ष्मीकांत पांडे जी का एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि हर किशोरी को उचित देखभाल और हरसंभव सहायता और स्नेहोचित सभी फैसिलिटी देनी चाहिए, ऐसी उनकी लड़ाई में दिखाई दिया। एक अच्छे परिवार और वातावरण में उन्हें रहना चाहिए। इसे सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। इन किशोरियों को सरकारों के द्वारा सर्वसंभव देखभाल और सहायता प्रदान की जाए। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन किशोरियों के चेहरों को उन भविष्य के विकास के लिए उपभोक्ता बनाया जाए और वे न्यायतंत्र की शिकार न बने।

यह एक रिकॉर्ड की बात है कि इन किशोरियों को कठोर और क्रूर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे उनके रहन-सहन की स्थिति हो या उनको मिलने वाली भोजन और शिक्षा की परिस्थिति हो, उन्हें जिन स्थितियों में रहना पड़ रहा है, वह उनकी परवरिश के लिए उचित नहीं है। यह सुनिश्चित करने का एक उच्च तरीका है। उन्हें रहने की स्थिति प्रदान की जाए। ये सुनिश्चित करना है कि वे जल्द से जल्द परिवारों को प्यार से अपनाएं। किशोरियों के न्याय अधिनियम, वातावरण प्रावधान व किशोरियों को तेजी से गोद लिए जाने के लिए सुनिश्चित करने के काम हैं।

जैसे जिलाधिकारी के स्तर पर गोद लिए जाने की प्रक्रिया को समाप्त करने से गोद लेने की प्रक्रिया में भारी गिरावट आएगी, इससे जिला मैजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी किशोरियों की जरूरतों को समझने और पूर्ण करने की बेहतर स्थिति में होंगे। इससे किशोरियों का पुनर्वास समाज में पुन: करने की उच्च सुविधा करने में वे सक्षम होंगे। बाल कल्याण समिति में ये सुनिश्चित करने के लिए सुधार किए जाएं कि समिति के सदस्य पेशावर हों, जो यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, योग्यता रखते हों कि निर्णय किशोरियों के सर्वहित में हो। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जो बच्चे सिग्नल पर भीख मांगते हैं, आप भी क्रॉस करती हैं, हम भी क्रॉस करते हैं, this is not related to this bill, लेकिन आज आप सामने हैं और जो फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिन बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं, उनके लिए एजुकेशन के राइट्स आने वाले समय में हम किस तरह ला सकें, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि जिस तरह से एक अभिभावक अपने पूरे परिवार का ख्याल रखता है, छोटी-छोटी चीजों का भी वे ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के हरेक लोगों के लिए ध्यान रखा जाता है। 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास', यह केवल हमारा नारा नहीं है, बल्कि इसे चरितार्थ करने का काम आदरणीय मंत्री जी ने किया। छोटे-से-छोटे मसले पर भी उन्होंने बहुत ही संजीदगी और गम्भीरता के साथ इसे देश में प्रस्तुत करने का काम किया।

मैं आदरणीय मंत्री महोदया के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं। मैं समझ रही हूं कि समय की बाध्यता है। आज जो यह संशोधन लाया गया है, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। चूंकि वे भी एक माँ हैं, एक बहन हैं और निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में स्त्रियों को जो स्वत: एक गुण मिला हुआ है, उसे दृष्टिगत करते हुए, आज यह विधेयक लाया गया है।

इस विधेयक में मुख्य रूप से तीन संशोधन लाए गए हैं। एक तो गोद लेने की जो प्रक्रिया है, हम सब अपने क्षेत्र में और अन्य स्थानों पर भी देखते आए हैं, अभी हाल में हमारे क्षेत्र की ही एक घटना थी कि एक नवजात नदी के किनारे एक दम्पत्ति को पड़ा हुआ मिला। उनका कोई बच्चा नहीं था। उस दम्पत्ति ने डेढ़ महीने तक उस बच्चे को अपने पास रखा। किसी ने इस बात की सूचना दी, चूंकि विधिवत रूप से एडॉप्शन नहीं हुआ था, जिसके कारण उस बच्चे को बाल-गृह में देना पड़ा। आज तीन-चार महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उस दम्पत्ति को वह बच्चा नहीं मिला है।

चाहे कोई बच्चा अपना हो या पराया हो, जब कोई बच्चा किसी दम्पत्ति को मिल जाता है, तो माँ की ममता जागती है। आप इस बात को महसूस करते होंगे कि उस दम्पत्ति के साथ क्या बीतती होगी। इसलिए यह बहुत ही अच्छा हुआ कि जो प्रक्रिया जटिल थी, उस जटिल प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है और मुझे लगता है कि अब गोद लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल होगी। कम समय में जो भी अभिभावक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, वे ले सकेंगे।

हम सब जानते हैं कि किशोर बच्चों के लिए यह जो संशोधन विधेयक- ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट है, चूंकि हम सभी देख रहे हैं कि निर्भया कांड के बाद से जो स्थितियाँ हो रही हैं, कमोबेश हरेक राज्य में ऐसी स्थिति है, लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं और जिसे हम लोग छोटे बच्चे कहते हैं, जैसा कि नवनित राणा जी ने भी कहा कि 16 से 18 साल के बच्चे सही मायने में आज छोटे नहीं रह गए हैं। आज वे सोशल मीडिया के माध्यम से इतने जागरुक हो जाते हैं कि इतने हीनियस क्राइम कर बैठते हैं, जिस तरह से गलत तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन हो रही हैं, उससे हर कोई हिल जाता है। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद लोगों को लगता है कि ये छोटे-छोटे बच्चे जरूर हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं करते हैं, तो इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है कि 16 से 18 साल के बच्चों को सजा दी जाए। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा डिसिजन है। इससे उस तरह की घटनाओं में संलिप्त होने वाले बच्चों को अब इसका भय होगा।

इसमें कहीं-न-कहीं एकल परिवार का भी दोष है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिसे आज बच्चे घटित कर रहे हैं, वह एकल परिवार के कारण भी हो रहा है। अगर बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उन्हें चाचा-मामा-ताई के साथ भी बात करने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में, बच्चों के अकेले रहने के बाद वे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी-न-किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं।

मैं अपनी बातें एक-दो सुझावों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। बाल कल्याण समिति में सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस एक्ट में प्रावधान किया है, वह बहुत ही अच्छा है।

आज हम देखते हैं कि जो बच्चे सम्प्रेषण गृह में होते हैं, चाहे वे क्राइम करने वाले बच्चे हों या जिन बच्चों ने क्राइम नहीं किया है, जो अनाथ हैं, वैसे बच्चे भी वहां रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक जगह रहने के बाद उन बच्चों की मनोस्थिति बिगड़ती है। हमें लगता है कि यह बहुत ही आवश्यक है कि मनोचिकित्सक समय-समय पर वहां जाकर बच्चों की काउंसलिंग करें, ताकि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, यह जानना भी बहुत ही जरूरी है।

इसके साथ ही संवेदनशीलता का विषय भी है। अगर बच्चे संवेदनशील होंगे, तो न ही क्रूरता करेंगे और न ही किसी को क्रूरता करने की इजाजत या छूट देंगे। …(व्यवधान) मैं सिर्फ एक मिनट लेते हुए अपनी बात खत्म करना चाहती हूं। इसके साथ ही मैं अपने यहां के बाल श्रमिकों की बात करना चाहूंगी। बाल श्रमिक चिन्हित होते हैं, बहुत समय तक उन्हें सम्प्रेषण गृह में रखा जाता है और फिर उनके माता-पिता को सौंप दिया जाता है। यह विषय इस बिल से थोड़ा हटकर है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों को अगर हम रखते हैं, तो उनके लिए कौशल विकास – स्किल डेवलपमेंट के लिए हम विचार करें। हम इसे भी प्राथमिकता दें, ताकि उन बच्चों की अच्छे से देखरेख हो सके और वे अच्छे से कोई कार्य कर सकें, ताकि वे बच्चे दोबारा उस रास्ते पर न जाएं।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021 पर बोलने का मौका दिया है। मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा बिल दिया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगी।

आपने हीनियस-क्राइम में एज को 16 वर्ष से 18 वर्ष किया है, लेकिन इसी एज में बच्चों के हार्मोनल डिस्बैलेंस भी होते हैं और जो बच्चे मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, जो ऐसे क्राइम्स करते हैं, उनके लिए इस बिल में क्या प्रावधान हैं? मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय पर उनके सुझाव जानना चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि इस बिल के सेक्शन-26 के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। देश के प्रत्येक जिले चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर (सीडीपीओ) जैसे पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकारों के अधीन होती हैं, जो पीसीएस के द्वारा होती है। इनकी जिम्मेदारी चाइल्ड एंड वूमेन डेवलपमेंट से संबंधित होती है। जब जिले में सीडीपीओ की नियुक्ति बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही होती है, तो उन परिस्थितियों में जिले के जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाना उचित नहीं है। यहां पर वह डीएम के अधीन ही रहता है और सारी प्रक्रिया को डीएम को रिपोर्ट भी करता है। इन परिस्थितियों में सीडीपीओ की जिम्मेदारियों की वृद्धि करना ज्यादा सुसंगत होगा।

सभापति महोदय, इस बिल में एडॉप्शन का जो प्रावधान है, इसको सरल किया गया है, लेकिन इस प्रोसेस को और भी सरल करते हुए छ: महीने या बल्कि दो महीनों में जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि एडॉप्शन की प्रोसेस सिंपल हो सके और इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर जिस कमेटी का प्रावधान किया गया है, इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बच्चों के विकास और अधिकार व उनकी प्रकृति के बारे में जितना एक महिला जानेगी,

उतना एक पुरुष, ग्रैजुएट्स या जितने पढ़े-लिखे मेंबर्स को आपने इस कमेटी में एड किया है और इसीलिए मैं चाहूंगी कि इस कमेटी में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं को दी जाए।

इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी सदस्यता दी जाए, जिससे सांसद और विधायकों को भी इस कमेटी में अपनी भागीदारी मिले और वे उस कमेटी को संचालित करने में मदद कर सकें। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद : सर, मेरा आखिरी पॉइंट है। मैं सरकार का ध्यान बाल सुधार केन्द्रों की तरफ भी ले जाना चाहूंगी, जहां की दशा बहुत ही दयनीय है। वहां खान-पान रख-रखाव आदि की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि बाल सुधार केन्द्रों में खान-पान और रख-रखाव की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनके जो उपाय हैं, वे उनको और सुसज्जित करें। मैं इन्हीं चंद पॉइंट्स के साथ माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टी की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, वे उन्हें अमेंडमेंट्स के रूप में इस बिल में शामिल करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, छ: बज गए हैं। अभी पांच वक्ता और रह गए हैं। माननीय मंत्री महोदया को भी जवाब देना है, जिसके बाद हमें बिल पास करना है। इसके बाद शून्य-प्रहर भी है। यदि आप सबकी सहमति हो, तो हम सदन का समय साढ़े सात बजे तक के लिए बढ़ाते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

माननीय सभापति: डॉ. संघमित्रा मौर्य।

18.00 hrs

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): सभापति जी, आज मुझे एक ऐसे विधेयक पर अपनी बात रखने का मौका मिला है, जिसकी शुरूआत मैं इस लाइन से करना चाहूंगी – जैसे सूखी डाली के टूटे बिखरे पत्ते होते हैं, ऐसे होते हैं मासूम, अनाथ, मजबूर बच्चे। जो बच्चे भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और पूर्व की सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही थी, जो हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। कहते हैं कि बच्चे का दर्द एक माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021 को लेकर आने वाली मातृ शक्ति महिला एवं बाल कल्याण मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी को मैं इस बिल को लाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो मातृ शक्ति को और भविष्य की धरोहर को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर के हम सभी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके इस कार्य करने की क्षमता को देखकर स्वर्गीय अटल बिहारी जी की एक लाइन याद आती है 'मैं हमेशा से ही वायदे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर आया हूं' और यह वही मजबूत इरादें हैं, जो आज इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2021 जो 15 मार्च, 2021 को माननीय मंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया है, इस विधेयक का आशय किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2015 में बालकों को गोद लेने की प्रक्रिया में संशोधन करना है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कानून का उल्लंघन करने वाले और देखरेख तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। यह संस्थागत और गैर संस्थागत संस्थानों में कमजोर बच्चों के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्याय और मामलों के निपटान हेतु अनुकूल दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इस अधिनियम को **16**वीं लोक सभा में भी संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें 'न्यायालय' शब्द की जगह 'जिला मैजिस्ट्रेट' या 'जिला कलेक्ट्रेट' करना था, लेकिन चर्चा

न होने की वजह से यह बिल **16**वीं लोक सभा के कार्यकाल खत्म होते ही रुक गया था। आज इस बिल को लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी और बधाई देते हुए उन बच्चों की पीड़ा को भी बताना चाहूंगी **–**

"वाह रे ऊपर वाले, तूने भी क्या कमाल किया

किसी को सब कुछ दिया और

मेरे हिस्से से माँ-बाप को ही छीन लिया

क्या सच में आसमां से टपकाया है हमें

जो हमसे जीने का सहारा ही छीन लिया।"

मैं कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी धन्य हैं, जो ऐसे बच्चों को समय पर सहारा देने के लिए, उनके पालन-पोषण के लिए कार्य कर रही हैं और इतना अच्छा बिल लेकर आई हैं। जहां चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पता ही नहीं होता था कि उनके अंडर में क्या आता है, जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने इलाहाबाद की चार साल की बच्ची को लेकर की थी, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ था। चाहे इलाहाबाद हो, भागलपुर हो या तमाम ऐसी जगहें हैं, जहां हादसे हुए हैं और उन्हें समय पर न्याय नहीं मिल पाता था और आज उन्हें न्याय दिलाने के लिए माननीय मंत्री जी जो कदम उठा रही हैं और जिला स्तर पर उन्हें सशक्त करके न्याय दिलाने का काम कर रही हैं, निश्चित तौर पर यह काम सराहनीय है। गलती किसी से भी हो सकती है चाहे वह अमीर का बच्चा हो या गरीब का। इस बिल में सभी को एक समान रखा गया है। यह हमारी सरकार की पहचान है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, माननीय प्रधान मंत्री जी तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लेकर चलने वाले हैं, इसलिए इस बिल में निश्चित तौर पर इस चीज को ध्यान में रखा गया है। यह विधेयक स्वागत योग्य है। यदि हम इतिहास में

भी जाना चाहें तो कबीरदास जी एक जीता जागता उदाहरण हैं। जिस तरह से बच्चों का पालन-पोषण और संरक्षण होगा, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें संत कबीरदास मिल सकते हैं, स्वामी परमहंस मिल सकते हैं, प्रधान मंत्री मिल सकते हैं और तमाम ऊंचे-ऊंचे पदों पर विराजमान हो सकते हैं। 'जिला न्यायालय' की जगह 'जिला मैजिस्ट्रेट' लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह भी सराहनीय है, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक कार्य करने का बहुत अच्छा अनुभव होता है और वे सामाजिक कार्यों को भी करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ अभी तक जो 900 केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस तरह के केसेज पेंडिंग नहीं होंगे और समय पर न्याय मिल सकेगा।

मुझे लगता है कि बाल अपराध मुख्यत: दो कारणों से होता है। या तो यह पर्सनल फैक्टर होता है या सिचुएशनल फैक्टर होता है। दोनों ही फैक्टर्स में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। हम कानून बना रहे हैं और हमारी सरकार लगातार शिक्षा पर जोर दे रही है और आवश्यक कार्य भी कर रही है, लेकिन हमें पैरेंट्स को भी इस चीज के लिए जागरूक करना होगा, ताकि वे शिक्षित हों। मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहती हूं। वह महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आज संस्कृति, सभ्यता बदलती जा रही है। जहां परिवार के लोग बच्चियों को सुरक्षित रखने का काम करते थे …(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

डॉ. संघमित्रा मौर्य : आज हम लोग आपसी द्वेष के कारण बच्चियों को थाने-चौकियों में लाकर खड़ा करते हैं। उन बच्चियों ने कोई भी अपराध नहीं किया होता है, फिर भी उन पर लांछन लगाकर उनके मनोबल को तोड़ने काम किया जाता है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि इस पर विचार कर एक ऐसा विधेयक बनाया जाए, ताकि हमारी बच्चियों के ऊपर गलत लांछन न लगाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री संगम लाल गुप्ता जी, कृपया समय का ध्यान रखिएगा।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे आज किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ-

"मंजिल पर न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते,

दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते,

फूल से मासूम बच्चे जवां हो जाएंगे,

मिट भी जाएंगे तो हम एक दास्तां हो जाएंगे।"

माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए माननीय बाल विकास मंत्री, भारत सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। पूरी दुनिया जब सुधारों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बालकों के अधिकार संरक्षण में अब तक बनाए गए कानूनों में कहीं न कहीं कमियां दिखाई दे रही थीं, जिसे दूर किया जाना नितांत आवश्यक था । पूरे देश में कानून के जानकारों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं, सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्तियों द्वारा बराबर इस बात की मांग की जा रही थी कि बालकों के अधिकार संरक्षण में जो वर्तमान कानून प्रचलित है, उसमें कहीं न कहीं संशोधन की आवश्यकता थी, इसलिए आज सदन में जो संशोधन माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह एक सराहनीय कदम है जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति जी, विधेयक को पुनः स्थापित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री जी द्वारा नए प्रावधान में प्रत्येक जिले में बेहतर तरीके से बालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र

और राज्यों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां प्रदान की जा रही हैं, वह निश्चित रूप से एक व्यावहारिक प्रावधान है, क्योंकि अब तक जो कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया थी वह कहीं न कहीं जटिल होने के कारण बालकों को समय से न्याय दिलाये जाने में कठिनाइयों का कारण बन रही थी। अब अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन मामलों की सुनवाई की जाएगी, तो निश्चित रूप से निर्धारित समयावधि में जो सरकार और जन मानस की मंशा है, उसके अनुरूप हम बालकों को न्याय दिलाने में सक्षम न्यायिक प्रणाली देने में कामयाब होंगे।

माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों में अधिनियम का जो मूलभूत उद्देश्य है, बालकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिसमें प्रमुख रुप से दत्तक ग्रहण भी है, के लिए जिला प्रशासन की समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया का जो प्रावधान वर्तमान में किया जा रहा है, उससे हम बालकों को निश्चित रूप से सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने में कामयाब होंगे।

माननीय सभापति जी, हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं और इस न्यायिक प्रणाली में मुझे स्वयं इस बात का कई बार आभास हुआ कि चाहते हुए भी हम समय से बालकों को न्याय नहीं दिला पा रहे है। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र, जनपद-प्रतापगढ़ में एक लावारिस नवजात शिशु मिला। उसका पालन पोषण कुछ दिनों तक एक परिवार ने किया और उसके पश्चात उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस ले लिया गया। उस परिवार के लोग मेरे सामने आए। नवजात शिशु की जो दशा मैंने देखी तो मैं बहुत आहत हुआ, लेकिन जो जटिल प्रक्रिया थी, उसके आगे मैं भी विवश था और चाह कर भी समय से मैं उस परिवार को या उस बालक को न्याय नहीं दिला सका । ममता की भावनाओं से ओतप्रोत जो किसी बच्चे की सेवा करना चाहता था उसे अपने परिवार के रूप में पालना चाहता था, लेकिन कानूनी रूप से विवश होने के कारण उसे समय से न्याय नहीं मिल सका और दुर्भाग्य की बात है कि बाल संरक्षण केंद्र चलाने वाली एक सोसाइटी में उस बालक को रखा गया, जहां उसने ममता के

अभाव में दम तोड़ दिया। अत: मैं आज हृदय की अंतरिम गहराइयों से माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय, दत्तक ग्रहण में होने वाले विलंब के मुद्दों का समाधान करने के लिए अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी को दत्तक ग्रहण के आदेश को प्राधिकृत करने की शक्तियाँ प्रदान करना और यह प्रस्ताव करना कि दत्तक ग्रहण के आदेश संबंधी अपील आयुक्त को की जा सकेगी। उसके साथ ही साथ बाल कल्याण समितियों को और प्रभावी बनाए जाने के लिए जो प्रस्ताव इस वर्तमान संशोधन अधिनियम में किया गया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं सर्वसम्मति से इस सुधार अधिनियम को लोक सभा से पारित किए जाने की माँग करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Sir, I sincerely appreciate the opportunity that you have given me to speak on this Bill.

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act has been in existence since 2015. My Government has now proposed amendment to this Act in order to smoothen out and facilitate certain issues that needed to be addressed.

I want to thank our hon. Prime Minister Modi Ji that under his guidance, the hon. Minister, Smriti Ji has always been working sincerely for the welfare of the children and their protection. This Bill is empowering the District Magistrates, including the Additional District Magistrates to coordinate and implement the functioning of all the agencies involved with the Juvenile Justice Act. They will also be able to authorise order of adoption which will greatly reduce the duration of the adoption process and streamline it. It will also strengthen the Child Welfare Committee by stipulating the eligibility criteria, especially the educational qualifications required for the Members of the Committee under section 27, sub-section 4(iv)(a).

It will help in categorising the offences in relation to the quantum of sentences of imprisonment in case of serious offences. It will also help in removing the difficulties faced in the interpretation of the Juvenile Justice Act.

Hon. Chairperson, Sir, our children are our future and hence, it is our responsibility, to not just nurture them but to protect them from the societal evils as well as from the opportunistic predators.

सर, यह बिल मानवता की दृष्टि से एक संकल्प करता है कि हम बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से प्रतिबद्ध हैं। I offer my sincere thanks and gratitude for giving me this opportunity and, give my support to this Bill. Thank you.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक पर दो शब्द कहने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जिस तरह से बिल की प्रस्तावना में माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से और बड़ी भावनाओं से अपनी अभिव्यक्ति दी थी, मैं सोचती हूँ कि उसके बाद बहुत सुझाव बाकी नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक भावना है और उस भावना से मैं स्वयं आहत हूँ, क्योंकि मैं इस बिल की ब्रीफिंग में भी मौजूद थी। उस समय यह बात आई थी कि जो 16 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे और बेटियाँ हैं, उनके अंदर किस तरह से हम अपराधों का बाइफरकेशन करें, श्रमिक का बाइफरकेशन करें और किस तरह से हम उनको अपराधों से बाहर निकालें, कैसे उन्हें संस्कारी जीवन में लाएं, यह सब हम कैसे कर सकते हैं?

महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने एक ही बात रखना चाहूँगी कि बाल श्रमिक की भी परिभाषा हो। आज गाँवों के 80 प्रतिशत लोग, जहाँ खेती है, जहाँ खलिहानी हैं, छोटे-छोटे धंधे हैं, पशुपालन है, बालक, बालिकाओं की देखरेख, छोटे बहन-भाइयों की देखरेख है, उसमें भी हमारे किशोर उम्र के बालक, बालिकाएं काम कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी, जो हमारा परम्परागत श्रमिक है, जो हमारे परम्परागत घरेलू काम हैं, उन कामों से बालक को हम दूर न करें, उस बालक का समुचित विकास करते हुए, उसे शिक्षा देते हुए, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए, इन सारे कामों के साथ उसे जोड़ते हुए हम इन बाल श्रमिकों के, इस बालक के श्रमिक की व्याख्या करें। साथ ही मैं यह भी कहूँ कि यदि हम अपने देश के समाज को चार भागों में बाँटते हैं तो उनमें एक उच्च वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है, एक निम्न वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है।

यदि हम इन चारों वर्गों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपराध मैं सोचती हूं कि निम्न वर्ग और निराश्रित वर्ग में होते हैं। निराश्रित में भीख मांगने वाले हैं। आज दिल्ली के अंदर हर चौराहे के ऊपर बालक भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम उनका कोई इलाज नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार खेतों में काम करने वाला किसान है, मैं खुद आपको बताना चाहती हूं कि मैंने छह वर्ष की उम्र से खेती के काम किए, पशुपालन का काम किया, लेकिन उस परम्परागत काम को सीखते हुए शिक्षा प्राप्त करके मैं आगे बढ़ गई। उसी का परिणाम है कि एक सम्पूर्ण जीवन मैं अपने आपका मानती हूं। ठीक उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूंगी कि निर्भया कांड में इतने वर्ष लगे और तब लगे, जब उसकी मां और पिताजी ने इतना संघर्ष किया। उस समय न कानून ने, न समाज ने, न सरकार ने उनको लाभ देने का कोई भी प्रयास किया। हमारे वकील जिस तरह के कानून की पेचीदगियों में गुजरते हुए वर्षों तक न्याय नहीं दिला सकते, उसके लिए मैं सोचती हूं कि राजनीतिक प्रभाव भी कहीं न कहीं उसमें बाधक होता है। अपराधी को बचाने के लिए जब राजनीतिक प्रभाव आ जाता है, उस समय ऐसे कठोर कानून बनाने बहुत जरूरी हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बाल आश्रय देने वाली संस्थाओं के प्रति भी सतर्क होना पड़ेगा। उनके लिए भी कठोर से कठोर कर्त्तव्य निर्धारित करने पड़ेंगे। आज जो भी आता है, वह समाज सेवी बनकर, समाज सेवा के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले लेता है। उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जिस तरह का शोषण उन बालक-बालिकाओं के साथ होता है, वह बहुत गम्भीर है। बेटियों के प्रति सोच को बदलना पड़ेगा। बेटियों के प्रति सोच को बदलने के लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि आज हर समाज, हर परिवार बेटी के लिए कहते हैं कि-

खुशबू है यह बाप की,

माँ की है पहचान,

जिस घर में बिटिया नहीं, वह घर है सुनसान।

जब हम इतना बड़ा मानते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते हैं कि बेटियों का सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए हम उनको सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के लिए जो आश्रय दिए जाते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि डीएम कमेटी का मैम्बर होगा और वह बाल सुरक्षा में पूरी-पूरी मदद करेगा, लेकिन डीएम के पास बहुत काम है। दूसरी बात यह है कि एडीएम को आपने लिया है, लेकिन दोनों ही जगहों पर यदि पुरुष भाई हैं, तो मैं सोचती हूं कि उनमें से किसी न किसी जगह पर एक महिला प्रशासक को जरूर लेना चाहिए।

दूसरी बात यह भी है कि आप एनजीओ को भी उसके साथ जोड़िए, क्योंकि आज 90 प्रतिशत एनजीओ इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन उनके कान भी बंद है और आंख भी बंद है। उस स्थिति में हमको यह सोचना होगा कि हम किस तरह से यह काम करें।

महोदय, मैं एक बात कहूंगी कि घरों के अंदर सेवक हैं और दोनों पति-पत्नी कामकाजी हैं। वह घर से बाहर चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप यह देखिए कि सेवक शठ नृप कृपन कुनारी, हमारे जो न्याय करने वाला राजा है, वह भी कृपण है। कपटी मित्र सूल सम चारी। यदि हम इन चारों पर ध्यान देते हुए पारिवारिक संरचना में इनकी भूमिका को तय करे, तो निश्चित है कि हमारे किशोर बालक-बालिकाओं को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत अच्छा बिल है। हम इस सदन में जो कानून बनाते हैं, बिल बनाते हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि खास तौर से बच्चों से जुड़े हुए जितने कानून हैं, उनका इम्प्लिमेंटेशन धरातल पर नहीं हो पा रहा है। जब यह सरकार आई तो दो करोड़ रोजगार देने की बात की थी और उसी से जुड़ा हुआ है कि अगर वह रोजगार मिले, तो जाहिर सी बात है कि जो बेरोजगारों के बच्चे भीख मांगने के लिए सड़क पर निकलते हैं, उसमें भी कमी आती। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि इसके इम्प्लिमेंटेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री जी आप मुख्य मंत्रियों को, स्टेट के मिनिस्टर्स को लिखिए।…(व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، میں اس بِل کی تائید میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بہت اچھا بِل ہے۔ ہم اس ایوان میں جو قانون بناتے ہیں، بِل بناتے ہیں، میں آپ کے ذریعہ سے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے بچوں سے جُڑے ہوئے جتنے بھی قانون ہیں ان کو زمینی طور پر عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا ہے۔ جب یہ سرکار آئی تھی تو 2 کروڑ روزگار دینے کی بات کہی تھی اور اُسی سے جُڑا ہوا ہے کہ اگر وہ روزگار ملے، تو ظاہر سی بات ہے جو جو بےروزگاروں کے بچے بھیک مانگنے کے لئے سڑک پر نکلتے ہیں، اس میں بھی کمی آتی۔ میرا آپ کے ذریعہ صرف یہی کہنا ہے کہ اس کے اِمپلیمینٹیشن پر

زیادہ دھیان دیا جائے۔ معزّز منتری جی آپ تمام وزیرِ اعلیٰ کو ریاستوں کے منسٹرس کو لکھئیے۔۔ (مداخلت)۔۔۔۔

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। आप जो The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अगर हम लोग भगवान की सबसे बड़ी या सर्वश्रेष्ठ कृति आदमी को मानते हैं तो किसी भी समाज या परिवार के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी भेंट भगवान की अगर है तो उसको हम बच्चा कहते हैं। हमारे बच्चे अच्छे कैसे बनें? उनमें आपराधिक प्रवृत्ति न आए, वे अपराधी न बने और देश के विकास की जब हम बात करते हैं, तो जिसको हम मानव संपदा कहते हैं, उसका निर्माण ठीक से कैसे हो, यह पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से इस बिल की प्रस्तावना में और जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस स्पष्टता के साथ, जिस भव्यता के साथ माननीय मंत्री जी ने इसको रखा है, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, आजादी के बाद इस बात को महसूस किया गया कि हमारे बच्चे धीरे-धीरे आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। उस समय के हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। उनके जमाने में, अक्टूबर, 1950 में, उनके सेक्रेटरी हुमांयु कबीर जी थे। उन्होंने प्रत्येक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में यह लिखा कि अगर इस देश का भविष्य बनाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों को संस्कार देने होंगे और बच्चों को संस्कार देने की बात पर प्रोफेसर हुमांयु कबीर ने लिखा कि संस्कृत में एक शब्द है, जिसे हम धर्म कहते हैं। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में यह बात आनी चाहिए। लेकिन दशकों बीत गए और यह नहीं हुआ। वर्ष

1966 में जब पहली शिक्षा नीति आयी तो प्रोफेसर डी.एस. कोठारी जी ने लिखा - Gravity of the intellectuals of India is inclined towards west. वह अपने देश के लिए नहीं है। इस बात को सबसे पहले वर्ष 2020 में भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री जी जब नयी शिक्षा नीति लेकर आए तो उसमें यह बात रखी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, जब तक उसको हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लाया जाएगा, तब तक बच्चों का सही निर्माण नहीं हो सकता है। यह बहुत जरूरी है। चूंकि समय बहुत कम है, मैं केवल दो-चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां कपड़े धोने का साबुन मिलता है, डिटर्जेंट मिलता है, लेकिन मन को धोने का कोई डिटर्जेंट बाजार में नही मिलता। आदमी जब अपराध करता है तो वह मन से शुरू होता है। पहले उसमें प्रवृत्ति पैदा होती है और प्रवृत्ति के बाद आदमी अपराध में आता है। इस मन को हम इम्पैक्ट कैसे करें? हम अपने बच्चों के मन को कैसे इम्पैक्ट करें? इसके लिए उनको अच्छे संस्कार देने होंगे और ये संस्कार केवल मात्र स्कूल खोलने से या बाल गृह या सुधार गृह बनाने से आने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारी शिक्षा कैसी हो? उसके अंदर संस्कार हों और ये संस्कार जब तक नहीं दिए जाएंगे, संस्कार के लिए मैं प्रोफेसर हुमांयु कबीर जी और मौलाना अब्दुल कलाम की बात याद करता हूं कि उनको धर्म सिखाया जाए। मंदिर या मस्जिद जाना धर्म नहीं है। धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ शुरू कर दें। जब तक अपने बच्चों को इस तरह का व्यवहार नहीं सिखाया जाएगा …(व्यवधान) महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं लास्ट वक्ता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मंत्री जी ने बाल सुधार गृहों में इस बात का सर्वे करवाया है कि किस प्रकार की उनकी दुर्दशा थी। ज्यादातर जो गृह हैं, मैं ज्यादातर इसलिए कह रहा हूं कि कुछ गृह अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर या तो पैसा बनाने के धंधे में हैं या धर्म परिवर्तन करवाने के धंधे में हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर हैं। उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाए। उनकी जिम्मेदारी यह है कि जिनके सुधार गृह में बच्चे नहीं सुधरते हैं, उनकी ग्रांट, जो लगभग 50 लाख

रुपये है, उसमें कमी की जाए। अमेरिका के न्यूयार्क में आप लोगों ने देखा होगा कि दो दशक पहले सबसे ज्यादा क्राइम होता था। उस समय जुलियानी नाम के मेयर आए और उन्होंने "ब्रोकन विण्डो" नाम का कंसैप्ट दिया। ब्रोकन विण्डो का कंसैप्ट यह था कि जिनके बच्चे पत्थर मारते हुए या किसी की बेइज्जती करते हुए पकड़े गए, उनके मां-बाप की भी उसकी जिम्मेदारी होगी। जबसे यह बात लागू की गई, आप देखेंगे कि न्यूयार्क का जो अपराध था, वह 60 प्रतिशत कम हो गया। मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां भी इनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाए।

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यह सबको अच्छी लगेगी। रामायण के अन्दर एक प्रसंग आता है। जब सीता जी का हरण हो जाता है और उसके बाद सीता जी के जेवरात मिले। उस समय राम जी की जो मनोदशा थी, वह ठीक नहीं थी। वे लक्ष्मण से पूछते हैं कि भाई, यह बताओ कि ये उनके जेवरात हैं या किसी और के हैं। लक्ष्मण कहते हैं -

नाहं जानामि केभुरे, नाहं जानामि कुण्डले।
नूपुरे त्वभि जानामि, नित्यं पादाभि वन्दनात्।

अरे भाई राम! वे कान में क्या पहनती थीं, यह नहीं पहचानता। वे गले में क्या पहनती थीं, मैं नहीं पहचानता। मैं तो रोज उनका अभिवादन करते हुए उनको नमस्ते करता था। वे अपने पैरों में नूपुर पहनती थीं, वही मैं पहचानता हूं। रामायणकार कहता है कि भगवान राम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। यह क्यों विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सीता जी लक्ष्मण की भाभी भी लगती थीं और लक्ष्मण की साली भी लगती थीं। सीता और उर्मिला दोनों सगी बहनें थीं। राम ने प्रश्न किया। यह सुनने लायक प्रश्न है। राम ने प्रश्न किया –

फलं दृष्टवा पुष्पं दृष्टवा, दृष्टवा च नवयौवनम् ।
एकान्ते काञ्चनं दृष्टवा, कस्य न विचलेन मन: ॥

हे लक्ष्मण, मुझको यह बताओ कि पके हुए फल को देख कर किसका मन नहीं करता कि मैं तोड़ कर खा लूं, खिले हुए पुष्प को देख कर किसका मन नहीं करता कि मैं तोड़ कर सूंघ लूं, किसका मन नहीं करता, जब खिले हुए यौवन के लड़के-लड़की एक-दूसरे के सामने हों तो कौन एक-दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता। अगर एकान्त में किसी को सोना मिल जाए, धन मिल जाए तो किसका मन विचलित नहीं होता। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं कि तुमने 13 वर्ष तक सीता का मुँह नहीं देखा। लक्ष्मण ने जो जवाब दिया, वह आजकल की समस्याओं का हल है। लक्ष्मण ने कहा –

माता यस्य याज्ञिका: पिता भस्म च धार्मिक: ।
एकान्ते काञ्चनं दृष्टवा तस्य न विचलेन मन: ॥

जिनके मां-बाप अच्छे धर्म पर चलने वाले होंगे, अच्छे रास्ते पर चलने वाले होंगे, उनके बच्चों का मन कभी भी विचलित नहीं होगा। हमें आज ऐसी ही शिक्षा चाहिए।

महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें यह देखना चाहिए। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा। अगर बच्चों को अच्छा बनाना है कि वे अपराधी न बनें तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। उनका समुल्लास-2 और समुल्लास-3 पढ़िए।

महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा है कि बच्चों को योग सिखाइए। हमारी माननीय मंत्री महोदया ने उनके लिए योग को कम्पलसरी भी किया है। उम्र के बारे में मैं एक जरूर निवेदन करना चाहता हूं। दुनिया में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं। अभी हमारे पास आँकड़े हैं। आँकड़ों में दिखाया गया है कि जो ज्युविनाइल बच्चे हैं, हर चार घंटे में एक रेप केस में बच्चा इंवॉल्वड है। हर पाँच के अन्दर वह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में इंवॉल्व है। इस तरह, बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है, हमें इस बात को भी सोचना चाहिए। यूरोप के कई देशों में और कनाडा में, यू.के. में, अमेरिका में ज्युविनाइल की एज कम कर दी गई है, लेकिन हमारे यहां 16 वर्ष है,

इसके बारे में भी हमें फिर से री-लुक करने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर लूं।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

माननीय मंत्री जी।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): सर, सर्वप्रथम, आज सभी माननीय सांसद, जिन्होंने बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से अपने विचार इस सभा में प्रस्तुत किए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं।

My colleague Aparajita Ji quoted famously Nelson Mandela. He had once opined, "The safety and security – children or society for that matter – just does not happen". They are a result of collective consensus and public investment. Today, Sir, this House was witness to consensus politically on a piece of legislation that seeks to better protect our children, and for that consensus, I would like to extend my grateful thanks to every Member who spoke. But as I quoted Nelson Mandela, I speak of public investment.

सर, आज परनीत कौर जी ने अपने उद्बोधन में इस चिंता को व्यक्त किया कि क्या बजटरी एलोकेशन बच्चों की संरक्षण की दृष्टि से, नरेन्द्र मोदी सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्प को धरातल पर फलीभूत करने के लिए क्या पर्याप्त है? मैं आपके माध्यम से आदरणीय परनीत जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की दृष्टि से अगर वित्तीय आवंटन में उल्लेख करूँ तो साल 2009-10 में पूरे देश के लिए 60 करोड़ रुपये था, साल 2011-12 में 270 करोड़ रुपये था, साल 2013-14 में 300 करोड़ था और मोदी सरकार में साल 2020-21 में 1500 करोड़ रुपये है। मैं मोदी सरकार के संकल्प को पुनर्स्थापित करना चाहूँगी कि कोई भी प्रदेश की सरकार बाल संरक्षण की दृष्टि से जो भी सहयोग और सहायता अपेक्षित करती है, हर प्रदेश की सरकार को वह सहयोग देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

सर, आज एक प्रिज़म्पशन है, एक संदेह है, जो कई माननीय सांसदों ने व्यक्त किया। संदेह यह है कि जिला प्रशासन में डीएम के पास पहले ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य है, लेकिन चुनौतियाँ निश्चित रूप से हैं। It is said that they are overloaded, and hence protection of children cannot become the priority of any DM. I, as humbly as I can, disagree with it, and invoke statements made by Shrimati Supriya Sule ji who represented the State of Maharashtra and the conversation she had with DMs in her State who are more than happy to share this burden.

वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यह जिम्मेदारी है कि वह चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के काम को रिव्यू करें। जिला मजिस्ट्रेट के पास यह दायित्व है कि जे.जे.बी. का जो काम है, उसको वह रिव्यू करे। आज का जो अमेंडमेंट है, वह रिव्यूइंग की पद्धति से आगे बढ़कर प्रशासनिक सिनर्जी पर जोर देने का काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी का काम बंद हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम बंद हो जाएगा और सारे काम का भार डीएम पर आने वाला है, ऐसा नहीं है। The District Magistrate becomes not only the reviewing and supervising officer but also the synergising officer for all needs of protection of children. Why was the need felt for it?

महोदय, जैसाकि मैंने कहा कि ऑलरेडी सीसीआई या सीडब्ल्यूसी के रिव्यू के संदर्भ में प्रावधान है। दिक्कत कहाँ आती है, जब एडॉप्शन प्रोसेस का एक एनालिसिस हुआ तो उसमें यह पाया गया कि जो होम स्टडी रिपोर्ट बनती है, जिसमें सोशल वर्कर जाकर कौन-सा परिवार बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है, उस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला होता है। उसका स्टिप्यूलेटेड टाइमलाइन 30 दिन का है। वर्तमान में सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने में 78 दिन लिए जाते हैं। अगर एक चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी को 0-2 ईयर्स तक बच्चे को एडॉप्शन के लिए सिर्फ क्लियर करना है

तो इस काम को पूरा करने लिए स्टिप्यूलेटेड टाइम 60 दिन का है, लेकिन वर्तमान में वे 150 दिन लेते हैं। अगर 2 साल के ऊपर के बच्चे का क्लियरेंस करना हो, पेपरवर्क करना हो तो चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के पास क्लियरेंस के लिए स्टिप्यूलेटेड टाइम 120 दिन का है, लेकिन वह 265 दिन लेते हैं। सिस्टम में जो बच्चे सरेंडर होते हैं, चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के पास स्टिप्यूलेटेड टाइम है कि उसको 60 दिन में पेपरवर्क का काम पूर्ण करें, लेकिन वर्तमान में वह 130 दिन लेते हैं।

एडॉप्शन की फाइलिंग के लिए जो पेपर वर्क है, उसका स्टिपुलेटेड टाइम 10 दिन है, इसमें लगभग 60 दिन लिये जाते हैं। एडॉप्शन आर्डर को रिसीव करने का स्टिपुलेटेड टाइम 60 दिन है और 107 दिन से ज्यादा इसमें समय लिया जाता है। संगम लाल जी शायद सदन में मौजूद नहीं हैं। गुप्ता जी प्रतापगढ़ के एक केस के बारे में बोल रहे थे। कई सांसदों ने आज चर्चा की कि हम कोशिश करते हैं, तो भी समय लगता है। जैसा कि दानिश साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पर तवज्जो दें, ध्यान दें, जड़ यहां हैं। एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट में यह आ जाए, that they are now hereby legally ordained to not only review, but to ensure implementation, तब स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस को मीट करने में सहयोग होगा।

एक सांसद ने आज पूछा कि किस प्रकार से आप रिव्यू कर रहे हैं, किस प्रकार से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं? मैं एक बार फिर से परनीत जी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्राइम्स के संदर्भ में अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा, that the assurance by this House should also be to mitigate social evils. How do you mitigate social evils? गीता विश्वनाथ जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि there is a need to ensure psychological support and many hon. Members have spoken about the need.

कानून में यह व्यवस्था, यह अपेक्षा है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मेंटल हेल्थ सपोर्ट दी जाएगी अथवा ईवैल्युएशन में मदद की जाएगी, लेकिन कभी भी सुदृढ़ व्यवस्था को लाने में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की दृष्टि से काम नहीं हो पाया। यह एक गैप रहा। इसीलिए आज अपने आप में, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि जब यह सदन इस विषय पर चर्चा कर रहा है, देश भर से एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के साथ-साथ स्टेट कमीशंस देश की राजधानी में आज ही इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

हमने निमहंस के साथ समन्वय किया। संवाद नाम का एक सेल निमहंस में स्थापित किया। जब देश कोरोना की महामारी से साल 2020 में जूझ रहा था, हमने विशेषत: निमहंस से यह आग्रह किया कि आप देश भर में जितनी संस्थायें और संस्थाओं में काम करने वाले लोग बच्चों से संबंधित हैं, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की दृष्टि से उन सभी संस्थाओं में ट्रेनिंग की व्यवस्था करवायें। मुझे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराने में इस बात का संतोष है कि लॉकडाउन के बावजूद भी निमहंस ने इस काम को त्वरित रूप से किया और गत 6 महीने में देश भर में 28 राज्यों में मेंटल हेल्थ की दृष्टि से निमहंस ने भारत सरकार के साथ सहयोग से काम किया।

गीता जी का एक सुझाव था कि क्या हम देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट को आंगनवाड़ी स्तर तक लेकर जा सकें? Sir, through you, I would like to tell the hon. Member that I accept her suggestion and will ensure that not only do we work in collaboration with NIMHANS and all Anganwadis, but I would also like to inform her that we have already engaged with the Ministry of Panchayati Raj to ensure that across all Panchayats, NIMHANS engages with all public representatives and all stakeholders for mental health and wellbeing of our children.

एडीशनली, जसबीर जी सदन में उपस्थित हैं। इन्होंने भी उल्लेख किया था कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और सपोर्ट की जरूरत है। हमारा उद्देश्य है कि हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के साथ, निमहंस के साथ समन्वय करके मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग के संदर्भ में इंटरवेंशन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हम करें, यह भी हमारे यहां पर विचारणीय है। हमारी निमहंस के साथ प्रथम श्रृंखला में इसकी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। विशेषत: एस्पिरेशनल जिलों में और जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहां लैंगुएज की भी चुनौती है।

हाल ही में हमने जिलाधिकारियों के साथ एक विशेष मीटिंग की, न सिर्फ अस्पिरेशनल जिले की, बल्कि वे जिले जहां महिलाओं व बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं, हमने उनको भी आमंत्रित किया। उस परिचर्चा में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के ऑफिसर थे, नाल्सा के ऑफिसर थे, निमहंस के ऑफिसर थे। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुलिस को कैसे सैन्सेटाइज करें, पुलिस की कैसी ट्रेनिंग हो, न सिर्फ बच्चों बल्कि महिलाओं के लिए भी हमने इस पर काम शुरू किया है। नाल्सा के साथ समन्वय में विक्टम कम्पेनसेशन फंड की जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ महिलाओं बल्कि पॉक्सो में विक्टम कम्पनसेशन फंड को कैसे लागू किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। नाल्सा, सभी स्टेट्स और नेशनल कमीशन से हमारी चर्चा हो चुकी है कि आप हमें जिलेवार वकीलों का नाम और नम्बर दें, जिसे हम सार्वजनिक रूप से प्रेषित कर सकें कि अगर आपको लीगल एड की जरूरत है तो आप किससे संपर्क कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमने नाल्सा के साथ शेयर की है।

आज अपराजिता जी ने बिल को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया कि क्वालिफिकेशन का क्राइटीरिया तो रखा है, डिस्क्वालिफिकेशन का भी क्राइटीरिया रखा है। वह क्राइटीरिया क्या है? देश की आजादी के बाद पहली बार संसद लेजिस्लेट कर रहा है, अगर आप चाइल्ड केयर इन्सटीट्यूशन में

काम करते हैं तो आपका बैकग्राउंड चेक होगा, अगर आपने चाइल्ड् एब्यूज किया है या ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है तो आपको काम करने की आजादी नहीं मिलेगी।

इसे सरकार ने पॉक्सो रूल्स के तहत ऑलरेडी नोटिफाई किया है कि जहां-जहां बच्चे हैं, यानी शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड अनिवार्य रूप से चेक करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेक्स ऑफेंडर्स का एक डाटा बेस बनाया है। हम बार-बार सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर अपने जिले में किसी को काम पर रख रहे हैं तो कृपया पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। अगर उसका डाटा बेस में उल्लेख है, अगर उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स एब्यूज के केसेज पेन्डिंग है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जाए।

मेरा सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि आप भी 'दिशा' की मीटिंग में जब स्टेकहॉल्डर्स से चर्चा करें तो इस लेजिस्लेटिव प्रावधान का उल्लेख निश्चित रूप से करें। दानिश साहब ने कहा कि हम विशेष रूप से लिख कर दें, मैं उस सुझाव को भी स्वीकार करती हूं। मैं प्रत्येक सांसद को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सरपंच और विधायक को भी लिख कर देने को तैयार हूं कि शैक्षिक संस्थानों और चाइल्ड केयर इस्टीट्यूशन में कृपया पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित कराएं।

आज अरविन्द सावंत जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया कि impact of media and technology on children किस प्रकार से periodicity of visit needs to be maintained.

महोदय, कहना उचित होगा कि जब हम प्रदेश सरकारों से चर्चा कर रहे थे तो प्रदेश की सरकारों ने कहा कि किस एनजीओ ने कहां घर खोला, कब घर खोलकर वहां कितने बच्चे को रखा, बाद में कोई घटना घटती है तो जिला प्रशासन को पता चलता है। इस बार हमने मैनडेट किया है कि अगर आपको चाइल्ड केयर इस्टीट्यूशन खोलना है तो सबसे पहले कम से कम आपके बैकग्राउंड की चेकिंग की जाए।

अरविन्द जी ने सिंधु ताई का उल्लेख किया कि सिर्फ संस्थान की स्थापना में बैकग्राउंड चेक क्राइम की दृष्टि से निश्चित रूप से होगा। एफसीआरए के जितने भी रेग्युलेशन्स पास हुए हैं, उन रेग्युलेशन्स का उल्लंघन न हो, इसको भी जिला प्रशासन सुनिश्चित करके प्रदेश प्रशासन को बताएगी फिर ऐसे संस्थान स्थापित होंगे। यह भी एक कड़वा सत्य है, जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज मैंने प्रयागराज की संस्था का उल्लेख किया, बच्चों को संस्थान में इसलिए रख रहे हैं कि बच्चे के नाम से डोनेशन आ रही है, कोविड के दौरान हमने देखा।

बार-बार कानून का मानना है कि बच्चे को रिहेबिलिटेट करो, जरूरी नहीं है कि घर में बांध कर रख दो। रिहेबिलिटेशन में बहुत कम लोगों की रुचि रही, लेकिन जैसे ही कोरोना की महामारी आई, एनसीपीसीआर के सामने आंकड़ा आया, कई राज्यों में 1,40,000 बच्चे अचानक घर भेज दिए गए, जबकि राज्य सरकार के पास आंकड़ा है कि इंस्टीट्यूशन्स में 70,000 के आसपास थे। आप सोचिए, राज्य सरकारें मिलकर केंद्र सरकार को बताती हैं कि संस्थाओं में लगभग 70,000-75,000 बच्चे हैं, लेकिन अचानक कोविड महामारी में 1,40,00 बच्चे घर लौटते हैं। यह इसीलिए अनिवार्य है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब यह जिम्मेदारी पूर्णत: सुपरविजन की दृष्टि से आएगी तो रिपोर्टिंग भी जिला और राज्य स्तर पर हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे।

मैं आपको एक और उदाहरण देती हूं। ट्रैक द चाइल्ड पोर्टल है, मिसिंग बच्चों को इसमें इंगित करने की दरकार है, लेकिन सभी चाइल्ड वैलफेयर कमेटीज़ और जेजे बोर्ड नहीं करते हैं। 40,000 से ज्यादा बच्चे इस पोर्टल पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। आज भी कई बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। आप जिस कानून का समर्थन कर रहे हैं, पहली बार इसके माध्यम से सैक्शन 32(2) में अगर जिले में कोई भी बच्चा डिस्ट्रैस में हो, अबेंडेंट हो, ऑर्फन्ड हो, बांडेड लेबर का विक्टिम हो, हम उसकी जानकारी एक स्पेसिफाइड सैंट्रलाइज पोर्टल में देना अनिवार्य करने वाले हैं। पहली बार किसी जिले में अगर कोई बच्चा मृत पाया गया, भाग गया या मिसिंग है, यह जानकारी एक छत के नीचे एक जिले में, एक राज्य में

प्राप्त हो पाएगी। इस प्रावधान का आज आप लोगों ने समर्थन किया है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं।

अरविंद जी ने उल्लेख किया कि मीडिया पर, अगर कोई ऐसा संशय पैदा करने वाले बच्चे से रिलेटिड प्रोग्रामिंग है तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? आईएंडबी की कमेटी में एनसीपीसीआर मैम्बर है, इसने खुद आईएंडबी को गाइडलाइन दी है कि अगर कोई बच्चा टीवी शो में काम करता है तो किस गाइडलाइन के अंतर्गत काम कर सकता है। अगर कोई सैल्फ रैगुलेशन की बात करता है तो बीसीसी, इंडस्ट्री का ही एक ग्रुप है, जिसमें एनसीपीसीआर और एनसीडब्ल्यू मैम्बर हैं। अरविंद जी ने कहा कि क्यों सीडब्ल्यूसी में क्वालिफिकेशन रख रहे हैं? संगीता जी यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा कि एमपीज़ को मैम्बर बना दो। यह ज्यूडिशियल बॉडी है, इसमें एमपी मैम्बर नहीं हो सकते हैं। सीडब्ल्यूसी क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन को इंगित करना बहुत जरूरी है।

अरविंद जी ने उल्लेख किया कि मीडिया के साथ-साथ ऑनलाइन इसी हाउस में पोक्सो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बहुत कड़ा कानून पारित किया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस पासेज के बाद, अब तक हमारे पास जो जानकारी है, लगभग देश में 160 लोगों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए अरैस्ट किया है। इसके साथ चार्जशीट भी 119 केस में की है। आज सुप्रिया जी ने कहा कि हम कैसे एज़ एमपी और सिटिजन सिस्टम को हैल्प कर सकते हैं? मुझे लगता है, जब हम बात करते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत सब काम होने हैं, तो निश्चित रूप से दिशा मीटिंग में एमपीज़ इस विषय को उठा सकते हैं, चाहे चाइल्ड वैलफेयर कमेटी का काम हो, चाहे जेजे बोर्ड का काम हो, जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है और उस संदर्भ में आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमीशन्स के साथ आग्रह करके अपने जिले में इंस्पेक्शन करवाएं।

यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। अगर, ऐसी कोई भी कुनीति आपके ध्यान में आती है, जिसके बारे में आपको लगता है कि उसका त्वरित रूप से समाधान नहीं मिल रहा है, मैं मंत्रालय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, निश्चित रूप से आपके जितने भी केसेज हैं या जितनी भी चिंताएं हैं, उनके संदर्भ में जिला और प्रदेश के साथ समन्वय करेंगे।

सुप्रिया जी ने एडॉप्शन ऑफ फोस्टरिंग के एक विशेष केस के बारे में उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि मेरी प्रस्तुतीकरण में जब मैंने एक रिपोर्ट में एनसीपीसीआर के ऑडिट का उल्लेख किया था, तो उसमें मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया था। यह अपेक्षित है कि चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन्स का जो डिस्ट्रिक्ट स्पांसरशिप ऑफ फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी है, उसके साथ समन्वय हो, ताकि, अगर, बच्चा सिस्टम में आता है, तो बच्चा फोस्टर केयर में जा सके या अगर कोई परिवार वहीं पर उनको स्पांसर करना चाहे, समर्थन करना चाहे तो करे। दिक्कत यह है कि मात्र एक-तिहाई सीसीआईज का ही लिंकेज था। इसका मतलब, आज हम जो लेजिस्लेशन पारित करेंगे, उसके अंतर्गत अब जिले के मजिस्ट्रेट के पास पूर्णत: लिंकेजेज एस्टैब्लिश करने का पूरा मौका होगा।

मैं सुप्रिया जी को बताना चाहूंगी कि एक्ट का जो सेक्शन-44 है, उसके अंतर्गत फोस्टर केयर की जो गाइडलाइन्स हैं, हम प्रदेश की सरकारों के साथ चर्चा करके, अगर, उसमें कोई सुधार लाना है या उसको फिर से नये तरीके से स्थापित करना है, तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे, ताकि आपने जो चिंता व्यक्त की है, उसका समाधान हो सके।

मलूक नागर जी ने आज उल्लेख किया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि लोग बच्चे एडॉप्ट कर सकें। लेकिन, मैं उनकी अनुपस्थिति में रिकॉर्ड के लिए उन्हें बताना चाहूंगी कि सेक्शन-68 में जो 'कारा' है, वह रेगुलेशन एडॉप्शन को प्रतिस्थापित करने के लिए मेंडेटिड है।

मैं श्रीनिवास रेड्डी जी का अभार व्यक्त करती हूं, who spoke about the need to ensure that the privacy of the children is maintained and that there is no discrimination in how the Government applies solutions to the children.

लेकिन, हसनैन साहब ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटने से पहले बच्चों के लिए हालात बहुत ही उम्दा थे। ऐसा नहीं है। …(व्यवधान) मैं दोबारा विनम्रता से कहना चाहूंगी, I do not know how the children could be happy when the J.J. Act was not applicable there. I do not know how the children could be happy when there was no legal option for adoption. …(*Interruptions*) I do not know how the children could have been happy when the Child Marriage Act was not applicable. I do not know how the children could be happy when the full force of the POCSO Act was not applicable in Jammu & Kashmir while Article 370 was very much in existence. …(*Interruptions*) Today, in fact, I am proud that this House will pass a legislation that will be applicable in Jammu & Kashmir and for the children of Ladakh. In fact, Sir, धारा-370 हटने के बाद एनसीपीसीआर वहां पर एक डेडिकेटेड सेल बच्चों के लिए और कमीशन के लिए स्थापित कर पाई है। धारा-370 हटने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बच्चों के संरक्षण के लिए 14 मंत्रालयों के साथ समन्वय कर पाई है। धारा-370 हटने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वहां पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए आरिएंटेशन वर्कशॉप कर पाई। मैं कहना चाहूंगी कि जब धारा-370 थी, तब कोई भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन्स के लिए एप्लिकेबल ही नहीं था। एनसीपीसीआर ने जम्मू-कश्मीर में विशेष बच्चों के लिए अपना जो योगदान दिया है, आज हाउस की अनुमति से एनसीपीसीआर को उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी।

हसनैन साहब ने यह भी कहा है कि पैसे कम मिलते हैं। अब सीडब्ल्यूसी के मेंबर को प्रति मीटिंग के लिए 1,500 रुपये दिए जाते हैं और एक महीने में 20 मीटिंग्स अपेक्षित हैं। मैं थोड़ा यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं।

जसबीर सिंह जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया है कि असर्टेन अकाउंटेबिलिटी कि जिन लोगों ने होम्स में बच्चों को टॉयलेट और पानी की सुविधा से वंचित रखा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कीजिए। जसबीर जी, आज आपने जिस लेजिस्लेशन का समर्थन किया है, that is to ascertain accountability so that those who break the law will be taken to task by the law.

इसी संदर्भ में हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है कि…(व्यवधान) उनके जिले में सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के डॉयरेक्शन को मानने से मना कर दिया था। मैं सप्रेम भेंट आपके जिले में यह भेज देती हूं। यह रूल्स की कापी है, जिसकी पेज संख्या 25 सब सेक्शन 16 को आपके जिले में भेज देती हूं। मैं आपको दे देती हूं और आप उनको दे दीजिएगा कि “In case of a complaint of abuse of a child in any childcare institution, the Committee shall conduct an inquiry and give directions to the police or the Child Protection Unit or Labour Department or Childline Services as the case may be.”

कानून में प्रावधान है, लेकिन आज आप जो लेजिस्लेशन पारित कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अब इस प्रकार की चुनौतियां हैं, अगर सुपीरियर ऑफिसर के अभाव में कोई डॉयरेक्शन को नहीं सुनता है, तो डीएम को इस प्रकार से और सशक्त करने की वजह से, मुझे लगता है कि जूनियर ऑफिसर्स को ये कठिनाइयां फेस करनी पड़ रही हैं, कहीं न कहीं हम लोग उन कठिनाइयों को समाधान में बदलने में सक्षम होंगे।

Hasnain sahab said, “Why not strengthen the DCPUs?” The issue is, Sir, only seven States have said that they will put a permanent officer in the position of DCPU. The challenge is that when it comes to a DCPU, as Hanuman Beniwal ji has spoken about the challenge in his District, there are many a District where senior officers do not want to listen to a contractual employee. That is why it is incumbent upon us to ensure that we strengthen the administrative structure to ensure that protection of children becomes priority administratively.

अनुभव मोहंती जी ने इस बात और इस चिंता को व्यक्त किया है कि पैरेन्टल एलाइनेशन के विषय पर काम करें, कोर्ट में हस्तक्षेप करें। अब फैमिली कोर्ट में तो इस विषय के संदर्भ में लॉ प्रतिस्थापित है, लेकिन एक मीडिएशन सेल विशेषतया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बनाया है, ताकि अगर कहीं पर इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, तो कमीशन के माध्यम से उन चुनौतियां का भी समाधान हो सके।

सभापति महोदय, लोगों ने ज्यूडिशियरी के रोल के संदर्भ में एक चिंता व्यक्त की है कि ज्यूडिशियरी का रोल नहीं है। यह उचित स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप अपील करना चाहते हैं, तो वह सिर्फ डिविज़नल कमिश्नर तक सीमित नहीं है।

Courts are available for any citizen in this country to go in appeal. There is no restriction that this amendment imposes upon any citizen. However, as Rita Bahuguna Joshi ji has also highlighted, the Government of India had in conjunction with the offices of the Chief Justice of India made attempts to ensure that the judiciary is well sensitized about the delays in the adoption processes. तो ऐसा नहीं है

कि हमने हमारी ओर से इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगी, क्योंकि अनुभव मोहंती जी ने थोड़ा क्लैरिफिकेशन मांगा था।

19.00 hrs

Since Shri Anubhav Mohanty had sought clarification, I must also state here that there is absolutely no change in processes when it comes to heinous crimes. As Shrimati Preneet Kaur had mentioned, only a fourth category of offences find mention in the amendment as per the direction and the suggestion of the hon. Supreme Court. सर, मैं वीरेन्द्र कुमार जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने उन चाइल्ड केयर संस्थानों का उल्लेख किया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है। यह भी जरूरी है कि जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनका कहीं न कहीं आभार व्यक्त किया जाए। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी और जैसा दानिश जी ने भी कहा है, where is the emphasis on implementation? हमने इंप्लीमेंटेशन पर जोर दिया है, इसीलिए अगस्त से लेकर अब तक हमने प्रदेश सरकारों के माध्यम से 436 नॉन-रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बंद करवाएं। आज 7 हजार 275 इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हैं। हमने इंसिस्ट किया कि हमारे देश में न सिर्फ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हों, बल्कि यह भी हो कि बच्चों को न्याय कैसे मिले। उसके लिए भी हम अपनी ओर से जद्दोजहद करें। देश में निर्भया फंड के अंतर्गत 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं जिनके अन्तर्गत 330 कोर्ट्स एक्सक्लूसिवली बच्चों के पोक्सो रिलेटेड केसेज से संबंधित हैं, जो 25 राज्यों में स्थापित हुए हैं। इन कोर्ट्स ने अब तक 40 हजार केसेज को डिस्पॉज किया है। यह जनवरी तक का आँकड़ा है।

सर, जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा यह इंटरवेंशन, it is to ensure that protection of children becomes priority and for prioritizing children the august House and its

esteemed Members have my gratitude. As Swami Vivekanand had said, “Do you think you can even teach your child? You cannot. The child teaches himself. Your duty is to afford opportunities and to remove obstacles.” Today, this House has fulfilled its duty in removing obstacles. For that, on behalf of the children of India, thank you.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : नहीं, काफी डिटेल्ड आंसर हो गया है।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> “That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

> “That clauses 2 to 8 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 9

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandey to move amendment No. 1 to clause 9 – not present.

The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 29 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Long Title were added to the Bill.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

____

***SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):** Hon. Chairman Sir, thank you. Sir, I would like to draw the attention of Hon. Labour Minister towards an important issue relating to my constituency. Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana was established in the year 1978 which has got 35000 members and around 1500 workers are working in this sugar mill. This sugar mill is currently under liquidation process and District Central Co-operative Bank had issued a tender to lease it out . But, due to the uncleared dues, this tender could not be floated. If this mill gets started again through the deposits it receives, the provident fund dues can be deposited. In this way, PF dues would get cleared and the mill will start functioning.

Secondly, due to sufficient rainfall this year, the cultivation area of sugarcane has been increased and sugarcane crushing season would get started only when this sugar mill starts functioning once again. We have already met Hon. Labour Minister in this connection and through you, I would like to request Hon. minister again to look into the matter urgently so that this sugar mill starts functioning immediately through a long-term lease deed.

Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

माननीय सभापति : श्रीमती रेखा अरुण वर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित ।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पालघर की ओर ले जाना चाहता हूं।

महोदय, आज वसई, विरार और पालघर जिलों को तीसरी मुंबई माना जाता है। मुंबई उपनगरों से बड़े पैमाने पर प्रवासन के कारण पालघर जिले की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण नागरिकों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए मुंबई से दहानु और दहानु से लेकर वलसाड़ तक उपनगरीय लोकल ट्रेन की सेवा परिचालित करना बहुत जरूरी है। इसी समय, पश्चिम उपनगर से पूर्व की तरफ दहानु से नासिक और कसारा से करजत तक मध्यवर्ती सेंट्रल रेलवे सेवा शुरू करने के लिए सर्वेक्षण करने की बहुत जरूरत है, ताकि उस वंचित क्षेत्र को यह सुविधा मिल सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अत: माननीय रेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि पर्यटन और प्राकृतिक रूप से प्रसिद्ध जिलों के लिए सब्जी, फूल, फल और डेयरी उत्पादन के लिए किसान ट्रेन नामक एक विशेष ट्रेन शुरू की जाए, ताकि वहां के लाखों किसान और व्यापारी लाभान्वित हों। रेल मंत्री जी से मेरी यही मांग है। धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सम्माननीय चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत गंभीर विषय रखना चाहूंगा। हमारे जो बुजुर्ग सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए सरकार ने ई.पी.एस.-95 नाम से एक स्कीम लाँच की थी। ई.पी.एस.-95 के तहत उनको पेंशन मिलती थी। उस वक्त यह मर्यादा रखी गई कि जिसकी तनख्वाह 5 हजार रुपये होगी, उसे 416 रुपये मिलते थे। बाद में वह मर्यादा थोड़ी बढ़ाई गई और 6,600 रुपये तनख्वाह के लिए 541 रुपये पेंशन मिलने लगी। सितम्बर, 2000 में 15 हजार रुपये तक बेसिक-पे की मर्यादा बढ़ाई तो पेंशन बढ़कर 1,250 रुपये हो गई। आप सोचिए कि आज के जमाने

में 1,250 रुपये की पेंशन में क्या होगा? वर्ष 2013 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में कोश्यारी साहब चेयरमैन थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब भी थे। उस कमेटी ने सिफारिश कर दी कि कम से कम 3,000 रुपये और डी.ए. मिलाकर पेंशन हो और ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपये हो। फिर भी, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उस पर अमल नहीं हुआ। इस दरम्यान ये सारे पेंशनर्स लोग कोर्ट में गए।

चेयरमैन सर, बहुत सारे राज्यों के कोर्ट्स ने इनको मान्यता दी। किसी ने कहा कि हायर पे पर पेंशन दीजिए तो लोगों को 22,000 से 30,000 रुपये तक पेंशन मिलने लगी। लेकिन ई.पी.एफ.ओ. ने उस पर अमल नहीं किया। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, जिसमें जितना कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी का होगा। उसका भी किसी ने समर्थन नहीं किया और ई.पी.एफ.ओ. ने विरोध कर दिया। वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन पाने के लिए जो मूल वेतन की मर्यादा थी, उसको निकाल कर, सभी को पेंशन दी जाए, ऐसा निर्णय दे दिया।

सर, दुर्भाग्यवश आज उस निर्णय पर अमल नहीं हो रहा है। आज ईपीएस पेंशन के फण्ड में 2 लाख 77 हजार करोड़ रुपये जमा है। उसमें इतनी राशि है। अनक्लेम्ड राशि 25 हजार करोड़ रुपये से ऊपर है। माननीय प्रधान मंत्री जी भी इससे अवगत हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि करोड़ों लोग 1,200 रुपये, 3,000 रुपये पेंशन लेने के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। आज एग्जेम्प्टेड लोग 84 लाख हैं और दोनों को मिलाकर 1 करोड़ 71 लाख लोग हैं। इस उम्र में स्वास्थ्य के बहुत विषय उत्पन्न होते हैं और महंगाई भी बढ़ गई है।

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं और यह सरकार कहती है कि हम अच्छे कदम उठा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यह विषय बहुत सालों से प्रलम्बित है। हेमामालिनी जी, आज

यहां पर उपस्थित नहीं हैं, वह भी इस विषय को लेकर प्रधान मंत्री जी तक गई थीं। आप जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय कीजिए और बुजुर्गों को न्याय दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में जितनी मिनिमम पेंशन के बारे में कहा है, उतनी पेंशन को तुरंत लागू करें।

माननीय सभापति : श्री सुब्रत पाठक जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती वीणा देवी।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली) : मेरे वैशाली संसदीय क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत पताही हवाई अड्डा स्थित है। मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी समझी जाती है और इसे स्मार्ट सिटी बनाया गया है। इस हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत शुरू करने की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने चुनाव के समय उसी हवाई अड्डे में आयोजित एक आम सभा में की थी। इस हवाई अड्डे के शुरू होने से मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, सीवान तथा सारण के वासियों को सुगम हवाई सुविधा मिल जाएगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि पताही हवाई अड्डे को जल्द से जल्द शुरू करवाकर उत्तर बिहार की इस महत्वपूर्ण मांग को पूरी करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अरूण साव (बिलासपुर) : माननीय सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला-पिंड्रा-मरवाही में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन है। आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 'नई शिक्षा नीति' लागू करके, शिक्षा को सर्वव्यापी, उपयोगी और विश्वस्तरीय बनाने का निर्णय लिया है। मेरे क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्हें अच्छी शिक्षा और अवसर की आवश्यकता है।

अत: मैं माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी से आग्रह करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला-पिंड्रा-मरवाही में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए शीघ्र कार्रवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you very much Chairperson, Sir. Exactly one year before, on 18th March, 2020 the much-awaited people's aspiration was answered by this Government by way of bringing in an amendment to the *Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands Land Revenue and Tenancy Regulation, 2020, which has legalised all the transactions till 31st of December, 2019.*

You must appreciate that a lot many things have passed. Dr. Haque Committee visited Lakshadweep. There was a lot of deliberation between MHA and Lakshadweep administration. The matter then went to the Law Ministry to take a final decision on this long-pending demand, which was pending from 1965 onwards.

I am thankful to the Government for bringing in this amendment and giving a portion of the land to the people of Lakshadweep. Contrary to the Regulation, which was promulgated by the President of India, I am very saddened to say that even after the lapse of one year the absolute title of the property has not been given to the people till now.

Contrary to that, the administration is going against the amendment which was made by this Government. I am sure that they are doing it without the knowledge of the Home Ministry.

Now, finally, what happens is that the communication has been sent to the subordinate offices that the Pandaram land -- on which an amendment was made for the benefit of the people -- is again to be treated as a Government land. I am totally against it. The activities are done to depreciate the land value so that the lease rent can also be reduced. Therefore, the people are forced to sign on the dotted lines. This will again depreciate it. The protection which was given by this Act must be taken into consideration.

The ambit of this amendment was to give benefits to the people. It should be given to the people. There should not be any u-turn now and it should not go back to the Government. If it happens, it will be a big loss to the people. Thank you, Sir.

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Hon. Chairperson, Sir, thank you. I need your permission to change my subject.

The issue is pending for the last twenty years and it requires immediate attention of the hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

Hon. Chairperson, Sir, Veerashaiva Lingayat caste in the State of Telangana was included in the list of Backward Classes (BC-D) by the erstwhile Government of Andhra Pradesh at serial No. 46 based on the report submitted by

the Chairman of AP Commission for Backward Classes vide G.O. Ms. No. 22 Backward Class Welfare (C2) Department dated 28.02.2009.

In Telangana, people belonging to the Veerashaiva Lingayat caste do not have any proper education and majority of them are working as daily wagers, agricultural labourers, maids and servants, and petty vendors. Most of the people live in houses made of mud walls with no sanitary facility. They have hardly any facility of proper housing and drinking water. The Central Government told us to first get the caste included in the State OBC list and then, come to the Centre. We followed the instructions and got the caste included in the State OBC list. It has been ten years now, but unfortunately, it is still pending at the level of the Central Government.

It is only after our community was included in the State B.C. List, people belonging to that caste started getting good education and placements. But it is only at the level of the State.

Though we are found to be eligible to have reservation facilities because of our social and educational backwardness in the State of Telangana, similar benefits are not being provided to us at the level of the Centre. Our Community is not included in the list of OBC at the national level.

Since our caste is already included in the State BC list based on social and educational backwardness, we deserve the same reservation facility at the

national level also. Due to non-inclusion of our caste/community, Veerashaiva Lingayat/Linga Balija, in the list of OBC at the national level, we are put at a great hardship. There are many castes in our Telangana State as well as in other States which have not been included for the past many years because of small spelling mistakes and just because of such small mistakes, the entire community is suffering.

It is also put on record that the State Governments of Andhra Pradesh and Tamil Nadu have already forwarded recommendations to include Veerashaiva Lingayat caste in the list of OBC at the national level.

Hence, I would like to request the hon. Minister and the Government to take necessary steps at the earliest to include Veerashaiva Lingayat/Linga Balija caste in the list of OBC at the national level. Thank you, Sir.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति, एसटी सीट है, के घाटशिला एवं मुसाबनी प्रखण्ड में घाटशिला प्रखण्ड के 8 पंचायत क्रमशः काशिदा, घाटशिला, पावड़ा, धर्मबहाल, गोपालपुर, मउभण्डार उत्तरी, मउभण्डार पूर्वी, मउभण्डार पश्चिमी, एवं मुसाबनी प्रखण्ड के क्रमशः 8 पंचायत उत्तरी ईचडा, दक्षिणी ईचडा, मुसाबनी पूवा, मुसाबना पश्चिमी. उत्तरी बादिया, दक्षिणी बादिया, पूर्वी बादिया, पश्चिमी बादिया उक्त सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अतिपिछडा, गरीब आदिवासी बाहुल्य लोग रहते है एवं उक्त क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित भी है। विदित है कि वर्ष 2011 की

जनगनणा में त्रुटीवश उक्त पचायतों को शहरी कोड में डाल दिया गया है जबकि उसके आसपास में न नगर निगम है और न नगर विकास है, अधिसूचित क्षेत्र भी नहीं है, फिर किन कारणों से इतनी बड़ी आबादी को सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। जबकि वर्षों से जनता की मांग रही है कि उन्हें पूर्व कि भांति ही ग्राम पंचायतों में ही रहने दिया जाए, जिसके कारण उन्हें न तो शहरी क्षेत्रों और न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चलने वाली केन्द्रीय योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है।

महोदय, वहां की बहुत बड़ी आबादी है और वह पूरा आदिवासी बहुल इलाका है। वह नगर निगम, नगर विकास अधिसूचित क्षेत्र भी नहीं है, फिर किन कारणों से इनको वंचित रखा गया, यह समझ से परे है।

महोदय, आपके माधयम से माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त सभी पंचायतों को शहरी कोड से हटाकर ग्राम पंचायत में रहने दिया जाए जिससे गाँवों में चल रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।

जिसके कारण उन्हें शहरी क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में चलने वाली केन्द्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र जो कि एसटी सीट है और पूरी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। नगर निगम, नगर विकास अधिसूचित क्षेत्र भी नहीं है। फिर किन कारणों से इन्हें वंचित रखा गया है, यह समझ से परे है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सभी पंचायतों को शहरी कोड से हटाकर ग्राम पंचायत में रहने दिया जाए, जिससे गांव में चल रही प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल पाए।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सभापति महोदय**,** मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कई सारे ऐतिहासिक व रमणीय पर्यटन स्थल हैं**,** जिनमें से एक संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है। मैं आपके माध्यम से अत्यंत गर्व के साथ इस सदन से यह साझा

करना चाहती हूं कि 'मोहन' नामक सफेद शेर जो पूरे बिंद का ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की शान रहा है, जिसकी प्रसिद्धि के बारे में सभी जानते हैं। यह सबसे पहले हमारे क्षेत्र में ही पाया गया था।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह क्षेत्र दुबरी का संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं और यहां पर बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। जैसे जब पर्यटक आते हैं, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था में कमी है, इसके साथ ही आवागमन, उसके सौंदर्यीकरण आदि के लिए काफी बजट की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देती हूं कि मैंने जब पिछले वर्ष आग्रह किया था, तो हमें 290 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं हो पाई थी। लेकिन इसे और व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहती हूं कि हमें और धनराशि की आवश्यकता है। इस पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए हमें और बजट की आवश्यकता है, कृपया इसे उपलब्ध कराएं।

*__SHRI DAYAKAR PASUNOORI (WARANGAL):__ Hon. Chairman Sir. Since 1874, Kazipet Railway Station played an important role for Indian Railways in South India. Thousands of passengers used services from Kazipet Railway Station. Coal, Granite and Cement were transported from Kazipet, and provide 45% freight revenue for South Central Railway. In Andhra Pradesh Reorganisation Act, there is provision for coach factory in Kazipet. On two occasions, the opportunity to set up coach factory was ignored and subsequently it was transferred to Punjab. There is a land parcel of 100 acres near railway station for coach factory. All

* English translation of the speech originally delivered in Telugu.

facilities including water are available there. Recently, Minister for Railways ruled out possibility of coach factory in future as well. As a result, thousands of unemployed youth are protesting. Therefore, to address unemployment problem for our youth, coach factory should be set up in Kazipet. As that place is suitable, it must be considered. Earlier, also they promised Railway Division, which was not fulfilled. Instead, a junction with 3000 staff was made Division, whereas Kazipet had more than 13000 employees.

Therefore, through you I request that this demand may be considered and coach factory may be set up in Kazipet.

माननीय सभापति : श्री जयंत सिन्हा जी।

उपस्थित नहीं हैं।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर यहां बोलना चाहूंगी। प्रधान मंत्री आवास योजना की शुरुआत, प्रधान मंत्री जी के दिशा-निर्देश पर केन्द्र सरकार ने शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में जो गरीब हैं, जिनके पास आवास नहीं हैं, उन्हें उनके हक का आवास मिल सके। इसके लिए जो लाभार्थी सूची निश्चित की गई थी, वह बहुत ही पारदर्शिता से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बनाई गई थी।

मेरे नंदूरबार जिले में मुख्य रूप से तीन तालुके- धड़गांव, अक्कलकुआँ और नवापुर हैं, जहाँ पर लाभार्थी सूची के साथ गड़बड़ी की गई है। इसमें दो-तीन तरह से गड़बड़ी की गई है। एक, कई गांवों में लाभार्थियों के नाम बदलकर, कुछ आर्थिक व्यवहार करके दूसरे लोगों के नाम उन लोगों के नाम पर जोड़ दिए गए और दूसरे लोगों को आवास दिया गया जबकि जिन लोगों के नाम उस सूची में थे, उन्हें

उनके हक के आवास मिले। कई गांवों में यह भी देखा गया कि जिन लोगों के नाम लाभार्थी सूची में आए थे, उनके नामों के आगे जो बैंक खाते नम्बर दिए गए थे, वे किन्हीं और व्यक्तियों के दिए गए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तें उन बैंक एकाउंट्स पर आने लगीं, तो जिनके नामों से आवास मंजूर हुए थे, उनके खाते में पैसे नहीं आए और किन्हीं अन्य लोगों के एकाउंट्स में पैसे चले गए।

सभापति महोदय, इसकी व्याप्ति इतनी बड़ी है कि जिनके नाम पर किश्तें गई हैं या जिनके नाम पर पैसे गए हैं, उन लोगों ने तो आवास बनाए ही नहीं और उन लोगों ने कागज पर आवास बनाए हैं, ऐसा बताया गया है। जब यह शिकायत दिशा समिति के पास आई, चूंकि नंदूरबार जिले की दिशा समिति की अध्यक्ष मैं खुद हूं, हमारे जिले के जो जिलाधिकारी हैं, जो जिला परिषद के सीओ हैं और डीआरडीआर के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन्हें इस विषय में जाँच करने के आदेश मैंने दिए थे। तीन महीने के बाद दिशा की जब दूसरी मीटिंग हुई, तब यह बात जानकारी में आई कि इस विषय में किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हमारे जिले के अधिकारियों ने नहीं की, बल्कि जिन लोगों ने घोटाला किया है, उन्हें बचाने का काम हमारे जिले के अधिकारी कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करती हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह का इतना बड़ा घोटाला मेरे नंदूरबार जिले में हुआ है, इसकी सीबीआई जाँच की जाए। मैं यह भी मांग करती हूं कि जिन गरीब लोगों को आवास मंजूर हुए थे, लेकिन आवास नहीं मिले, उन्हें जल्द-से-जल्द उनका हक दिया जाए, उनका आवास दिया जाए।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): माननीय सभापति महोदय, किसी भी विकासशील देश की उन्नति तभी रफ्तार पकड़ती है, जब उस देश में रह रहे लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों। इसके लिए सरकार नई नीतियाँ और योजनाएं बनाती रही हैं। लेकिन कई बार ये योजनाएं और नीतियाँ विफल

साबित हुई हैं। इसका कारण यह है कि सरकार के पास जनगणना के सही आंकड़े नहीं हैं। यह जनगणना सही तरीके से नहीं की गई है।

महोदय, देश की आजादी से पहले भी जातीय आधार पर जातिवार जनगणना होती थी। वर्ष 1941 में जातीय आधार पर जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण उसे घोषित नहीं किया जा सका। भारत में आखिरी जाति-आधारित जनगणना ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वर्ष 1931 में हुई थी। वर्ष 1931 तक सभी जातियों की गिनती होती थी। अभी तक उसी आंकड़े से काम चल रहा है। उसी आंकड़े के आधार पर बताया गया है कि देश में ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत है। जनगणना की रिपोर्ट में सभी जातियों की संख्या और उसकी शैक्षिक-आर्थिक हालात का ब्यौरा होता है। जब देश में पशुओं की गणना भी होती है, लेकिन देश में अलग-अलग प्रकार के कितने पशु हैं, गाय, भैंस, बकरा आदि सभी की गणना हो सकती है, लेकिन अभी तक देश के लोगों की जातिवार जनगणना नहीं हो पाई है।

महोदय, ज्ञात हो कि बिहार में जदयू और भाजपा की साझा सरकार है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है।

वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल मांग करते रहे कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आपके माध्यम से मुझे यह भी बताना है कि मोदी जी की सरकार में ही इतनी साहस और हिम्मत थी कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक पंचतीर्थ स्थल बनवाए तथा दलितों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया।

माननीय सभापति : आप अपनी मांग बताइए। आप क्या चाहते हैं?

श्री मुकेश राजपूत : इसके साथ ही, सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10 परसेंट आरक्षण दिया गया। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे सभी वर्गों को संवैधानिक अधिकार मिला।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पुन: एक ही बात का अनुरोध करता हूं। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ जातिवार जनगणना कराने का आग्रह तैयार किया जाए, जिससे राष्ट्रीय योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है और रोटी-बेटी का लेना-देना है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ आने-जाने के लिए राजमार्ग अत्यंत जरूरी है। बालांगिर जिला एक आकांक्षी जिला है। नौपाड़ा जिला मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है, यह भी आकांक्षी जिला है। इन दोनों जिलों को गरियाबन जिले और धमदरी जिले से को जोड़ने के लिए एक नया राजमार्ग अत्यंत आवश्यक है।

अत: मेरा राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रास्ते को राजमार्ग के रूप में रूपांतरित किया जाए। इसके साथ-साथ जूनागढ़ से लेकर डेयपुर होते हुए रायपुर आने के लिए रास्ता तो है, लेकिन वह राजमार्ग में परिवर्तित नहीं हुआ है। इसीलिए, भवानीपटना-कालाहाण्डी जिला, जो आकांक्षी जिला है और पड़ोसी जिला भी छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला है, इसे भी राजमार्ग में रूपांतरित किया जाए और मेरे अंचलवासियों को आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a very important issue about retail prices of

petrol, diesel, and LPG. आपके संज्ञान में होगा कि पिछले हफ्ते भी जब फाइनेंस बिल और बजट पर चर्चा हुई थी, तब सभी ने पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी प्राइसेस की बढ़ोत्तरी के बारे में कहा था। पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी प्राइसेस में जो बढ़ोत्तरी हुई है, इसमें आम आदमी और सबसे ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम में बहुत दिक्कत हो रही है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला था।

एक्चुअली आज एक अच्छा दिन है। …(व्यवधान) मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज हमने बच्चों के लिए इतना अच्छा बिल पास किया है, लेकिन बिहार में महिलाओं पर कल तेजस्वी यादव की पार्टी की सारी महिलाओं पर जिस तरह पूरी पुलिस टूट पड़ी, एलपीजी की वजह से दिक्कत हो रही है। …(व्यवधान) ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए आप जरूर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह केन्द्र सरकार महिलाओं के खिलाफ है। …(व्यवधान) मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि बिहार में जो हुआ, वह अच्छा नहीं हुआ। It is a black day for democracy. What has happened to Shri Tejashwi Yadav and his Party MLAs is unfortunate. I condemn it and I request that this should not happen anywhere. It does not matter who is in power but democracy and being fair and just is supreme in this country. Thank you. …(*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, we associate with her. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. संजय जायसवाल जी, आप निहाल जी के बाद बोलिएगा।

…(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। …(व्यवधान)

सभापति जी, 22 तारीख को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में बहुत बड़ा तूफान आया है, जिससे किसान की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। राजस्थान प्रदेश में मेरा जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां गेहूं, चावल, चना, गन्ना और कपास की पैदावार होती है। देश के खाद्यान संपन्न क्षेत्र में श्रीगंगानगर अपना नाम प्रगति की ओर रखता है। किसान पूरी लगन के साथ मेहनत-मजदूरी करते हैं, लेकिन जब उन्हें फल मिलने का इंतजार होता है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को प्राकृतिक आपदा से दो-चार होना पड़ता है। उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

22 मार्च को जब यह तूफान आया, तब अकेले मेरे श्रीगंगानगर जिले में करीबन दो लाख हैक्टेयर भूमि में जो फसलें खड़ी थीं, सारी फसलें तबाह हो गईं और करीबन एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आया था। मैंने राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वहां एसडीआरएफ की एक टीम जाए, जो वहां सर्वे करे।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो बीमा कंपनियां सही मुआवजा नहीं दे पाती हैं, वे सही मुआवजा दें और बहुत से किसानों की फसलें, जो 50 प्रतिशत से ज्यादा नष्ट हो गई हैं, क्योंकि किसान अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ, खून-पसीने के साथ अपनी फसल को बोता है। जब फसल तैयार हुई, तब भयानक आंधी, तूफान आया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एनडीआरएफ की एक टीम वहां जाए और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का सर्वे कर के उसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित

बीमा कम्पनी को सरकार आदेश दे कि किसानों को अधिक से अधिक बीमा दिया जाए, ताकि किसान आने वाली फसलों की तरफ ध्यान दे सके।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): सभापति जी, जिस मौके पर आज मुझे बोलने का मौका मिला है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया के लोगों के लिए बेहद लाभदायी और जनहित में होगा। मैं भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के सपने के बारे में बोल रहा हूं कि देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहन कर हवाई यात्रा कर सके। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 'उड़ान' कार्यक्रम के तहत विगत वर्ष की शुरूआत में ही फारबिसगंज हवाई अड्डे को पुन: शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विगत 58 वर्षों से जिले के इस हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं। मैं सीमांचल क्षेत्र से आता हूं। वर्ष 1962 में चीन और इंडिया का युद्ध हुआ था, तब वह हवाई पट्टी बनी थी। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि चीन से हमारा जो शीत युद्ध चल रहा है, वह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा और दरभंगा वहां से 200 किलोमीटर दूर है और बागडोगरा एयरपोर्ट भी 200 किलोमीटर दूरी पर है। 200 किलोमीटर की दूरी के बीच के लोग आसानी से माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने के अनुसार यात्रा कर सकें, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में कार्यवाही शुरू करें।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति जी, सदन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और विरोधी दल तथा सत्ता पक्ष के लोग आपस में बहस भी करते हैं और विवाद भी करते हैं, लेकिन कभी भी आसन पर कोई बात नहीं होती है। यह मामला बिहार विधान सभा के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सदन में यह मामला उठाने के लिए मजबूर हूं। माननीय सांसद जो चर्चा कर रही थीं, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि विधान सभा के अध्यक्ष को उसके कमरे में बंद कर दिया जाए, उनके कमरे के दरवाजे में रस्सी बांधी जाए और सारे

लोग उस कमरे को घेर लें। एनाउंसमेंट हो रही है कि विधान सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए स्पीकर आएं और स्पीकर को आने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें घेर कर रखा जाता है, जिसकी वजह से तीन बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। सदन में विवाद होता है, बिल आता है और उसका विरोध होता है। सभी को अपनी बात करने का अधिकार है, विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन आज तक भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधान सभा अध्यक्ष को उसके कमरे में बंधक बना दिया जाए।

मैं आपके माध्यम से लोक सभा अध्यक्ष जी से यह अपील करना चाहूंगा कि वह सभी विधान सभा अध्यक्षों की बैठक बुलाएं और जो भी विधायक इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं, जिन्होंने विधान सभा के अध्यक्ष को बंधक बनाने का काम किया है, उन सभी पर कार्यवाही की जाए और उन सभी विधायकों को निष्कासित किया जाए।**…(व्यवधान)**

माननीय सभापति : आप अपने को इस विषय से संबद्ध कर दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप अपने को संबद्ध कर दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

हनुमान बेनीवाल जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को इस विषय से संबद्ध करना है, वे स्लिप भेज दें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप स्लिप भेज दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में रविवार रात से ही तबाही मचा रहे बवंडर व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र- नागौर सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों में ओलावृष्टि व तेज आंधी से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की फसलें चौपट हो गई हैं, वही तीन हजार से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। यह तेज अंधड़ इतना खतरनाक था कि हवाई उड़ानों को घंटों तक लैंड करने में दिक्कत हुई। दिल्ली-किशनगढ़ हवाई जहाज दो घंटे तक हवा में रहा। इसके साथ ही, हजारों बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, कच्ची झोपड़ियां एवं टीन शेड उखड़ गए। कुछ ऐसी स्थिति कल बीकानेर और चुरू जिलों सहित दर्जनों क्षेत्रों में हुई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एनडीआरएफ की टीम भेजकर वहां इसका आकलन कराया जाए क्योंकि राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही यहां के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा भी की जाए।

सभापति महोदय, इस तबाही ने सबसे ज्यादा नुकसान जैसलमेर जिले में किया है। इस ओलावृष्टि व तूफान से जीरा, ईसबगोल व चने की फसलें नष्ट हो गई हैं और आमजन को भी भारी नुकसान हुआ है। अत: आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि वह अपने स्तर पर तत्काल आर्थिक पैकेज जारी करे। साथ ही, फसल बीमा कंपनियों को तत्काल पाबन्द करके प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द क्लेम दिलवाएं। इसके साथ ही मैं निवेदन करूँगा की पशुधन की वास्तविक हानि के अनुसार मुवावजा दिया जाए। इसका प्रस्ताव भी भारत सरकार के पास अभी लंबित है, वहीं किसान के खेत के खसरे को इकाई मानकर खराबे के वास्तविक आकलन का भुगतान किसान को कराया जाए।

माननीय सभापति: शून्य काल समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जा रहा है। सभी को अवसर मिलेगा, कृपया धैर्यपूर्वक बैठे रहें। जो बोल चुके हैं, वे भी कृपया सदन में ही रहें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं तथागत गौतमबुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। गौतमबुद्ध सिद्धार्थ के रूप में **29** वर्षों तक कपिलवस्तु में रहे। लुंबिनी नेपाल में है। भारत और नेपाल के मध्य इंडो-नेपाल ट्रीटी है। हमारी सरकार आने के बाद जिस तरह से संविधान सभा में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल को न केवल पड़ोसी, बल्कि भारत के एक भाई की तरह से उसकी प्रगति और विकास में सहयोग दिया है, वह स्वागत योग्य है। लुंबिनी से ककरहवा तक एक लैंड कस्टम स्टेशन के लिए सर्वे हो चुका है। भारत-नेपाल की ज्वाइंट टीम्स सर्वे कर चुकी हैं। कमेटी की थर्ड कॉंप्रिहेंसिव बैठक होने वाली है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि ट्रेड ट्रांजिट के माध्यम से भारत-नेपाल के बीच व्यापार बढ़े और लखनऊ-दिल्ली से सिद्धार्थनगर होकर ककरहवा और वहां से लुंबिनी होकर काठमांडू आवागमन हो। लोग अभी भैरहवा-नौतनवा होकर गोरखपुर से आते हैं। इससे निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा और भारत-नेपाल के रिश्तों में भी मजबूती आएगी। आज चाइना नेपाल में पांव जमाने का प्रयास कर रहा है। अगर यह नाका खुल जाएगा और कस्टम लैंड स्टेशन की स्थापना होगी तो इससे निश्चित तौर पर भारत और नेपाल के रिश्तों और ट्रेड में काफी बढ़ोत्तरी होगी। दोनों ही देशों के लोग, जिनको बहुत दूर, गोरखपुर या बहराइच से होकर भारत आना पड़ता है, इससे उनको भी आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।

*__SHRI MOHAMMAD SADIQUE (FARIDKOT):__ Thank you Hon. Chairman Sir.

First of all, I pray to God that the Hon. Lok Sabha Speaker Shri Om Prakash Birla ji recovers from Covid-19 soon.

Sir, Punjab's agriculture is an ideal development model. Kindly give me ample time. I want to raise the issue of farmers and the issue of the 3 black agriculture laws.

Sir, when we talk about scrapping the 3 Agriculture Laws, the ruling party MPs say that these bills have been passed in both the Houses of Parliament. So, they cannot be scrapped now. When we tell them that in Rajya Sabha, the ruling party members needed to pass these laws were not present in adequate numbers, they say that these laws were passed by a majority voice vote.

Hon. Chairman Sir, rules were flouted in Rajya Sabha and the ruling party got it passed there.

Punjab is the ideal development model as far as agriculture is concerned. During farming season, everyone in Punjab is busy. Shri Dhani Ram Chatrik ji has written:

"Do the harvesting of crop
Pay the contractors and money-lenders.
All are very happy,
The Jats have come to enjoy the fair."

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

When the produce of farmers come to 'Mandis' for selling, the entire place is filled with happy farmers. We all in the Opposition and in the Treasury benches know this. But, the ruling party members have their compulsions. So, they remain silent.

Sir, I urge upon you that MSP be granted to Punjab by including it in a law. Government procurement leads to increase in the income of farmers. It gives a boost to the business. People get employment.

So, all 3 black Agriculture Laws should be scrapped and granting of MSP to farmers should be included in a law. Jai Hind. Jai India.

Thank you.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Chairman, Sir, I want to bring a very important issue to your notice.

SDPI is the political arm of PFI and PFI was formed in 2006. Ever since that time, they have been found involved in political murders of RSS workers and several other workers. On 24th February this year, a young man, age 22, called Nandu, was murdered in day light in Kerala. The first ISIS module was investigated by NIA; and several other agencies in Kerala also found that PFI members were involved. These very people have murdered this young man who was a Mukhya Shikshak of Shakha in Nagamkulangara which is a Village Panchayat in Vayalar, Alappuzha. In this area, not just Nandu was hacked to

death but the left arm of another person, who was also called Nandu, was slashed. Till date, the main culprit called Mansoor is known to be present in another district where the local police is not investigating and arresting him. The second Nandu, Ashwin Kumar, Shayama Prasad, Vishal are several other people who have been killed in the past by SDPI. We want the strictest possible action against these people by the State Government. If the State Government fails to act, right now the elections are going on, the Election Commission should intervene; and if the Election Commission is also failing to intervene, in that case, the Centre should intervene and arrest these culprits.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, अगर आपकी इजाजत हो जाए, तो जिस तरह से माननीय सदस्या ने अपनी बात उठायी है, बिहार विधान सभा में जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके संदर्भ में मैं अपनी पीड़ा जाहिर करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 44-45 साल का मेरा लंबा सार्वजनिक जीवन हो गया है और इतने लंबे काल से मैं संसदीय जीवन में हूँ। मैंने आज तक इस तरह की हरकत नहीं देखी, जिस तरह से बिहार विधान सभा में कल विपक्ष के माध्यम से हुई। मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ और बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ।**…(व्यवधान)** मैंने ऐसा नहीं देखा है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, वे अपनी बात रखते हैं। लोकतंत्र में सब लोगों को इसका अधिकार है। किसी बिल का विरोध करिए और बिल में कुछ है भी नहीं, केवल नाम का परिवर्तन किया जा रहा है। वहाँ जिस तरह से हंगामा खड़ा करने का काम किया गया, स्पीकर साहब को तो तीन घंटे तक बंद ही रखा, जो चेयरपर्सन थे, उन पर हमला किया गया। उपमुख्यमंत्री पर हमला किया गया। मंत्रियों पर हमला किया गया। क्या लोकतंत्र में

इसकी कोई इजाजत देता है? आप बहस के साथ विरोध करो, लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है।

महोदय, कल तो अनहोनी हो जाती, अगर मार्शल वहाँ नहीं रहता, तो सत्ता पक्ष के लोगों की …* की जा सकती थी।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : विधान सभा के अंदर हुई किसी भी घटना का जिक्र यहाँ पर किया जाना उचित नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय**,** आपने इजाजत दी है।…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ था।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: मैं निवेदन करना चाहता हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ।…(व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय सभापति : किसी भी सदन के अंदर की घटना का जिक्र न करें।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय**,** मैं अपनी पीड़ा कहाँ रखूँ?…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप केवल बाहर का जिक्र करें।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अंदर की घटना का जिक्र न करें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह देख लेंगे कि इसमें क्या अनुमन्य है, क्या अनुमन्य नहीं है?

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: मैं आग्रह कर रहा हूँ।…(व्यवधान) मैं उस घटना को कंडेम करता हूँ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मैं बिहार विधान सभा के स्पीकर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई कीजिए, बर्खास्त कीजिए और सस्पेंड कीजिए। भविष्य में इस तरह की घटना न

हो, इसको सुनिश्चित करने का काम कीजिए। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा। …(व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): आदरणीय सभापति महोदय, मैं…(व्यवधान)

माननीय सभापति : तापिर जी, आप शुरू कीजिए। राम कृपाल जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। आपका भाषण हो गया।

…(व्यवधान)

श्री तापिर गाव : आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण इश्यू को उठाना चाहूंगा। वर्ष 1962 की लड़ाई अरुणाचल प्रदेश के तीन सेक्टरों में लड़ी गई थी। एक तवांग सेक्टर, एक सुबनसिरी सेक्टर और एक वालोंग सेक्टर। हम दो सेक्टरों में हारे, लेकिन सुबनसिरी सेक्टर में हिन्दुस्तान की आर्मी ने चाइनीज आर्मी को 18 नवंबर, 1962 में हराया था। इसके हीरो हवादार शेर थापा थे। यह सैकेंड जम्मू और कश्मीर राइफल्स का सिपाही था। अकेले 155 चाइनीज आर्मी को इंजर्ड किया और 79 चाइनीज आर्मी को 18 नवंबर, 1962 में इन्होंने मार गिराया। जब उसका गोली-बारूद खत्म हो गया, चाइनीज ने आकर उसको मारा। उसको चाइनीज आर्मी ने वहां इज्जत से दफनाया और उसके ऊपर चाइनीज अक्षरों में लिखा। 19 नवंबर, 1962 में चाइनीज रेडियो में अनाउंस हुआ कि मोर देन 150 आर्मी इंजर्ड एंड शहीद हुए। इसके लिए हवादार शेर थापा की आत्मा हिन्दुस्तान में अभी भी भटक रही है। इसलिए मैंने डिफेंस मिनिस्टर को, चीफ ऑफ द आर्मी को और बाकी सब को लैटर लिखा। इनके एक सीनियर ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड अमर पाटील पुणे में अभी है, इन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है।

माननीय सभापति: आप रिक्वेस्ट कीजिए।

श्री तापिर गाव : मेरी मांग यह है कि आज शेर थापा को मरणोपरांत एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए, ताकि हिन्दुस्तान की आर्मी को भी बल मिले और आज चाइनीज बॉर्डर पर जो नौकरी कर रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, इन सब को भी इज्जत मिले। धन्यवाद।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I request you to sanction dialysis units in East Godavari, Andhra Pradesh. If we ask a poor patient, who has to undergo dialysis twice or thrice a week and does not get that facility, he cannot explain his pain, agony, and his miserable condition because he does not have the means to go to private hospital, and in Government hospital, he has to wait for weeks together to register himself for dialysis. To address the problems of such sections of society, the Ministry of Health and Family Welfare rolled out the Pradhan Mantri National Dialysis Programme under NHM to provide free dialysis services to poor and downtrodden people. This Scheme, to my mind, has been rolled out keeping in view more than two lakh new patients of end stage renal disease who get added every year, resulting in an additional annual demand of 3.4 crore dialysis. The country has only 4,950 dialysis centres but they largely come under the private sector, which the poor cannot afford, because every dialysis has an additional expenditure of Rs. 2,000, which amounts to Rs. 3 lakh to 4 lakh every year.

When it comes to my district, the demand for dialysis units here is more because people from other districts also come to Rajahmundry and Kakinada for dialysis. Patients are forced to wait for three to four days for their turn.

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir, I will take half a minute.

In view of the above, I request, the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan, to take a view on this and instruct the officials concerned in the Ministry to set up minimum of 25 dialysis units in Rajahmundry, Kakinada, and Amalapuram.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Shri Raghu Rama Krishna Raju, please take one minute only.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Yes, Sir, I will take only one minute.

HON. CHAIRPERSON: This applies to every hon. Member.

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU: Sir, this is regarding the judgement on the Sabarimalai temple. …(*Interruptions*) This is a very important subject. After the judgement on the Sabarimalai deity's rights, I made a representation to the hon. President of India under article 363 for the protection of the deity's rights. It was submitted in the month of August, 2020, and in the month of January, 2021, the hon. President of India has referred that particular petition of mine to the Law Ministry. It was subsequently followed by almost another 80-100 Members of Parliament. That was sent to the Law Ministry and it was supposed to be put up to the Cabinet.

I urge the hon. Prime Minister to kindly dispose of that petition in favour the deity because we are all surviving with the blessings of God. This is what we all believe. …(*Interruptions*) I will take only a few more seconds.

Recently, in Tamil Nadu the Bharatiya Janata Party has come up with a good proposal that the temples would be freed from the Government's control in line with the Wakf Board and in line with how the Christian Missionaries are controlling the churches. If that can be really implemented, that will be really good. If a *Dharmik Parishad* in this regard can be set up soon, that will sort out all the problems of the Hindus. Thank you very much.

*__SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB):__ Thank you, Sir, I want to talk about Anganwadi workers and their helpers, today. These women take care of children between 3 years to 6 years age. This is the time when the children undergo maximum mental and physical growth. These Anganwadi workers have acted as frontline warriors during the Corona pandemic outbreak.

I urge the Central Government to not only provide honorarium or letters of appreciation but also provide salaries and other facilities to Anganwadi workers and their helpers.

The Anganwadi Centers should be established in a better way. Facilities like water-coolers, furniture, kitchen and air-coolers should be provided to them. These workers and their helpers should be given Covid-19 vaccine at the earliest.

माननीय सभापति: आपको धैर्य तो रखना होगा। जो बार-बार हाथ उठाएंगे, उनको मैं आखिर में बुलाऊंगा।

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

श्री गोपाल जी ठाकुर।

*[*] **SHRI GOPAL JEE THAKUR (DARBHANGA):** A lot of thanks hon'ble chairman. Sir, I want to express my views in Maithili. Darbhanga radio station was established in 1976. News, local folk-songs along with 'Namaskar Mithila" in Maithili is being broadcasted from this radio station.

Hon. Chairperson, Sir, Darbhanga radio-station is located in a low-lying area and that is why even in case of drizzling water-logging takes place around the premise of the radio station and it creates a lot of problem for the visitors and the staff working there. Through you, I urge upon the Hon. Minister for Infromation and Broadcasting that adequate measures be taken up for renovation of the said radio-station. Besides this, sir, I also demand that all the programmes to be broadcasted from this radio station be recorded in Maithili. Sir, through you I request the Hon'ble minister that "News Services Division" be set-up under this radio-station so that the news and 'Sambad' being relayed from Patna be transmitted in Maithili from this station. I also demand that a 100KW transmitter be set up there to enable the people living around to listen to the programmes being broadcasted and the Prime Minister's 'Mann Ki Baat' may also be broadcasted in Maithili from the said station.

[*] English translation of the speech originally delivered in Maithili.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदय**,** मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी मांग बोलिए। आपको एक मिनट में अपनी बात बोलनी थी।

20.00 hrs

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, इसके पहले, मैं देश के प्रधान मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि 9 जनवरी, 2019 को एक संविधान संशोधन करके उन्होंने सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए दस फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने का काम किया। आज तक लोगों ने कुछ नहीं किया। प्रधान मंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की अपनी सोच को सही मायनों में करोड़ों युवाओं के लिए धरती पर उतारने का काम किया है।

महोदय, इसमें मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के दायरे में आने वाले लोग एस.सी., एस.टी., ओबीसी नहीं हैं, लेकिन वे गरीब हैं, जिनकी परिभाषा सरकार ने तय की है। मिसाल के तौर पर, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये वार्षिक के लगभग है, उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा। ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के लिए लाए गए डीओपीटी के नोटिफिकेशन में इन लोगों के लिए उम्र और अटेम्प्ट की छूट का जिक्र नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के तहत सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण में जो छूट दी गई है, उसमें उम्र और अटेम्प्ट के लिए भी सरकार व्यवस्था करे, जिससे कि उन्हें इसका पर्याप्त लाभ मिल सके।

श्रीमती कविता मलोथू (महबूबाबाद): आदरणीय सभापति महोदय, आपके जरिए मैं केन्द्र सरकार से तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात को याद दिलाना चाहती हूं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 तेलंगाना राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना को अनिवार्य करता है। केन्द्र सरकार ने तेलंगाना राज्य स्थापना अधिनियम के हिस्से के रूप में एक नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मंजूरी भी दे दी है, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। केन्द्र ने वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में प्रारंभिक उपायों के रूप में दस करोड़ रुपये एलॉट किए हैं और केन्द्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें एम.एच.आर.डी. के ज्वायंट सेक्रेटरी, यूजीसी के सेक्रेटरी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, चीफ सेक्रेटरी, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर, सीपीडब्ल्यूडी शामिल थे। तेलंगाना संस्कृति में आदिवासी पृष्ठभूमि उच्च है। इसलिए सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्राथमिकता दी। मुलुगू जिले में इसके लिए स्थल की पहचान की गई है। प्रस्तावित साइट 335 एकड़ की कुल सीमा के साथ जाकारम और मुलुगू गांव में स्थित है। इसके साथ ही, सचिव, उच्च शिक्षा, भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 2018 के प्रस्तावित साइट का दौरा किया है और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए एक समय रेखा का सुझाव दिया है। क्षेत्र स्थल पर विश्वविद्यालय स्थापना की परियोजना की व्यापक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार को सौंप दी। तदनुसार, तेलंगाना सरकार ने प्रस्तावित साइट में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु जमीन के लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। तेलंगाना सरकार को अगस्त, 2019 तक निर्दिष्ट भूमि सौंपने का अनुरोध किया गया है और तीन करोड़ रुपये को तत्काल निर्गत करने को कहा गया है, जो अभी तक एम.एच.आर.डी., भारत सरकार द्वारा एलॉट नहीं किए गए हैं। इस बीच, मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2021 के बजट का टोकन प्रदान किया गया है।…(व्यवधान) मेरी मांग है कि तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिए। शून्य काल में इतना बड़ा भाषण नहीं हो सकता है।

श्री सुनील सोरेन।

श्री सुनील सोरेन (दुमका): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संथाल परगना प्रमण्डल अति पिछड़ा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सिंचाई की सुविधा पर्याप्त नहीं रहने के बावजूद यहां के किसान उन्नत किस्म की सब्जी एवं खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका में, विशेषकर, आलू, टमाटर, मटर, मक्का आदि की खेती व्यापक रूप से होती है। पर, किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर दुमका जिले में फुड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जाता है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और किसानों को उचित दाम मिलेगा। इसके साथ ही साथ, लोगों को अच्छे किस्म के उत्पाद भी प्राप्त होंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री से आग्रह करता हूँ कि झारखंड के दुमका में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाए, ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्र का समुचित विकास हो सके और साथ ही साथ किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो सके।

माननीय सभापति : श्री बालाशौरी वल्लभनेनी – उपस्थित नहीं।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2018 में पूरे विश्व की सबसे बड़ी जन बीमा योजना, जिसका नाम 'आयुष्मान भारत योजनाश' है, उसकी शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों और 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अंतर्गत हर परिवार का एवरेज

प्रीमियम 800 रुपये हैं, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस योजना का जिला और ब्लॉक स्तर पर ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, जो लाभार्थी हैं, उनके एनरोलमेंट के बाद आयुष्मान का कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड से वंचित होने के कारण लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मेरे महाराष्ट्र में सिर्फ 661 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो एम्पैनल्ड हुए हैं। अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो वहाँ 900 हॉस्पिटल्स हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 1600 हॉस्पिटल्स हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन लाभार्थियों को तत्काल आइडेंटिफाई करके 'आयुष्मान भारत योजना' का कार्ड दिया जाए। इस स्कीम का लाभ ग्रामीण इलाकों में पहुँचाने के लिए एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की संख्या को भी बढ़ाया जाए। इससे गरीब परिवारों को भी फायदा होगा।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharamanji, to the financial allocation of the Central Government Ministries and Departments for the North-Eastern region of India.

During the first NDA Government led by *swargiya* Vajpayeeji, it was decided that 10 per cent of the budget of each and every Ministry and Department should be earmarked for the North-Eastern region. The idea behind this policy was that this region is lagging far behind compared to other parts of the country. For faster development of the region, this policy was adopted and the Ministry of DoNER was also created.

Some Ministries and Departments are still trying to spend 10 per cent of their budgetary allocation in the North-Eastern region. This is really encouraging for us. However, most of the Central Government Ministries and Departments are not following the policy due to many constraints and practical difficulties. We can understand the practical difficulties of Ministries like Defence, External Affairs, Railways, Finance, Agriculture, Rural Development etc.

We really do not know whether these days the Non-lapsable Pool for the unspent North-Eastern Fund still exists or not. My humble request is that the unspent fund of the Ministries and Departments meant for North-Eastern region may be handed over to the Ministry of DoNER for spending in the development projects of the region. Notionally, this unspent amount is estimated to be around Rs. 70,000 crore by now.

That is why, I would like to urge upon the hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji and Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharamanji to revise the policy and formulate a new one which is more practical and implementable.

Thank you. Jai Hind.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, देश की बढ़ती आबादी देश के अर्थतंत्र को कमजोर करने का बहुत बड़ा कारण रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कई उपाय भी समय-समय पर सरकारों द्वारा किए गए हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर भी विधायी एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रयास कर रही हैं। अन्य कारणों के साथ ही साथ लड़कियों के विवाह की उम्र भी निर्धारित की गई है। बाल विवाह पूर्णत:

प्रतिबंधित है, जो अपराध की श्रेणी में भी आता है। परंतु अभी भी कुछ विधान ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या के आधार पर बाल विवाह को भी वैधानिकता प्राप्त हो जाती है। गत माह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में मुस्लिम लॉ को आधार मान कर 15 वर्षीय लड़की के विवाह को वैधानिक माना है।

सभापति महोदय, ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि जाति, धर्म व परंपराओं के आधार पर बाल विवाह, बहु-विवाह या ज्यादा बच्चे पैदा करने की प्रचलित प्रथाओं पर रोक लगाए जाने संबंधी नया विधान बनाया जाए। इस तरह के सभी विधानों के स्थान पर एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए। जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रोत्साहनात्मक व निषेधात्मक प्रावधान किए जाएं, जिससे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। साथ ही समान नागरिक संहिता बनाकर धर्म के आधार पर मौजूद धार्मिक संहिताओं को समाप्त किया जाए।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman Sir.

I would like to raise a very important issue about an agitation by land displaced persons in NALCO, Damanjodi. They blocked the mining operations for almost 3-4 days. There was a scuffle between the police and the agitators. The agitators are the second generation of the displaced families in NALCO. Primarily, whichever family got a job in NALCO, they have either passed away after three or four years or they have resigned or something like that. The agitation/tension was dissolved with the assurance that this would be put forward before the Central Government.

I will put forward the demands of the agitators. They want to reserve a job for their next generation. For example, if there is a family which gets a job, their sons and grandsons also should get a job. The second is the rehabilitation of the widows. If there are no kith and kin, the widow should be rehabilitated. The third is to provide job opportunity to one more member of the family. If one person gets a job, the other member should get a contract or temporary maintenance job.

Sir, I would request the Ministry of Mines to urgently look into this because NALCO is a Navratna PSU. If we do not manage this situation, there will be again agitation from the people. Thank you, Sir.

माननीय सभापति: लिस्ट के प्रत्येक सदस्य को अवसर देने के बाद ही हाउस उठेगा।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): महोदय, मैं माननीय स्पीकर सर की भगवान से स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हैरीटेज साइट के रूप में नामित किया गया है तथा विश्व पटल द्वारा उक्त उद्यान को संरक्षित करने एवं नमी भूमि में पहचान दिलाने के लिए उक्त उद्यान को रामसर साइट में पहचान दी गई है। परंतु पिछले 10 वर्षों से उक्त उद्यान भयंकर रूप से पानी की कमी को झेल रहा है। पूर्व में उक्त उद्यान को लगातार मानसून के समय पांचना बांध से करीब 650 एमसीएफटी पानी मिलता था, परंतु पांचना से उक्त पानी नहीं मिलने के कारण उक्त उद्यान का भविष्य संकट में है। वैकल्पिक रूप से उक्त उद्यान में पानी की व्यवस्था गोवर्धन कैनाल के आउट फ्लो एवं चंबल योजना से पूर्ति की जा रही है, वह ऊंट के मुंह में जीरा है। उद्यान में प्रति वर्ष पक्षियों की संख्या में गिरावट होती जा रही है।

उक्त उद्यान के भविष्य को बचाने के लिए पांचना बांध से पानी की आपूर्ति अति आवश्यक है। उक्त पांचना बांध से सीधे पाइप लाइन के माध्यम से उक्त उद्यान को पानी की पूर्ति की जा सकती है तथा विश्व पटल पर उक्त धरोहर को बचाया जा सकता है। उक्त उद्यान दिल्ली, आगरा, जयपुर के गोल्डन ट्राई-एंगल पर स्थित है, इस कारण उक्त उद्यान देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है। मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों को उक्त उद्यान से रोजगार उपलब्ध हो रहा है, परंतु पानी न मिलने के कारण लोगों का रोजगार संकट में है।

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, Sir for giving me the opportunity to speak in Zero Hour.

Sir, the procurement of wheat will start in Punjab soon. It will start from 1st April. News came that the rules of procurement are being changed by FCI. We raised this issue at all forums vociferously. Now, another disturbing news has come that the Central Government has asked Punjab Government to provide land records of all farmers. 14 to 15 lakh farmers sell their produce to the FCI during procurement season. It is not possible to fulfill this demand of Central Government within such a short span of time.

On one hand, the Supreme Court has stayed the implementation of 3 Agriculture Laws and even the Central Government has agreed to it, then why

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

harass the Punjab Government and farmers? You are trying to give mental tension and stress to the farmers. This must be stopped.

130 lakh tones of wheat is to be procured by FCI from Punjab. It is provided to all states in India. The procurement drive should be smoothly conducted. It should be left to Punjab Government to conduct this entire operation. Central interference is not needed. The RDF money of Punjab Government should also be granted to Punjab. Thanks.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मुझे यहां मौका दिया है। देश भर में बिजली के बोर्ड्स का प्राइवेटाइजेशन कई जगह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मेरी कांस्टीट्युएंसी में अमरोहा के अंदर जब से ये कॉरपोरेशन बने और आउटसोर्सिंग शुरू हुई, खास तौर से वहां पुराने मीटर हटाकर नये मीटर लगाये गए हैं। गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। वहां गरीब से वसूली हो रही है। नये मीटर के नाम पर प्राइवेट वाले फास्ट मीटर लगा रहे हैं। वहां इसकी आउटसोर्सिंग की गई है।

जब हमने ऑफिसर्स को बुलाया कि इतने बिल कैसे आ रहे हैं, लोग हमें रोज आकर कहते हैं, आपको भी कहते होंगे कि साहब बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। मीटर रीडिंग के लिए प्राइवेट आदमी जाता है, वह ब्लैकमेलिंग करता है कि तुम्हारा बिल बीस हजार रुपये का आ गया है तो हम इसे घटाकर पांच हजार रुपये करा देंगे, इस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएं जिससे मीटर रीडिंग लेने के लिए कोई सरकारी एम्पलाई जाए न कि ठेकेदार का कोई आदमी, जो आम आदमी को ब्लैकमेल करता है।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ملک کے اندر بجلی کو بورڈس کا پرائیوٹائزیشن کئی جگہ ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں میرے پارلیمانی حلقہ امروہہ کے اندر جب سے یہ کارپوریشن بنے اور آؤٹ سورسنگ شروع ہوئی ، خاص طور سے وہاں پرانے میٹر ہٹ کر نئے میٹر لگائے گئے ہیں۔ غریبوں کے گھر تک بجلی پہنچانے کا کام ہم نے کیا ہے۔ وہاں غریبوں سے وصولی ہو رہی ہے۔ نئے میٹر کے نام پر پرائیویٹ والے وہاں فاسٹ میٹر لگا رہے ہیں۔ وہاں اس کی آؤٹ سورسنگ کی گئی ہے۔

جب ہم نے افسران کو بلایا کہ اتنے بِل کیسے آ رہے ہیں، لوگ ہمیں روز آکر کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ صاحب بِل بہت زیادہ آ رہا ہے۔ میٹر ریڈنگ کے لئے پرائیوٹ آدمی جاتا ہے، وہاں بلیک میلنگ کرتا ہے کہ تمہارا بِ 20 ہزار روپئیے کا آ گیا ہے تو ہم اسے گھٹا کر 5 ہزار روپئےکرا دیں گے، اس طرح سے بلیک میلنگ ہوتی ہے۔

میری آپ کے ذریعہ سے سرکار سے مانگ ہے کہ ایسے احکاماکات جاری کئے جائیں کہ جس سے میٹر ریڈنگ لینے کے لئے کوئی سرکار افسر جائے نہ کہ ٹھیکیدار کا کوئی آدمی، جو عام آدمی کو بلیک میل کرتا ہے۔ شکریہ

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। आज मैं ओडिशा राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। ओडिशा में करीब सत्रह हजार होम गार्ड्स कार्यरत हैं। हम सभी को ज्ञात है कि पुलिस कर्मियों को आपातकालीन स्थिति में सहायता पहुंचाने के लिए होमगार्ड की नियुक्ति की जाती है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन उन्हें सिर्फ तीन सौ रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं। Daily Allowance is just Rs. 300 for each of the Home Guards in Odisha. मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2015 में एक आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि पुलिस कर्मियों को जो न्यूनतम भत्ता मिलता है, वह होम गार्ड्स को भी मिलना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना नहीं गया है। उसके बाद ओडिशा होम गार्ड्स आर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि 533 रुपये प्रति दिन होम गार्ड्स को दैनिक भत्ते के रूप में दिए जाएं, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस दिशा में ओडिशा राज्य से बातचीत करे और ओडिशा होम गार्ड्स आर्गेनाइजेशन की डिमांड्स की पूर्ति की जाए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उरण में करंजा स्थित भारत सरकार का नेवी का आयुध डिपो है। यह डिपो उरण के नगरपालिका क्षेत्र में आता है। वर्ष 1992 में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई थी, डिफेन्स एक्ट 1903 की धारा 7 के तहत इसको नेवी आयुध के सुरक्षा क्षेत्र में लाया गया है। वहां पर लोगों ने मकान बनाए हैं और वे वहां रह रहे हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने सेफ्टी जोन हटाने के लिए 14 अगस्त, 2019 और 15 जनवरी, 2021 को रक्षा मंत्रालय को पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन आज तक रक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से इस विषय को भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। एनडीए करंजा के आसपास की भूमि से वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट की धारा 7 को रदद किया जाए और महाराष्ट्र सरकार की मांग को पूरा किया जाए।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कुशीनगर क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना छितौनी-तमकोही की तरफ दिलाना चाहता हूं। लगभग एक दशक पहले उत्तर प्रदेश-बिहार सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई थी। 62 किलोमीटर की इस परियोजना में अस्सी प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है और बीस प्रतिशत बाकी है, 62 किलोमीटर के कार्य में 4 किलोमीटर पर कार्य भी शुरू हो गया था और लगभग 103 करोड़ रुपये व्यय होने के बाद तीन साल पहले धन आबंटन के बिना रेल परियोजना लंबित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए इस परियोजना पर पूर्णत: धन आबंटित कराकर काम पुन: शुरू कराने का कार्य करें। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): माननीय सभापति जी, मैं इस हाउस में चेयर से न्याय मांगने की गुहार करती हूं। दो दिन पहले इस सदन में शून्य काल में हमने महाराष्ट्र के अपने क्षेत्र का प्रश्न उठाया था। हम बोलने के बाद अपनी सीट पर बैठते हैं। हमने जिस पार्टी के विरोध में और जिस पार्टी के सीएम के बारे में कहा था। …(व्यवधान) यह हाउस हमें पूरी आजादी देता है, संविधान हमें हक देता है, हमें लोगों ने चुनकर यहां भेजा है।…(व्यवधान)

मेरा सफर पिछले नौ वर्षों का है। मैं दिन-रात एक करके सदन में पहुंची हूं। मैं खून का पानी करके, एक-एक मिनट, एक-एक घंटे, एक-एक दिन मेहनत करके सदन में पहुंची हूं, न ही किसी पार्टी से दबने के लिए, न ही किसी लीडर की धमकी, श्रेटनिंग के लिए। अगर बाहर मुझे कोई श्रेटन करेगा, तो मैं

अपने जीवन में बहुत जवाबदार हूं, मैं बचपन से काम करती हूं, इसलिए जवाब देना और लड़ना मुझे अच्छे तरीके से आता है और यही मैंने अपने जीवन में सीखा है।

महोदय, आपके रहते, इस चेयर पर विराजमान रहते, अगर कोई व्यक्ति यहां से गुजरते हैं।…(व्यवधान) मैं उनका नाम…(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहती हूं कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जब तक थे, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार शिव सेना में जीवंत थे, लेकिन जबसे बाला साहब ठाकरे जी नहीं रहे, तब से शिव सेना में महिलाओं की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। …(व्यवधान)

आपको मुझे इसके लिए समय देना पड़ेगा, बेशक आप मुझे इसके बाद वक्त न दें। मैं आपसे ही विनती करती हूं।…(व्यवधान)

मैं यहां बैठी थी, जैसे ही सब लोगों ने विरोध करके क्रॉस किया, उन्होंने सीधे मुझे थ्रेटन किया कि अब तुम्हारी बारी है, जेल में तुम्हें डालेंगे। …(व्यवधान) हम मैम्बर यहां बैठते हैं। मैं बहुत जूनियर हूं। दो साल में से एक साल मेरा कोरोना में गया। मैं यहां बहुत कुछ सीखने और लोगों के लिए जिम्मेदारी निभाने आती हूं। मैं आपसे सिर्फ न्याय की गुहार लगा रही हूं।

सर, आपकी उपस्थिति में हाउस के अंदर महिलाओं को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा, क्या ऐसे बोलेंगे? महिलाएं वैसे भी पुरुषों के मुकाबले इस घर में कम हैं। अगर ऐसी धमकी देने वाले लोग इस हाउस में आते जाएंगे और धमकी देंगे तो आने वाले समय में महिलाएं इस हाउस में आने से डरेंगी।

मैं आपसे विनती करती हूं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं उन्हें कल भी दादा बोलती थी, आज भी दादा बोलती हूं और कल भी बोलूंगीं। मैं उनकी उम्र की रिस्पेक्ट करूंगी। जब टीवी पर मैंने उनका इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा कि जब भी वह उद्धव साहब के बारे में बात करती हैं तो उनकी बॉडी

लैंग्वेज तिरस्कारी होती है। क्या मुझे अब यह सिखाएंगे या महिला सांसदों को सिखाएंगे कि महिलाओं की बॉडी लैंग्वेज हाउस में किस तरह से होनी चाहिए? हमारे फादर और मदर, पेरेंट्स सिखाते हैं कि जिंदगी में लड़कर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हमें इनसे बॉडी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। …(व्यवधान)

मैं आपसे न्याय की मांग करती हूं। आपकी चेयर मुझे इस बात के लिए न्याय देगी, नहीं तो इस सदन में हर महिला आने से डरेगी। …(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री राजकुमार चाहर जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सावंत जी, आपको इनके बाद बोलने का मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: उन्होंने नाम तो नहीं लिया।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको शून्य प्रहर में बोलने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन इस कारण से नहीं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं, जो किसानों से जुड़ा हुआ है।

माननीय सभापति जी, ओखला बैराज में यमुना नदी का पानी आता है। यमुना नदी का पानी इस समय बहुत दूषित, झागदार और बदबूदार हो गया है। जब यह पानी नहरों में जाता है, जिसमें मथुरा, हरियाणा और आगरा की नहरें जुड़ी हुई हैं, तो यह और भी दूषित हो जाता है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उस पानी के दूषित होने के कारण जब मेरे किसान साथी अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। जब वह दूषित पानी खेतों में फसल की सिंचाई में जाता है, तो फसलों से जो अन्न आता है, वह भी खराब हो जाता है। जब वह पानी भूगर्भ में जाता है और वापस आता है, तो वह पेयजल के योग्य भी नहीं रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार इस विषय पर मूकदर्शक बनी बैठी है। दिल्ली की फैक्ट्रियों का गंदा और दूषित पानी नहरो में जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस दूषित पानी को समाप्त किया जाए और शुद्ध पेय जल दिया जाए। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि एक समय में, जब इन नहरों में पानी आता था, मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, जब कभी गाय-भैंस को चराने ले जाते थे, तो इन्हीं नहरों के पानी को पीते थे। इस तरह का शुद्ध पानी नहरों में दिया जाए। कृपया आप सरकार के माध्यम से …* जी से कह दीजिए कि हमारे यहां अच्छा पानी जाने दें] इसको अपनी तरह दूषित न करें। जैसे दूषित हो गए हैं, उस तरह पानी को दूषित न करें।

* Not recorded

श्री अरविंद सावंत : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने जीवन के पचास साल सार्वजनिक क्षेत्र में बिताये हैं और उसमें से पच्चीस सालों से संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हम संसदीय क्षेत्र की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा का जीवन भर अनुपालन करते आए हैं। वंदनीय हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लिया गया। उनके संस्कार से प्रेरित और भारित यह शिवसैनिक आपके सामने खड़ा है। उस दिन जो कुछ हुआ, वह आपको पता है। उस दिन ये राष्ट्रपति जी के शासन की मांग कर रहे थे, उसे छोड़ दो। मेरी आज आपसे उल्टी मांग है। मैंने जीवन में कभी किसी को अपमानित नहीं किया, न कभी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है। जो पत्र माननीय अध्यक्ष जी को लिखा गया है, वह पत्र सोशल मीडिया में आ गया है। पिछले दो दिनों से मैं पूरे देश में बदनाम हो रहा हूं, खासकर के, महिला का अपमान करने के कारण, यह मुझे और भी बुरा लग रहा है। मैं मांग करता हूं, सीसीटीवी तो है ही, जो कुछ पत्र में लिखा गया है, उसको बोलने के लिए मुझे वहां रूकना तो पड़ेगा। मैंने किसी को अपमानित किया, मैंने धमकाया, इसकी जांच की जाए। मैं तो उल्टा सदन से और माननीय चेयर से कहता हूं कि जो सजा देंगे, मैं भुगत लूंगा, लेकिन, अगर सच नहीं निकला, तो पिछले दो दिनों में मेरी जो प्रतिभा मलीन हुई है, हम वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के चुनाव से 'जय श्री राम' कहते हुए आए हैं। कल भी कहते थे, आज भी कहेंगे और कल भी कहेंगे। 'जय श्री राम' बोलने के लिए, जिन्होंने इन्कार किया था, जिन्होंने यहां थ्रेट किया था, उनके साथ आपने तालियां बजाईं, जिनका 'जय श्री राम' पर विरोध था। आपको नहीं पता, तो मैं इतिहास भी बता देता हूं। मेरा इतिहास जांच लीजिए और जिन्होंने आरोप लगाया है, उनका भी इतिहास जांच लीजिए। मैंने जीवन भर में कभी किसी को इस तरह से अपमानित नहीं किया है, न करूंगा। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप जांच करके मुझे न्याय दीजिए।

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Chairperson, Sir. As you are aware, Andhra Pradesh is the first and foremost …(*Interruptions*)

माननीय सभापति : हो गया**,** आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती नवनित रवि राणा : नहीं सर, आपको एक मिनट तो देना ही पड़ेगा।

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती नवनित रवि राणा : सर, वे बोल रहे हैं, अगर ये गुनाह साबित होता है, तो मैं आपको साबित करने के लिए बोलती हूं, आप उसे साबित कीजिए। हाउस में रहकर हमें पता है कि हाउस की रेस्पेक्ट और डिग्निटी क्या है। …(व्यवधान)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA : Sir, as you are aware, Andhra Pradesh is the first and foremost in the country in implementation of Direct Benefit Transfer scheme to farmers, has promised free power and is a pioneer in implementation of various measures initiated by the Government of India to achieve 175 Giga Watts (GW) of installed capacity in renewable energy. …(*Interruptions*)

The present installed capacity of renewable energy projects in Andhra Pradesh is about 8,000 Mega Watt (MW). The debt of power sector in the State has increased from Rs. 31,648 crore in March, 2015 to Rs. 76,621 crore in August, 2020. The current liabilities of power sector -- after deducting the Government and private receivables by Discoms -- are increasing at a rate of Rs. 4,238 crore per year. The Government of India has assured support to the Andhra Pradesh power

sector, and further asked for submission of the nature of support required in order to bring the Andhra Pradesh power sector out of financial crisis.

Andhra Pradesh Discoms have contracted power from Kudagi and Vallur Plants till the financial year 2040. In view of the financial distress being experienced by Andhra Pradesh Discoms, which is further worsened by the COVID-19 pandemic, the Andhra Pradesh Discoms are unable to pay for the costly thermal power. The overall cost of these Plants is exorbitant. Therefore, it is requested to permit the Andhra Pradesh Discoms to surrender the firm's thermal power allocation of Kudagi and Vallur Plants of around 300 MW. This would reduce the per-year fixed costs payment burden by Rs. 325 crore.

Hence, on behalf of the Government of Andhra Pradesh, I would request the Power Minister, through you, to help and support the State of Andhra Pradesh. Thank you.

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, किशनगढ़-अजमेर एयरपोर्ट अपने संचालन से ही निरंतर विकासरत एवं हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर आशान्वित है। इसके बढ़ते महत्व को दृष्टिगत रखते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हेतु नियमित हवाई सेवा का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर एवं सूरत की नियमित सेवाएं भारी यात्रा भार के साथ संचालित हो रही हैं। चूंकि केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत महानगरों को छोटे-छोटे शहरों से हवाई मार्ग से जोड़ने

की मंशा है, जिसके तहत किशनगढ़ हवाई अड्डे से दस रूट उड़ान दो के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित की जा चुकी है। इसके छः रूटों पर हवाई संचालन भी शुरू हो चुका है और सभी रूट्स फुल चल रहे हैं। बाकी चार रूटों, जिसमें उदयपुर एवं लखनऊ की उड़ान सेवा जूम एयरलाइन के साथ फरवरी माह में प्रारंभ होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इन दो रूटों पर आगामी दिनों में हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उड़ान योजना के तहत कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई, अमृतसर के साथ-साथ जोधपुर एवं जैसलमेर के लिए भी शीघ्र हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाए।

*__SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):__ I thank you Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak in Zero Hour.

Sir, Shri Guru Tegh Bahadur ji's 400 th Anniversary is round the corner. This birthplace is 'Guru ka Mahal' in Amritsar. This city has produced great players. There is a long list of such stalwarts: Padam Shri Bahadur Singh, Manjit Kaur, Manjit Singh Asian Games medallist, Gurmeet Singh Asian Championship, Harpreet Singh, Bronze Medallist in Asian Championship, Mandip Kaur Asian Medallist, Navjot Kaur, South Asian Games Gold Medallist, Satinderjit Singh, Asian Championship Bronze Medallist, Manjit Singh Dhesi, Univesity Games,

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Archana Wadi, Asian Games Medallist, Satnam Singh, Asian Championship, Navpreet Singh, International Player, Bir Singh International Player, Turinkle Chandhary, Asian Games, Randhawa, Asian Games, Cheema Asian Games, Usha Rani Asian Games medallist, Harwant Kaur, Asian Games Medallist, Perneet Kaur, Olympian and Asisan Games Medallist.

Others in the list include: Navjeet Kaur Dhillon, Commonwealth Games and Asian Games Medallist, Harinder Singh Randhawa, Asian Games, Manjit S. Bhullar South Asian Games Medallist, Jasjit Singh, South Asian Games Medallist, Daljeet Singh Junior, Asian Medallist, Alpana Kaur Bajwa Junior Asian Games Medallist, Nirmal Singh, Senior International Players, Balwinder Singh…

HON. CHAIRPERSON : Please place your demand.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA: Prabhjot S. Junior International Player, Naunihal S., Junior International Player, Karan Singh, Youth International Player.

Sir, the list includes 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1400 metre, Javelin Throw, Shot Put, Hammar Throw Champions. Balbir Singh was Hockey Olympian who scored a record number of 5 goals in final in Helsinki, Finland in 1952.

HON. CHAIRPERSON: What is your demand?

SHRI GURJEET SINGH AUJLA: This is part of historical records. 69 years have passed and his record still remains unbeaten. Harinder Singh, Harvinder Singh…

HON. CHAIRPERSON: Shri Shrikant Shinde.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA: Just a minute, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Please complete.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA: In the end there are others like Nirmal Singh, Harjeet Kaur International Player, Harjit Kaur, Kuldeep Kaur Amardeep Kaur etc. So, Sir, let me request the Central Government …(*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला : महोदय, तेजवीर सिंह और निर्मल सिंह, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। एक हरजीत कौर महिला भी पैदा हुई है। हरजीत कौर, कुलदीप कौर एशियन, अमनदीप कौर और सुखजीत कौर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वहां इतने बड़े प्लेयर्स पैदा हुए हैं। अभी भी वहां हजारों एथलीट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहां पर एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है। मेरी यह विनती है कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक स्पोर्ट्स एंड वैलनेस सेंटर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बनाया जाए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जो बैंक कर्मचारियों से संबंधित है। आज कोरोना के लिए लगे लॉकडाउन को एक वर्ष पूरा हो गया है। हम इस लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हम इसमें बैंक कर्मचारियों का योगदान भूल जाते हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहते हुए भी कार्य किया। हमारे देश में अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 22

प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 44 फॉरेन बैंक्स हैं, 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं और 1 लाख के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनमें 15 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उसमें बैंक कर्मचारी, क्लर्क्स और पियोन्स शामिल हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उस समय बैंक कर्मचारियों ने देश की अर्थव्यवस्था को बल देने का काम किया था और पूरी निष्ठा के साथ सरकार की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन करने में व्यापक भूमिका निभाई थी। कोरोना महामारी में कई बैंक कर्मचारी संक्रमित हुए और कुछ कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई। आज बहुत सारे बैंक यूनियन, कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर्स की परिभाषा में समाविष्ट किया जाए और उन्हें वैक्सीनेशन ड्राइव में प्रायोरिटी दी जाए, जिससे सभी बैंक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो पाए। इस प्रकार हम उन सभी के कार्यों के लिए आभार प्रकट कर सकते हैं।

माननीय सभापति : डॉ. भारतीबेन डी. श्याल – उपस्थिति नहीं।

श्री दिनेश चन्द्र यादव जी।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, बिहार राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज एवं ग्वालपाड़ा प्रखंड की सीमा पर पड़ोकिया नदी में पुल निर्माण नहीं होने से आमजन को भारी कठिनाई हो रही है। बिहारीगंज से फतेहपुर, पड़ोकिया नदी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से पथ का निर्माण हो गया है और पड़ोकिया नदी के दूसरी तरफ से भी ग्वालपाड़ा (एन.एच-106) तक पक्की सड़क बनी हुई है। पड़ोकिया नदी पर पुल निर्माण होने से बिहारीगंज एवं ग्वालपाड़ा प्रखंड आपस में जुड़ जाएगा, जिससे बिहारीगंज प्रखंड के लोगों को ग्वालपाड़ा एनएच-106 पर आने-जाने में आवागमन की सुविधा सुलभ हो जाएगी। इस क्षेत्र में 95 प्रतिशत किसान हैं। पुल का निर्माण नहीं होने से इस क्षेत्र के किसानों की पैदावार बाजार में नहीं पहुंच पाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के टेमाभेला पंचायत के पड़ोकिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण जनहित में कराने की कृपा करें।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, धन्यवाद। हम यहां पर जितने भी सांसद हैं, वे देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, विभिन्न यूनियन टेरिटरी से आए हैं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद रहता आया है और होना भी चाहिए, लेकिन जब भी यहां पर हमारी मातृभूमि के मान-सम्मान या इज्जत की बात होती है, तब हम चाहे किसी भी राज्य से हों, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हों या किसी भी दल से हों, हम एक ही आवाज में एक ही सुर में मिलकर 'जय हिन्द, भारत माता की जय और वंदे मातरम' बोलते है।

सर, आज मैं उन जवानों के बारे में बात करना चाहूंगा, जिस चीज के लिए वे डिजर्व करते हैं, लेकिन उन तक वह सही चीज नहीं पहुंच पाती है। मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। हमारी पहली सेना, जो हमें बाहरी ताकतों से रोकती है, वह बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) होती है। उसके बाद आर्मी आती है। उसके बाद हिन्दुस्तान के भीतर हमें इलेक्शन से लेकर हर एक चीज से प्रोटेक्ट करती है, पार्लियामेंट को भी प्रोटेक्ट करती है, वह सीआरपीएफ है। हिन्दुस्तान में सीआईएसएफ भी है। मैं इंडियन आर्मी को जिंदगी में किसी से तुलना करने की हिमाकत नहीं कर सकता हूँ। मेरी मांग यह है कि जब पुलवामा अटैक में 40 जवान मरे थे, शहीद हुए थे तो वे सिर्फ नाम के ही शहीद थे। असल में उनको आज तक शहीदों का दर्जा नहीं मिला है। उनकी कई सारी डिमाण्ड्स हैं। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उसमें भी सीआरपीएफ के जवान शामिल थे।

सर, मेरी आपके माध्यम से मांग है। अगर किसी मां के चार बेटे होते हैं या चार औलादें होती हैं और एक ही तरह की गोली सब अपने सीने पर खाते हैं तो उनमें से एक को शहीद और बाकी तीनों को शहीद का दर्जा हम क्यों नहीं देंगे? उनको शहीद का दर्जा और मान-सम्मान क्यों नहीं देंगे?

…(व्यवधान) They should be provided with the old pension scheme as was available prior to 2004, canteen on the pattern of Canteen Stores Department for the defence forces, paramilitary service pay, ex-servicemen status like the army personnel, reservation and quota relaxation in government jobs, other privileges like one-rank one pension, martyrdom benefits on the lines of army to the next of kin like quota in medical and engineering seats …(*Interruptions*) voluntary retirement on family grounds, quota in Sainik Schools, …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : You have made your point.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देश में बड़ी संख्या में जिन लोगों को गैस एजेंसियां मिली हैं, उनको झूठी शिकायतों के आधार पर बन्द कर दिया जाता है और उनकी सुनवाई के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित ऑयल कंपनियों के साथ अपील की एक समिति गठित होती है। यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि सालों से बड़ी संख्या में ऐसी गैस एजेंसियों के मामले लम्बित पड़े हैं, जिनको निलम्बित किया गया है, उनकी अपील नहीं हो पा रही है। इण्डेन गैस के बारे में मैं बता रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के एक निवासी जिसकी गैस एजेंसी मोगावली में थी, उसे जान-बूझकर बन्द कर दिया गया। उनको वह गैस एजेंसी आरक्षण की सुविधा के तहत मिली थी। जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित गैस एजेंसियां हैं, उनको जान-बूझकर झूठी शिकायतें करके बन्द कराया जाता है, लेकिन उनको अपील करने की सुविधा नहीं है। इसलिए मैं पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इण्डेन गैस तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच जो अपील समिति बनती है, उसका गठन करें। धन्यवाद।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of this august House that my Parliamentary Constituency Araku is spread across four Districts and comprises densely hilly terrain. Moreover, majority of the population are tribes. Nowadays, especially during the COVID-19 lockdown, the entire House is aware of the need for network especially mobile connectivity and broadband connectivity. Currently, only 20 per cent of the habitations in my Constituency have the mobile network. Our hon. Chief Minister has invited Village Secretariats for better service delivery which gets delayed due to the lack of mobile connectivity. These Village Secretariats and the services they provide are extremely important to the people in my Constituency as large number of villages are inaccessible to the headquarters. Sir, mobile network is not there even in my village. Hence, I request the hon. Minister to provide the mobile network and broadband connectivity in my Parliamentary Constituency as it is very important to the people in my Constituency. Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवाले (दक्षिण-मध्य मुम्बई): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

महोदय, महाराष्ट्र राज्य में अगले महीने से शुरू होने वाली महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड – एचएसई की लिखित परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से 23 अप्रैल से शुरू होगी। सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट – एसएससी की परीक्षा 29 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है कि छात्रों का लिखित परीक्षाओं के लिए शारीरिक रूप से परीक्षा केन्द्र पर जाना होगा, लेकिन अगर कोई छात्र कोविड-19 के कारण या उसके परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित हो या स्थानीय स्तर पर

लॉकडाउन के कारण किसी विशेष लिखित पेपर या कई पेपरों के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है तो उसे 15 दिनों की अनुग्रह अवधि मिलेगी, ऐसी घोषणा राज्य सरकार ने की है। महाराष्ट्र में इस साल 10वीं कक्षा के लिए 13 लाख विद्यार्थी और 12वीं कक्षा के लिए 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही, आइसीएसई और आईएससी परीक्षा में 12,000 विद्यार्थी और 23,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सीबीएसई के विद्यार्थियों की संख्या भी लाखों में है। सभी परीक्षार्थी छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने और उनको कोविड-19 के खतरे से बचाना केन्द्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

यद्यपि कोविड-19 महामारी के कारण बोर्ड ने कई सावधानियां उठाने की घोषणा की है, फिर भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। अभिभावकों में अपने वार्ड को लेकर भी चिंता है। अभिभावकों की चिंता को दूर करने के लिए मेरा सुझाव है कि सभी छात्रों को कोविड वैक्सीन देनी चाहिए, जिससे छात्र फियरलेस होकर, फ्रेश माइण्ड से अपनी परीक्षाओं को पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के दौरान ऑन ड्यूटी अध्यापक और स्कूल स्टाफ को भी वैक्सीन देने की आवश्यकता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों को वैक्सीन देने का कार्य अभी से आरम्भ कर देना चाहिए, जिससे परीक्षा आरम्भ होने से पहले वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो सके। केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों का आदेश जारी कर, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को तुरंत वैक्सीन देने का कार्य आरम्भ करे। महाराष्ट्र में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहां कोरोना का फैलाव ज्यादा हो रहा है। धन्यवाद।

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान पुरातात्विक स्थान को संरक्षित कर विदेशी पर्यटकों के सामने देश की छवि धूमिल होने से बचाने हेतु आकृष्ट करना चाहूंगी। एटा के अलीगंज में बिलसड़ के पुरातात्विक स्थान की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। उसकी जानकारी मिलने पर मैं वहां खुद होकर आई हूं, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के मूल स्तम्भ मौजूद हैं। मूल स्तम्भ की मौलिकता उन पर अंकित पाली भाषा है। पाली भाषा अब विलुप्त होती जा रही है।

महोदय, वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उस स्थान पर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कर संरक्षित करने का प्रयास किया गया, लेकिन देख-रेख न होने की वजह से उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां आस-पास के लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ उस जगह पर अपने जानवरों को बांधने का काम करते हैं। इस वजह से वह जगह पुरातात्विक स्थान का मूल्य खोती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि सम्राट अशोक द्वारा स्थापित मूल स्तम्भ को संरक्षित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे देश की गरिमा, सभ्यता व संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके और विदेशी पर्यटकों को उक्त स्थान पर भ्रमण करने तथा वहां से संबंधित इतिहास की बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

"मुझे न तन चाहिए, न धन चाहिए,
अमन से भरा यह वतन चाहिए।
जब तक जिंदा हूं इस मातृभूमि के लिए,
और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए।"

इस भावना से ओत-प्रोत होकर लोगों ने जंग-ए-आजादी की लड़ाई में शिरकत की। मुझे अफसोस होता है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी अपने को नेहरू जी का उत्तराधिकारी कहने वाले लोगों ने उनकी शानदार विरासत के लिए कुछ नहीं किया और वे कुछ कर दिखाने वाले मोदी जी पर तंज कसने में ही समय गंवाते हैं।

महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के अवध किसान आंदोलन के केन्द्र बिंदु रहे पट्टी तहसील के रूरे गांव में हजारों मील दूर महाराष्ट्र से आकर बाबा रामचन्द्र ने ही बेगारी के खिलाफ अलख जगाई, जिससे प्रभावित होकर वर्ष 1920 में देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी ने पहली बार इलाहाबाद से पट्टी आकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर रूरे गांव से अपना राजनीतिक सफर आरम्भ किया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इण्डिया में किया है, किंतु अफसोस है कि उनके बलबूते पर ही पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने राज किया है।

मैं आपके माध्यम से आज मांग करता हूं कि किसान आंदोलन के केन्द्र बिंदु रहे पट्टी तहसील के रूरे गांव को राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित कर, उसे वर्तमान पीढ़ी के प्रेरणास्रोत स्थल के रूप में विकसित करते हुए आजादी के दीवाने बाबा रामचंद्र, ठाकुर झिंगुरी सिंह आदि की भावनाओं को प्रेरणास्रोत बनाने की कृपा करें।

माननीय सभापति : नियमानुसार किसी को अभी जाना नहीं है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे अति महत्वपूर्ण मुद्दे को रखने का अवसर प्रदान किया। केन्द्र सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा गम्भीर रूप से पीड़ित मरीजों के तुरंत इलाज हेतु **108** एम्बुलेंस के जरिए, महाराष्ट्र के सभी जिलों में सेवा दी जाती है। विशेषकर अति दुर्गम और ट्राइबल एरियाज में इस सेवा का काफी लाभ मिलता है।

महोदय, मेरे नासिक जिले के पेंत, कनासी, वनी, सढाना, पिम्पलगांव, ननासी क्षेत्र में यह सेवा कई दिनों से बंद है। वहां के मरीजों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की जरूरत होती है। उन्हें एम्बुलेंस समय पर न मिलने से वे अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण मरीजों की मृत्यु भी होती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसकी समीक्षा करे और यह सेवा तुरंत शुरू की जाए और नासिक जिले में 108 एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ाई जाए।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मुंबई पुलिस की कारकर्दगी करने की प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती थी। आज भी मुंबई पुलिस के अंदर बहुत अच्छी और क्लीन इमेज के टोटली नॉन करप्ट ऑफिसर्स पहले भी काम कर चुके हैं और आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे मुबई पुलिस ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र पुलिस का मोरेल डाउन है। वहां देखिए कैसे-कैसे गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज हकीकत यह है कि मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को राजनीतिक दलों के अंदर बांट दिया गया है। सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं कि यह ऑफिसर शिवसेना के करीब का है, यह ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और यह ऑफिसर राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए काम करता है। मैं समझता हूं कि यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है।

सभापति महोदय, इस पूरे मुद्दे के अंदर देखा जाए कि आखिर क्या मामला है? कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल बैटिंग से जुड़ा हुआ मामला है, कोई कहता है कि यह मामला पुलिस और अण्डरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। मुकेश अंबानी साहब का इसके अंदर क्या मामला है?

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील : महोदय, दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले तक यहां पर हमारे ही एक आदिवासी सांसद मोहनभाई देलकर साहब बैठते थे, उनकी इंक्वायरी कौन करेगा?

अब इस पर भी राजनीति चल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए यह मांग करता हूं, चाहे वह पुलिस कमिश्नर, डीजी, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज या कोई बड़े स्तर के ऑफिसर हों, वे रिटायरमेंट के बाद फौरन राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। वे लोक सभा या राज्य सभा के अंदर आकर बैठ जाते हैं, इनका एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। इस तरह की एक कानून बनाने की जरूरत है। कम से कम तीन

साल या पांच साल की कूलिंग पीरियड होने के बाद ही उनको किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने की इजाजत हो।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर के साथ में ही श्री राजकुमार चाहर जी के संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का भी एक महत्वपूर्ण मांग उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे यहां कैला मइया का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। करौली जिला और धौलपुर जिला आकांक्षी जिलों में, इसमें आगरा से जगनेर, जगनेर से बसेड़ी, बसेड़ी से मासलपुर, करौली, कैला देवी, सपोटरा और सवाई माधोपुर तक के लिए नेशनल हाईवे की मांग वर्ष 2014 से लगातार मैंने की है। वर्ष 2017 में माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी करौली जिला मुख्यालय पर आए और उन्होंने घोषणा की थी।

पुन: मैं आपके माध्यम से श्री नितिन गडकरी जी और उनके मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि वे मेरे संसदीय क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण मांग को जल्द से जल्द से पूरा करके उस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान डिजिटाइजेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 तक पूरे देश के हर शहर और हर गांव में डिजिटाइजेशन का काम लगभग पूरा हो जाएगा। हम ने देखा है कि कोरोना के समय किस प्रकार वर्क एट होम, एजुकेशन, बिजनेस, मनी ट्रांसफर के बहुत अच्छे काम डिजिटाइजेशन के माध्यम से हुए हैं। सब्जी वाले और ठेले वाले जिस प्रकार से मनी ट्रांसफर कर रहे थे, हमने वह भी देखा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आम जनता को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। क्योंकि कभी-कभी इसका मिसयूज होता है, लोग ठगे जाते हैं और किसी न किसी माध्यम से कोई ऐसा प्रकरण हो जाता है, जिसमें वे फंस

जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि पूरे देश में डिजिटल लिट्रेसी का एक मिशन आयोजित किया जाए, पूरे देश में प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चला कर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। यह मेरा सुझाव है।

रामचरण बोहरा (जयपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्यटन का प्रमुख स्थान है। देश में जो पर्यटक आते हैं, वे जयपुर आए बिना यहां से नहीं जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यह केवल पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि यहां बहुत सारे उद्योग हैं, जिनमें मुख्य रूप से हस्तशिल्प, रंगाई, छपाई मूर्तिकला, जवाहरात आदि व्यवसायों के लिए लोगों को यहां आना-जाना पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि दिल्ली से जयपुर होती हुई अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की जाए, जिससे हमारे पर्यटकों हस्तशिल्पकर्मियों, हीरा जवाहरात एवं रंगाई छपाई से जुड़े उद्यमियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा तथा पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, मै आपके माध्यम से मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जयपुर के लिए एक सौगात देने की कृपा करें।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आज मैं जिस विषय को उठाने जा रहा हूं, वह विषय किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है और न ही किसी पार्टी से संबंधित है। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसलिए मैं एक-दो मिनट ज्यादा समय ले लूं, तो मैं आसन से संरक्षण चाहूंगा।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न थानों में या जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, जैसे वन विभाग एवं अन्य विभागों में हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, विभिन्न मुकदमों के तहत एग्जिबिट के रूप में जब्त है, वे सीज्ड हैं।

मुकदमों की सुनवाई में, उनके फैसले आने में देरी होती है, इसमें बीसों साल लग जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो वस्तु जिस मूल्य की होती है, जिस कीमत की होती है, अगर उसकी कीमत लाखों रुपए में है, तो वह सड़-गलकर, जंग खाकर बर्बाद हो जाती है और उसकी कीमत शून्य हो जाती है। जब मुकदमे का फैसला आता है, तो उस सामान की कीमत ज़ीरो हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी पकड़ी जाती है…(व्यवधान) महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यह कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है।

जैसे सीमेंट, लोहा, अनाज, गाड़ियाँ आदि जब्त होती हैं।

माननीय सभापति : उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे बोलिए।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून में जो अड़चन है, जो दिक्कत है, उसके कारण ये चीजें बर्बाद होती हैं और इससे राष्ट्रीय क्षति होती है।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कानून मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने 40 से अधिक अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है, तो इस कानून में भी संशोधन किया जाए, इसमें जो अनावश्यक प्रावधान हैं, उनको खत्म किए जाएं। जो भी सामान जब्त हैं, वे तत्काल रिलीज हों, उनका उपयोग हो जाए। मुकदमें में जो भी निर्णय होता है, वह तो सबको मान्य होता है। इससे राष्ट्रीय क्षति नहीं होगी और जो गाड़ियाँ जब्त होने के कारण स्थान घेरती हैं, उनका भी निपटारा होगा।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, उत्तराखण्ड में जितने भी पर्वतीय जिले हैं, उनमें मोबाइल टॉवर की बहुत ही गम्भीर समस्या बनी हुई है। यहाँ पर कॉमन सर्विस सेन्टर के काम भी नहीं हो पाते हैं, बच्चे भी ऑन-लाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस गम्भीर समस्या से कई लोगों को जूझना पड़ रहा है।

मेरे ही लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत दो पर्वतीय विधान सभाएं- नैनीताल और भीमताल हैं। यहाँ की स्थिति भी बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई है। जब हमने विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपने संसदीय निधि से 25 से 30 लाख रुपए दे दें, तो हम टॉवर लगा देंगे। लेकिन सांसद निधि बंद होने के कारण इस समय राशि दे पाना संभव नहीं था। अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत भीमताल में ककोड़, पटरानी, कौन्ता, हरीशताल, चमोली, गाजा, लगूड़, ऐंठानी गाजा एवं कफरानी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर लगे ही नहीं हैं और जो लगे हैं, वे काम नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि यथाशीघ्र मोबाइल टॉवर ठीक किए जाएं और जहाँ मोबाइल टॉवर नहीं है, वहाँ पर लगाने की व्यवस्था की जाए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): माननीय सभापति जी, मैं एक ऐसे वर्ग के लिए आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिनकी यूनियन नहीं है, जो जिंदाबाद-मुर्दाबाद नहीं करते हैं।

आज निराश्रित गौवंश की बहुत ही बदहाली है। जाड़े में किसान गौवंश से होने वाले नुकसान से अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए रात-रात भर जागे हैं। आज बैल प्राइसलेस और यूजलेस हो गए हैं। उसका कारण यह है कि अब हल, बैलगाड़ी, कोल्हू, रहट आदि नहीं चलते हैं और मशीनों के कारण अब इनका किसी भी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। पहले ये इतने महंगे थे कि किसी के पास एक बैल

अपना होता था, एक बैल दूसरे का होता था, बछड़ा पैदा होने पर मिठाइयाँ बांटी जाती थीं, सोहर के गीत गाए जाते थे। लेकिन अब बछड़ा पैदा होने पर मातम मनाया जाता है।

माननीय पशुपालन मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि सेक्स शॉर्टेड सीमेन एक नयी टेक्नोलॉजी आई है, जिससे मेल चाहो तो मेल और फीमेल चाहो तो फीमेल बच्चा हो सकता है। गाय तब छोड़ी जाती है, जब वह गर्भधारण करना बंद कर दे अथवा दूध देना बंद कर दे। लेकिन नंदी महाराज पहले दिन से ही पैरासाइट होते हैं क्योंकि अब किसान उनका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। इसलिए सेक्स शॉर्टेड सीमेन के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाए। इससे 90 प्रतिशत गारंटी होगी। माननीय गिरिराज सिंह जी बैठे हुए हैं, अगर आप सेक्स शॉर्टेड सीमन उपलब्ध करा देते हैं, अगर आप यह पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध करा दें, तो गारंटी है कि 92 परसेंट बछिया ही पैदा होगी। ऊपर से वह साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी, गीर की प्रजाति होगी। हम ऐसा सुनते हैं कि पहले दूध की नदियाँ बहती थीं। अगर सेक्स शॉर्टेड सीमेन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हर किसान उपयोग कर लेगा, जिसे आप लोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, तो सबके घर में एक उन्नत किस्म की बछिया जरूर होगी।

मैं चाहता हूं कि मनरेगा के द्वारा गौशालाएं स्थापित हों। लाभदायी संस्थाएं सेज़ के माध्यम से गायों का संवर्धन कर सकें।…(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं बस आधे मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा।

हमारी जिम्मेदारी इसलिए होती है कि माननीय मंत्री जी गौ-भक्त हैं। हम तो गाय को माँ कहते हैं, लेकिन विपक्ष वाले तो मौसी और चाची भी नहीं कहते हैं। इसलिए उसके संवर्धन और संरक्षण की व्यवस्था की जाए।

21.00 hrs

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू की ओर दिलाना चाहता हूं। …(व्यवधान) स्पोर्ट्स-खेल इंसान की जिंदगी से बरसों से जुड़े हुए हैं। यह इंसानियत की हिस्ट्री है कि खेल उसके साथ जुड़े हुए हैं। वक्त के साथ खेल-स्पोर्ट्स बदलते रहे, उनमें चेंजेज़ आते रहे।

महोदय, जब कोई इंटरनेशनल स्पर्धा होती है, चाहे वह ओलंपिक्स हों या एशियन गेम्स हों या और कोई स्पर्धा हो, हमें इस बात का अफसोस होता है कि हमारा इतना बड़ा देश होते हुए, हमारे पास बहुत कम मेडल्स हैं, हमसे छोटे देशों के पास ज्यादा मेडल्स हैं। इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र मुरादाबाद के अंदर कम से कम दस बच्चे ऐसे हैं, जो नेशनल प्लेयर्स हैं। वे शूटिंग, शॉटगन और एयरगन के नेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन मुरादाबाद के अंदर आज तक कोई भी शूटिंग रेंज नहीं बनी है।

अत: मैं आपके माध्यम से स्पोर्ट्स मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद में जल्द से जल्द एक शूटिंग रेंज बनवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

डॉ. चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): माननीय सभापति जी, मैं स्पीकर श्री ओम बिरला जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको अत्यंत आभारी हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में सरकारी केन्द्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसके कारण टैक्निकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र बहुत दिक्कतों का सामने करते हैं। इन छात्रों को अपने जिले के बाहर, 150 किलोमीटर दूर दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छात्र-छात्राओं की दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद में सरकारी केन्द्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। आपकी महान कृपा होगी, धन्यवाद।

माननीय सभापति : यदि सदन की अनुमति हो, सभापति तालिका के कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मुझे थोड़े से अवकाश की आवश्यकता है। इसलिए, मैं हमारे बघेल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ समय के लिए आसन संभालें।

21.03 hrs (Prof. S.P. Singh Baghel *in the Chair*)

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में हमारे गुजरात में और मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत से छोटे-छोटे निर्जन गांव ऐसे हैं, जिनका कच्चा रास्ता फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है।

ये गांव सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, लेकिन इन गांवों के लोगों को आज भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे गांवों के विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्कूल इत्यादि विकास कार्यों के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस में वर्षों का समय लग जाता है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे वहां के विकास कार्यों को करने में किसी प्रकार का विलंब एवं बाधा उत्पन्न न हो। धन्यवाद।

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मेरे ठाणे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मीरा-भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए भाईंदर से वसई रो-रो सेवा शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की सागरमाला योजना के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार के मेरीटाइम बोर्ड की तरफ से कामों की शुरूआत भी हो गई है। उक्त काम के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 6 करोड़ 75 लाख रुपये की निधि भी प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कामों में मीरा-भाईंदर में जेटी का काम पूरा हो चुका है और वसई में जेटी का काम शुरू है, लेकिन इस बीच सायन किले के पास पुरातत्व विभाग ने इस काम को लेकर आक्षेप, आपत्ति दर्ज कराते हुए काम को बंद कर दिया है।

इसलिए, वसई से भाईंदर के बीच पर्यावरण पूरक रो-रो सेवा शुरू करने में विलंब हो रहा है। काम बंद हो जाने के कारण भाईंदर के नागरिकों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त रो-रो सेवा शुरू होने पर ईंधन की बचत तो होगी ही, इसके साथ ही आवागमन में लगने वाला समय भी बचेगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर विशेष ध्यान देते हुए बंद पड़े कार्य को जल्द शुरू कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर केपिटल एक्सपेंडिचर घोषित योजना से संबंधित बिहार राज्य की ओर आकृष्ट कना चाहता हूं। यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित की गई है। इस योजना का उद् देश्य उन राज्य सरकारों द्वारा केपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना है जो कोविड-19 महामारी के बजट से टैक्स रेवेन्यू में हुई कमी के कारण इस वर्ष राज्य कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर

रहे हैं। सरकार ने भी केपिटल एक्सपेंडचिर के संबंध में स्पेशल असिस्टेंस देने के लिए प्रावधान किया है। 27 राज्यों के लिए 9879.61 करोड़ रुपये केपिटल एक्सपेडिचर प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है ताकि हेल्थ रूरल डेवलपमेंट, वॉटर सप्लाई, इरीगेशन, पॉवर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सेक्टर इत्यादि को और अधिक मजबूत किया जा सके।

अत: इस सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि बिहार राज्य को और स्पेशल असिस्टेंस देने का प्रावधान किया जाए एवं बाकी बचे सभी ग्रांट्स को यथाशीघ्र रिलीज किया जाए।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति जी, अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर करीब 7 हजार युवकों को डेली मजदूरी की नौकरी मिली है। ये लोग रेगुलर सरकारी कर्मचारियों जितना काम करते हैं। इनकी पेमेंट कम होने की वजह से सितम्बर, 2017 में अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने पालिसी निकाली कि इन्हें 130वें पे स्ट्रक्चर में लाया जाए और इनकी तनख्वाह बढ़ाई गई। इनमें से सिर्फ 4000 लोगों की तनख्वाह बढ़ी है। मेरा आग्रह है कि बाकी बचे हुए लोगों की तनख्वाह 130वें पे स्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़ाई जाए।

मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है कि वर्ष 1993 में भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि जितने भी डीआरएम काम करते थे, उन्हें टेम्परेरी स्टेटस मजदूर का स्टेटस दिया गया था और सबको रेगुलर किया गया था। मेरी मांग है कि इन सात हजार लोगों को 1993 में टीएसएम बनाया गया, बाकी लोगों को टीएसएम बनाया जाए ताकि इनकी तनख्वाह बढ़ जाए और इनकी नौकरी भी सेव हो जाए।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, यह देश का बहुत गंभीर विषय है। अभी कुछ सांसदों में झड़प हुई। कुछ सांसदों ने थ्रेट दी और किसी ने सुरक्षा की बात कही। ***…*** * जी पिछड़े गुज्जर समाज से हैं। आजादी के बाद 70 सालों से इनके साथ गलत होता रहा है, छलावा होता रहा है। जाट, गुज्जर, पाल, सैनी, कश्यप तमाम पिछड़े और दलित लोगों से हमेशा वोट ले ली जाती है और इनके साथ छलावा किया जाता है। ***…**** गुज्जर समाज से हैं। दो, तीन महीने पहले तक, पन्द्रह दिन पहले तक वे बहुत अच्छे अधिकारी थे और जब डिमांड पूरी नहीं हुई, जो बहुत बड़ी मात्रा में है, उस वजह से आज उन्हें पुलिस अधीक्षक के पद से हटाकर होम गार्ड में भेज दिया जाता है। सन् 2000 में वे डीसीपी ब्रांदा थे। शिव सेना की सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई। उस समय उनकी बेटी का एग्जाम था। उनसे जबरदस्ती घर खाली करवाया गया और उनका पूरा उत्पीड़न किया। मैं कांग्रेस से विधायक था। मैंने उसमें हस्तक्षेप किया था और चीजों को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी परिस्थिति सामान्य नहीं हुई और वही स्थिति आज वर्ष 2021 में कांग्रेस ने दोहराई है। पिछड़ों के साथ, खास कर गुज्जरों के साथ ऐसा किया गया। राजस्थान में मुख्य मंत्री सचिन पायलट बनने वाले थे। उन्हें उप-मुख्य मंत्री पद से भी हटा दिया गया। ***…**** पुलिस कमिश्नर थे और उन्हें हटाकर होम गार्ड में भेज दिया गया।

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड रखिए।

श्री मलूक नागर: महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सीबीआई की जांच कराई जाए और सौ करोड़ रुपये लेने वालों को भी या किसी अधिकारी की भी गलती होगी, वह सामने आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिल जाएगा।

माननीय सभापति : आपकी बात के माध्यम से उनकी जाति पता चल गई।

---

* Not recorded

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति : मैं आपको भरपूर समय दूंगा।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : सर, बारिश के मौसम में थोड़ी सी भी बारिश हो जाने पर देश की विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर निगमों और बड़े-बड़े महानगरों जैसे- नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि में जगह-जगह पानी भर जाता है। आए दिन हम इस समस्या को देखते रहते हैं। पानी भरने के कारण न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है, बल्कि सड़कें खराब हो जाती हैं, तथा उनकी मरम्मत के लिए सरकार को अत्यधिक व्यय भी करना पड़ता है। वर्तमान में जल निकासी की व्यवस्था, जो देश के विभिन्न शहरों में है, वह आज की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। जल निकासी के लिए बिल्कुल नई अवसंरचना बनाना, घनी बसावटों के कारण कठिन भी है और अत्यंत व्यय-साध्य भी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रीचार्ज पिट का निर्माण किया जाए। इसमें हमारे आईआईटी के जो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद ली जाए, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि पानी की निकासी की व्यवस्था तो है और नई बसावटों में यह व्यवस्था ठीक भी हो रही है, परन्तु घनी आबादियों में पानी बेकार न जाए और पानी सड़कों को खराब न करे, अत: इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है। धन्यवाद।

21.12 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance. I represent the Nagarkurnool Parliamentary constituency in Telangana which is a very backward region.

My Parliamentary Constituency comprises of 7 Assembly segments spread across three districts, namely, Nagarkurnool, Wanaparthy and Gadwal. However, I am sorry to state that not a single Government medical hospital and college has been established in my constituency even though we achieved Independence 74 years ago. Due to lack of such Government medical hospital, the people of my constituency are facing a lot of hardships in getting treatment in private hospitals which is a very costly affair.

Further, the State capital is also very far away for getting medical treatment. Thus, there is an urgent need for setting up of a medical college and hospital in each district headquarter of my parliamentary constituency which will help not only people from all walks to life to get treatment, but also students who are willing pursue the medical profession.

Keeping in view the above, I would, therefore, urge upon the Union Government to establish a medical college and hospital in the three-district headquarters of Nagarkurnool, Wanaparthy and Gadwal under my Nagarkurnool parliamentary constituency.

Thank you.

*__SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR (MADHA):__ Hon. Chairman Sir, kindly permit me to speak in my Marathi Language. Sir, there is a serious law and order situation in Maharashtra. Police department is acting like a slave in the hands of the ruling class. Some are bribing to get plum postings and others are planting bombs somewhere. Even minister's name is involved in a woman harassment case and crimes against women are on the rise. Hon. Chief Minister of Maharashtra does not want to meet anybody. I have also read a news from the newspapers that Home Minister is asking for 100 crores from Police Department. Some kind of CDs have also come to light. In this way, the law and order situation is deteriorating day by day.

In addition to this, Maharashtra stands at number one position in terms of corona patients. At present highest number of patients are in Maharashtra. But in terms of law and order situation, it is at the lowest position.

Hence, through you Sir, I would like to request the central government to take a serious note of it and dismiss the State government of Maharashtra immediately.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रस्ताव किया था कि शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों की त्वरित ढुलाई व आसान मार्केटिंग हेतु रेल मंत्रालय द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल चलाई जाएगी।

माननीय रेल मंत्री जी ने भी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए इस योजना को प्रारम्भ किया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान संबंधित कृषि उत्पादनों के लिए निर्बाध राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन बनाने की योजना के तहत मुख्य रेल मार्ग पर न पड़ने वाले स्थानों, जिलों व रेलवे स्टेशन तथा अपेक्षाकृत कम लाभकारी रेल मार्गों पर पड़ने वाले अनेक स्थानों जैसे मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर सहित बहराइच, पीलीभीत, बदाँयू, एटा, कासगंज व फरूखाबाद आदि को पीपीपी मोड पर चलाने वाली योजना में शामिल करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि कम लाभकारी मूल्य है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों के किसानों को इस योजना व कृषि उत्पाद विपणन संबंधी नये कृषि कानून का पूरा लाभ मिलने में कठिनाई होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह माँग करता हूँ कि इस कम लाभकारी रेल मार्गो पर पड़ने वाले स्थानों के किसानों को सरकार की मंशा के अनुरूप लाभ दिलाने हेतु जिन स्थानों पर पीपीपी मोड या निजी रेलगाड़ियाँ उपलब्ध न हो पाएं, वहाँ सरकार के द्वारा अपने मंत्रालय के माध्यम से ट्रेनें चलाकर किसानों को लाभ दिया जाए। धन्यवाद।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जो बालाघाट जिला है, यह कान्हा के नाम से जाना जाता है, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ पर एचसीएल की कॉपर की बहुत बड़ी खदान है।

महोदय, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क है, जहाँ हजारों यात्री आते हैं, लेकिन यहाँ आवागमन के लिए रेल मार्ग का साधन नहीं है। यहाँ एचसीएल का कारखाना है। यहाँ से ढुलाई का कार्य केवल सड़क के माध्यम से होता है। यह बड़ा ही ठंडा स्थान है, अंग्रेजों के समय से यह स्थान प्रसिद्ध है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि मलाजखंड, जहाँ पर कॉपर प्रोजेक्ट है, मलाजखंड से चिरई डोंगरी, जो मंडला और नैनपुर के बीच में है, यह रेल मार्ग मुश्किल से 50-60 किलोमीटर का है और इसके बीच में कोई वन भी नहीं है। यदि यह मार्ग बनता है तो जहाँ एक तरफ रेलवे को माल ढुलाई से आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं हजारों यात्रियों को आवागमन की सुविधा होगी और वहाँ हजारों यात्रियों को आने का अवसर मिलेगा। यह आदिवासी, नक्सलवादी क्षेत्र है। ऐसा होने से वहाँ के गरीब लोगों को काम भी मिलेगा। अभी जो भी यात्री आते हैं, वे रायपुर, जबलपुर या नागपुर से टैक्सी करके आते हैं या फिर हवाई मार्ग से आते हैं। यदि वहाँ पर रेल जाने लगेगी तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ के छोटे-छोटे लोगों को टैक्सी चलाने आदि का रोजगार मिलेगा, क्योंकि वह रेल मार्ग नेशनल पार्क के मुख्य गेट से होकर जाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ बालाघाट जिले को मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, ओडिशा होकर विजयवाड़ा, राँची का जो रोड गया है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र के मलकानगिरि जिले से होकर गया है। वह रास्ता कम्प्लीट हो चुका है, मगर 5 जगह पर लो लेवल का ब्रिज है, इसलिए जब हर साल बारिश होती है, तो चार-पाँच दिन का कटऑफ हो जाता है।

मेरा रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाइवे डिपार्टमेंट से निवेदन है कि पाँच जगह पर पनगाम, पोतेरू, कांगुरूकुंडा, एमवी 90 और एमवी 96 के पास एक-एक हाई लेवल ब्रिज सैंक्शन करने के लिए मेरी डिमांड है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): महोदय, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले अरवल, जहानाबाद एवं गया अवस्थित है। पूर्व में नरसंहार एवं नक्सली गतिविधियों के कारण पहले भी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसी कारण से एसएसबी की एक बटालियन को स्थापित किया गया था। उस बटालियन को सरकार ने स्थानांतरित करने का फैसला किया है। यह फैसला क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। जहानाबाद में आरपीएफ पुलिस स्टेशन के सिपाहियों एवं अधिकारियों को भी बिना हथियार के ड्यूटी करने को कहा जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं भारत के गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए एसएसबी की उस बटालियन को वहीं स्थापित रहने दें, जहां पर यह थी। रेल मंत्री जी से आग्रह है कि रेल पुलिस बल को समुचित हथियार के साथ ड्यूटी करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे आदिवासी क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए आपने इजाजत दी है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा, राजस्थान के डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एकमात्र संगठित बड़े पैमाने का उद्योग मेसर्स श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड (S.R.S.L) है, जिसकी स्थापना सन् 1979 में माननीय श्री भैरो सिंह जी शेखावत तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दूरदर्शी नेतृत्व में भा.ज.पा. सरकार की औद्योगिक नीति के भाग के रूप में की गई थी।

महोदय, इस मिल में 2000 से अधिक श्रमिक अनुसुचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य श्रेणी के जिले के विभिन्न हिस्सों मे रहते हैं। राजस्थान में विगत तीन वर्षों से बिजली की लागत 3 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त अधिभार में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण टैक्स के माध्यम से बिजली के आयात में बाधाएं हैं।

कंपनी को बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने, वाणिज्यिक बैंकिंग सुविधाओं की गैर उपलब्धता, जिले में सार्वजनिक परिवहन खराब होने से श्रमिकों की अनुपस्थिति, पानी की आपूर्ति नहीं होने एवं कॉमन ई.टी.पी. प्लांट उपलब्ध नहीं से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिल बंद होने की स्थिति में है, जिससे कई गरीब मजदूर बेरोजगार हो जाएँगे।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र मे आता है। आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा और इस आदिवासी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को बचाने के लिए मौजूदा, नए उद्योगों के लिए भारतीय ऊर्जा विनिमय के माध्यम से आयातित बिजली पर क्रॉस सब्सिडी पर सरचार्ज, अतिरिक्त अधिभार और बिजली शुल्क में छूट देकर बिजली की लागत में राहत प्रदान करें, जिससे मिल चल सके। यही समस्या भीलवाड़ा क्षेत्र में है।…(व्यवधान)

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak during 'Zero Hour'.

Sir, at present, people from different parts of the country are demanding to include 38 languages in the Eighth Schedule of the Constitution of India. Among them, Tulu and Gor-boli are also in that list. Gor-boli language is the heart and soul of the Banjara community which has got about 8 to 10 crore population in India. Since this language has got no script, there is a threat of extinction of this language which is kept alive by folk songs and other cultural activities. To protect, promote, and develop this language, I sincerely request the hon. Home Minister, through you, to include Gor-boli language in the Eighth Schedule of the Constitution of India. The Banjara community, which is called as Lambadi also, has got common eating habits, dress code, and culture throughout India and also in the whole world. This is a long pending demand of the Banjara community since Independence. So, I would request the Government to include this language in the Eighth Schedule of the Constitution of India.

माननीय सभापति : आपको पुन: जन्म दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

DR. UMESH G. JADAV : Thank you, Sir.

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा में दो जिला केन्द्र ओरैया और कानपुर देहात ऐसे हैं, जहां अभी भी कोई रेल सम्पर्क नहीं है, कोई रेल लाइन नहीं है। वर्ष 2014 में इटावा से ओरैया और ओरैया से लेकर बिंदकी तक रेलवे का सर्वे हुआ था और दूसरी

तरफ फफून से लेकर जालौन और कौंच तक रेलवे का दूसरा सर्वे हुआ था। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरा लोक सभा क्षेत्र चम्बल और यमुना के किनारे है। यह पूरी पट्टी कानपुर तक जाती है। बुंदेलखण्ड का हिस्सा भी इससे जुड़ता है। इस क्षेत्र में दो जिला केन्द्र ऐसे बचे हुए हैं, जहां कोई रेल मार्ग नहीं है, कोई सम्पर्क नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि फफून से ओरैया होते हुए जालौन तक एक रेलवे लाइन का सर्वे वर्ष 2014 में जो हुआ था, इसको पूरा किया जाए। इसी के साथ-साथ इटावा-ओरैया रेलवे मार्ग को पूरा किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): धन्यवाद सभापति महोदय।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन-गौंटा-भोगनीपुर के अंतर्गत तीन जिले झांसी, जालौन और कानपुर देहात आते हैं। कानपुर देहात में पुखरायां रेलवे स्टेशन है जोकि उत्तर मध्य रेलवे झांसी डिविजन के अंतर्गत आता है। यहाँ स्टेशन के पास बनी मंडी रोड रेल क्रासिंग पर अंडरपास के अभाव में दिन भर सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। कृषि उत्पादन मंडी समिति पुखरायां, ग्राम पंचात्त पुखरायां देहात की सीमा में बनी हुई है। मंडी समिति क्रासिंग के दूसरी ओर है। गेट नंबर 205 पर बनी मंडी रेल क्रॉसिंग से होकर लोग हाट बाजार तक आते- जाते हैं। भोगनीपुर तहसील में कानपुर-झांसी रेल मार्ग के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित अधिकांश गांवों के लोगों को कृषि उत्पादन मंडी समिति जाने के लिए इसी रेल क्रासिंग से गुजरना पड़ता है। ग्राम पंचायत पुखरायां देहात, चौकी, चकचालपुर, अस्तिया, उमरिया, परहेरापुर, लवरसी, कछगांव, बउआ आदि गांवों के लोगों को पुखरायां कस्बा आने के लिए भी रेल क्रासिंग का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे अधिक दिक्कत साप्ताहिक बाजार वाले दिन बुधवार व शनिवार को होती है। भीड़-भाड़ अधिक होने से जब क्रासिंग खुलती है तो वाहनों के आपस में उलझने से जाम लग जाता है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए मेरी केंद्र

सरकार से मांग है कि पुखरायां रेलवे स्टेशन के पास बनी मंडी रोड रेल क्रॉसिंग पर अंडरपास बना दिया जाये जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को हो रही रही समस्याओं से निजात मिल सके। धन्यवाद।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for allowing me to raise an urgent matter of public importance.

I would like to draw the attention of the hon. Minister on some of the State Highways, which are very much required to be declared as National Highways due to increasing density of traffic and public movement. There are three most important stretches, which need to be declared as National Highways in the District Koppal, Karnataka. One is Ginigera to Raichur; second is Sindhanur to Naragund; and third is Koppal to Shiggaon. These are three very important roads.

Sir the work has already been done. The DPR has already been prepared and submitted for approval to the Ministry. But approval is still pending for all three matters. A meeting of the Department for all the three matters was already held in the month of October, 2018 to get them approved. But I am sorry to state that the approval has not yet been given

I would, therefore, request the hon. Minister to give approval for all these three matters at the earliest, which is necessary for the betterment of the people at large.

Thank you.

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सम्माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक तरफ तो राष्ट्र में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार बिछड़े, भटके, गरीबों के लिए समर्पित है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, वह दुकानदारी करने में लगी है। यहां तो रोटी, कपड़ा और मकान की सब प्रकार से व्यवस्था की जा रही है और वहां दुकानदारी चल रही है।

महोदय, छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कालाबाजारी चालू हो चुकी है। कंपनियों से सीमेंट सप्लाई बंद है। जिसके पास स्टॉक है, 240 और 250 रुपये प्रति बैग की सीमेंट को 320 और 370 रुपये तक बेच रहे हैं। यह निर्धारित दर से 50 और 60 रुपये अधिक दर पर बिकने लगा है। गर्मी का मौसम होने की वजह से इन दिनों भवन निर्माण का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा है। बढ़ी हुई कीमत का खामियाजा भवन निर्माताओं और उपभोक्ताओं को भोगना पड़ रहा है। अधिकतर भवन निर्माता समय पर निर्माण कार्य पूरा करना चाहते हैं। लोग किल्लत के बावजूद अधिक कीमत पर सीमेंट खरीद रहे हैं।

महोदय, सीमेंट को लेकर देश के प्रमुख व उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। यहां प्रतिमाह 25 से 30 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। यदि उत्पादन प्रभावित होता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उत्पादन व परिवहन को लेकर जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसका सीधा असर देश के बाजार पर पड़ रहा है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 20 प्रतिशत की वृद्धि करने से वह बैग 0 से 45 रुपये प्रति बोरी महंगा हो गया है। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बुरा असर पड़ रहा है।

महोदय, पूरे प्रदेश में जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों की भूमिका संदिग्ध है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी व सरकार की भूमिका संदिग्ध है। यह स्पष्ट होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जिससे उपभोक्ताओं को लूट और बर्बादी से बचाया जा सके।

माननीय सभापति : श्री सी. पी. जोशी जी।

जोशी जी, कृपया आप अपना भाषण देने के बाद न जाएं। कोई माननीय सदस्य न जाएं।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं सबसे अन्त में जाऊंगा।

महोदय, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद, चाहे वह केन्द्रीय विद्यालय हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, नवोदय विद्यालय हो, बाइपास हो, ग्रामीण सड़कें हों, जल जीवन मिशन हो, चाहे एन.एच.ए.आई. में काम, चाहे गांव में जी.एस.एस. बनाना हो, चाहे बिजली से घरों और गांवों को जोड़ना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। नरेन्द्र मोदी जी के पिछले कार्यकाल में पूरे राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज खुले हैं और इस कार्यकाल में 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिले हैं। इस सरकार ने पूरे देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया। उसमें से 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को दिए हैं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में तो मेडिकल कॉलेज खुल गया। लेकिन, प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है। राजस्थान सरकार को मैंने आग्रह किया और पत्र भी लिखे थे कि प्रतापगढ़ में भी एक मेडिकल कॉलेज खुले, ताकि उस क्षेत्र की आदिवासी जनता और उस जिले के लोगों को उसका फायदा मिल सके। राजस्थान सरकार ने वह नहीं भेजा।

महोदय, राजस्थान सरकार ने वह प्रस्ताव न भेजकर वहां की जनता के विरुद्ध काम किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भविष्य में जब भी कोई योजना बने या पीपीपी मोड पर कोई योजना बने तो प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिले।

श्री विजय कुमार (गया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, पूरे देश में पीडीएस विक्रेताओं को जो कमीशन मिलता है, वह बहुत कम है। उस कमीशन की जगह पर उन्हें मानदेय दिया जाए। कोरोना वारियर्स की तरह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी की जो सोच थी, उस पर उन्होंने अच्छा काम किया और अच्छा रिजल्ट भी मिला।

महोदय, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही साथ, उन्हें जो चार-पाँच किलो सामान वजन करने के लिए दिया जाता है, उसकी जगह पर उन्हें पैकेट्स दिए जाएं क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण बदनामी होती है। ऐसा करने से सरकार की बदनामी नहीं होगी, पीडीएस दुकानदारों की बदनामी नहीं होगी और लाभार्थियों के लिए उसे तौलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कम-ज्यादा का सवाल नहीं होगा। इसलिए उन्हें मानदेय दिया जाए।

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा गाँवों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण एवं विकास हेतु 13वें और 14वें वित्त आयोग की राशि गाँवों को मिली है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विगत वर्षों में उक्त राशि को स्वयं के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में खर्च किया गया है। इस प्रकार से खर्च किए जाने से गाँवों की जो छोटी-छोटी मूलभूत समस्याएं हैं, जैंसे गली-सड़क की मरम्मत, बिजली और पानी की व्यवस्था आदि के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत के खाते में राशि नहीं होने से आज पंचायत असहाय महसूस कर रही हैं।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र के ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह है कि पंचायतों को और अधिकार प्रदान करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग पंचायत को अपने स्तर पर करने दिया जाए। ग्राम पंचायत की छोटी-छोटी मूलभूत समस्याओं के समाधान एवं विकास के लिए उस राशि

का उपयोग किया जाए। ग्राम पंचायत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अधिकार प्रदान किये जाएं, ऐसी मेरी माँग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल): आदरणीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक हित के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बैतूल हरदा हरसूद जनजातीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी में सतपुड़ा जलाशय स्थित है। तवा नदी पर स्थित 3000 एकड़ क्षेत्र में निर्मित इस जलाशय से 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है। इसके संचालन एवं 50 हजार की आबादी वाले एमपीजीसीएल एवं डब्ल्यूसीएल की कॉलोनियों के अलावा नगर की एक लाख की आबादी के लिए पेय जल की आपूर्ति होती है। इसी प्रकार 600 मछुआरे परिवारों की आजीविका भी इसी जलाशय पर निर्भर है। सारनी नगर के आसपास लगभग 100 गाँवों में भू-जल स्तर को बनाए रखने में उक्त जलाशय की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में एक विशेष प्रकार के जलीय खर-पतवार (सलविनिया मोस्टा) ने डैम को ढक लिया है, जिससे यहाँ जनजीवन खतरे में पड़ गया है। इस जलाशय पर आधिपत्य रखने वाली मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी बजट के अभाव में जलाशय की सफाई में असमर्थता व्यक्त कर रही है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रेमी भारत भारतीय आवासीय विद्यालय के प्रमुख श्री मोहन नागर जी के कुशल नेतृत्व में अनेकानेक स्वयंसेवी संस्थाएं एवं धार्मिक संस्थाएं श्रमदान में लगी हुई हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ और आपके माध्यम से केन्द्रीय जल मंत्रालय एवं माननीय मंत्री श्री शेखावत जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैं इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी जलसंरचना सतपुड़ा जलाशय को जलीय खर पतवार से मुक्त कर जल

संरक्षण की दिशा में ठोस पहल उठाने हेतु माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री संजय सेठ (राँची): सभापति महोदय, मेरे राँची लोक सभा क्षेत्र के ईचागढ़ में एक गाँव डेवलतांड़ है। यह पूरी तरह से ट्राइबल गाँव है। इस ट्राइबल गाँव में 2700 साल पुराना एक मंदिर है, जिसमें आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा है। वहाँ भगवान महावीर ने चतुर्मास किया था। वह गाँव पूरी तरह से वेजिटेरियन है और कोई नशा नहीं है। वह जैनियों का एक बहुत बड़ा पर्यटन और तीर्थ-स्थल बन सकता है, लेकिन वहाँ सड़क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से माँग करना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर समुचित विकास हो जाए तो झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान से जैन समाज के लोग वहाँ आया करेंगे, क्योंकि वहाँ 2700 साल पुराना मंदिर है और भगवान आदिनाथ की भव्य प्रतिमा है। वह स्थान रोजगार तथा स्व-रोजगार का एक बहुत बड़ा केन्द्र भी बन सकता है। ईचागढ़ की जो जनता हैं, उनको भी निश्चित रूप से लाभ होगा और उनको रोजगार मिलेगा।

महोदय, इस संबंध में मेरा यही आग्रह है कि आदरणीय पर्यटन मंत्री जी इस बारे में ठोस कार्रवाई करें।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के झाबुआ जिले में लगभग 87 परसेंट आबादी जनजातीय समाज की है। इस जिले में मातृ मृत्यु-दर तथ शिशु मृत्यु-दर सबसे ज्यादा है और सिलकोसिस जैसी कई प्रकार की समस्याएं भी हैं। आज इन समस्याओं से यह क्षेत्र जूझ रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ 35 से 40 प्रतिशत लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। वहाँ से लोग पास-पड़ोस के राज्य गुजरात,

महाराष्ट्र तथा राजस्थान में काम करने के लिए जाते हैं और बीमार होकर आते हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से माँग करता हूँ कि झाबुआ जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए, जिसकी महती आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख की नगरपालिका व नगर पंचायतें बिल्हौर, शिवराजपुर, बालामऊ जंक्शन, संडीला, चौबेपुर से निकलने वाली रेलवे क्रासिंग पर भारी यातायात होने के कारण क्रासिंग बंद होने पर कई-कई घंटे जाम लगा रहता है। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोग काफी समय से रेलवे पुल या अंडरपास बनाये जाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकरण को मैंने नियम 377 के अधीन और अतारांकित प्रश्न के माध्यम से भी सदन में कई बार रखा।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिल्हौर, शिवराजपुर, बालामऊ जंक्शन, संडीला, चौबेपुर में रेलवे ओवर ब्रिज या अंडरपास की स्थापना किये जाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और कब तक इसको अंतिम रूप दिया जाएगा?

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं आज ऐसे क्षेत्र की बात करने के लिए खड़ा हूं, जहां भगवान राम और माता सीता ने अपने वनवास के 12 वर्ष बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में काटे। चित्रकूट प्रकृति की गोद में है। वहां पर जंगल हैं। बुंदेलखंड की जो प्राकृतिक छटा है, उसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहां आना चाहते हैं। चित्रकूट को स्प्रिचुअल सर्किट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी उसे डेवलप करा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ, देश और प्रदेश दोनों की राजधानी से उसको एक्सप्रेस-वे से जोड़ा गया है।

महोदय, हमारे यहां नदी, झरने, पहाड़, जंगल, झील और तालाब की बहुतायत है। उस बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां भगवान राम 12 वर्ष रहे, वहां से गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड से लोग पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल में पूरे देश के लोग प्रकृति की गोद में वहां जाना चाहते थे। वहां पर जंगल हैं। वहां पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। मेरा मानना है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर उसको बढ़ावा मिले, तो वहां के नौजवानों को टूरिस्ट गाइड, टैक्सी और होटल्स के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के रोजगार उपलब्ध होंगे और उनका पलायन रुकेगा।

मेरी आपसे मांग है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से 250 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस-वे, जिसके द्वारा चित्रकूट, खजुराहो, ओरछा से झांसी को जोड़ा जाए। जब यह पूरा सर्किट तैयार होगा, तो पूरे देश और दुनिया के लोग प्रकृति की गोद में आसानी से जा सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो में पहुंच सकेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, उनमें अनेकों राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। इस प्रकृति की गोद में ऑक्सीजन बैंक के बीच में जब कार्यक्रम होंगे, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। किसानों की बहुत गम्भीर समस्या पर मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा। किसान की माली हालत को देखते हुए, उनके धान, गेहूं और तमाम अन्य फसलों के क्रय के लिए क्रय केंद्रों का कार्यक्रम चलता है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए चलाया जाता है। हमारा क्षेत्र श्रावस्ती बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है। आज वहां किसान धान और गेहूं की फसल क्रय केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे हैं। वहां लंबी लाइनें लगी हुई हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करूंगा कि क्रय केंद्र, जिसे कुछ दिनों के लिए चलाया जाता है, उसे पूरे वर्ष चलाया जाए, जिससे धान और गेहूं हमेशा खरीदा जा सके। धान की

फसल, गेहूं की फसल और तमाम ऐसी चीजें हैं, जिनको बेचने से किसान खुशहाल होगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के हित को देखते हुए, क्रय केंद्र पूरे साल चलाया जाए, जिससे किसान खुशहाल हो, धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Arvind Sawant	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Pavan Rajenimbalkar Shri Anubhav Mohanty Dr. Shrikant Eknath Shinde Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Rajendra Dhedya Gavit	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shrimati Veena Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma

Shri Arun Sao	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Mohammed Faizal P.P.	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri B.B. Patil	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Bidyut Baran Mahato	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Riti Pathak	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dayakar Pasunoori	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Mukesh Rajput	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Basanta Kumar Panda	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Nihal Chand Chouhan	Shri Ramcharan Bohra Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Sanjay Jaiswal	Shri Ajay Misra Teni Shrimati Meenakashi Lekhi Shri Sushil Kumar Singh Shri Ram Kripal Yadav

	Shri Gopal Jee Thakur Shri Pradeep Kumar Singh Shri Chandeshwar Prasad Shri Vijay Kumar Shri Sanjay Seth Dr. Alok Kumar Suman Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hanuman Beniwal	Shri Ramcharan Bohra Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Shrikant Eknath Shinde	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Arvind Sawant Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramcharan Bohra	Shri Nihal Chand Chouhan Dr. Manoj Rajoria Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Ramesh Shewale	Shri Shrirang Appa Barne

	Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Arvind Sawant
Dr. Sanghamitra Maurya	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sangam Lal Gupta Dr. Manoj Rajoria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Shankar Lalwani	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rajkumar Chahar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Anubhav Mohanty	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Arvind Sawant Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Shrirang Appa Barne Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sunil Soren Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Janardan Mishra	
Dr. R.K. Ranjan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Aparajita Sarangi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Ranjeeta Koli	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Janardan Singh Sigriwal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Manoj Rajoria
Shrimati Vanga Geetha Viswanath Shri Raghu Rama Krishna Raju Shrimati Kavitha Malothu Shri Sunil Soren Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Janardan Mishra	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Gopal Jee Thakur	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Jasbir Singh Gill	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ram Kripal Yadav	Shri Kuldeep Rai Sharma

	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Tapir Gao	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Jasbir Singh Gill Dr. Manoj Rajoria
Shrimati Navneet Ravi Rana	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Bharati Pravin Pawar	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Meenakashi Lekhi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Pradeep Kumar Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Jagdambika Pal Shri Mohammad Sadique	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Vijay Kumar Dubey	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sushil Kumar Singh	Dr. Manoj Rajoria Shri Kuldeep Rai Sharma

	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ganesh Singh	Shri Kuldeep Rai Sharma
Kumari Goddeti Madhavi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Syed Imtiaz Jaleel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Adv. Ajay Bhatt	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Amar Singh	Shri Kuldeep Rai Sharma
Kunwar Danish Ali	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Chinta Anuradha,	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Bhagirath Choudhary	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Gurjeet Singh Aujla	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Dinesh Chandra Yadav	Shri Kuldeep Rai Sharma
Prof. S.P. Singh Baghel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Shri Malook Nagar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajendra Agrawal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ajay Misra Teni	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Ram Shankar Katheria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Bhanu Pratap Singh Verma	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramulu Pothuganti	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr Dhal Singh Bisen	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramesh Chandra Majhi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Chandeshwar Prasad	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kanakmal Katara	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Umesh G Jadav	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Santosh Pandey	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri C. P. Joshi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Vijay Kumar	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Chunnilal Sahu	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Durga Das Uikey	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sanjay Seth	Shri Kuldeep Rai Sharma
Er. Guman Singh Damor	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ashok Kumar Rawat	Shri Kuldeep Rai Sharma
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramshiromani Verma	Shri Kuldeep Rai Sharma

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2021 को प्रात**:** 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

21.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 25, 2021/ Chaitra 4,1943(Saka)